सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार 25 नवम्बर 1981

4 अग्राहयण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 3, बुधवार, 25 नवम्बर, 1981/4 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—16
तारांकित प्रश्न संख्या : 41 और 42	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	16—243
तारांकित प्रश्न संख्या : 42, 44 और 46 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 461 से 525, 527 से 551, 553 से 681 और 683 से 690	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	243—249
राज्य सभा से संदेश	249
पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	249
30वां प्रतिवेदन	
चिट फंड विधेयक	250-252
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	
केनरा बैंक की साउथ एक्सटेंशन शाखा, नई दिल्ली में डकैती के समाचार के बारे में ध्यानाकर्षण के उत्तर में 9 सितम्बर, 1981 को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	
श्री योगेन्द्र मकवाना	252

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 252—267

मस्तिष्क ज्वर (एंसिफेलाइटिस) के भीषण प्रकोप के कारण हुई मौतों का समाचार

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 252

श्री बी० शंकरानन्द 252

श्री कमल नाथ 258

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 260

श्री डी० पी० यादव 263

पाकिस्तान द्वारा "युद्ध वर्जन संधि" के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य 267 —269

श्री पी० वी० नरसिंह राव 267

कार्य मंत्रणा समिति 269-273

21वां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले 274—281

(एक) उड़ीसा में सड़क संचार के लिए और अधिक धन की व्यवस्था

श्री रासबिहारी बहेरा 274

(दो) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को बंद किये जाने का कथित निर्णय

श्री सोमनाथ चटर्जी 274

(तीन) उत्तर प्रदेश में शारदा परियोजना नहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पानी के रिसने की समस्या

श्री रामलाल राही 275

(चार) जम्मू और काश्मीर के किश्तवार नगर के लोगों की मांगें

डा० कर्ण सिंह 276

(पांच) मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के उपाय

श्री ईरा अनबारासु 277

(छः) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली में हड़ताल की धमकी

श्री काजी जलील अब्बासी 279

(सात) समाज के विभिन्न वर्गों को जारी किये गए शस्त्र लाइसेंसों को रद्द करना

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 279

(आठ) मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोलने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि 281

आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक 282—300

विचार करने का प्रस्ताव

श्री रशीद मसूद 282

श्री विजय कुमार यादव 284

श्री ए० के० राय 286

श्रीमती गीता मुखर्जी 290

श्री चरणजीत चानना 292

खण्ड 2 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री चरणजीत चानना 299

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक 301—337

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकट रेड्डी 301

श्री ई० बालानन्दन 303

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 307
श्री जगपाल सिंह 308
श्री रास बिहारी बहेरा 310
श्री सी० पलानीअप्पन 312
श्री जेवियर अराकल 313
श्री भीम सिंह 315
श्री के० टी० कोसलराम 317
श्री के० ए० राजन 318
श्री चन्द्र शेखर सिंह 321
श्री राम सिंह यादव 323
श्री हरिकेश बहादुर 325
श्री गिरधारी लाल व्यास 328
श्री चन्द्रजीत यादव 331
श्री मूल चन्द डागा 333

लोक सभा

बुधवार, 25 नवम्बर, 1981/4 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट

* 41. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मंडल की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब दी थी;

(ख) इस रिपोर्ट को सदन में पेश करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अब इसे कब सभा पटल पर रखने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 31-12-80 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और इसे, इस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, संसद के समक्ष रखा जाएगा, जैसी संविधान के अनुच्छेद 340(3) के अन्तर्गत व्यवस्था है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : सरकार ने जानबूझ कर मेरे प्रश्न के महत्वपूर्ण अंश का उत्तर देने को टाला है।

मेरा प्रश्न (ख) इस बारे में है कि सदन में रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब किस कारण हुआ। उत्तर से पता चलता है कि लगभग एक वर्ष बीत चुका है। गत सत्र में जब हमने इस मामले को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से उठाया था, तो आपने स्वयं सदन के समक्ष इसे न पेश करने के लिए सरकार के रवैये के बारे में आशंका व्यक्त की थी। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आ गए, आ गए, उन्होंने नाम दिया था—"आया राम, गया राम।"··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री, श्री वेंकट सुब्बय्या ने इस सम्माननीय सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार गत सत्र में ही संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को पेश कर देगी चाहे दूसरे काम का भार कितना भी अधिक क्यों न हों। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस बात ने और किस व्यक्ति ने सरकार को इस रिपोर्ट को संसद में पिछले सत्र में पेश करने से रोका है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कितना समय लेगी और उसके पश्चात् कब इसे संसद में पेश करेगी और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा, मैं विशिष्ट तिथियों के साथ एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कहना गलत है कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मैंने अपने उत्तर में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है कि इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है और इसे की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ इसे संसद में पेश कर दिया जायेगा।

सदस्य महोदय संसद के गत सत्र के दौरान मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में जानना चाहते हैं। सदन के समक्ष अपना वक्तव्य देने से पूर्व मेरे सहयोगी ने स्वयं इस बात के कारण बताये थे कि सभा पटल पर हम रिपोर्ट का पेश किया जाना क्यों सम्भव नहीं हो सका।

यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है और हमने विभिन्न मन्त्रालयों के साथ भी परामर्श भी करना है क्योंकि जब तक विभिन्न मन्त्रालयों से सभी रिपोर्ट नहीं मिल जाती हैं, तब तक इस पर विचार करना सम्भव नहीं है। यह एक बड़ी रिपोर्ट है और हमें विभिन्न मन्त्रालयों से भी परामर्श करना है क्योंकि जब तक हमें विभिन्न मन्त्रालयों से सभी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक इस पर ठीक से विचार करना सम्भव नहीं है।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : सरकार फिर उत्तर देने से बचने का प्रयास कर रही है। इससे सरकार के पिछड़े वर्ग-विरोधी रवैये का पता चलता है।

जब इस रिपोर्ट को एक समारोह में, जिस में प्रधान मन्त्री शामिल हुई थीं; सरकार को दिया गया था तो उस उत्सव में ही प्रधान मन्त्री के भाषण से यह पता चलता था कि सरकार इस

मामले में भ्रान्ति पैदा करने का प्रयास कर रही है। प्रधान मन्त्री ने उस बैठक में कहा था कि प्रश्न यह है कि क्या इस पिछड़े वर्ग सम्बन्धी मामले का निर्णय सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाना चाहिये अथवा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। और प्रधान मन्त्री का स्वयं वह भाषण ही इस बात का संकेत था कि प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार उन पिछड़े वर्गों के विरुद्ध हैं जो इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षण के विरुद्ध किये गये आरक्षण-विरोधी आंदोलन को केन्द्रीय सरकार के आशीर्वाद से गुजरात सरकार द्वारा केवल इस लिए उकसाया गया था ताकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने से बचा सके।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उनके द्वारा मेरे तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का मैं खण्डन करती हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : इस सवाल पर झगड़ा चाहते हो, क्या ? स्पष्ट जवाब दो··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : हमको इस सवाल पर उत्तेजित कर रहे हैं। फूल लगा कर गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पिछली बार जब सदन में ऐसा ही झगड़ा हुआ था, तब इन्होंने कहा कि हम अगले सेशन में रखेंगे। अब जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं ? स्पष्ट शब्दों में बतायें कि रिपोर्ट रखेंगे या नहीं ?

श्री जगपाल सिंह : यह टोटल पापुलेशन के 52 प्रतिशत का सवाल है···

श्री योगेन्द्र मकवाना : स्वयं प्रश्न ही बेतुका है और उन्होंने निराधार आरोप लगाये हैं क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रधान मन्त्री ने नहीं, प्रत्युत गृह मन्त्री ने भाषण दिया था। **(व्यवधान)**

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : नहीं यह भाषण प्रधान मन्त्री ने दिया था। **(व्यवधान)**

श्री रामलाल राही : गृह मन्त्री जी कहें कि पहले हमने गलतबयानी की थी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कहने, से ही कि सरकार की रुचि आरक्षण विरोधी आन्दोलन कराने में है, यह पता चलता है कि सदस्य महोदय निराधार आरोप लगा रहे हैं और इस प्रकार के आरोप को लगाने का उनके पास कोई कारण नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम

इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसे की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ पटल पर रखने जा रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : कब ?··· **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लासेज की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मेम्बर साहबान के जो जजबात है मैं उनकी कद्र करता हूं और यह सच्चाई है कि पहले काका कालेलकर साहब की बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई थी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ।

अब मेम्बर साहबान को इस बात की चिन्ता है कि यह रिपोर्ट भी दबा दी जाए··· **(व्यवधान)** आप जरा शान्ति से सुनिये। आप बहुत दानिशमन्द इन्सान हैं। बुरा लगता है जब इस तरह से करते हैं। लोग सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। उसकी वजह से मैम्बर साहबान, पर्टीकुलरली जो बैकवर्ड क्लासेज से सम्बन्ध रखते हैं या बैकवर्ड क्लासेज के साथ हमदर्दी रखते हैं, वे यह समझते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को भी उसी तरह से समाप्त कर दे। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली स्टडी किया है और वह स्टडी कर रही लेकिन इस रिपोर्ट का सम्बन्ध भारत सरकार की तमाम मिनिस्ट्रीज से और हिन्दुस्तान की तमाम प्रान्तीय सरकारों से है। उनके साथ कन्सलटेशन करके फालो-अप एक्शन जो है, वह रिपोर्ट साथ ही रखा जाता है। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक रिपोर्ट के साथ अगर फालो-अप एक्शन नहीं रखते हैं, तो बात अधूरी रहती है। इसलिए हम मेमोरेण्डम तैयार कर रहे हैं। प्रान्तीय सरकारों से भी कन्सल्ट करेंगे और मिनिस्ट्रीज से भी कन्सल्ट कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा, हम इस हाऊस के सामने रिपोर्ट रखेंगे और तब हम यह बता सकेंगे कि इस रिपोर्ट की रिकमेन्डेशन्स में से कौन सी बातें हैं जो नामुमकिन हैं, वे पूरी नहीं की जा सकतीं और कौन-कौन सी बातें हैं जो पूरी की जा सकती हैं। फिर मेम्बर साहबान को खुला टाइम मिलेगा और वे अपने विचार दे सकेंगे। उस पर उनकी राय आ जाएगी। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि जितनी जल्दी ऐंगजाइटी आपको है, उतनी ही हमको भी है और जो चीजें बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में सरकार को करनी चाहिएं, वे तुरन्त की जाएं, उनमें देर न की जाए, मगर जो दोसीबिल हो सकता है, वही किया जा सकता है। जितनी देर दरकार उतनी देर लगनी ही चाहिए और बात सोच-समझ कर करनी चाहिए। सबसे सलाह-मश्विरा करके डेमोक्रेटिक तरीके से, सारी रस्में पूरी करके, डेफनीट बात कह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तसल्ली रखें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कितना समय लगेगा सोचने और समझने में, यह आप बताइए।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले बता तो दिया है। यह आप क्या कर रहे हैं। श्री मनीराम बागड़ी।

श्री मनीराम बागड़ी : गृह मन्त्री जी ने जो बात कही, वह खुली जुबान से कही। यह सही है कि हर काम शासन के सारे अंगों से होते हैं और समझ से भी होते हैं। यह सवाल सिर्फ

बैकवर्ड क्लासेज का नहीं है बल्कि समूचे देश का है और समूचे देश की इकाइयों से जुड़ा हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात डेफनीट नहीं होती है, पक्की बात नहीं होती है, वह हवाई बात होती है। आप खूंटा गाड़ें कि फलां तारीख तक रपट सदन में रख दी जाएगी और यह बात नहीं होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी रखी जाएगी क्योंकि 100 साल में भी जल्दी है, आपकी 50 पुस्तों के बाद भी जल्दी है, आपकी सरकार चली जाएगी, तब भी जल्दी है और आप नहीं रहेंगे, तब भी जल्दी है। आप पक्का खूंटा गाड़ें कि सरकार फलां तारीख तक यह रपट रख देगी ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, बागड़ी जी खुद जानते हैं कि 'जल्दी' का मतलब यह नहीं होता कि साल निकल जायेंगे। वे 100 साल की बात करते हैं और उनका यह भी ख्याल है कि हमारी दूसरी पुश्त इसको ला कर रखेगी। यह बात गलत बात है। डेट न मुकर्रर करने का कारण सिर्फ यही है कि जितने भी डिपार्टमेंटस हैं हिन्दुस्तान के, उन सबके साथ इसका ताल्लुक है और प्रान्तीय सरकारें अपनी पोजीशन देख कर अपने-अपने विचार इस पर दें।

श्री मनीराम बागड़ी : यह सब देखना सरकार का काम है। आप जवाब 'हां' या 'ना' में दें। कोई निश्चित तारीख बताएं, जिस तक सरकार इसको रखेगी। आप बताएं कि फलां तारीख तक इसको रख देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इनको निश्चित तारीख बतानी ही पड़ेगी।

श्री जैल सिंह : एक बात जो रीजनेबिल होती है, उसको करने के बाद भी अनरीजनेबिल बना देते हैं। यह बात रीजनेबिल है कि जल्दी होनी चाहिए लेकिन तारीख मुकर्रर करनी ही पड़ेगी, यह रीजनेबिल बात नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप कोई तारीख निश्चित कीजिए कि फलां तारीख तक रख दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : मैं निश्चित तारीख बताने की स्थिति में नहीं हूं। (**व्यवधान**) वह रिपोर्ट फोलो अप एक्शन के साथ रखी जाएगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी-बारी से बुला रहा हूं। आपको भी बुलाया। अब उनकी बारी है। अब बैठिये। श्री उत्तम राठौर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हम लोगों को मौका नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं रिकार्ड निकाल कर दिखा दूं तो फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे। श्री उत्तम राठौर।

श्री दौलत राम सारण : यह क्या तरीका है ? आप जो शोर मचाते हैं, उनको मौका देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब क्या यह है कि आप भी शोर मचाएं ?

श्री सारण मैंने आपको बोलने के लिये नहीं कहा है । मैंने उत्तम राठौर को बोलने के लिए कहा है । श्री सारण मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । श्री सारण कृपया बैठ जाइये । यह मुझे अपने विवेक के अनुसार तय करना है और मैं इसका उपयोग कर रहा हूं ।

श्री उत्तम राठौर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि काका कालेलकर ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया । इसकी वजह से बेकवर्ड क्लासिज के लोग काफी परेशान हैं । अभी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट पेश की जिसके बारे में पिछले सेसन में दो बार सवाल उठाया गया और आखिरी जवाब में श्री वेंकटसुब्बय्या ने कहा था कि प्रिंटिंग की डिफीकल्टी की वजह से रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की जा सकी । उसको लगभग 11 महीने हो चुके हैं । गवर्नमेंट को और कितना समय लगेगा, इसको पेश करने में या इस पर एक्शन लेने में ? इस चीज पर फैसला लेने में आप कितना समय और लेंगे और कब तक इस पर कम्युनिटी को आप फायदा दे सकेंगे ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बार-बार यह बताया गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इसे पेश किया जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : यह कोई जिम्मेदारी की बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आप टेन्टेटिवली कोई वक्त दे सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमको यह आश्वासन दिया गया था कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी । हमारे माननीय गृह मन्त्री जी ने कोचीन में भी पत्रकारों की सभा में यह आश्वासन दिया था । मैं यह प्रश्न राज्य मन्त्री जी से फिर से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि गृह मन्त्री और गृह राज्य मन्त्री के वक्तव्यों में मेजर कन्ट्रा-डिक्शन हो जाता है । जहां तक हरिजनों और बेकवर्ड क्लास के लोगों का मामला है यह कोई ऐसी ही बात नहीं है, यह बहुत जिम्मेदारी का मामला है । मैं गृह राज्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के (4) में बेकवर्ड क्लासिज का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि सोशियली और एजुकेशनली वीक हों, क्या इस क्राइटेरिया को बदलने की बात की जा रही है क्योंकि कई बार बाहर ऐसी बातें कही गयी हैं ? बिना संविधान में संशोधन के ऐसा नहीं हो सकता । क्या सरकार इकनामिक, सोशल, एजूकेशनल बेकवर्डनेस का क्राइटेरिया बदलने का विचार कर रही है ? क्या सरकार इसलिए इस रिपोर्ट को इतने समय तक छपाई में रखना चाहती है कि चुनाव आ जाएं और 2-4 महीने पहले यह रिपोर्ट प्रस्तुत करके बेकवर्ड क्लासेस का ध्यान इसकी ओर खींचा जाए और इस बात का प्रचार किया जाए कि हम उनके लिए कुछ करने जा रहे हैं और उनसे वोट प्राप्त किए जाएं । क्या सरकार इसको चुनाव का माध्यम बनाना चाहती है ? तीसरी बात यह है कि···।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है, एक प्रश्न कीजिए । **(व्यवधान)**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हर स्टेट में बैकवर्ड क्लास···। **(व्यवधान)** सरकार को इसको एडाप्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है । उस लिस्ट को एडाप्ट करके उसके मुताबिक संविधान में जो व्यवस्था है, उसको लागू करके सरकार मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में देर क्यों कर रही है ? हम लोग स्पेसिफिक तारीख चाहते हैं जो सदन को बताई जाए, क्योंकि देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 340 इससे सम्बन्धित हैं । आर्टिकल 340 के सब सेक्शन 3 में क्लीयरली लिखा है—

> "राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा ।"

तो 'ले' तो प्रकट कर रहे हैं और जहां तक आर्टिकल 64 का ताल्लुक है, हम क्राइटेरिया को चेंज करने में हक नहीं है··· **(व्यवधान)**···

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, पिछले सत्र में गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि वह उसी सत्र में ही सदन के समक्ष इस रिपोर्ट को पेश कर देंगे, किन्तु अन्तिम दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में परिवर्तन कर दिया और कहा कि इसे कुछ समय पश्चात् पेश किया जायेगा । किन्तु अब इसे इस सत्र में पेश करने में सरकार की मुख्य कठिनाई क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इसमें कोई कठिनाई नहीं है । जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार रिपोर्ट को सभा पटल पर रख देगी किन्तु हमें उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन भी पेश करना होता है और रिपोर्ट पर विचार करना होता है और रिपोर्ट के विचार करने में समय लगता है । अतः विशिष्ट तिथि नहीं बतायी जा सकती है ।··· **(व्यवधान)**···

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इसमें अनावश्यक विलंब तो हो ही रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के किसी मेंबर ने रिपोर्ट के बारे में नोट आफ डीसेंट दिया है और अगर दिया है तो नोट आफ डीसेंट का ब्यौरा क्या है ? उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब रिपोर्ट को टेबल पर रखा जाएगा तो उसमें सब आ जाएगा । आज मैं कुछ कह नहीं कह सकता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : जवाब नहीं दिया गया है । आप इस चीज को बताएं । इससे हम समझेंगे कि आपकी नीयत क्या है । अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे दिया है क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जवाब दे दिया है कि हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। रिपोर्ट रखने वाले हैं। जब रखेंगे तो इसको भी देख लेंगे। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : श्री रसीद मसूद। जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा जायेगा, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री रसीद मसूद : गढ़वाल में इलैक्शन को प्रेशर में लाकर पोस्टपोन कर दिया गया है। तारीख आपने तय की थी लेकिन उस तारीख को नहीं करवाया। कहीं यह मामला भी ऐसा ही तो नहीं है ? इसके ऊपर तमाम बेकवर्ड लोग, पिछड़े हुए लोग और वे लोग जो बेकवर्ड क्लासिस के साथ हमदर्दी रखते हैं, एजीटेटिड हैं। क्या रिपोर्ट को टेबल पर न रखने की वजह यह तो नहीं है कि इसके पीछे उन लोगों का प्रैशर है जिन्होंने एंटीरिजर्वेशन मूवमैंट गुजरात में चलायी थी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसे किसी प्रैशर का सवाल ही नहीं उठता है। **(व्यवधान)**

श्री रशीद मसूद : हम प्रोटैस्ट में वाक आउट करते हैं।

(इसके बाद कुछ माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये)

(इस समय श्री मनी राम बागड़ी, राम लाल राही तथा कुछ अन्य सदस्य आये और सभा-पटल के पास सदन के फर्श पर बैठ गए)।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय वे क्या कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, हमें सभा में विपक्ष के इस प्रकार के रवैये को अवश्य ही रोकना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं है।..... **(व्यवधान)**।

श्री समर मुखर्जी : महोदय क्या यह मांग करना अनुचित है कि सभा-पटल पर हम रिपोर्ट को पेश करने के लिये एक स्पष्ट तिथि की घोषणा की जाए ? क्या विपक्ष सदस्यों की ओर से एक स्पष्ट तिथि की मांग करना अनुचित है ? क्या यह अलोकतान्त्रिक है ? **(व्यवधान)** के तिथि बताने से इनकार क्यों कर रहे हैं ? प्रधान मन्त्री यहाँ मौजूद हैं। वह तिथि की घोषणा कर सकती हैं। कम से कम इस भावना को अवश्य ही शान्त किया जाना चाहिए। इसमें बहुत विलम्ब किया गया है और सदन से बाहर लोग बहुत ही महसूस कर रहे हैं और उनकी यह धारणा बन गई है कि कुछ निहित स्वार्थ ऐसे हैं जो यहां इस रिपोर्ट पर चर्चा को रोक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री इस बारे में आश्वासन दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या आप सभा में इस प्रकार के रवैये का समर्थन करते हैं ? क्या संयुक्त विपक्ष का यही अर्थ है ? मैं यही पूछना चाहती हूं।

श्री समर मुखर्जी : यदि आप आश्वासन दें तो···**(व्यवधान)**।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। क्या आप इस प्रकार के रवैये का समर्थन करते हैं या नहीं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके मुझे सुनेंगे ? कुछ नियम हैं **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने आपके संरक्षण की मांग की है कि किसी निश्चित तिथि की घोषणा की जानी चाहिए **(व्यवधान)**। सत्र से पहले आपको यह अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि सरकार का यह अडियल रवैया है। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह विपक्ष की सुविगठित नीति है। ऐसा केवल इस प्रश्न के सम्बन्ध में ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा होता है। **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : इस रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखने का सरकार का यह जान-बूझकर लिया गया निर्णय है। इसकी आयोजना आपने बनाई है, न कि विपक्ष ने। आपने ऐसा निर्णय किया है कि इस रिपोर्ट पर यहां चर्चा ही न की जाये। **(व्यवधान)**। आप यहां व्यवहार का प्रश्न उठा रहे हैं। आपके दल को उचित व्यवहार करना चाहिए और आपको एक स्पष्ट उत्तर देना चाहिए **(व्यवधान)**।*

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी, वे यह मेरी अनुमती के बिना कह रहे हैं। **(व्यवधान)***

माननीय सदस्यों, मेरे विचार में आपको यहां अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है···क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या आपको यहां अध्यक्ष की आवश्यकता है या नहीं ?

मैंने गत···से यह देखा है···मैं नहीं जानता कि कोई ऐसी बात हो सकती है कि हमें इस सभा की सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। विपक्ष की बात उचित हो सकती है और उनकी अपनी राय हो सकती है, किन्तु हम इसे अधिक अच्छे ढंग से सुलझा सकते हैं। सदैव ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा हम निजी तौर से और यहां सभा में भी चर्चा कर सकते हैं और हम बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से बातों का समाधान कर सकते हैं किन्तु यदि बार-बार इस प्रकार की बातें होती रहीं, तो मेरे विचार से हम उस लोकतन्त्र की जड़ों को काट रहे हैं जिसकी रक्षा करने का आप दावा करते हैं। मैं दोनों पक्षों से ठीक तरह से सहयोग करने के लिए कहूंगा। ऐसा व्यवहार सदस्यों को शोभा नहीं देता। मैं गृह मन्त्री महोदय से विपक्ष के साथ बातचीत करने तथा मामलों को सुलझा लेने के लिए कहूंगा। इस प्रकार उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। **(व्यवधान)***। मैं इसे पसन्द नहीं करता। इससे तो उसकी जड़ ही कट जायेगी जिसकी रक्षा करने का आप प्रयास कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु तब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप आन्दोलन का रुख अपनाते हैं तो ठीक है, परन्तु यदि आप किसी समय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आपकी पराजय होगी। (**व्यवधान**) यह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप उन मानदंडों से भली-भांति अवगत हैं जो हमने अपने दल के लिए अपनाए हैं। अतः आपको पूरे विपक्ष पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं स्वयं को धरना आदि से सम्बद्ध नहीं रखता हूं।

मुझे एक विनम्र निवेदन करना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार 16 फरवरी को सभा-पटल पर प्रतिवेदन रखने का वचन दे सकती है जब हम बजट सत्र के लिए एकत्र होंगे? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आधे घंटे की चर्चा से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें कोई निश्चित तारीख देनी चाहिए, चाहे 16 फरवरी हो या मार्च या अप्रैल या बजट सत्र के दौरान कोई भी तारीख। क्या आप बजट सत्र के दौरान कुछ कहने की स्थिति में हैं?

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उनके विभिन्न विभागों से ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि उन्हें विभिन्न राज्यों से भी उत्तर लेने हैं। गृह मन्त्री तारीख किस प्रकार दे सकते हैं जबकि उन्हें यह नहीं मालूम है कि राज्य कब तक उत्तर भेज देंगे? (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : तब गृह मन्त्री को यह कह दें कि ऐसा करना 1985 तक संभव नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हम समझ सकते हैं कि माननीय सदस्य विलम्ब के कारण बहुत उत्तेजित हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हम सब यहां बैठे हुए हैं तो हम सरकार द्वारा सभा में की जा रही प्रत्येक कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं। अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे हम जरा भी सन्तुष्ट नहीं हैं। हम सरकार के उत्तर से जरा भी सन्तुष्ट नहीं हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि यह प्रश्न-काल है। इस ओर के विभिन्न सदस्य 45 मिनट से भी अधिक समय से बार-बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी प्रश्न अलग नहीं हैं। यह एक ही प्रश्न है—सरकार इसे सभा-पटल पर क्यों नहीं रख रही है और इसे कब सभा-पटल पर रखा जायेगा? और 45 मिनट से सरकार की तरफ से भी एक ही उत्तर दिया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : और उन्होंने भी एक ही प्रश्न पूछा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए मैं समझता हूं कि एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर की पुनरावृत्ति सुनने के बाद स्थिति को इस स्तर तक बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए था। अब, माननीय मन्त्री श्री मकवाना ने कहा कि यदि उन्हें प्रतिवेदन रखना है, तो की गई कार्यवाही का ज्ञापन भी रखना होगा और उन्होंने कहा कि ज्ञापन तैयार करने के लिए उन्हें राज्यों से उत्तर तथा सामग्री मंगवानी है और इसीलिए इसमें विलम्ब हो रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जो कुछ हो रहा है उसे दृष्टि में रखते हुए क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखनी सम्भव नहीं है ? मुझे नहीं मालूम कि इसमें इतनी देर की क्या जरूरत थी। की गई कार्यवाही का ज्ञापन बाद में आ सकता है। सदस्य प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिए कह रहे हैं। इसमें क्या कठिनाई है ? की गई कार्यवाही का ज्ञापन बाद में आ सकता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। संविधान के अनुच्छेद 340 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है :

> "राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

यह संविधानिक उपबन्ध है। इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस स्थिति में इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न को प्रश्न काल के दौरान यदि इस स्तर तक बढ़ाया जाता है तो सारा काम ठप्प हो जाएगा। ये माननीय सदस्य और यहां पर अनेक लोग तथा बाहर भी अनेक लोग प्रतिवेदन को देखना चाहते हैं। प्रतिवेदन के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिए; और मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि एक संविधानिक उपबन्ध मौजूद है। संविधानिक उपबन्ध में यह कहा गया है कि की-गई-कार्यवाही का ज्ञापन यदि 15 दिन के बाद दिया जाता है तो आसमान टूट पड़ेगा ?··· **(व्यवधान)**···आखिरकार की-गई-कार्यवाही का ज्ञापन प्रतिवेदन के आधार पर ही तो होगा न कि किसी और आधार पर। उस पक्ष की ओर से भी कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

श्री के० लकप्पा : आप माननीय सदस्यों के व्यवहार की निन्दा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उनके व्यवहार की निन्दा करूंगा, परन्तु मैं आपके जिद्दी रवैये की भी निन्दा करूंगा। यदि मैं उनकी निन्दा नहीं कर रहा होता, तो उनके साथ बैठा होता। मुद्दा यह नहीं है। हम इसे पसन्द नहीं करते हैं। आखिरकार यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परन्तु और प्रश्न भी तो हैं। यह प्रश्न काल है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यह प्रश्न काल है। उन सदस्यों के विषय में सोचिए जिनके प्रश्नों का अभी उत्तर दिया जाना है ? अतः मैं आपको, जो सभा के माननीय अध्यक्ष और संरक्षक हैं, इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। आप 40, 45 मिनट से एक ही प्रश्न और एक उत्तर के लिए अनुमति दिए जा रहे हैं। आपको सभा का मार्गदर्शन करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने भी कहा था। हम बाहर बात कर सकते हैं और मेरे कक्ष में भी इस प्रकार की बात कर सकते हैं। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं एक पूर्वोदाहरण दे सकता हूं ? मैं एक पूर्वोदाहरण देना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय प्रधान मन्त्री काफी पहले कुछ कह सकती थीं। अब मुझे लगता है काफी देर हो गई है, क्योंकि अब भिन्न मनोवृत्ति बन गई है। यदि वह कार्यवाही में काफी पहले कुछ कह देतीं तो मेरे विचार से यह मामला समाप्त हो गया होता। (**व्यवधान**) नहीं, नहीं, वह कुछ कहने के लिए खड़ी हुई थीं, परन्तु उत्तेजित लकप्पा ने उन्हें कुछ कहने से रोक दिया था। (**व्यवधान**) जी हां, यही कुछ हो रहा था। वह कुछ कहने के लिए खड़ी हुई थीं, परन्तु उन्होंने बाधा डाली और उन्हें बोलने से रोक दिया था। (**व्यवधान**) नहीं। मुझे उसके विरुद्ध भी विरोध प्रकट करना है।

श्री के० लकप्पा : आप प्रश्न काल को वाद-विवाद में नहीं बदल सकते हैं। (**व्यवधान**) प्रश्नकाल, प्रश्न काल ही है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक पूर्वोदाहरण देना चाहता हूं। सरकार और सत्ताधारी पक्ष की तर्कसंगत कठिनाई यह लगती है कि की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है और यही विलम्ब का कारण है। मैं एक पूर्वोदाहरण दूंगा जिससे हल निकलने में मदद मिल सकेगी। आप उसे लोक सभा की कार्यवाही में देख सकते हैं।

पांचवीं लोकसभा में, जब भार्गव आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखा गया था, तो मैंने स्वयं मांग की थी। मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्तुत किया था और फिर यह मान लिया गया था कि उसमें विलम्ब हुआ था। आप जानते हैं कि अनेक प्रतिवेदनों के विषय में, सम्बन्धित अधिनियम में यह उल्लिखित है—उदाहरण के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और जांच आयोग अधिनियम—कि सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय से छः महीने के अन्दर इसे संसद में प्रस्तुत करना होता है।

मैं मानता हूं कि अनुच्छेद 340 (3) में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। वह ठीक कह रहे हैं। परन्तु मैं एक पूर्वोदाहरण दूंगा। जब भार्गव आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया था··· (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : यह तो हद हो गई। आप किस नियम के अन्तर्गत उन्हें अनुमति दे रहे हैं ? वह प्रश्न काल को कुछ और ही बना रहे हैं! क्या वह कुछ भी और सब कुछ बोल सकते हैं ? वह प्रश्न काल में बाधा डाल रहे हैं; (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, श्रीमान···

श्री के० लकप्पा : महोदय, उन्होंने आपकी अनुमति ली होगी, परन्तु···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जब मैंने आपकी अनुमति ले ली है, तो मुझे उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) मैं तो केवल हल ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा था। पांचवीं लोक सभा में जब यहां पर भार्गव आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो कोई कार्यवाही न किए जाने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उनके अनुसार वह एक की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन था। की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन क्या था ? रिपोर्ट में कहा गया था कि चूंकि प्रतिवेदन के कई पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना है और उन्हें समस्या के तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए प्रतिवेदन पर इस स्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। मैंने सभा में उनसे पूछा था कि कोई कार्यवाही न किये जाने के प्रतिवेदन को की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन कैसे कहा जा सकता है। और श्रीमन भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, यह आप पर छोड़ दिया जाता है; मैं आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं—अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया कि यदि सरकार यह भी कहती है: "इस स्थिति में हम इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, हमें और समय चाहिए" तो इसे भी एक की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन माना जाएगा। इससे समाधान लेते हुए सरकार प्रतिवेदन रख सकती है; और की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के विषय में वे कह सकते हैं कि उन्हें और समय चाहिए और वे कठिनाई का पता लगाएं। यदि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाता है तो दोनों सभाएं सन्तुष्ट हो जाएंगी। यही एक रास्ता है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं कह रहा था कि हमें बैठ जाना चाहिए और इसका हल खोजना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पूर्वोदाहरण दे दिया है।

श्री जैलसिंह : आनरेबल स्पीकर साहब, मैं इतनी विनती करता हूं कि इस तरह से हाउस की डिगनिटी कायम नहीं रहती। प्रो० दंडवते जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी बड़े दूरन्देश पार्लमेंटेरियन हैं, उन्होंने समझाया बुझाया लेकिन मुझे नजर आता है वे हमको समझा रहे हैं, अपने साथियों को नहीं समझा रहे हैं। (व्यवधान) सभी हमसे कहते हैं कि नीची नजर रख कर चला करो लेकिन इनसे कोई नहीं कहता कि उरियां होके न निकलें (व्यवधान) अगर हमारी बात सुननी है तो पहले हाउस में आर्डर करो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपसे बैठने की अपील करता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : भार्गव आयोग के प्रतिवेदन के मामले में उसे की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सहित सभा-पटल पर रखने का कोई संविधानिक उपबन्ध नहीं था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय चर्चा नहीं करवा सकता हूं, हम इस पर चर्चा तथा इसका हल बाद में ढूंढ़ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कहां पर चर्चा करना चाहते हैं—अपने कक्ष में ?

अध्यक्ष महोदय : इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिये ।

एक माननीय सदस्य : आप प्रश्न काल को बढ़ा दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर थोड़ी नम्रता से बात करनी जरूरी थी । मैं क्या कर सकता हूं । (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : आप इस तरह कठोर नहीं हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय में बताना चाहता हूं । अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए । (**व्यवधान**) हमें इस पर बात करनी चाहिए । (**व्यवधान**) कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए । (**व्यवधान**)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : वह वैयक्तिक बात कर रहे और अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रधान मन्त्री पर आरोप लगा रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा : वह अपने स्थान पर नहीं हैं, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं हैं । वह यहां से नहीं बोल सकते, इसे रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए । किसी को भी अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना नहीं बोलना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, हाउस के लीडर का जरा ध्यान हो जाएगा··· (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : वह इस तरह नहीं बोल सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई मन्त्री अध्यक्ष को धमकी दे सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

खालिस्तान आन्दोलन में विदेशी तत्व

*42. **श्री जी वाई कृष्णन**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के उपाय किये हैं कि क्या खालिस्तान आन्दोलन के पीछे किन्हीं विदेशी तत्वों का हाथ है;

(ख) क्या इस बारे में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और है;

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य और संघ सरकार की एजेंसियों द्वारा आसूचना सुदृढ़ कर दी गई है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यह खालिस्तान आन्दोलन ना तो राष्ट्रीय भावना से चलाया जा रहा है और न ही किसी प्रेम या बन्धुत्व की भावना से हो रहा है, वरन् यह तो पृथतावादी और उग्रवादी तत्वों के कारण ही हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे राष्ट्र-विरोधी मान रही है और दूसरे, मेरे प्रश्न के भाग (क) "क्या सरकार ने खालिस्तान आन्दोलन के सम्बन्ध में यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या इसके पीछे किन्हीं विदेशी तत्वों का हाथ हैं" का उत्तर स्वीकारात्मक है । वह विदेशी शक्ति कौन सी है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? वह विदेशी एजेंसी कौन-सी है ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक खालिस्तान की मूवमेन्ट का सवाल है, इसके सम्बन्ध में ऐसे डाउट्स हैं कि कहीं कुछ विदेशी सत्ता इसमें कोई सहायता करती है, लेकिन इसको डेफिनिट कहना मुश्किल है । एक बात साफ है कि कुछ देशों के सिटिजन, जो पहले हमारे थे, लेकिन बाद में बाहर जाकर वहां की सिटिजनशिप लेली और आज वे हमारे सिटीजन नहीं हैं, वे इसमें मदाखलत करते हैं ।

थोड़ा सा पीछे जाय तो खालिस्तान की मूवमेन्ट को कभी भी कोई मास-सपोर्ट नहीं मिली पार्टिकुलरली सिखों की सपोर्ट नहीं मिली । एक जमाना था, जब एक देश की हुकूमत खुले तौर पर इस मामले में मदद करती थी और उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर याहया खां और हमारे हिन्दुस्तान के एक सिटीजन, जो आज हिन्दुस्तानी नहीं रहे हैं, उनके साथ मिले । 1970 में उनका गठजोड़ हुआ और उन्होंने उनकी सहायता से उस मूवमेन्ट को चलाने की कोशिश की । मगर अवाम का समर्थन नहीं मिला । बंगला देश की लड़ाई के वक्त जब हिन्दुस्तान के जर्नेलों के सामने हमारे विरोधी हथियार फेंक रहे थे, तब लाहौर के टी० वी० और लाहौर के रेडियो से जगजीत सिंह चौहान की तकरीरें करवायी जाती थीं, बार-बार उसके भाषण सुने जाते थे । ये सब याहया खां के वक्त की बातें हैं, लेकिन इनसे मूवमेन्ट में कोई जान नहीं पड़ सकी और वह अकेला ही रहा । हमने उसे हिन्दुस्तान आने से रोक दिया, मगर जब जनता सरकार आई और पंजाब में सरकार के बदलने के बाद वह शख्स फिर हिन्दुस्तान आया और यहां आकर उसने फिर कोशिश की, हर जगह वह पहुंचा, मगर उसको कहीं भी समर्थन नहीं मिला । सिखों की पोलिटीकल पार्टीज ने, जो हमारी विरोधी हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन नहीं किया, हालांकि वह पहले उनका

जनरल सैक्रेटरी था, जनरल सैक्रेटरी होते हुए शिरोमणी अकाली दल की तरफ से उसको हटा दिया गया। इसी तरह से जब फिर हिन्दुस्तान में कांग्रेस राज हुआ, पंजाब में कांग्रेश का राज आया, उसी दिन वह यहां से भाग गया, चला गया। आज वह यू० के० का में बैठा हुआ है। एक और सिटीजन जो पहले हिन्दुस्तान का था, आज वह यू० के० सिटीजन बन गया। लोग कैनाडा में चले जाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। हमारे पास इस मामले में दखल देने का वहां पर कोई चैनल नहीं है। बाहर बैठे हुए सिटीजन बाहर से इस बात को चलाने की कोशिश करते हैं और बहुत सा प्रेस भी इस मामले को बहुत जोर-शोर से उठाता है। कुछ ताकतें ऐसी हैं हमारे सिख भाइयों में भी, जिनको हम कह रहे हैं कि उनकी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वह साफ नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : ये भाषण दे रहे हैं या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मन्त्री जी प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर इज ओवर।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जनगणना-कर्मचारियों को सेवा में समाहित किया जाना

*43. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने 1981 के जनगणना के काम के लिये कुल कितने कर्मचारियों को काम में लगाया था;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में समाहित न करके उनकी सेवाएं समाप्त किये जाने की धमकी दी जा रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वास्तविक जनगणना कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से किये जाते हैं। जिला, सब-डिवीजन और अन्य स्तरों पर सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर। प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और उपखण्ड, तहसील और म्युनिसिपल स्तरों पर 1 प्रवर श्रेणी लिपिक अथवा 1 अवर श्रेणी लिपिक के विनिदिष्ट पेटर्न पर 1-8-1979 से कुछ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को स्वीकृति दी गई थी। ये पद राज्य सरकारों द्वारा अपने विभागीय-सोपान के भाग के रूप पर सृजित किए गये थे परन्तु इन पदों का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा इन पदों पर नियुक्तियां या तो पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों को समजित करके अथवा नई भर्ती करके की गई थी। नियुक्तियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। चूंकि गणना का

कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जाना था अतः इन पदों को अस्थायी रूप से सृजित किया गया था और ये 31-5-81 को समाप्त हो गये। छंटनी होने पर ऐसे कर्मचारियों को समाहित करने पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

उड़ीसा में कोल्ड रोलिंग मिल काम्पलैक्स की स्थापना

*44. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा की औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम लि० से उड़ीसा में कोल्ड रोलिंग मिल काम्पलैक्स की स्थापना के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उपरोक्त आवेदन सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो वहां पर कोल्ड रोलिंग मिल काम्पलैक्स खोलने के लिए आशय पत्र कब तक जारी किया जायेगा; और

(घ) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) जी, हां। आवेदन पत्र 13-10-1980 को प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) आवेदन पत्र पर ध्यान पूर्वक विचार कर लेने के बाद आवेदक को 30-12-1980 को प्रथम दृष्ट्या इस आधार पर आवेदन के रद्द किए जाने के बारे में पत्र जारी कर दिया गया था कि प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र में पहले ही पर्याप्त क्षमता हेतु लाइसेंसी कृत कर दी गई है तथा इस क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु कोई गुंजाइश नहीं है। इस्पात विभाग द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से 23-2-1981 को रद्द कर दिया गया था।

असम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या

* 46. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या को हल करने के लिए असम आन्दोलनकारियों ने केन्द्र के नवीनतम प्रस्ताव पर संशोधित प्रारूप भेज दिया है;

(ख) क्या अक्तूबर, 1981 के महीने में संघ सरकार तथा आन्दोलनकारियों के बीच कई बार बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हां, तो असम समस्या की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ङ) क्या असम विवाद पर कोई "श्वेत पत्र" जारी किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) असम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या पर अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गणसंग्राम परिषद् के नवीनतम प्रस्तावों पर 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर,1981 तक अधिकारी स्तर पर अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गणसंग्राम परिषद के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान विचार-विमर्श किया गया था, जो किसी निर्णय के बिना समाप्त हो गई ? आन्दोलनकारी नेताओं को दिल्ली में 19 नवम्बर, 1981 को आगे बातचीत करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। उनसे यह भी कहा गया था कि यदि यह तरीका उनके लिए सुविधाजनक नहीं है, तो कोई दूसरी तारीख निर्धारित की जा सकती है। परन्तु इस बीच उन्होंने फिर आन्दोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। उन्हें पुनः सलाह दी गई कि वे आन्दोलन न करें और बातचीत के लिए आयें।

(ङ) जो नहीं, श्री ान।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए योजनाओं की छानबीन

*47. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में किए गए एक सरकारी अध्ययन से पता लगा है कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सी त्रुटियां है;

(ख) क्या इससे इस बात का पता चलता है कि अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिकीकृत राज्यों को ही अधिक लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) योजना आयोग ने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य वार्ता के साथ-साथ, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की विद्यमान योजनाओं की समीक्षा करने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों को समस्याओं की सप्रभावी

ढंग से निपटाने के लिए, नीतियों की सिफारिश करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है। समिति द्वारा औद्योगिक छितराव सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने के लिए योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

सी० एस० डी० (आई) कैंटीन में खरीदा गया सामान

*48. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रक्षा मन्त्री डिपार्टमेंटल कैंटीन स्टोर्स के बारे में 18-3-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों में बना माल या उन उद्योगों के लोगों से बनवाया गया माल सी. एस. डी. कैंटीनों द्वारा नहीं खरीदा जाता, जिसके फलस्वरूप मशीनी उद्योग को बढ़ावा मिलता है हालांकि उद्योगों में बनी माचिस जैसी वस्तुएं क्षेत्रीय आधार पर सस्ती तथा बढ़िया होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) कैंटीन स्टोरों से सामान खरीदने के हकदार ग्राहकों की मांग के अनुसार जो भी सामान लोकप्रिय होता है उसे कैंटीन स्टोर विभाग लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माताओं सहित अन्य निर्माताओं से प्रतियोगी मूल्यों पर खरीदता है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए संशोधित न्यूनतम मंजूरी-दरें

*49. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "बीड़ी" श्रमिकों के लिए गत एक वर्ष के दौरान निर्धारित संशोधित न्यूनतम मजूरी दरें बिहार सहित कई राज्यों ने लागू नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की संशोधित मजूरी दरों को शीघ्रता से लागू करने के लिए उपाय करने और दोषी व्यक्तियों को सजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) यद्यपि नियोजकों के वे विशिष्ट मामले हो सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों का भुगतान नहीं किया है,

फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि किसी भी राज्य ने पिछले एक वर्ष के दौरान निर्धारित, संशोधित न्यूनतम मजदूरी-दरों को कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित सरकारों का है। बीड़ी उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों के मामले में, राज्य सरकारें संबंधित सरकारें हैं। उनसे समय समय पर अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने के लिए समुचित कदम उठाएं। राज्य सरकारों ने, जिनमें बिहार सरकार भी शामिल है, सूचित किया है कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

*50. **श्री अनादिचरण दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर सरकारी उद्यमियों को उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है जहां इन उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकाक की ओर से उड़ीसा के वन तथा खनिज सम्पदा से भरपूर क्षेत्रों में खनिजों तथा वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु गैर-समकारी उद्यमियों को लाइसेंस दिये जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) उन गैर-सरकारी उद्यमियों को लायसेंस देने में संभवतः कितना समय लग जायेगा; और

(घ) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ऐसे उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कुछ प्रकार क उद्योगों के संबंध में लाइसेंस स्वीकृत करने में कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आधार है।

(ख) से (घ)-जनवरी-अक्तूबर, 1981 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए निजी उद्यमियों से 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो मुख्यतः राज्य की वन सम्पदा एवं खनिज संसाधनों पर आधारित हैं। इनमें से 3 आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा 7 आवेदन विविध वैध आधारों पर रद्द कर दिए गए हैं। इन आवेदनों का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। शेष आवेदन सरकार के विचार विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

क्र. सं.	उद्योग	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	निर्णय	रद्द करने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	सीमेंट	श्री एम० मिश्रा	तैलूर जयपुर ज़िला	रद्द	पर्याप्त अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का आश्वासन नहीं दिया गया है। साथ ही यह परियोजना, पोर्टलैण्ड सीमेंट के उत्पादन के लिए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आती है।
2.	कागज	श्री के० के० अग्रवाल	बेतनोती (स्वीकृत म्यूर भंज जिला)		
3.	—वही—	श्री एन० के० डागा	स्थापना स्थल बाद में बताया जायेगा	रद्द	प्रस्ताव पुरानी कागज मशीनों के आयात पर आधारित था जिसके लिए अब अनुमति नहीं दी जाती है। देशी मशीनों से उत्पादन का उनका कार्यक्रम होने की अवस्था में उन्हें तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण करने की सलाह दी गई है।
4.	—वही—	श्री एस०के० कोयल	—वही—		
5.	वही	श्रीमती के०आर० वेरजावन	सम्भलपुर	स्वीकृत	
6.	फर्नीचर तथा फाईबर बोर्ड	मैसर्स वुडक्राफ्ट लि०	करंजिया	रद्द	उत्पादन की वस्तुएं परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत नहीं आती तथा इनका उत्पादन सामान्यतः एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के लिए नहीं है।

1	2	3	4	5	6
7.	टिटेनियम डा योक्साइड	मैसर्स रिलायंस स्टील लिमिटेड	छत्तरपुर गंजम जिला	रद्द	उत्पादन की वस्तुओं के लिए पर्याप्त क्षमता पहले से ही स्वीकृत/लाइसेंस दिया जा चुका
8.	कच्चा लोहा	मैसर्स एएससी इंजीनियर्स लि०	क्योन्जर म्यूरभंज जिला	स्वीकृत	
9.	हाई वेट मोडुलैस फाइवर	कारोमण्डल इम्पैक्स	जि० धनकलां	रद्द	यह परियोजना, नई क्षमता स्थापित करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। उन्हें एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत त्रुटि (डिफाल्ट) के लिए नोटिस दिया गया है।
10.	—वही—	श्री वी० के० महेन्द्रा	वही	रद्द	तकनीकी सहयोग पर आधारित विदेशी सहयोग को अन्तिम रूप देने के बाद एक सम्मिलित आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

जंजीबार में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भारतीय सहायता

*51. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए जंजीबार ने भारतीय सहायता मांगी है;

(ख) इस मामले में जंजीबार के साथ हुए करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जंजीबार के उद्योग मन्त्री भारत के उद्योग मन्त्री से 18 अगस्त 1981 को मिले थे। अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभ में भारतीय संस्थानों में जंजीबार के कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना व अन्त में जंजीबार में ही प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अपेक्षित है।

(ख) इस बारे में कोई करार नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में सिनेमा घरों का निर्माण

*52. **श्री जायनल अबेदीन**
प्रो० रूप चन्द पाल } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री की ओर से दिनांक 31 अगस्त, 1981 को इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि छोटे उद्योगों को जो रियायतें प्राप्त हैं जिनमें रियायती दर पर बैंक ऋण शामिल हैं, देकर सिनेमा घरों का निर्माण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र पर सरकार ने अब तक कार्यवाही की है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मन्त्री को यह सूचना दे दी गई है कि सिनेमाघर बनाना और चलाना कोई उद्योग नहीं है, अतः लघु क्षेत्र को मिलने वाली विभिन्न ये सुविधायें प्राप्त करने के लिए अर्ह बनाने हेतु इसका एक लघु औद्योगिक एकक के रूप में पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।

बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना

*53. **श्री बाजू बनरियान**
श्री टी० दामोदर रेड्डी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के कारण त्रिपुरा के आदिवासियों में भारी रोष है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने शरणार्थी आये हैं और इसके क्या कारण हैं; और

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) ऐसे समाचार नहीं मिले हैं। किन्तु यह सच है कि 27 जून, 1981 से बंगला देश में चिटागांग पहाड़ी क्षेत्रों से सीमा पार करके लगभग 17,215 आदिवासी त्रिपुरा में आये। उनके कथनानुसार स्थानीय आदिवासी समूहों और बंगला देश में कुछ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समर्थित गैर-आदिवासियों के बीच झगड़ों के परिणामस्वरूप यह आगमन हुआ।

(ग) यह मामला बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया था और वे शरणार्थियों को वापस लेने के लिये सहमत हो गये हैं। 25 नवम्बर, 1981 के पश्चात् उनको स्वदेश वापस भेजना आरंभ करने का प्रस्ताव है।

भारत के राजपत्र में अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों से संबंधित नियमों का अधिसूचित किया जाना

*54 **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राजपत्र में अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों से सम्बन्धित नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचना किस तारीख को प्रकाशित हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित कार्यालयों/मन्त्रालयों को यह अनुदेश जारी करने का है कि वे हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के सभी पदों को कम से कम संवर्ग के तैयार होने तक उसी स्थिति में रखें जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख को कार्य कर रहें सभी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों को रिक्तियों के अभाव में पदोन्नति का सामना न करना पड़े ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अनुवादकों से सम्बन्धित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम 1981 भारत के राजपत्र में 19-9-81 को प्रकाशित कर दिये गये हैं। हिन्दी अधिकारी तथा उससे उच्च पदों के नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(ग) यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि जो व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल किए जाने वाले पदों पर प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और जिनको सेवायें संतोषजनक पाई गई हैं उन्हें आवश्यकता होने पर संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से सेवा के गठन या 31 दिसम्बर, 1981 तक, जो भी पहले हो, अपने पदों पर बने रहने दिया जाए। उन्हें अपने मूल कार्यालयों/पदों पर केवल इसलिये वापस भेजा जाए कि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई है।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध के आधुनिकतम उपकरणों का प्राप्त किया जाना

*55. श्री पी० नामग्याल
श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें अमरीका पाकिस्तान को 3.6 बिलियन डालर मूल्य के आधुनिकतम माडल के टैंक, नौसैनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, आर मई पर्सोनेल केरियर्स, जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र, हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र, विमान भेदक तोपें, 155 एम० एम० फील्ड गन्स, गावेरिक्स, कलस्टर बम, रात्रि के समय युद्ध करने वाले उपकरणों आदि के अतिरिक्त 200 एफ० 16 युद्ध विमान सप्लाई करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के युद्ध उपकरणों की संख्या क्या है और इस देश को इनकी डिलीवरी की संभावित तारीख क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा युद्ध के नवीनतम उपकरण प्राप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से संबंधित समझौते को हाल ही में अंतिम रूप दे दिया गया है। यह बताया गया है कि इस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को टैंक, बखतरबंद कार्मिक वाहन, विमान, हैलीकाप्टर, आर्टिलरी, हवाई सुरक्षा प्रणाली, टैंक रोधी शस्त्र, विध्वंसक और नौसेना प्रक्षेपास्त्र दिए जाएंगे ।

(ख) हमारे पास इन हथियारों की संख्या व अन्य विवरण की कोई निश्चित सूचना नहीं है। ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ हथियार पाकिस्तान को शीघ्र ही मिल जायेंगे और बाकी की सप्लाई अगले पांच वर्षों में की जायेगी।

(ग) सरकार पर्याप्त रक्षा तैयारी के लिए समुचित कार्रवाई कर रही है। इस बारे में ब्यौरा देना वांछनीय नहीं है।

पश्चिम बंगाल को प्रति व्यक्ति सहायता

*56. श्री नीरेन घोष : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्र की ओर से पश्चिमी बंगाल को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति योजना सहायता देश में सबसे कम है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि केन्द्र की ओर से पश्चिम बंगाल को प्रति व्यक्ति योजना सहायता वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्र की ओर से आन्ध्र प्रदेश को प्रति व्यक्ति योजना सहायता 46 रुपये, गुजरात को 41 रुपये, हरियाणा को 46 रुपये, कर्नाटक को 37 रुपये, महाराष्ट्र को 35 रुपये, पंजाब को 47 रुपये, राजस्थान को 48 रुपये, उत्तर प्रदेश को 45 रुपये और पश्चिमी बंगाल को 32 रुपये दी गई है;

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह भेदभाव कैसे और कितने समय में समाप्त किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) केवल एक वर्ष अर्थात् 1980-81 को छोड़कर, पश्चिमी बंगाल को पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय से दी जाने वाली प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता सभी राज्यों में कभी भी निम्नतम नहीं रही है।

(ग) जी, हां। केवल आन्ध्र प्रदेश के मामले को छोड़कर, जहां प्रति व्यक्ति योजना सहायता 46 रु० न हो कर 41 रु० है।

(घ) राज्यों को योजना सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तुपरक फार्मूले के आधार पर किया जाता है। तथापि पश्चिमी बंगाल समेत कुछ राज्यों को वर्ष 1981-82 में अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि वे योजना परिव्यय का उचित आकार बनाए रख सकें।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर समाज विरोधी तत्व

*57. श्री रेणु पद दास
श्री तारिक अनवर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर समाज विरोधी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे आतंक यात्रियों के साथ धोखाधड़ों, दुकानदारों को धमकी दिये जाने तथा उन पर हमला किए जाने की ओर दिलाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) इस संबंध में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है। इस बात से इंकार किया जाता है कि प्रैस समाचारों में जिस प्रकार का उल्लेख है समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर आतंक

का वातावरण विद्यमान है। बस अड्डे पर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और वहां सुविधाएं बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का सदन के पटल पर रखे गए विवरण में उल्लेख किया गया है।

विवरण

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, दिल्ली पर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के वास्ते निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के परिसर पर निगरानी रखने के लिए पुलिस प्रबंध को सुदृढ़ कर दिया गया है।

(2) 4 नवम्बर, 1981 को अनधिकृत रूप से किए गए सभी अतिक्रमणों तथा अनधिकृत ट्रालियों को पुलिस की सहायता से हटा दिया गया था। केवल उनको नहीं हटाया गया जिसके पास हटाये जाने के खिलाफ न्यायालय का स्थगन आदेश था।

(3) 4-11-81 को कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग को निष्कासन खंड में एक छोटी पुलिस पार्टी को स्थायी तौर पर रखने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया गया है।

(4) कम्पलैक्स में जनता के लिए प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई है, जो उन्हें बसों से छूटनेआदि के बारे में सूचना देती है तथा जेबकतरों और दुकानदारों तथा कुलियों आदि द्वारा ज्यादा दाम लिए जाने के बारे में सावधान करती है।

(5) अनधिकृत फेरीवालों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधियों को तेज कर दिया गया है।

कम्पलैक्स की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) जनता के लिए सुविधाओं में आम सुधार किया गया है, जैसा कि कम्पलैक्स में पीने के पानी को सप्लाई में सुधार, "आने" और "जाने" के सभी रास्तों पर रोशनी का अच्छा इन्तजाम।

(2) परिवहन कर्मचारियों के उपयोग के लिए तीसरे फ्लोर पर स्नानागारों की व्यवस्था।

(3) कम्पलैक्स की सड़कों को सुधारा जा चुका है।

(4) कम्पलैक्स से नालियों का पानी तथा अन्य पानी निकाले जाने के लिए बिजली के और पम्प लगाए गए हैं।

पूर्वी तट में विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा अनधिकृत रूप से मछली पकड़ा जाना

*58. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी तट में विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा बार-बार अनधिकृत रूप से मछली पकड़े जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी तट में उनको मछली पकड़ने की गतिविधियों और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय समुद्री क्षेत्र में (विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करना) 1981 का अधिनियम संख्या 42 लागू किया जा रहा है। तट रक्षक संगठन को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है तथा गश्त और बढ़ाई जा रही है। तट रक्षक संगठन को तटीय गश्ती पोत, हेलीकाप्टर और समुद्री सर्वेक्षण विमान देने का प्रस्ताव है।

राज्यों द्वारा सीमेंट की मांग

*59. **प्रो० अजित कुमार साहा**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों की सीमेंट की कितनी कितनी मांग रही है;

(ख) उक्त अवधि में राज्यों को कितनी कितनी सीमेंट आवंटित की गई है;

(ग) सितम्बर, 1981 तक उन्हें कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई है; और

(घ) राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1981 की चारों तिमाहियों की राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट सीमेंट की तिमाही आवश्यकता और राज्यों को किए गए सीमेंट के आबंटन को विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) जनवरी 81 से सितम्बर 1981 की अवधि में राज्यों को किए गए सीमेंट के प्रेषण को बताने वाला ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सरकार देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा नई क्षमताओं की स्वीकृति और आयात द्वारा प्रत्येक संभव उपाय कर रही है।

विवरण-1

राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट सीमेंट की तिमाही मांग व उनको किए गए सीमेंट के आबंटन और तदर्थ आबंटनों को बताने वाला विवरण

(आंकड़े 000 मी० टनों में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	राज्य सरकारों द्वारा बताई गई सीमेंट की तिमाही मांग	आबंटन			
			तिमाही 1/81	तिमाही 2/81	तिमाही 3/81	तिमाही 4/81
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	200.0	191.4	156.4	172.4	154.1
2.	राजस्थान	350.0	167.7	140.2	160.2	163.7
3.	उत्तर प्रदेश	620.0	574.4	501.4	535.1	577.2
4.	हिमाचल प्रदेश	50.0	32.7	30.7	31.2	31.9
5.	जम्मू और कश्मीर	100.0	46.6	41.6	48.6	62.6
6.	पंजाब	475.0	236.5	248.0	208.0	224.5
7.	चंडीगढ	40.0	22.0	26.5	25.9	25.6
8.	दिल्ली	200.0	124.9	114.4	118.4	118.4
9.	आंध्र प्रदेश	600.0	413.8	373.8	332.8	376.8

1	2	3	4	5	6	7
10.	तामिलनाडु	450.0	416.9	385.4	323.4	37[illegible].4
11.	कर्नाटक	400.0	250.0	2[illegible]3.0	383.0	244.5
12.	केरल	500.0	343.3	337.3	169.0	195.3
13.	पाण्डिचेरी	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
14.	अंडमान और निकोबार	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
15.	लक्षदीप	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16.	आसाम	100.0	59.7	46.2	58.2	66.2
17.	बिहार	600 0	252.7	244.7	232.7	301.7
18.	उडीसा	250.0	121.7	96.4	81.4	108.9
19.	पश्चिमी बंगाल	500.0	315.6	324.2	313.3	357.3
20.	मणीपुर	30.0	15.0	25.0	15.0	15.0
21.	नागालैंड	18.0	12.0	11.0	15.0	15.0
22.	अरुणाचल प्रदेश	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
23.	त्रिपुरा	16.5	16.0	16.0	16.0	16.0
24.	मेघालय	25.0	16.5	16.5	20.0	20.0
25.	सिक्किम	15.0	11.3	15.0	15.0	15.0

1	2	3	4	5	6	7
26.	मिजोरम	11.0	6.0	6.0	6.0	6.0
27.	गुजरात	700.0	383.5	351.5	381.5	379.5
28.	मध्य प्रदेश	450.0	246.5	255.5	205.0	283.0
29.	महाराष्ट्र	800.0	549.4	545.9	497.9	519.4
30.	गोआ, दमन और दीव	40.0	27.7	27.7	27.7	28.9
31.	दादरा नगर हवेली	3.0	3.9	3.0	3.0	3.0

विवरण

जनवरी 81 से सितम्बर 81 तक राज्य सरकारों को सीमेंट के प्रेषण का विवरण

क्रमांक	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	योग
1	2	3
1.	दिल्ली	339
2.	राजस्थान	422
3.	उत्तर प्रदेश	1,273
4.	पंजाब	514
5.	हरियाणा	402
6.	चंडीगढ़	69
7.	हिमाचल प्रदेश	82
8.	जम्मू और कश्मीर	106
9.	पश्चिमी बंगाल	775
10.	बिहार	660
11.	उड़ीसा	243
12.	आसाम	152
13.	मणीपुर	38
14.	नागालैंड	33
15.	त्रिपुरा	29
16.	सिक्किम	25
17.	मिजोरम	9
18.	अरुणाचल प्रदेश	11
19.	मेघालय	47
20.	महाराष्ट्र	1,328
21.	गुजरात	1,116
22.	मध्य प्रदेश	675
23.	गोआ, दमन और दीव	79
24.	दादरा नगर हवेली	5

1	2	3
25.	तमिल नाडु	1,190
26.	आन्ध्र प्रदेश	1,197
27.	कर्नाटक	649
28.	केरल	729
29.	पाण्डिचेरी	22
30.	अंडेमान और निकोबार	9
31.	लक्षद्वीप	1
	कुल योग :	12,229

जेलों में रखे गए विचाराधीन बन्दी

*60. श्री जगपाल सिंह
श्री रशीद मसूद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर देश को विभिन्न जेलों में रखे गए ऐसे विचाराधीन बन्दियों की संख्या का पता लगाने का कोई प्रयास किया है जो 1 से 3 वर्ष तक की अवधि और इससे अधिक की अवधि से अपने मुकदमे में निर्णय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण रहे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। देश को विभिन्न जेलों में विचारणाधीन बन्दियों के संबंध में स्थिति का राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। वे यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहे हैं कि विचारणाधीन बन्दियों को अनावश्यक रूप से लम्बी कैद न भुगतनी पड़े।

रंगीन टेलीविजन वालों को ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम देखने की सुविधाएं

461. श्री डी० पी० जवेजा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन वालों को अपने टेलीविजन सेटों में ब्लैक एण्ड व्हाइट कार्यक्रम देखने का लाभ भी होगा;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इनके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों मे राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

रंगीन टेलीविजन की शुरूआत

462. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन वाले अपने टेलीविजन सेटों में रंगीन टेलीविजन शुरू होने के बाद बिना गड़बड़ी के कार्यक्रम देख सकेंगे; और

(ख) क्या ऐसी कोई तकनीक खोजी गई है जिससे ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन को रंगीन टेलीविजन में बदला जा सके ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

हरिजनों पर अत्याचार

463. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1979, 1980 और 1981 (1-1-1981 तक) में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के कुल कितने मामले रिपोर्ट किये गये और तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अत्याचारों में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1979 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध के 16014 मामले सूचित किए गए थे जबकि 1980 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विरूद्ध अपराध के 16009 मामले सूचित किए गए । वर्ष 1981 के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विरूद्ध 11,228

अपराध के मामले सूचित किए गए हैं। 1981 के आंकडे भिन्न भिन्न महीनों, भिन्न भिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के हैं।

(ख) तथा (ग) 1980 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के मामलों की संख्या से वृद्धि को प्रवृति का संकेत नहीं मिलता है। 1981 के आंकडे पूरे वर्ष के लिये नहीं है, ताकि तुलना की जा सके।

सरकार उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के बारे में गंभीर रूप से चिन्तित है जो कमजोर और नाजुक स्थिति में हैं और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से गृह मंत्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 के अर्ध शासकीय पत्र में भेजे गए मार्गदर्शी निदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये निरन्तर आग्रह कर रही है।

सैनिक आसूचना निदेशालयों में पर्यवेक्षी परीक्षकों तथा अन्य द्वारा आन्दोलन

464. **श्री के० प्रधानी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि सेना मुख्यालय के सैनिक आसूचना निदेशालय के पर्यवेक्षी परीक्षकों और ग्रुप 'सी' के अन्तर्गत के परीक्षक पदोन्नति के कम अवसरों के बारे में तथा बेहतर सेवा सुविधाओं के लिए आन्दोलन कर रहे है ;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिकारियों की तरफ से जो काफी समय से अपने पदों पर स्थिर हैं, काफी संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ग) क्या अतीत में सैनिक आसूचना निदेशालय में कई बार अधिकारियों की संख्या काम के बहुत बढ़ जाने के बावजूद, कम की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) से (ग) के क्या कारण है और उपर्युक्त स्टाफ की शिकायतें दूर करने के लिए और उनके पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए निदेशालय में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) पदोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण पदोन्नति में स्थिरता बनी हुई है और इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए है। इस स्थिरता को कम करने की दृष्टि से 700-900 रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड में पर्यवेक्षण निरीक्षक का एक पद और 425-700 रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड में निरीक्षक के नौ पद स्वीकृत किए गए हैं।

1966 में खर्च में किफायत करने के लिए पद कम किए जाने के कारण और 1974 में कार्यभार के मूल्यांकन के आधार पर अफसरों की संख्या में कटौती करनी पड़ी।

बसों में पटाखों का उपयोग

465. श्री के० मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि त्योहार की निशानों पटाखों का उपयोग खुले रूप से बमों के निर्माण में किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पटाखों का उपयोग लोगों की जिन्दगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लागायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोनी में सिले सिलाए वस्त्र तैयार करने वाले एककों की नीलामी

466. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद में सिले सिलाए वस्त्र उद्योग समूह, लोनी के सभी एककों को नीलामी कर दिया गया है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दी यू०पी० फाइनेंशियल कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा दिए गए बचनों को पूरा न किए जाने के कारण ऐसा हुआ है;

(ग) क्या संबंधित एककों ने ने सहायता के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर और विकास आयुक्त, लघु उद्योग से संपर्क किया है;

(घ) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम उठा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) गाजियाबाद के लोनी स्थित वस्त्र एककों की समस्या लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुन को प्रेषित कर दी गई थी ए० आई० एम० ओ० ने अनुरोध की एक प्रति राज्य सरकार लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर को पृष्ठांकित कर दी थी। इस मामले की राज्य सरकार और

रुग्ण एककों की राज्यस्तरीय समिति को भेजा गया है, सूचना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन

467. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान महाराष्ट्र में (जिला वार) निष्पादित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) निष्पादित की जा रही प्रत्येक योजना को कितनी केन्द्रीय सहायता आवंटित की गयी है और वास्तव में कितनी सहायता दी गई हैं;

(ग) ये योजनाएं कब तक पूरी होंगी;

(घ) क्या इन योजनाओं में से अभी तक किसी योजना को छोड़ दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र में निष्पादित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के नामों की सूची का विवरण संलग्न है आयोग द्वारा जिलेवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए वित्तीय आवंटन और समय अनुसूचियां संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में दी जाती हैं। किसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को छोड़ देने के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची (1981-82)

क्रम संख्या	स्कीमों का नाम
1.	गहन कपास जिला कार्यक्रम
2.	गहन तिलहन विकास कार्यक्रम
3.	दातों के उत्पादन के लिए कार्यक्रम
4.	कृषि आसूचना सांख्यिकी की सामयिक सूचना

1	2
5.	फसल सांख्यिकी में सुधार
6.	बेशी भूमि प्राप्त करने वालों की वित्तीय सहायता
7.	सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम
8.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ग्रामीण युवकों के लिए स्व रोजगार के लिए प्रशिक्षण सहित)
9.	भौम जल सर्वेक्षण और विकास संगठन का विस्तार
10.	नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू संरक्षण
11.	नियंत्रण क्षेत्र विकास
12.	मुंह और खुर की बीमारियों पर नियंत्रण
13.	पशु महामारी उन्मूलन
14.	मछली पकड़ने के छोटे पत्तन
15.	मछली पालन विकास अभिकरण
16.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विपणन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना
17.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
18.	उपभोक्ता सहकारी समितियां
19.	जिला उद्योग केन्द्र
20.	अंतर्राज्यीय/आर्थिक महत्व की सड़कें
21.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
22.	विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा
23.	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
24.	परिवार कल्याण कार्यक्रम
25.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
26.	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम
27.	फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
28.	हैजा नियंत्रण कार्यक्रम
29.	तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

1	2
30.	रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एस०टी० डी०)
31.	अंधेपन की रोकथाम
32.	बहु उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की स्कीम
33.	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कीम
34.	मेडिकल शिक्षा का पुन : अभिनवीकरण
35.	स्नातकोत्तर विभागों के लिए सहायता (चिकित्सा की परंपरागत पद्धति)
36.	चिकित्सा की परंपरागत पद्धति की फार्मेसियों की स्थापना
37.	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति स्कीम
38.	छोटे और मझोले नगरों का एकीकृत शहरी विकास
39.	विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय
40.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
41.	नागरिक अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था
42.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां
43.	पुस्तक बैंक
44.	लड़कियों के छात्रावास
45.	अनुशिक्षण और सहायक स्कीमें
46.	पिछड़ावर्ग विकास निगम
47.	देख भाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाली महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता
48.	निराश्रित महिलाओं और बच्चों का कल्याण
49.	एकीकृत बाल विकास
50.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (रोजगार गारंटी स्कीम)
51.	नई डैरियों के लिए सहायता

25 नवम्बर, 1981 को उत्तर के लिए कर्नाटक में नौसैनिक अड्डा

468. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सर्वेक्षण और निरीक्षण किये गये स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) राज्य में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नौसैनिक बेस बनाने के लिए कुछ स्थानों में जिनमें एक स्थान कर्नाटक में भी प्रारंम्भिक जलीय और भू-सर्वेक्षण कार्य किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अभी तक नौसैनिक बेस के लिए स्थान के बारे में कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है और इसलिए इस बारे में और अधिक ब्योरे देना या प्रस्तावित अड्डे पर होने वाले खर्च की सम्भावित धन राशि बता पाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में विकास योजनायें

469. **श्री भीकू राम जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पिछले चार सालों में दिल्ली में विकास योजनाओं के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की गई और उसमें से अब तक कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) काम को किन मुख्य मदों पर यह राशि खर्च की गई है ; और

(ग) अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पिछले चार वर्षों के दौरान विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत की गई और खर्च की गई राशि इस प्रकार है :--

(रुपये लाख में)

वर्ष	स्वीकृत की गई राशि	खर्च की गई राशि
1977-78	9009.74	8894.06
1978-79	10735.00	9350.08
1979-80	10800.00	8799.47*
1980-81	12068.02	12202.04

* इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को लेखा आधार पर लगभग 26 करोड़ रुपये दिये गये थे।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान कार्य की जिन मुख्य मदों पर विशेष धनराशि खर्च की थी, वे इस प्रकार हैं :— डेरी कालोनियों का विकास, शाहदरा जल निकास योजना ; नजफगढ नाले की क्षमता बढाना, विद्युत ट्रांसमिशन तथा वितरण योजना, नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स, फ्लैटिड फैक्ट्रियों का निर्माण, औद्योगिक यूनिटों के लिए ब्लाक ऋण, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के लिए शेयरपूंजी, स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाएं स्कूल भवनों का निर्माण, हिन्दू राव अस्पताल, जी० बी० पंत अस्पताल लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल का विस्तार, एलोपैथी को नई डिस्पेंसरियां खोलना और दवाइयों की देशी प्रणाली, हैदरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. शाहदरा में 100 एम०जी०डी० के प्लांट के लिए जल सप्लाई योजना, ग्रामीण जल सप्लाई, शाहदरा मल-निकास योजना, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, कार्यालय आवास, थानों/पुलिस चौकियों और पुलिस रिहायशी इमारतों का निर्माण, कैम्प जेल का निर्माण गदगी की सफाई, गदी बस्तयों में पर्यावरण सुधार झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों की सुविधाओं में सुधार, आई० टी० आई०, जेल रोड का निर्माण, हरिजन बस्तियों का सुधार, महिलाओं के लिए कार्यकेन्द्र, दिल्ली का नागरिक सप्लाई निगम ।

पिछले चार वर्षों के दौरान क्षेत्रवार खर्च किये गये व्यय का विवरण संलग्न है ।

(ग) पुराने शहर क्षेत्र और इस प्रकार घनी आबादी वाले अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसे कूडा-दानों को नया रूप देने और क्या नवीकरण के लिए कार्यक्रम बनाया गया है जो कूडे को वर्तमान मांग के लिए अपर्याप्त हो गये हैं । कूडा कर्कट हटाने और एकत्र करने के यत्रीकरण के लिए एक पायलेट परियोजना हाथ में ली गई है, जिसमें परिवहन तथा यात्रिक झाडू लगाने के लिए विभिन्न किस्म के वाहन जेट टाइप सीवर सफाई मशीन और डिब्बे रखने इत्यादि का विचार है । इस योजना का लाभ घने आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक होगा ।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों, जिनमें पुराने शहर जैसे घने आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, से कूडा हटाने के यंत्रीकरण के लिए एक योजना के लिए छठी योजना अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

कस्तूरबा अस्पताल में नर्सों के प्रशिक्षण स्कूल, नर्स छात्रावास, कर्मचारी क्वार्टरों और पेइंग वार्ड (पुरानी इमारत के स्थान पर) के लिए इमारतों के निर्माण की योजनाएं उस क्षेत्र की योजना में शामिल की गई है। एस० पी० मुखर्जी मार्ग पर एक क्षयरोग क्लिनिक भवन का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा । इस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ घने आबादी वाले क्षेत्रों समेत क्षेत्र के स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य योजना शामिल की गई है ।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, जी० बी० पंत अस्पताल और बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल जैसे अस्पतालों के विकास की अनेक स्कीमें इस योजना में शामिल की गई हैं । इन

अस्पतालों का लाभ मुख्यतः पुराने शहर के निवासियों को मिलता है। योजना में डिस्पेंसरियां खोलने और अस्पतालों के भवनों के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है।

विवरण

दिल्ली की योजना पर पिछले 4 वर्षों में खर्च की क्षेत्र वार स्थिति का विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	1977-78 वास्तविक खर्च	1978-79 वास्तविक खर्च	1979-80 वास्तविक खर्च	1980-81 वास्तविक खर्च
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	327.54	106.78	230.96	356.24
2.	सहकारिता	27.69	30.29	39.89	39.42
3.	मध्यम सिंचाई	—	—	—	—
4.	बाढ़ नियंत्रण	277.26	381.84	786.41	941.48
5.	विद्युत	2035.00	2515.10	3040.44	2301.00
6.	उद्योग	453.54	463.18	280.94	381.53
7.	परिवहन तथा संचार	1142.61	886.31	750.51	1526.20
8.	सामान्य शिक्षा	1309.17	1420.45	673.30	1464.73
9.	कला तथा संस्कृति	8.82	8.89	8.45	15.02
10.	तकनीकी शिक्षा	75.24	88.73	71.58	98.99
11.	चिकित्सा	426.05	565.42	388.17	539.54
12.	लोक स्वास्थ्य तथा सफाई	44.11	164.19	157.42	231.38
13.	जल सप्लाई तथा मल निकास	1120.00	1211.77	1405.40	2021.00
14.	आवास	606.52	870.34	628.60	1166.74
15.	शहरी विकास	777.29	312.56	166.61	798.00
16.	सूचना तथा प्रचार	12.35	15.38	14.16	16.59
17.	श्रम तथा श्रम कल्याण	64.13	81.07	29.05	28.86
18.	अनु० जाति/अनु० ज० जा०/ पिछड़ा वर्गों का कल्याण	73.19	96.10	49.33	101.16

1	2	3	4	5	6
19.	समाज कल्याण	52.07	64.71	32.02	82.94
20.	पोषण	55.10	54.87	36.97	73.41
21.	आर्थिक सेवाएं	5.04	9.28	1.90	7.65
22.	कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.34	1.82	7.36	10.16
	योग :	8894.06	9350.08	8799.47	1:202.04

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के अधीन कार्यों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी लेखा आधार पर लगभग 26 करोड़ रुपये दिये गये थे।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

470. श्री के० पी० सिंह देव
श्री गिरिधर गोमांगो } क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में स्थित स्टील प्रोजेक्ट, अल्यूमीनियम कांम्पलेक्स इत्यादि जैसे स्वीकृत और अन्य विचाराधीन केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में रोजगार प्रक्रिया पर विचार करके अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं में यह एक निर्धारित सिद्धान्त है कि 800 रु० तक के वेतनमान में स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा;

(ग) क्या राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुये गैरतकनीकी और तकनीकी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खासकर आदिवासी लोगों को अधिक महत्व दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों के नीति निदेशों में इस बात का उल्लेख किया है कि इन उद्योगों के कारण जिन आदिवासी और अन्य लोगों को जमीन छोड़ कर अन्यत्र जाना पड़ा है उनको शिक्षा और योग्यता के आधार पर इन उद्योग में रोजगार के लिए प्रथम वरीयता दी जायेगी ?

श्रम मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वित्त मत्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार लोअर फार्मेशनों में सभी भर्तियां, जिनका अधिकतम वेतनमान 800/- रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है। अकुशल कामगारो के मामले में ऐसे स्थानों से आने वाले लोगों को वरीयता दी जाती है, जहां परियोजना स्थित है।

(ग) और (घ) वित्त मन्त्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के ग्रुप 'ग' और 'घ' की श्रेणियों के पदों में क्रमशः 15% और 7 1/2% आरक्षण होता है।

(ङ) सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किए गए क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों या अनु० जा०/अनु० ज० जा० से सम्बन्धित व्यक्तियों को रोजगार के मामले में बहुत वरीयता दी जाती है। इसके बाद वरीयता दिए जाने वाले ऐसे एक व्यक्ति हैं, जिनकी, वे कुछ दूर से आते हैं, अन्य सार्वजनिक उद्यमों से छटनी हो चुकी है या होने वाली है। कुशल कामगारों, लिपिकी और अन्य गैर तकनीकी स्टाफ के मामले में भी, जहां तक मूल योग्यताएं और अनुभव सामने आते है, वरीयता ऊपर उल्लिखित प्राथमिकता के क्रम में दी जाती है।

उड़ीसा में फैक्ट्रियों आदि पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का लागू करना

471. श्री मनमोहन टुडू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कर्मचारी बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली फैक्ट्रियों और संस्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इन सभी फैक्ट्रियों या संस्थाओं ने शपथ पत्र देकर सभी कर्मचारियों का बीमा करा दिया है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी यह अधिनियम लागू है और उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार उन राज्यों में औद्योगिक एककों या अन्य संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों का बीमा कराया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके मन्त्रालय ने उद्योग या ऐसे संस्थाओं में राज्य बीमा अधिनियम लागू करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों को क्षेत्र-वार, क्रम से विस्तारित किया जा रहा है। प्रथमतः, यह अधिनियम पावर को उपयोग करने काले तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नए वर्गों के प्रतिष्ठानों पर क्रमशः लागू किए जा रहे हैं जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहां यह योजना कार्यान्वित की गई है : —

(1) 10-19 व्यक्तियों को नियोजित करने तथा पावर का इस्तेमाल करने वाले छोटे कारखाने तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने तथा पावर का इस्तेमाल न करने वाले कारखाने ; और

(2) 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली दुकानें, होटल, रेस्तरां, पर्यवलोकन, थियेटरों सहित सिनेमाघर, सड़क मोटर परिवहन और समाचार-पत्र प्रतिष्ठान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत लाए जा सकने वाले सभी कारखाने प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों का बीमा करवाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगार

472. श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध नवीनतम आकड़ों के अनुसार विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) उपर्युक्त तिथि को ही रोजगार कार्यालयों में राज्यवार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) शिक्षित नौकरी चाहने वालों (जिनमें अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं है) जो 31-12-1980 को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत थे, की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

(हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षत्र	31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर शिक्षित नौकरी चाहने वालों की संख्या				
		मैट्रिकुलेट	इण्टरमीडिएट/ उप स्नातकों सहित हायर सैकेंडरी पास	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	362.3	153.6	99.4	16.3	631.6
2.	आसाम	87.6	31.5	20.3	0.2	139.7

1	2	3	4	5	6
3. बिहार	716.9	208.8	163.3	9.6	1098.6
4. गुजरात	202.7	24.9	40.6	2.9	271.2
5. हरियाणा	109.7	25.5	33.0	3.8	172.0
6. हिमाचल प्रदेश	53.5	11.0	7.2	1.2	72.9
7. जम्मू व कश्मीर	7.4	5.3	6.2	1.6	20.6
8. कर्नाटक	249.3	37.1	67.4	5.1	359.0
9. केरल	661.0	79.1	71.7	5.5	817.2
10. मध्य प्रदेश	32.4	251.3	73.1	14.6	371.4
11. महाराष्ट्र	469.7	53.6	94.2	10.0	627.6
12. मणिपुर	33.4	10.6	8.7	0.7	53.4
13. मेघालय	2.6	1.0	0.7	0.1	4.4
14. नागालैंड	2.1	0.2	0.1	×	2.4
15. उड़ीसा	103.7	24.4	50.8	1.3	180.2
16. पंजाब	123.9	24.0	56.9	8.0	280.8
17. राजस्थान	157.2	10.0	44.1	4.8	176.0
18. सिक्किम*					
19. तमिलनाडु	337.6	89.6	100.7	11.4	539.3
20. त्रिपुरा	19.7	9.9	4.3	0.2	34.1
21. उत्तर प्रदेश	255.9	326.0	166.8	22.5	781.2
22. पश्चिमी बंगाल	518.6	527.1	197.0	4.7	1247.5
संघ राज्य क्षेत्र					
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.7	1.2	0.5	×	3.5
2. अरुणाचल प्रदेश*					
3. चंडीगढ़	13.2	6.9	7.4	2.0	29.6
4. दादर व नागर हवेली*	104.9	72.8	69.2	7.4	254.3

1	2	3	4	5	6	7
5.	दिल्ली	104.9	72.8	69.2	7.4	254.3
6.	गोवा, व दमन दीव	12.3	2.3	2.3	0.1	17.1
7.	लक्षद्वीप	0.9	×	×	×	0.9
8.	मिजोरम	4.1	×	0.3	×	4.4
9.	पांडिचेरी	13.8	3.9	3.2	0.4	21.2
	अखिल भारतीय योग	4568.2	2070.9	1389.8	134.6	8163.5

नोट : 1. इनमें दिल्ली महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को छोड़कर, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

2. पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल योग से मेल नहीं खाते हैं।

3. *सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और दादर और नागर हवेली में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

4. × 50 से कम आंकड़े।

5. सभी बेरोजगार व्यक्ति अनिवार्यत: रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आंकड़े नहीं है, जबकि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आंकड़े सभी व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं।

विवरण-2

31.12.1980 को चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों (सभी वर्गों के) की संख्या

राज्य		संख्या (हजारों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1442.2
2.	असम	314.7
3.	बिहार	2294.0
4.	गुजरात	469.9
5.	हरियाणा	357.1
6.	हिमाचल प्रदेश	141.0
7.	जम्मू व कश्मीर	51.4
8.	कर्नाटक	597.1

1	2	3
9.	केरल	1579.1
10.	मध्य प्रदेश	826.7
11.	महाराष्ट्र	1229.8
12.	मणिपुर	102.5
13.	मेघालय	9.8
14.	नागालैण्ड	5.0
15.	उड़ीसा	441.2
16.	पंजाब	452.6
17.	राजस्थान	361.7
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	1092.2
20.	त्रिपुरा	70.9
21.	उत्तर प्रदेश	1357.5
22.	पश्चिमी बंगाल	2536.4
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.5
2.	अरुणाचल प्रदेश*	—
3.	चंडीगढ़	62.6
4.	दादर एवं नागर हवेली*	—
5.	दिल्ली	307.0
6.	गोवा	29.2
7.	लक्षद्वीप	4.2
8.	मिजोरम	16.8
9.	पांडिचेरी	38.0
	अखिल भारतीय योग	15200.3

नोट :

1. *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं हैं।
3. हो सकता है पूर्णकिंन के कारण आंकड़े मेल न खाते हों।
4. यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकृत करवाएं। यह हो सकता है कि सभी पंजीकृत व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार न हों।

बीड़ी और सिगार श्रम कानून की क्रियान्विति के पुनरीक्षण के लिए त्रिपक्षीय समिति

473. श्री केयूर भूषण : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी और सिगार श्रम कानून की क्रियान्विति के पुनरीक्षण के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

अध्यक्ष

अपर सचिव श्रम, मन्त्रालय ।

सदस्य

1. महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम मन्त्रालय
2. श्रम सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।
3. श्रम सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
4. श्रम सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
5. श्री मधुसूदन बी० कुशे, अध्यक्ष, आल इंडिया बीड़ी इंडस्ट्री फेडरेशन, 12 के० दुभाष मार्ग (रमपर्ट रोव) फोर्ट, बम्बई—400023 ।
6. श्री बी० एम० सेठी, सैक्रेटरी, आल इंडिया आर्यनाइजेशन आफ इम्पलायर्ज फेडेरेशन हाउस, नई दिल्ली-110001.
7. श्री डी० बी० सारदा, इम्पलायर्स फैडेरेशन आफ इंडिया, आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, 148, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-4400023 ।
8. श्री अजीज सेठ, विधायक, न०7, कार्लेस्टन रोड, कुके टाउन, बंगलोर-560005 ।
9. श्री एन० बी० कुम्भोर, अध्यक्ष, नागपुर बीड़ी संघ, मार्फत श्री एस० एम० रामटेक, जय भारत बीड़ी सोसाइटी, पंचापोली, नागपुर-4.

10. श्री एन० डी० दत्ता, सैक्रेटरी,
ए० आई० टी० यू०, 24, सी केनिंग लेन,
नई दिल्ली-110001.

11. श्री एन० एम० अद्यन्थया,
इन्टक, के० एस० आर० एम० ट्रस्ट बिल्डिंग लाइट हाउस, हिल रोड,
बंगलौर।

12 राम प्रसाद पारिख, महामन्त्री,
अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर महा संघ,
दरीराबाद, नान्डेड, महाराष्ट्र।

13. श्री जी० कानन, उपाध्यक्ष, सीटू,
ट्रेड यूनियन हाउस, कनानौर (केरल)

2. समिति बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के कार्यान्वियन की पुनरीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव देगी।

3. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय), श्रम मन्त्रालय, समिति के सचिव पद के रूप में कार्य करेगी।

जनगणना कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

474. श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केडर में गतिरोध को दूर करने और पदोन्नति के अवसरों का निर्माण करने के लिए गणना संगठन के माध्यम से अनेक योजनायें शुरू करने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जनगणना कर्मचारियों को खाली वक्त पर काम देने के लिए सरकार किन विशेष योजनाओं को शुरू कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनगणना संगठन के माध्यम से कार्यान्वियन के लिए कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; जो काडर में गतिरोध दूर करने और जनगणना संगठन के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बनाने में सहायक होगी। ये योजनायें पंच-वर्षीय योजना अवधि 1980-85 से संबंधित है।

(ख) इन योजनाओं के ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पंच-वर्षीय योजना अवधि 1980-85 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

योजना अवधि, 1980-85 के दौरान जनगणना संगठन द्वारा प्रस्तावित योजनायें इस प्रकार हैं :—

(1) पंजीकरण संवृद्धि, पद्धति अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन, जिसमें निम्नलिखित अवयव शामिल हैं :—

(क) प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाना ।

(ख) राज्यों में नागरिक पंजीकरण तथा जन्म-मरण आंकड़ा तंत्र मजबूत करना ।

(ग) नागरिक पंजीकरण के लिए विचार ।

(घ) मृत्यु आंकड़ों में वृद्धि के कारणों का प्रचार

(ङ) नमूना पंजीकरण योजना नमूना साइज में वृद्धि ।

(च) मुख्यालय (महापंजीकार का कार्यालय) में नागरिक पंजीकरण तंत्र को मजबूत बनाना ।

(छ) जन्म-मरण के अच्छे पंजीकरण के लिए पुरस्कार देना ।

(2) 1971 की जनगणना के आंकडों का अध्ययन करने तथा मूल्यांकन करने के लिए भारत के क्षेत्रीय मण्डल मानचित्र विश्लेषण ।

(3) विभिन्न क्षेत्रों तथा स्तरों पर मूल सुविधाओं के वितरण तथा शहरीकरण की प्रवृतियों का अध्ययन ।

(4) 1981 की जनगणना आंकड़ों का बडे पैमाने पर संगणीकरण ।

(5) 1981 की जनगणना के आंकड़ों के संबंध में नमूना अध्ययन ।

(6) जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारतीय भाषाओं से संबंधित अनुसन्धान बढ़ाना ।

(7) जनगणना आंकड़ों के विश्लेषणात्मक अध्ययन और जनगणना संबंधी सिलसिलेवार अध्ययन ।

(8) भारत का भाषाई सर्वेक्षण ।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू के निदेशक द्वारा गठिया के बारे में की गई खोज

475. आचार्य भगवान देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू के निदेशक द्वारा गठिया के बारे में 10 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में मेडिकल कालेज जम्मू में, गठिया रोग के उपचार के लिए औषधि की खोज के संबंध में बड़े पैमाने पर लिए गए अब तक के परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या गठिया रोग के इलाज में इस औषधि को प्रभावी पाया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक औषधि (गुग्गल) पर आधारित और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू द्वारा विकसित एक औषधि मेडिकल कॉलेज जम्मू के विकलांग विद्या विभाग को नैदानिक परीक्षणों के लिए दी गई। यह औषधि इस चिरकालिक रोग के विभिन्न अवस्था वाले समूहों और विभिन्न अवधि के लगभग 200 रोगियों पर जांची गई, दर्द और सूजन में कमी/विलोपन द्वारा निर्धारण के अनुसार अधिकांश रोगियों पर इसका काफी अच्छा प्रभाव दिखा, 2% रोगियों पर औषधि का प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखा और न ही उन थोड़े चिरकालिक मामलों में दिखा जिनकी संधियों की विरूपताएं ठीक नहीं होने की दशा में आ चुकी थीं। कई रोगी जो अन्य आधुनिक औषधियों के प्रति रोधी हो गए थे, इस उपचार से लाभान्वित देखे गए।

मैसर्स कूलमैन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध कर्मचारियों को राज्य बीमा और भविष्य निधि की बकाया राशि

476. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कूलमैन इंडिया लिमिटेड, एम-58, ग्रेटर कैलाश मार्किट, नई दिल्ली की शाखाएं कहां-कहां हैं और उन मासिक वेतन पर और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन सालों में कर्मचारियों के भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि जमा की गई और इसकी कितनी राशि बकाया पड़ी है; और

(ग) बकाया धनराशि का वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि :—

मैसर्स कूलमैन इंडिया लिमिटेड नाम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है, तथापि मैसर्स कूलमैन इंडिया, एम०-58, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली नाम की एक फर्म है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आती है क्योंकि इसके कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है, जो कि अधिनियम के अधीन आने के लिए निर्दिष्ट संख्या है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकरणों ने भी सूचित किया है कि यह फर्म अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती। इसकी अन्य कोई शाखा नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विशेषज्ञ परामर्शदात्री सेवाएं

477. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कुछ उद्योगों को विशेषज्ञ परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को लोकप्रिय बनाने हेतु इच्छुक उद्यमियों को प्रतियोगी शर्तों पर उपलब्ध करने हुतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने की दीर्घावधिक योजना बना रहा है :—

1. आर्थिक योजना और क्षेत्रीय विकास,
2. औद्योगिक बस्ती, योजना एवं डिजायन।
3. लुगदी, कागज और सहबद्ध उद्योग।
4. वस्त्र एवं पटसन उद्योग।
5. अल्कालाइन तत्वों पर आधारित उद्योग (सीमेंट, कैल्सियम कार्बाइड, सोडा एश आदि।
6, अल्मीनियम तथा अन्य अलौह धातुएं।
7. विद्युत संयंत्रों के लिए तथा कच्ची लोक परिवहन आदि को लादना उतारना।

(ख) अपनी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए निगम के व्यवसाय विकास के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया है जो व्यक्तिगत सम्पर्क तथा पत्राचार के जरिये सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों की सक्षम कम्पनियों का ध्यान निगम की योग्यताओं की ओर दिला रहा है।

औद्योगिक गड़बड़ी का रिकार्ड को पूरा करना

478. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानिटरी यूनिट द्वारा औद्योगिक गड़बड़ी के मामलों का कोई रिकार्ड संकलित किया गया है ; और

(ख) औद्योगिक एककों को बन्द करने का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है और इन्हें हल कर के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मानिटरिंग यूनिट देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति के संबंध में राज्य सरकारों, औद्योगिक संबंध तंत्र, श्रमिक संगठनों तथा नियोजक संगठनों से सूचना प्राप्त करता है।

(ख) बिन्नी मिल्स लिमिटेड, बंगलौर के प्रबंधतंत्र तथा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स, बम्बई के प्रबन्धतन्त्र द्वारा कामबन्दी नोटिसों के जारी करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। ये दोनों मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

बिन्नी मिल्स के मामले में (क) पुरानी मशीनरी (ख) अत्याधिक जन शक्ति (ग) अधिक अनुपस्थिति आदि के कारण संचित वित्तीय हानियों के आधार पर कामबन्दी का नोटिस दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने, जिसके साथ यह मामला उठाया गया था, सूचित किया है कि प्रबंधतंत्र और श्रमिकों की यूनियन के साथ श्रम विभाग द्वारा किए गए कई विचार-विमर्शों के फलस्वरूप, अभिनवीकरण तथा हानियों को कम करने के तरीकों से संबंधित अधिकांश मामलों पर व्यापक समझौता हो गया है। तथापि, (i) अभिनवीकरण के लाभों की शेयरिंग,(ii) शिफ्ट समयों में परिवर्तन और (iii) मजदूरी ढाचे के संबंध में मतभेद है। समझौता कराने तथा कामबन्दी को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स, बम्बई के मामले में प्रबंधतंत्र ने 11 नवम्बर, 1981 को महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि बम्बई में उनके प्रतिष्ठान बन्द कर दिए जाएंगे और उनके समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं 15.2.1982 से प्रकाशित नहीं किये जाएंगे। यह मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया है, ताकि उपयुक्त समाधान निकाला जा सके।

असैनिक मकानों को किराए पर लेना

479. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में सैनिक अधिकारियों को आवास देने के लिए असैनिक लोगों से मकान किराये पर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की कालोनी बार संख्या कितनी है ;

(ग) इन मकानों पर प्रतिमाह कितना खर्च होता है ;

(घ) क्या सैनिक अधिकारियों के लिए मकान बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन मकान का निर्माण कब तक होगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) 2046 जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है ।

(ग) 15,94,075.00 रुपये प्रतिमाह

(घ) जी हां ।

(ङ) निर्माण कार्य चरणों में किया जाएगा और जिन मकानों के निर्माण की योजना बनाई गई है उनका निर्माण कार्य 1983 से 1985 के बीच पूरा होने की सम्भावना है ।

विवरण

क्रम सं०	कालोनी का नाम	मकान
1.	सफदरजंग एनक्लेव	128
2.	मालवीय नगर/साकेत/प्रेस इन्क्लेव	231
3.	मुनीरका	113
4.	ग्रेटर कैलाश एनक्लेव I तथा II	71
5.	ईस्ट आफ कैलाश	18
6.	कैलाश कालोनी	9
7.	ग्रीन पार्क/गी० पा० एक्सटेंशन	43
8.	नारायण बिहार	118
9.	होजखास तथा होजखास एनक्लेव	27
10.	जनकपुरी	553
11.	एन० डी० एस० ई० पार्ट I तथा II	51
12.	बसंत विहार	19
13.	सर्वोदय एनक्लेव	46
14.	कटवरिया सराय	3
15.	ऊषा निकेतन	2
16.	सर्वप्रिय विहार	2

1	2	3
17.	आनन्द निकेतन	18
18.	चितरंजन पार्क	11
19.	पम्पोश एनक्लेव	5
20.	जंगपुरा एक्सटेंशन	15
21.	गुलमोहर पार्क	2
22.	गीतांजली कालोनी	4
23.	शान्ति निकेतन	7
24.	नवजीवन विहार	11
25.	निजामुद्दीन	5
26.	जोर बाग	1
27.	स्वामी नगर	1
28.	सत्य निकेतन	1
29.	नीति बाग	1
30.	महारानी बाग	1
31.	कालका जी	6
32.	कालन्दी	4
33.	न्यू फ्रेन्डस कालोनी	4
34.	श्री फोर्ट रोड	1
35.	शेख सराय	42
36.	डिफेंस कलोनी	36
37.	लाजपत नगर	22
38.	पंचशील एनक्लेव	8
39.	मसजिद मोंठ	24
40.	प्रसाद नगर	103
41.	करोल बाग	7
42.	पटेल नगर	17
43.	कीर्तिनगर	11
44.	पंजाबी बाग	4

1	2	3
45.	पश्चिम पुरी	6
46.	रमेश नगर	4
47.	राणा प्रताप बाग	1
48.	सैनिक बिहार	6
49.	मॉडल टाऊन	2
50.	शालीमार बाग	5
51.	वीरेन्द्र नगर	2
52.	अशोक विहार	9
53.	तिलक नगर	20
54.	अस्पताल रोड	1
55.	भगवान दास नगर	1
56.	टेगोर गार्डन	7
57.	सन्तनगर	1
58.	गुजरांवाला	1
59.	इन्द्रपुरी	7
60.	आदर्श नगर	1
61.	रणजीत नगर	1
62.	राजौरी गार्डन	84
63.	मुकर्जी पार्क	1
64.	सरस्वती विहार	1
65.	विशाल एनक्लेव	1
66.	राजिन्दर नगर	10
67.	दिल्ली छावनी	9
68.	आजाद अपार्टमेंट्स	1
69.	यमुना अपार्टमेंट्स	2
70.	हरिनगर	7
71.	वैस्ट इण्ड कालोनी	1

1	2	3
72.	अजय एनक्लेव	1
73.	लारेंस रोड	1
74.	कृष्णा पार्क	3
75.	मानसरोवर गार्डन	1
76.	शंकर गार्डन	4
77.	विष्णु गार्डन	2
78.	शिव नगर	2
79.	सुभाष नगर	7
80.	विलास नगर	2
81.	प्रताप नगर	2
82.	फतेह नगर	9
83.	विकास पुरी	9
84.	अशोक नगर	1
85.	दिलशाद गार्डन	1
86.	पंत नगर	1
87.	मदन गीर	2

सीमेंट की कालाबाजारी

480. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सीमेंट में बडे पैमाने पर हो रही कालाबाजारी का पता है जिसके कारण नगरों और गांवों में गरीब उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं; और

(ख) क्या सीमेंट से नियंत्रण हटाने का और यदि यह संभव न हो तो उत्पादन का कुछ भाग खुले बाजार में देने का है?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में सीमेंट की समान्यत: कमी है। इस हद तक उपभोक्ता सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे होंगे।

(ख) सीमेंट के मूल्य के बारे में या सीमेंट के वितरण पर से नियंत्रण हटाने के बारे में सरकार सोच भी नहीं सकती है क्योंकि देश के दूर के अंचलों में समाज के इससे कुप्राभवित होने वाले वर्ग भी हैं, यदि सीमेंट के वितरण या मूल्य पर से नियंत्रण हटा लिया गया तो वे कमी की इस स्थिति में बुरी तरह प्रभावित होंगे।

राजसहायता प्राप्त वस्तुएं

481. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1976-77 से 1980-81 के दौरान विभिन्न वस्तुओं पर कितनी राजसहायता दी है;

(ख) क्या कुछ नई वस्तुओं पर जिन पर पहले राजसहायता नहीं मिल रही थी राज सहायता देने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जहां तक उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय निवेश सहायता, परिवहन सहायता, और ब्याज सहायता योजनाओं के अन्तर्गत 1976-77 से 1980-81 तक व्यय की गई राशि नीचे दी जा रही है :—

योजना का नाम	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
			करोड़ रु० में		
केन्द्रीय निवेश सहायता	11.17	19.96	15.41	12.0	30.55
परिवहन सहायता	0.02	0.04	0.02	—	0.31
ब्याज सहायता	0.06	0.03	0.03	0.08	0.03

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलाई की घड़ियों की मांग

482. श्री चिग वांग कोन्यक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कलाई की घड़ियों की वर्तमान मांग क्या है और घड़ियों के निर्माण की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ख) देश में घड़ियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा 1977 में गठित किए गए घड़ी उद्योग संबंधी एक कृतिक दल ने 1981-82 तक मोटेतोर पर 80 से 85

लाख तक कलाई घड़ियां होने को अनुमान लगाया है तथा वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का अनु[illegible] लगभग 83 लाख संख्या तक लगाया गया है। छठी पंचर्षीय योजना के अनुसार 1984-85 त[illegible] यांत्रिक घड़ियों की क्षमता और उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 150 लाख और 125 लाख घड़ि[illegible] रखा गया है।

(ख) सरकार ने संगठित और लघु क्षेत्रों ही दोनों में कुल 176.50 लाख यांत्रि[illegible] कलाई घड़ियों की क्षमता तक उत्पादन हेतु अनेक योजनाओं को पहले स्वीकृति दे दी है। इस[illegible] अलावा, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक घड़ियों का उत्पादन करने के लिए भी हाल ही में 32 लाख घड़ियों की क्षमता के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उड़ीसा में आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा एकीकृत आवास योजना का कार्यान्वयन

483. श्री हरिहर सोरेन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न आदिवासी विकास एजेंसियों के नाम क्या हैं जो उड़ीसा में एकीकृत आवास योजना कार्यान्वयन कर रही है ;

(ख) आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा उस राज्य में उक्त योजना किस वर्ष लागू की गई ; और

(ग) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कुल बनाए गए और आदिवासियों को वितरित किए गए मकानों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में कोई आदिवासी विकास एजेंसी एकीकृत आवास योजना को कार्यान्वयन नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1981 तक योजना के अन्तर्गत आदिवासियों के लिए 900 मकान निर्मित किए गए हैं।

गृह मंत्रालय काडर में अवर श्रेणी लिपिक के प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नतियां

484. श्री आनन्द पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय काडर में अवर श्रेणी लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की गई है ;

(ग) क्या "लास्ट कम फर्स्ट गो" (आखिर में आने वाला पहले जाये) सिद्धांत के उल्लंघन में कुछ प्रवर श्रेणी लिपिकों को पदावनति की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) कितने व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1981 को अथवा उसके बाद पदोन्नति की गई तथा बाद में पदावनति की गई और उनकी पुनः पदोन्नति कब की जायेगी तथा तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित कब से किया जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । नियमित पदोन्नतियों के अतिरिक्त अवर श्रेणी लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में में कुछ तदर्थ पदोन्नतिया भी की गई थी ।

(ग) ऐसी कोई पदावनति नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इस अवधि के दौरान तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों की 6 पदावनतियां की गई थीं परन्तु वे सभी अल्पावधि की रिक्तियां होने पर फिर तदर्थ पदोन्नत कर दिये गये थे ।

(च) जब नियमित रिक्तियां उपलब्ध होती हैं तो तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों को उनकी वरीयता तथा योग्यता के आधार पर अथवा विभागीय परीक्षण के आधार पर नियमित पदोन्नतियां की जा सकती हैं ।

केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए निधियों का आवंटन

485. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन केन्द्रीय मन्त्रालयों ने आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिए निधियां निर्धारित की हैं और इनके लिए अलग बजट शीर्ष बना दिये हैं ;

(ख) छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में उप योजना क्षेत्रों के लिए मन्त्रालय वार प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशियों का उपबन्ध किया गया और कितनी राशियां वितरित की गईं ;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्रालयों ने आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों के लिए मन्त्रालय तथा विभागों में अलग सैल बनाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो मन्त्रालयों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारण बताए गए हैं ; और

(ङ) उनके मन्त्रालय द्वारा इस बारे में केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ अब तक क्या पहल की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठी योजना और छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा निर्धारित धनराशि का एक विवरण संलग्न है। राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है। आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को योजना के लिए बजट और लेखा में विभिन्न उप-शीर्ष खोलने के विषय में वित्त मंत्रालय ने 15-9-1981 को विभिन्न मन्त्रालयों को निर्देश जारी किए हैं और अनेक मन्त्रालयों ने यह कार्य किया है।

(ग) से (ङ) गृह मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय और आर्थिक कार्य (बैंकिंग विभाग) द्वारा अलग एककों का सृजन किया गया है। अभी तक एककों का गठन न करने के लिए मन्त्रालयों ने कोई विशेष कारण नहीं दिए हैं। इस प्रश्न को केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और गृह मंत्री और गृह सचिव को भी आदिवासी क्षेत्रों के लिए धन निर्धारित करने, अलग बजट शीर्ष खोलने और एककों को खोलने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में बैठक की है।

विवरण

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा निर्धारित धनराशि का विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	मन्त्रालय/विभाग का नाम	योजना का नाम	आदिवासी उप योजना के लिए निर्धारित धनराशि		
			1980-81	1981-82	1980-85
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि और सहकारिता	1. वानिकी	86.50	164.00	1120.75
		2. भूमि और जल संरक्षण	उ० न०	135.20	950.00

1	2	3	4	5	6
		3. पशुपालन	16.19	13.60*	29.00
		4. फसलोन्मुख कार्यक्रम	10.00	5.0	25.00
		5. मछलीपालन	12.23	9.00	155.60
		6. अनुसन्धान और शिक्षा	उ० न०	× 0.90	× 2.00
		7. पौध संरक्षण कार्यक्रम	—	5.40	उ० न०
		8. वायो-गैस	—	50.00	500.00
		9. डेरी विकास सहकारिता	—	200.00	4000.00
		1. एन सी डी सी आयोजित योजना	140.00	50.00	800.00
		2. केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें	—	64.00	290.00
		आई सी ए आर	—	उ० न०	230.00
		आदिवासी क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय समन्वय परियोजना	125.00	77.80	521.00
2.	शिक्षा और संस्कृति	अनौपचारिक प्रौढ शिक्षा	2.00	6.00	39.00
		छात्रवृत्तियां आदिवासी छात्रों के लिए एन सी ई आर टी द्वारा आयोजित पठन सामग्री का विशेष	64.00	उ० न०	उ० न०

* अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए।

× खेतों का विस्तार और प्रशिक्षण अध्ययन दौरा।

1	2	3	4	5	6
		पाठ्यक्रम और आदिवासी क्षेत्रों के अध्ययन आदि में कार्य कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुकूल कार्यक्रम			
		स्कूल शिक्षा	—	45.95	288.00
		विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	—	255.00*	2100.00
		शारीरिक शिक्षा और खेल	—	8.90	42.75
		युवक सेवायें	—	2.00	20.00
		योजना और प्रशासन	—	3.00	14.00
		तकनीकी शिक्षा	—	58.73	235.00
		कला और संस्कृति	—	8.05	29.76
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1. समुदाय स्वास्थ्य स्वयं सेवक	400.00	281.79	956.21
		2. बहु-उद्देश्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और रोजगार	153.34	73.88	400.04
		3. अंधेपन की रोकथाम	45.00	23.45	100.33
		4. टी बी नियन्त्रण	17.32	18.53	76.42
		5. कोढ़ नियन्त्रण	40.00	98.00	463.00
		6. एस टी डी नियन्त्रण	1.66	3.20	13.50
		7. एन० एम० ई० पी० (ग्रामीण)	461.63	531.41	2368.57
		8. फाइलेरिया नियन्त्रण	2.00	2.39	12.14
		9. सी साई पी रांची	1.12	—	—

* मोटा अनुमान

1	2	3	4	5	6
		10. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जीपमर और पांडिचेरी के समाप्त हो रहे आदिवासियों के संबंध में अनुसन्धान	0,91	2.67	12.58
		11. संघ शासित क्षेत्रों के आदिवासी ब्लाकों में आई एस एम/होमयोपैथिक औषधालय	—	0.48	3.00
		12. अतिसार रोग नियन्त्रण	—	0.33*	1.60*
		13. 120 स्वा० से० म० नि० छात्रवृत्तियां	—	@	2.5
		14. अनु० ज० जा० क्षेत्रों और अनु० जा० के लिए स्वास्थ्य सेवा अनु० के० सहित स्वास्थ्य रूप रेखा	—	3.97	15.00
		15. स्वास्थ्य सूचना एवं प्रबोधन	—	3.11	5.50
		16. आयुर्वेद और सिद्ध में सी सी आर	—	27.32*	145.00
		17. यूनानी में सी सी आर	—	4.00	17.000
		18. होम्योपैथी में सी सी आर	—	4.00	52.40
		19. जनजातीय विकास के लिये नियोजन कक्ष	—	0.48	2.00
		20. सफाई विज्ञान का अध्ययन और आई सी एम आर द्वारा बिहार में रांची उड़ीसा	—	0.50	1.51

* अनु० जा० और अनु० ज० जा० दोनों के लिए

@ अनु ज० जा० के लिए छात्रवृत्तियों का 5%

1	2	3	4	5	6
		में बुरला और मध्य प्रदेश में रायपुर के आसपास जनजातीय जनसंख्या में सर्कल सैल आनीमिया की डाक्टरी रूपरेखा			
		21. मध्य प्रदेश में जन-जातियों के स्वास्थ्य और पोषण का अध्ययन	—	3.52	11.22
		22. आई सी एस आर द्वारा पोर्ट ब्लेयर भुवनेश्वर और शिलांग में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान	—	10.00	215.00
4.	सिंचाई	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूमि जल अनुसंधान	16.70	89.00	250.00
5.	उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र	—	12.00	800.00
	(औद्योगिक विकास विभाग)	तकनीकी प्रचार	—	1.00	4.00
		एस आई डी ओ की संख्या बढ़ाना	—	1.50	11.00
		जांच केन्द्र	—	—	30.00
		ई डी पी और प्रशिक्षण	—	1.00	10.00
		इंजीनियरिंग में उद्यमकता प्रशिक्षण और ब्याज सहायता	—	1.00	5.00
		चुनिन्दा उद्योगों का आधुनिकीकरण	—	0.40	2.00

1	2	3	4	5	6
		तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्शदात्री	—	9.20	1.00
		पी पी डी केन्द्र	—	2.00	10.00
		आंकड़े एकत्र करना, प्रबोधन और मूल्यांकन	—	4.00	24.00
6.	नागरिक	तिलहन और पेड़े के तेल का विकास कार्यक्रम तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में आदिवासी क्षेत्रों पर बन निकास के संबंध में केन्द्र	—	40.00	200.00
7.	नौवहन और परिवहन	केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजना	1350.00	उ० न०	7511.00
8.	वाणिज्य	रेशम उद्योग	—	—	1050.00
		दस्तकारी	—	5.00	45.00
		डिजाइन और तकनीकी विकास	—	76.00	470.00
		प्रशिक्षण		12.00	60.00
		विपणन विस्तार	—	2.00	20.00
		और कच्चा माल सहकारिता	—		
		शिल्पकारों को सीधी सहायता।	—	—	5.00

हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना

486. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण की धीमी गति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के अनुरोध पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किया जायेगा और विलम्ब के क्या कारण है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों के संचालन की संवीक्षा करने तथा उपयुक्त नीति निर्धारित करने की दृष्टि से, योजना आयोग ने श्री बी० शिवरामण, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय समिति (एन० सी० डी० बी० ए०) का गठन किया था। पिछड़े क्षेत्र की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने "औद्योगिक फैलाव" पर अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1980 में प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना नामक दो योजनाओं की संवीक्षा करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए दिए जाने वाले अनेक प्रोत्साहनों हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्ड के संबंध में है। योजना आयोग में राज्य सरकारों, संबंधित मन्त्रालयों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों/जिलों की विद्यमान सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए "औद्योगिक फैलाव" पर पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भगोड़े घोषित किए गए स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

487. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के लिए अनुदान नीति के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी जिनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे और जिनको भगोड़े घोषित किया गया था तथा ऐसे व्यक्ति भी, जिनके विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए थे परन्तु वे 6 महीने अथवा उतने समय के लिए भगोड़े रहें और ऐसे व्यक्ति भी जिनको एक जिले से दूसरे जिले में निष्काशित किया गया था, पेंशन पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में तथ्यों का सत्यापन करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने 15 नवम्बर, 1981 तक पेंशन के लिए आवेदन पत्र दिये ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनको 15 नवम्बर, 1981 तक पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन योजना के लागू होने की तारीख 15-8-1972 से पेंशन के लिए पात्र समझा गया है।

(ख) भूमिगत योजना, नजरबंदी/निष्कासन के दावे के मामले में पेंशन योजना उदार बनाये जाने के परिणामस्वरूप दी जाने वाली छूट साक्ष्य के स्वरूप से सम्बन्धित है। पहले भूमिगत योजनाओं, नजरबन्दी/निष्कासन के ऐसे दावों को केवल कार्यालय अभिलेखों से सिद्ध किया जाता था। पेंशन योजना को उदार बनाने के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में छूट दी गई है जहां कार्यालय अभिलेख अनुपलब्धता के कारण नहीं मिल रहे हैं और अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष के सम्बन्ध में 5 वर्ष अथवा अधिक कैद काटने वाले पुराने स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों को पर्याप्त समर्थक साक्ष्य समझा जाता है यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें अथवा संघ शासित क्षेत्र स्वयं इस बात से संतुष्ट हैं कि सम्बन्धित अवधि के कार्यालय अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और वे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिए मामले की सिफारिश करते हैं।

(ग) तथा (घ) स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रत्येक श्रेणी के अलग से अभिलेख नहीं रखे गये हैं परन्तु 1-8-1980 से जब से उदार योजना लागू हुई, 15 नवम्बर, 1981 तक प्राप्त हुए सभी श्रेणियों के आवेदनों की कुल संख्या और स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1-8-1980 से 15-11-81 तक प्राप्त हुए सभी श्रेणियों के आवेदनों की कुल संख्या और उनमें से स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या
अंडमान और निकोबार	20	16
आन्ध्र प्रदेश	8198	19
अरुणाचल प्रदेश	40	—
असम	7417	29
बिहार	28052	462
चंडीगढ़	36	6
दिल्ली	464	45
गोवा	780	30

1	2	3
गुजरात	625	38
हरियाणा	380	34
हिमाचल प्रदेश	246	24
जम्मू और काश्मीर	800	22
केरल	5711	16
कर्नाटक	3853	178
मध्य प्रदेश	1106	55
महाराष्ट्र	8701	165
मणिपुर	13	2
मेघालय	26	5
मिजोरम		—
नागालैंड	5	3
उड़ीसा	4594	135
पांडिचेरी	435	10
पंजाब	2027	153
राजस्थान	308	27
तामिलनाडु	2307	105
त्रिपुरा	318	35
उत्तर प्रदेश	1815	254
पश्चिम बंगाल	18508	151
आजाद हिन्द फौज	3888	1308
जोड़	102801	3342

दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन द्वारा जमीन के बाजार मूल्य का निर्धारण

488. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अपने कर निर्धारिकों, समाहर्त्ताओं और जोनल कर निर्धारकों और समाहर्त्ताओं को उच्चतम न्यायालय के दिसम्बर, 1979 के निर्णय के संदर्भ में सम्पत्ति कर लगाने के प्रयोजनों के लिए जमीन के बाजार मूल्य का निर्धारण करने हेतु कोई मार्गदर्शी निदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन द्वारा शांति निकेतन और बसन्त बिहार नई दिल्ली की कालोनियों में पट्टे को जमीन का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रथम कसौटी का पालन किया जा रहा है अर्थात कुछ मामलों में निगम ने निर्माण आरम्भ करने की तारीख के आधार पर बाजार मूल्य 83.6 से 146.32 रु० प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया है और अन्य मामलों में वे उस सूत्र का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस असंगति का क्या कारण है और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर योग्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन हेतु मानक किराए के आधार पर सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। निर्णय के लिए जमीन के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) निगम के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों से प्रत्येक मामले में उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों और साक्ष्य पर ध्यान देने और कानून को परिधियों के अन्तर्गत मामले के गुणदोष के आधार पर निर्णय करने की आशा की जाती है। फिर भी चूंकि प्रत्येक में तथ्य और परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं अतः सभी मामलों पर कोई एक फार्मूला लागू नहीं हो सकता।

"थर्ड वर्ल्ड थ्रीट्स वेपन बाजार्स" शीर्षक समाचार

489. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया", नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 में "थर्ड थ्रीट्स वेपन बाजार्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश के चहुं ओर प्रकट होने वाली इन प्रवृत्तियों को देखते हुए देश की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र में, खासकर भारत के आसपास हथियारों के प्रभाव की सरकार को पूरी जानकारी है और इसमें सुरक्षा परिवेश पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, इसके कारण पैदा होने वाले तनाव तथा विकासशील देशों पर हथियार खरीदने के कारण पड़ने वाले वित्तीय सेवा सरकार के लिए चिंता का विषय है। हथियारों की खरीद पर किया जाने वाला यह खर्च ऐसे विकास कार्यों पर किया जा सकता है जिनसे लोगों का जीवन स्तर उठ सके। सरकार इस तरह के विचार समय समय पर व्यक्त कर चुकी है।

(ग) देश की सुरक्षा बनाए रखने और उसकी रक्षा की दृष्टि से सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं।

मुंगेर तथा रांची जिलों (बिहार) में सिंचाई योजनायें

490. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग ने बिहार में मुंगेर तथा रांची जिलों में सिंचाई योजनाओं को हाल ही में मंजूर किया था; यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत क्या है और उनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जी, हां। योजना आयोग ने वर्ष 1981 में बिहार में 7 मझौली सिंचाई स्कीमों को स्वीकार किया है जिनसे मुंगेर और रांची के जिलों को लाभ पहुंचने वाला है। ब्यौरे सहित ये स्कीमें इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाला जिला	लागत (लाख रु०)	वार्षिक सिंचाई (है०)
1.	लतराटू जलाशय परियोजना	रांची	1098.18	10200
2.	तपकरा जलाशय स्कीम	रांची	203.71	1860
3.	नन्दिनी जलाशय स्कीम	रांची	447.62	4878
4.	सिंदवरणी जलाशय परियोजना	मुंगेर	445.30	10267
5.	दकरानाला पंप नहर स्कीम (प्रावस्था-2)	मुंगेर	475.95	4024
6.	कासजोर जलाशय परियोजना	रांची	866.26	6340
7.	ऊपरी संख जलाशय परियोजना	रांची	918.94	7110

मछली पकड़ने वाली गुमशुदा नौकायें

491. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1981 को गुजरात तट पर आने वाले तूफान एवं भारी वर्षा के दौरान मछली पकड़ने वाली कितनी नौकाओं के गुम हो जाने का समाचार मिला ;

(ख) नौसेना द्वारा खोज से कितनी नौकाओं का पता लगा लिया गया ;

(ग) नौसेना के पोतों द्वारा इस मामले में क्या सहायता प्रदान की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 1 नवम्बर, 1981 को गुजरात तट से दूर समुद्र में आए तूफान और भारी वर्षा के दौरान मछली पकड़ने वाली 185 नौकाओं के गुम हो जाने की रिपोर्ट मिली है। इन नौकाओं की तलाश के लिए नौसेना के 5 पोतों ने 3 दिन बराबर खोज की। मालूम हुआ है कि अब सभी नौकाएं बन्दरगाह पर वापस लौट आई हैं या उन्होंने निकटवर्ती पत्तनों पर शरण ले ली है। भारतीय नौसेना के पोतों ने मछली पकड़ने वाली 6 नौकाओं को बन्दरगाह तक खींच लाने में भी सहायता की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उससे संबंधित कार्यालयों में कारित केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1 अधिकारियों का आवर्तन (रोटेशन)

492. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या गृह मन्त्री स्वास्थ्य मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालय में कार्यरत सी० एस० एस० ग्रेड अधिकारियों के रोटेशन के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि उन परिस्थितियों की कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी गई कि ये अधिकारी, विशेष रूप से 3 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के क्रम सख्यांक 1 पर निर्देशित अधिकारी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व, जो आयु प्राप्त करना ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी अनिवार्य था, सेवा में कैसे प्रवेश पा सके;

(ख) क्या वे अब ऐसा करेंगे और यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(ग) केन्द्रीयसचिवालय सेवा ग्रेड 1 के विशेष रूप से ऐसे अधिकारियों के, जो अपने वर्तमान कार्यालय/विभाग मत्रालय में पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं; आवर्तन के सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है;

(घ) केन्द्रीय सचिवालव सेवा के अवर सचिव तथा उसमें ऊपर के स्तर के ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण करने में क्या दिक्कतें हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सेवा पुस्तिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 3-12-80 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर के साथ संलग्न विवरण के क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित अधिकारी श्री एस० एल० कुथियाला ने, जिनकी जन्म तिथि 1-12-1924 है, 16-8-1941 को अर्थात् 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही तृतीय श्रेणी लिपिक (पोलिटीकल डिपार्टमेंट) के रूप में सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। किन्तु केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 13 के पैरा (ख) के परन्तुक के अनुसार श्रेणी चार कर्मचारी के अलावा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के मामले में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा नहीं गिनी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी होने पर सरकार ने सेवा में प्रवेश पाने के लिए निम्नतम आयु सीमा के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की गई सेवा के सम्बन्ध में श्री कुठियाला के विरुद्ध न तो कोई विशेष मामला उठाया गया है और न ही कोई विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।

(ग) तथा (घ) अदला बदली योजना के अधीन उद्देश्यात्मक मानदण्डों के आधार पर स्थानांतरण करने के विचार से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के रुकने की अवधि से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से एकत्र कर ली गई है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के जिन अधिकारियों ने अपने-अपने संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में कई वर्षों की सेवा कर ली है, उन्हें अदला-बदली योजना के अधीन, इस प्रयोजन के मानकों के अनुमोदित किए जाने के पश्चात स्थानांतरित करने के लिए जहां तक व्यवहार्य होगा शीघ्र विचार किया जाएगा।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री तथा लाभ

493. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को वर्ष 1979-80 के दौरान हुए कुल 23.73 रु० के लाभ में से घड़ियां बनाने वाले एककों का अंश हो 16.98 करोड़ रु० का था ;

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान घड़ियों के पूरी तरह से खुले अथवा अर्द्ध-रूप से खुले पुर्जों के आयात का मूल्य क्या था ; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों द्वारा कितने मूल्यों की घड़ियां बेची गई ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1979-80 में घड़ियों के आयातित हिस्से पुर्जों का कुल लागत बीमा भाड़ा 17.15 करोड़ रु० था।

(क) 1979-80 में एच० एम० टी० द्वारा कुल 60.14 करोड़ रु० के मूल्य की घड़ियां बेची गई थी।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

494. श्री अशोक गहलोत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने एवं कौन-कौन से जिलों को न्यूक्लियस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है और अब तक क्या प्रगति हुई है:

(ख) राजस्थान के उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने वाले जिलों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाने हैं; और

(ग) ये उद्योग कब तक स्थापित किए जाने हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार के कहने पर चार जिलों अर्थात जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा और चुरू को केन्द्रस्थ योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन औद्योगीकरण के लिए स्वीकार किया गया है इस उद्देश्य के लिए जिनके विकास की सम्भावना है ऐसे परियोजना संभाव्यताओं तथा आनुषंगीकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए तथा उसकी अवस्थापना सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए सामान्य परियोजनाएं रिपोर्टें तैयार करने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

वर्तमान में कृतिक बल कार्य कर रहा है।

स्पिरिट घोटाले के बारे में राय आयोग

495. श्री के० टी० कोसलराम
श्री बी० के० नायर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पिरिट घोटाले की जांच करने वाले, जिसमें केरल एवं तमिलनाडु सरकारें अन्तर्ग्रस्त हैं, राय आयोग के कार्यक्रम की प्रगति क्या है ; और

(ख) उच्च न्यायालय में केवल मात्र राय आयोग के काम में विलम्ब लाने के, उद्देश्य से दायर किए गये अनुचित मुकदमों को निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) और (ख) आयोग 18 जून, 1981 को को गठित हुआ था। सदस्य, (आयोग) न्यायमूर्ति एस० के० रे० ने 23 जून, 1981 को कार्यभार सम्भालकर कार्य करना आरम्भ किया था। आयोग के कार्यालय की औपचारिक रूप से स्थापना नई दिल्ली में समुचित आवास आदि की व्यवस्था करने के बाद, अगस्त, 1981 के प्रथम सप्ताह में ही की जा सकी थी।

आयोग ने एक आम नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें आयोग के समक्ष दाखिल करने के लिए आम जनता से एफिडविटों/तथ्यों के कथनों की मांग की गई थी। उक्त नोटिस 16/17 अगस्त, 1981 को अखबारों में छपा था। आयोग ने जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करने और उसे निर्धारित करने के लिए अपनी पहली बैठक 31 अगस्त, 1981 के लिए

निश्चित की थी और इसे सम्बन्धित पक्षों को विधिवत अधिसूचित कर दिया गया था। इसी बीच मद्रास उच्च न्यायालय में दायर आयोग को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने 28-[illegible]-1981 को, उक्त रिट याचिका का निपटारा किए जाने तक, आयोग की आगे की सभी कार्यवाहियों और कार्यकलापों पर अंतरिम स्थगन आदेश को देखते हुए आयोग को फिलहाल अपनी सभी कार्यवाहियां स्थगित करनी पड़ी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 9 से 15 सितम्बर, 1981 के बीच आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की थी, किन्तु उन पर उच्च न्यायालय का निर्णय सुरक्षित रखा गया था और वह अब तक दिया जाना बाकी है। इस बीच आयोग की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन लागू है। आयोग को चुनौती देने वाला एक और रिट याचिका केरल उच्च न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय ने इसकी सुनवाई की तारीख अभी निश्चित नहीं की है और उसकी सुनवाई पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

भविष्य निधि से ऋण के लिए आवेदन-पत्र

496. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै को चालू वर्ष में आज की तारीख तक पैरा 68 (ख) के अधीन कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) आवेदनों पर कितने ऋण मंजूर किए गए, कितने रद्द किए गए और कितने लम्बित रही हैं ; और

(ग) रद्द किए जाने के क्या कारण हैं और उनके लम्बित रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

छावनी भूमि नीति में छूट

497. श्री चतुर्भुज : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी भूमि नीति में और आगे छूट देने के प्रश्न की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं और प्रत्येक निष्कर्ष के बारे में सरकार का क्या निर्णय है तथा उनको कब कार्यान्वित किया जायेगा ;और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) छावनियों में भूमि सम्बन्धी नीति के संशोधन करने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप मे विचार कर रही है।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

498. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवायें 1964 से पहले पेंशन लाभ पाने की हकदार नहीं थीं जबकि 1964 के पश्चात् विधवायें इन सुविधाओं की हकदार हैं;

(ख) इस असंगति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अन्तर को समाप्त करने का है और यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सैनिक कार्मिकों के लिए वर्तमान परिवार पेंशन योजना सिविल में इसी प्रकार की पेंशन योजना पर आधारित है और उसी रूप में 1.10.1964 से लागू की गई है तथा यह उन विधवाओं पर भी लागू है जिनके पति इस तारीख को या इस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। यद्यपि 1.10.1964 से पहले सेवानिवृत्त हुए सेना के कार्मिकों की विधवायें पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं फिर भी सरकार ने हाल ही में एक योजना तैयारे की है जिसके अन्तर्गत इस श्रेणी की विधवाओं को, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। 50.00 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी।

क्विलोन केरल में उद्योगों की स्थापना

499. **श्री वी० के० नायर** . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केरल राज्य के क्विलोन जिले में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है जिसका अकेले काजू उद्योग में 125000 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कच्चे धातु और खनिज प्रचुर मात्रा में हैं और यह बिजली की सप्लाई होने पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत सक्षम हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस जिले में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इसे पिछड़ा जिला घोषित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। सरकार देश के अन्य भागों सहित क्विलोन जिले में बेरोजगारी की समस्या से परिचित है।

(ख) जी, हां। क्विलोन जिला उद्योग क्षेत्र अनेक प्राकृतिक संसाधनों में विभवसम्पन्न है

जैसे वन, कृषि, समुद्री और खनिज संसाधन, जिनमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी सम्मिलित है। केरल में बिजली संभरण की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है।

(ग) जी, नहीं। पिछले क्षेत्रों का विकास करने के लिए उपयुक्त नीति विकसित करने का प्रश्न सरकार के ध्यान को निरन्तर आकर्षित किए हुए है।

दिल्ली छावनी में घरेलू बिजली कनेक्शनों की मंजूरी

500. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी में मंजूर किये गये घरेलू बिजली के कनेक्शनों के बारे में 19.8.1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सदर बाजार में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों ने घरेलू तथा वाणिज्यिक बिजली के लिए आवेदन दिया तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उन आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई तथा जिन व्यक्तियों के आवेदन नामंजूर कर दिये गये उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : दिल्ली छावनी में पिछले एक साल के अन्दर घरेलू बिजली के लिए 11 लोगों ने और वाणिज्यिक बिजली के लिए 4 लोगों ने आवेदन दिए थे। इनमें से केवल दो लोगों को वाणिज्यिक बिजली मंजूर की गई। लेकिन इन दोनों के पास भी बिजली नहीं आई है क्योंकि बिजली की सप्लाई की बहुत कमी है। मौजूदा ट्रान्सफार्मरों पर पहले ही काफी अधिक भार है इसलिए नए कनेक्शन देने के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। यहां तक कि जिन दो मामलों में बिजली मंजूर की गई है वे भी अभी विचाराधीन हैं। इन आवेदकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दिल्ली छावनी में बिजली के कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता	घरेलू/वाणिज्यिक
(क) स्वीकृत कनेक्शन			
1.	श्रीमती कमला सूद	111/1/3 सदर बाजार दिल्ली छावनी	वाणिज्यिक
2.	जय जवान स्टाल	किर्बी प्लेस बस स्टैंड दिल्ली छावनी	वाणिज्यिक

1	2	3	4
(ख) अभी तक मंजूर नहीं किए गए कनेक्शन			
3.	श्री बांके लाल	1/157 सदर बाजार दिल्ली छावनी	वाणिज्यिक
4.	श्री सुशील चन्द	1/160 सदर बाजार दिल्ली छावनी	वाणिज्यिक
5.	श्री एस० के० आनन्द	3/5/57 गोपीनाथ बाजार दिल्ली छावनी	घरेलू
6.	श्री सुरेश कुमार बहल	1/206/46 सदर बाजार दिल्ली छावनी	—वही—
7.	श्री सौकत अली	218/18 सदर बाजार दिल्ली छावनी	—वही—
8.	श्रीमती राम देवी	111/4/63 गोपीनाथ बाजार दिल्ली छावनी	—वही—
9.	श्री मोहम्मद यसीन	218/27 सदर बाजार दिल्ली छावनी	—वही—
10.	श्रीमती दीवान कौर	111/5/22 गोपीनाथ बाजार दिल्ली छावनी	—वही—
11.	श्री निरंजन सिंह	111/4/57 श्यामसिंह गोपीनाथ बाजार	—वही—
12.	चौधरी मोहिन्दर सिंह	1/219 सदर बाजार	—वही—
13.	मोहम्मद नसीम	218/28 सदर बाजार	—वही—
14.	प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए आवास	1/24/1 सदर बाजार	—वही—
15.	—वही—	1/24/3 सदर बाजार	—वही—

एशियाई खेलों के कारण सीमेंट का अभाव

501. **श्री आर० पी० यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल, 1982 के निर्माण कार्यों के कारण सीमेंट का अभाव हो गया है जिसके कारण उपभोक्ताओं को, जिन्हें मकान बनाने का सामान चाहिए, तथा अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) सरकार ने छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार देश में विद्यमान क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके नई क्षमताएं स्वीकृत करके तथा आयात करके सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ।

कोटि निरीक्षण केन्द्रों की स्थापना

502. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के उत्पादकों में सुधार लाने के लिये सारे देश में कोटि निरीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं । फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव विचार-विमर्श की काफी आगे की स्थिति में है । जहां खास प्रकार के उद्योगों का जमाव है वहां ये स्टेशन स्थापित किए जायेंगे और इनमें चुने हुए उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएं जुटाई जायेंगी ।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यूनिट-1 में रेडियो धर्मिता का लीकेज

503. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यूनिट-1 में लीकेज का पता लगा है जिसके परिणामस्वरूप रेडियो धर्मिता बाहर निकल जाती है जिससे संयंत्र की सुरक्षा तथा कार्मिकों और आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या इस लीकेज को दूर करने का कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) संयंत्र के पुनः चालू होने से पहले लीकेज की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट में हाल ही में हल्के पानी के जिस रिसाव का पता लगा था, उसके परिणामस्वरूप कोई भी रेडियो सक्रियता नहीं फैली है।

(ख) से (घ) रिसने वाले स्थानों का पता सही-सही लगाया जा चुका है तथा इस यूनिट को फिर से चालू करने से पहले उन स्थानों से पानी के रिसने को बंद कर दिया जायेगा।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र का बन्द किया जाना

504. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के दो परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में से पहले परमाणु ऊर्जा केन्द्र में खराबी आ गयी है और इसके क्या कारण हैं तथा यह पुनः कब चालू हो जाएगा;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार यह संयंत्र कितने दिन चालू रहा, और उसकी विद्युत उत्पादन की निर्धारित क्षमता की तुलना में इसने कितना विद्युत उत्पादन किया; और

(ग) क्या यह सच है कि दूसरा संयंत्र भी अक्तूबर, 1981 में खराब हो गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०-पी० एन० सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को बड़े अनुरक्षण सम्बन्धी काम के लिए 20.9.1981 को बन्द किया गया था तथा आशा है कि यह यूनिट दिसम्बर, 1981 के मध्य तक फिर से चालू हो जायेगा।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के पिछले तीन वर्षों के काम के बारे में आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

वर्ष	सकल उत्पादन का लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	वास्तविक सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	बिजलीघर ने कितने दिन काम किया
1979	1370	1251.35	301
1980	1100	1048.29	262
1981 (19.11.81 तक)	895	50.413	155

(ग) अक्तूबर, 1981 में, राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट ग्रिड के दोष के कारण 14.10.81 के 0552 बजे से 16.10.81 के 2045 बजे तक एक बार बन्द हुआ। यह यूनिट इस समय 125 मेगावाट के विद्युत-स्तर पर काम कर रहा है।

मृत्यु दण्ड का समाप्त किया जाना

505 **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मृत्यु दण्ड समाप्त करने के लिये समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर गंभीर रूप से विचार किया है; और

(ग) सरकार का मत क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) और (ग) इस प्रश्न को, कि मृत्युदण्ड को रखा जाये अथवा नहीं, विधि आयोग द्वारा जांच की गई थी। भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के सम्बन्ध में आम जनता के विचार आमन्त्रित किए थे जिसमें हत्या के कुछ गंभीर मामलों के लिये धारा 302 में मृत्युदण्ड को रखने के सम्बन्ध में उपबंध शामिल थे। जैसा कि संयुक्त समिति ने सूचित किया था विधेयक नवम्बर, 1978 में राज्यसभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया था, किन्तु छठी लोकसभा के भंग होने पर यह रद्द हो गया। संसद विधेयक में धारा 302 में प्रावधान था कि हत्या के लिए सामान्य दण्ड आजीवन कारावास होगा और केवल कुछ गंभीर परिस्थितियों में, जिनको वहां विनिर्दिष्ट किया गया है, न्यायालय स्वनिर्णय से मृत्यु दण्ड दे सकता है। रद्द विधेयक के उपबंध पुनः सरकार के विचाराधीन है।

नवीन तथा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

506. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में सौर ऊर्जा और/या नवीन और पुनः नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली यूनिट के लिये देश की प्रत्येक जिले हेतु कोई परीक्षण, युक्ति और अन्य तकनीकी अपनाई गई है; और

(ख) नेरोबी, जहां ऊर्जा के नवीन पुनः नवीकरणीय संसाधनों पर चर्चा हुई है, में पढ़ा गया पेपर कौन-सा है; और

(ग) क्या नैरोबी में हुई चर्चा का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार द्वारा हाथ में लिये गये अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन सौर ऊर्जा और अन्य नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण के लिए कई युक्तियों और प्रणालियों का देश में विकास किया गया है। उन प्रणालियों में जिनका वाणिज्यीकरण किया गया है या जो वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन के निकट हैं, सौर जल तापन प्रणालियों, वायु तापक, शुष्कक एकक, पम्प, सौर कुकर, वायु चक्कियां, जैव गैस पाचक और इंजन आदि हैं। यह भी प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हर जिले में प्रदर्शन और परीक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रणालियों को प्रतिष्ठापित किया जाये।

(ख) और (ग) नैरोबी में जिस मुख्य प्रलेख पर चर्चा की गई थी, वह नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोगीकरण के लिए प्रारूप कार्य कार्यक्रम था। गहन विचार-विमर्श के पश्चात् सम्मेलन ने कार्य कार्यक्रम को स्वीकार किया। सम्मेलन के लिये भारतीय राष्ट्रीय प्रलेख और नैरोबी कार्य कार्यक्रम की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। अतिरिक्त प्रतियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग से प्राप्त की जा सकती हैं।

पालेकर पंचाट

507. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा**
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रों ने राज्य को कहा है कि उन समाचार-पत्रों के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये जिन्होंने समाचार-पत्रों के पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में पालेकर पंचाट की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले आदेशों को लागू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने अभी तक कार्यवाही नहीं की है और पालेकर पंचाट की सिफारिशों से संबंधित निदेशों को शीघ्र लागू कराने के लिए सरकार अन्य क्या उपाय करना चाहती है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 15-9-1981 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले सरकार के आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है, क्योंकि सरकार के आदेशों को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों का है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दूरदर्शन का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

508. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में दूरदर्शन का उत्पादन करने वाली कम्पनियों तथा स्थानों के नाम क्या हैं तथा दूरदर्शन सेटों का मूल्य क्या है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकारें सहायता प्रदान करती हैं तथा इस सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) देश में सस्ते मूल्य का दूरदर्शन सेट बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी नथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा. रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जिलों में पुनः नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन यूनिट स्थापित करना

509. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री वीरभद्र सिंह } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि जिलों में पुनः नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन यूनिटें शीघ्र स्थापित की जायें;

(ख) यदि हां, तो सरकार का चालू वर्ष में लक्ष्य क्या है; और

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों की अनुक्रिया उत्साह जनक है। वे राज्य स्तर के संगठनों को अभिनिर्धारित कर रहे हैं या राज्य स्तर के संगठनों का निर्माण कर रहे हैं जो कि इस कार्य को हाथ में ले सकें और कार्यक्रमों और लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान कर सकें।

भारत के संविधान का अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा उनको विभिन्न न्यायालयों द्वारा मान्यता

510. **श्री असफाक हुसैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को किन-किन भाषाओं में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि संविधान के हिन्दी अनुवाद को उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों

ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठा रही है;

(ग) संविधान के उर्दू तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत के संविधान के सभी भाषाओं में अनुवाद के उच्चतम तथा उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) संविधान का अनुवाद हिन्दी के अलावा सात अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है परन्तु ये अनुवाद प्राधिकृत नहीं है।

(ख) जी हां, संविधान का हिन्दी अनुवाद प्राधिकृत अनुवाद नहीं है इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इसे मान्यता नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है।

(ग) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने संविधान के गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तथा तेलुगु अनुवाद प्रकाशित कर दिए हैं। असमिया, बंगला, तमिल और उर्दू में संविधान के अनुवाद भी तैयार किए जा चुके हैं। जिन्हें प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी ऐजेंटों की गिरफ्तारी

511. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखरमूर्ति**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री सज्जन कुमार
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री वीरभद्र सिंह
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अक्तूबर, 1981 को जम्मू के विभिन्न भागों से पाकिस्तानी ऐजेंटों के 31 जासूस गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) क्या उनके पास बहुत मात्रा में पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद मिले हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठिए भेज दिए हैं;

(घ) क्या वे सब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए जासूस और ऐजेंट हैं; और

(ङ) भविष्य में भारतीय क्षेत्र में उनके प्रवेश को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

रक्षा भूमि और छावनी के निदेशक के पास विचाराधीन अपीलों का निपटाया जाना

512. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी में दुकानों का "सब-लैट" किया जाना के बारे में 9.9.1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी बोर्ड ने निदेशक रक्षा भूमि तथा छावनी के पास पिछले चार, वर्षों से भी अधिक समय से विचाराधीन अपीलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाएं हैं;

(ख) दिल्ली छावनी में इतने बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माणों पर चुप्पी साधने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं तथा इन अपीलों पर शीघ्र अन्तिम निर्णय न लिए जाने तथा इतने लम्बे अर्से से अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित मामलों को निपटाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) किसी व्यक्ति द्वारा छावनी अधिनियम की धारा 274 के अन्तर्गत अपील दायर किए जाने के बाद यह अपील सुनने वाले प्राधिकारी पर होता है कि वह अपील को यथा समय व शीघ्र निपटाये । इस सम्बन्ध में छावनी बोर्ड को केवल प्रतिवादी के रूप में कार्य करने के अलावा अन्य कोई भूमिका अदा नहीं करनी होती ।

(ख) जब भी किसी अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट मिलती है, छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम को समुचित धारा के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करता है ।

(ग) बोर्ड का फील्ड स्टाफ अनधिकृत निर्माण के मामलों की रिपोर्ट भेजने में अधिक चौकसी बरते इसके लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं जिससे कि छावनी अधिनियम 1924 के अधीन कार्यवाई प्रारम्भ की जा सके ।

इस अपील के निपटाने में विलम्ब कतिपय कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने, अपील सुनने वाले अधिकारी का कार्यालय बदल जाने तथा अपीलकर्ता द्वारा सुनवाई स्थगित करने की मांग किए जाने के कारण हुआ है । अपील प्राधिकारी ने 5 अक्तूबर, 1981 को यह अपील अन्तिम रूप से खारिज कर दी है ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

513. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 16 करोड़ 60 लाख लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इनके परिणामस्वरूप किस प्रकार का तथा कितना सुधार हुआ है; और

(ग) उन्हें आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रबंध किए जाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) गरीबी को दूर करने के प्रयत्न को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए एकीकृत प्रयत्न के रूप में देखा जाना है। इस प्रकार दिहाड़ी रोजगार और स्व-रोजगार दोनों ही के अवसरों में वृद्धि करने के लिये बनाए गए कार्यक्रमों से शहरी क्षेत्रों में गरीबी की व्यापकता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है। लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों से भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार जैसे कार्यक्रमों और गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की स्कीमों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तथा प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति आदि जैसी सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। छठी योजना में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए प्रत्यक्ष सरकारी क्षेत्रक सहायता का प्रस्ताव है। न्यूनतम संरचना के लिए पर्याप्त धनराशि सहित जगह उपलब्ध कराने और सेवा स्कीमों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। इस प्रयोजन के लिये लाभग्राहियों को प्रति इकाई 3000 रु० तक का ऋण दिया जाना है जिसकी अदायगी आसान किस्तों पर होनी है। सरकारी आवास के लिए 1491 करोड़ रु० की छठी योजना की कुल व्यवस्था में से 486 करोड़ रु० आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उपलब्ध कराये जाने हैं। इसके अलावा आवास और शहरी विकास निगम के भी 600 करोड़ रु० के निवेश कार्यक्रम के होने की संभावना है जिसमें से 180 करोड़ रु० आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए हैं।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी-निरोधी कार्यक्रमों में देश के प्रत्येक राज्य में मौजूद दशाओं के अनुसार काफी अन्तर है। चल रही विभिन्न स्कीमों के प्रभाव की मात्रा बताना इस समय सम्भव नहीं है।

बांगला देश को चीनी हथियारों की सप्लाई

514. **श्री चित्त बसु**
श्री रघु नन्दन लाल भाटिया } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अक्तूबर, 1981 में चीनी सैनिक दल ढाका गया था तथा उसने बांगला देश सरकार से हथियारों की सप्लाई के बारे में गुप्त बातचीत की थी;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि चीन बांगला देश को हथियार देने के लिए सहमत हो गया है जिनमें पाकिस्तान सैनिक उपस्कर भी शामिल हैं; और

(ग) इन नई घटनाओं के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 1981 में चीनी सैनिक प्रतिनिधिमंडल की बंगला देश यात्रा के बारे में अखबारों में छपी रिपोर्टें देखी हैं। इन रिपोर्टों की संपुष्टि नहीं हुई है। यह सभी जानते हैं कि चीन बंगला देश को हथियार और गोला-बारूद देने वालों में प्रमुख है। यह सम्भव है कि चीनी—बंगला देश के बीच चल रहे सहयोग के एक भाग के रूप में कुछ और हथियार और उपस्कर बंगला देश में भेज दिए जाएं। किन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि चीन ने पाकिस्तानी सैनिक उपकरण बंगला देश में भेजे हों।

(ग) हमारे सुरक्षा परिवेश में होने वाली सभी घटनाओं पर सरकार कड़ी नजर रखती है और समय-समय पर उचित उपाय करती है।

बंगाल इम्यूनिटि का विस्तार

515. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की एक यूनिट बंगाल इम्यूनिटि के विस्तार के संबंध में सरकार को बंगाल के वित्त मंत्री का 10 अक्तूबर, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिम बंगाल के वित्त, विकास और योजना एवं उत्पादन कर मंत्री ने अपने 10 सितम्बर, 1981 के पत्र में एम्पिसिलीन आई० पी० का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिये बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि०, कलकत्ता (जिसका प्रबन्ध भारत सरकार के अन्तर्गत है) द्वारा प्रस्तुत किए गए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर अनुमति देने का अनुरोध किया था।

(ग) दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को यह जानकारी देते हुए उनको उत्तर भेज दिया गया है कि प्रस्ताव पर उनके पक्ष में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पादन क्षेत्र में पहले ही पर्याप्त क्षमता की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा तदनुसार आवेदक कम्पनी को दिनांक 21.8.1981 को आवेदन के प्रथम दृष्टया रद्द किए जाने की सूचना दे दी।

भारत में अधगान शरणार्थी

516. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1981 के "न्यू एज" एक साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत में आए अफगान शरणार्थियों का वास्तविक रूप दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष के दौरान बहुत से अफगान राष्ट्रिकों को भारत में तस्करी, नशीली वस्तुओं के व्यापार, जाली पासपोर्ट आदि के अपराध में गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गिरफ्तारियों आदि का ब्यौरा क्या है और इन कथित अफगान शरणार्थियों की इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) 4 अफगान राष्ट्रिकों को 20 अगस्त, 1981 को मुखर्जी नगर दिल्ली में सशस्त्र लूटपाट की घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उनके विरुद्ध संबंधित कानूनों के अधीन मामले दर्ज किए गए हैं। कानून के अनुसार अफगानों समेत उन विदेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है जो आपराधिक कार्यों के लिये ध्यान में आते हैं। चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1981 तक 60 अफगानों को तस्करी, नशीले पदार्थों, वीसाओं की जालसाजी आदि से संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों में वाणिज्यिक रोजगार की अनुमति

517. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने 1980 और 1981 के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों में वाणिज्यिक रोजगार के लिए अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के इन सेवानिवृत्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें उन्होंने रोजगार चाहा है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकार की अनुमति के बिना वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) वर्ष, 1980 तथा 1981 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन सेवानिवृत्त

अधिकारियों ने वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने के लिए अनुमति मांगी थी उनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, अपने प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार कर लिया था। दो मामलों में अब केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन सेवा निवृत्त अधिकारियों ने वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने के लिए अनुमति मांगी थी, उनके ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गये हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	राज्य संवर्ग	सेवानिवृत्ति की तारीख	नियोक्ता अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
	1980			
1.	श्री ए० के० विश्वाल	उड़ीसा	31-1-1980	मेसर्ज इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो अलोयज् लि० भुवनेश्वर।
2.	श्री के० बी० जीतकर	महाराष्ट्र	30-9-1979	दी डकन शुगर इंस्टीट्यूट, पूना।
3.	श्री एस० डी० भम्बरी	हरियाणा	2-1-1981	ट्रिब्यून पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़।
4.	श्री आई० महादेवन	तमिलनाडु	22-10-1980	इंडियन एक्सप्रेस (मदुरई) प्रा० लि०।
5.	श्री एम० एन० राजगोपालन	तमिलनाडु	31-7-1980	मैसर्ज सुन्दरम फास्टनरस् लि० मद्रास।
6.	श्री गिरीश चन्द्र	उत्तर प्रदेश	30-9-1980	हर्षा ट्रेक्टर्स लि० नई दिल्ली।
	1981			
7.	श्री के० एम० रामाकृष्णन	तमिलनाडु	18-9-1980	मैसर्ज अशोक लेलैण्ड लि० मद्रास।

1	2	3	4	5
8.	श्री एस० बी० सरन	उत्तर प्रदेश	31-7-1980	इंस्टीट्यूट आफ को-आपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ।
9.	श्री एस० के० जैन	हरियाणा	31-10-1980	पंचकुला साल्ट लि०, पंचकुला।
10.	श्री पी० सवनयगम	तमिलनाडु	31-8-1980	साउथ इण्डिया मिस्कोज लि०, कोयम्बटूर।
11.	श्री एन० जे० कामथ	आन्ध्र प्रदेश	31-10-1979	न्यू दिल्ली वाई० एच० सी० ए० एण्ड मैसर्स चोगले स्ट्रीमशिप कं०।
12.	श्री पी० जी० साल्वी	महाराष्ट्र	30-9-1981	नेहरू केन्द्र बम्बई।

केन्द्रीय आयुध डिपो से सैन्य अतिरिक्त पुर्जों की चोरी

518. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली से बहुमूल्य सैन्य अतिरिक्त पुर्जों की बड़े पैमाने पर चोरी का मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष को 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपो से इस प्रकार चोरी किये अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली से अतिरिक्त पुर्जों की चोरी होने की खबर सरकार की जानकारी में आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली से चुराये गये अतिरिक्त पुर्जों की कीमत 5,31,800 रु० है। चालू वर्ष के दौरान चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को और कड़ा कर दिया गया है।

उद्योगों के स्थापना हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण

519. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई यूनिटी के स्थापना हेतु उपकरणों तथा विद्यमान उद्योगों के विकास के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के आदमियों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कोई योजना आरम्भ की है तथा राज्य सरकार को आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस सुविधा का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को ही मिले तथा बेनामी लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जाये, सरकार द्वारा क्या मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गएं हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पत्रकारों आदि की हत्यायें तथा उन्हें पीटा जाना

520. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनवरी, 1980 से आज तक असामाजिक तत्वों द्वारा कुल कितने सम्पादकों, प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा विशेष प्रतिनिधियों की हत्या की गई/पीटा गया और उन पर हमले किए गए; और

(ख) इन लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जनवरी, 1980 से आज तक असामाजिक तत्वों द्वारा कुल कितने सम्पादकों, प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा विशेष प्रतिनिधियों की हत्या की गयी/पीटा गया है, इस विषय पर अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह राज्य का विषय है। जब कभी जान के लिए खतरे की युक्तियुक्त आशंका प्रकट की जाती है तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई की जाती है।

छावनी के लिए भूमि सम्बन्धी नीति का क्रियान्वयन

521. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरशाही की निष्क्रियता के कारण छावनियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि सम्बन्धी नीति का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या स्वीकृत भूमि नीति के पालन में स्थलों की कालाव वर्तमान अधिकार को फ्री होल्ड अधिकारों में बदलने हेतु अनेक भू-स्वामियों द्वारा बड़ी संख्या में दिए गए आवेदन पत्र काफी लम्बे समय से विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु ऐसे आवेदत पत्रों पर मंजूरी रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कठिनाइयों को दूर करने तथा विचाराधीन मामलों में शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित भूमि नीति को लागू किया जा रहा है । लेकिन पुर्नग्रहणीय पट्टों को फ्री होल्ड में बदलने का काम अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि पट्टों को फ्री होल्ड में बदलने की दरों में संशोधन किया जा रहा है । दरों में संशोधन का काम पूरा होने के बाद इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी ।

राष्ट्र विरोधी आन्दोलनों को कुचलना

522. **श्री टी० आर० शमन्ना**
प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों के गुमराह वर्ग की पृथकता-वादी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस राष्ट्र विरोधी आन्दोलन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार इस मामले में कड़ी सतर्कता बरत रही है और देश की एकता तथा सुरक्षा के लिए कानून के अधीन निरोधात्मक तथा दण्डात्मक कार्रवाई समेत आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए पदोन्नति सम्बन्धी नियम तथा केन्टीन सुविधाएं

523. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए न तो कोई समयबद्ध पदोन्नति-नियम है और उन्हें न ही केन्टीन सुविधायें उपलब्ध है तथा सीमा पर जवानों के लिए यह एक असंतोष की बात है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में पदोन्नतियां रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती हैं जैसा कि अन्य अर्ध सैनिक बलों में प्रथा है । समयबद्ध पदोन्नतियों का कोई प्रावधान नहीं हैं । भारत के कैन्टीन स्टोर्स विभाग द्वारा कैन्टीन सुविधाएं लद्दाख क्षेत्र में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को उपलब्ध हैं ।

अन्य स्थानों पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के यूनिटों ने अपनी कैन्टीनें स्थापित की हुई हैं । ऐसा कोई असंतोष सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

देश में गरीबी तथा बेरोजगारी से निबटने के लिए छठी योजना का प्रारूप को पुनः तैयार करना

524. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक गरीबी के रेखा से नीचे रह रहे कुल लोगों की संख्या को 30 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा था और इस बात का भी लक्ष्य बनाया था कि देश में बेरोजगारों को पिछली बड़ी संख्या में निरन्तर कमी की जायेगी;

(ख) क्या योजना आयोग ने कुल घरेलू उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की ऊंची विकास दर तथा श्रम शक्ति में 2.4 प्रतिशत के स्थान पर रोजगारों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि करके वे लक्ष्य प्राप्त करने की आशा की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सब कल्पना इस बात पर आधारित थी कि देश की जनसंख्या लगभग 660 मिलियन है, किन्तु जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 6.7 मिलियन हो गए हैं, जिससे आयोग का अनुमान अस्त-व्यस्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और योजना में क्या परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि दर की व्यवस्था है। अर्थ-व्यवस्था की समग्र संवृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि होने से गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए स्वतः अनुकूल दशायें उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, कमजोर वर्गों की सीधे सहायता करने के लिए विशिष्ट स्कीमें शुरू की जाएंगी। योजना में शामिल कुछ स्कीमें ये हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों का स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित 6720 लाख जनसंख्या के मुकाबले 1981 की जनगणना के अनुसार 1981 की अनन्तिम जनसंख्या 6840 लाख होती है। 1981 की जनगणना के परिणामों के विहितार्थ पर प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में अगस्त, 1981 में हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर फिर से बल देने, परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन, अधिक वित्तीय अनुशासन और सभी स्तरों पर योजना तथा प्रबोधन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। योजना आयोग छठी पंचवर्षीय योजना में इस समय कोई बड़े संरचनात्मक परिवर्तन करने के बारे में विचार नहीं कर रहा है। लेकिन वार्षिक योजनाओं में अर्थ-व्यवस्था के पुरजोर प्रबोधन का ध्यान रखा जायेगा।

दिल्ली छावनी में बिजली के कनेक्शनों का स्थानान्तरण

525. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री बी० डी० सिंह
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में मंजूर किए गए बिजली के कनेक्शनों के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अभियन्ता सेवा द्वारा पुराने नांगल राया दिल्ली कैण्ट, (जिसे अब डेसू द्वारा बिजली दी जा रही है) मंजूर किए गए कुछ बिजली कनेक्शनों को 1971 में एक संयुक्त साझेदारी में एक आटे की मिल चलाने के लिए सदर बाजार, दिल्ली छावनी को स्थानांतरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सैनिक अभियन्ता सेवा, विनियम, 1968 की किस धारा के अन्तर्गत ऐसा किया गया था, तथा ऐसे लोगों का पूर्ण ब्यौरा क्या है जिन्हें बिजली के कनेक्शन स्थानांतरित किए गए हैं, उससे क्या किया जा रहा है, खर्च की गई बिजली के बिल किसे भेजे जाते हैं, दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा किन नामों में लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) सदर बाजार, दिल्ली छावनी में आटा मिलों तथा रुई धुनने की मशीनें चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस का ब्यौरा क्या है तथा वे किस स्थान पर चल रही है और सैनिक अभियन्ता सेवाओं द्वारा जारी किए गए थे बिजली के कनेक्शन किन-किन लोगों के नाम में हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा विनियमों में बिजली के कनेक्शन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) दिल्ली छावनी में निम्नलिखित लोगों को आटा रुई पेरने के मिलों को चलाने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं :—

(1) प्रीतम सिंह गिल,
गिल फ्लोर मिल/कॉटन स्पिनिंग एण्ड ग्राइंडिंग मिल,
2/27, सदर बाजार

(2) सोहन साहा
सोहन साहा फ्लोर/कॉटन स्पिनिंग मिल,
1/166, सदर बाजार

(3) नरिन्दर कुमार जैन,
जैन फ्लोर मिल,
2/24, सदर बाजार।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को भुगतान में विलम्ब

527. **श्री सुबोध सेन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कड़े मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं, जिसके अन्तर्गत माल के लिए जाने के बाद लघु क्षेत्र के उद्योगों को भुगतान में 30 दिन से अधिक के विलम्ब वाले मामलों को बैठक की कार्यसूची के एक अंग के रूप में निदेश मण्डल की जानकारी में लाया जाना चाहिए;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सम्बन्धित क्रय संगठनों ने 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद इन बिलों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योग की यूनिटों, विशेषकर सहायक तथा उप ठेकेदारी यूनिटों को शीघ्र भुगतान हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस बारे में सरकार को कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लघु उद्योगों/सहायक एककों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राशि भुगतान करने की आवश्यकता पर समय-समय पर सदावल दिया जाता रहा है ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट

528. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **गृह** मन्त्री राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के बारे में 19 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की प्रत्येक रिपोर्ट सरकार को किस-किस तिथि को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) प्रत्येक रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ग) प्रत्येक रिपोर्ट की कितनी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और शीघ्र सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं और उनके धीमे क्रियान्वयन के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी अन्य रिपोर्टों को लोक सभा के सभा पटल पर कब रखा जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा कुल आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं रिपोर्ट क्रमशः फरवरी, 79, अगस्त 79 फरवरी, 80, जून 80, नवम्बर 80, मार्च 81, मई 81 और जून 81 में प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) आठ रिपोर्टों में कुल 870 सिफारिशें की गई है।

(ग) तथा (घ) पहली रिपोर्ट की गई सिफारिशों पर 6 जून 1979 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और इसके निष्कर्षों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यान्वियन के लिए भेज दिया गया था। इनको राज्य सरकारों|संघ शासित क्षेत्रों द्वारा या तो कार्यान्वित कर दिया गया है। अथवा कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की शेष सात रिपोर्टों की अभी जांच की जा रही है। सरकार शेष सात रिपोर्टों की जांच पूरी होने के बाद उनको लोक सभा के पटल पर निर्णय कर सकेगी।

ईंट भट्टा उद्योगों की संख्या तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें

529. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में ईंट भट्ठा उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) क्या ईंट भट्टा फैक्ट्री अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और क्या नियम के अन्तर्गत चिमनियों की स्थापना होनी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के अधिकांश ईंट भट्ठों में इस नियम का पालन नहीं होता और इससे निकलने वाले धुएं से आस-पास के क्षेत्र में वृक्षों तथा फसल की क्षति होती है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पुलिस मुठभेड़ में मारे गये लोग

530. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान देश में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कितने लोग मारे गये; और

(ख) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा की गई हत्याओं को छिपाने के लिए मुठभेड़ों के झूठ तथा काल्पनिक मामले गढ़ देते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ककरापार परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण

531. **श्री छोटू भाई गामित : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ककरापार में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए किस-किस गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु बिजलीघर की स्थापना से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना हेतु कब तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) इस बारे में विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

शराब के लाइसेंस देने के लिए तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री और राजस्व मंत्री के विरुद्ध आरोप

532. **श्री के० लकप्पा : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अरक के निर्माण और इसकी बिक्री, जिसे भारत में निर्मित विदेशी शराब कहा गया है, के लिए विशेषाधिकार और लाइसेंस दिये जाने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक कर देगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) अरक तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के बनाने और बेचने के विशेषाधिकार और लाइसेंसों की मंजूरी के सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री तथा कुछ अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए थे। सुस्थापित क्रियाविधि के अनुसार, इन्हें तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के पास टिप्पणी के लिये भेजा गया था। इन आरोपों पर मुख्य मन्त्री की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

"एप्पल" में तापमान का बढ़ना

533. **श्री राम बिलास पासवान : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पहले प्रयोगात्मक संचार उपग्रह "एप्पल" में अक्तूबर, 19 तापमान बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कार्यकरण में किसी विदेशी हाथ के होने का सन और

(ग) "एप्पल" के कब तक सामान्य रूप से कार्य करने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी एवं पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी० एन० सिंह) : (क) अक्तूबर 1981 में, एप्पल अंतरिक्षयान को कुछ उप-प्रणालियों जै संवेदक तथा बैटरी में थोड़ी अवधियों के लिए तापमान में सामान्य सुरक्षित सीमाओं से वृद्धि महसूस की गई थी। यह वृद्धि सूर्य के भूमध्यरेखा के दक्षिण की ओर गतिमान होने इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी रेडिएटर के माध्यम से अतिरिक्त ताप निवेश होने के कार थी। चूंकि एक सौर पैनल के न खुलने के कारण इसका उत्तरी रेडिएटर बन्द रहा, अतः केवल द रेडिएटर ही प्रभावी रेडिएटर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नीतभार सम्बन्धी प्रचालनों को केवल एक सप्ताह के लिए उस समय बन्द गया था, जबकि तापमान को घटाने के लिए एप्पल अंतरिक्षयान की मिशन टीम ने सम उपाय किये थे। अक्तूबर 22, 1981 से नीतभार प्रचालन पुनः चालू कर दिए गए हैं ?

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक विकास

534. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : अंडमान और निकोबार द समूहों को रियायती वित्त, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, करों में रिय लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद ब्याज राजसहायता आदि जैसे विभिन्न केन्द्र प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र माना गया है। औद्यो संवर्धन और सहायता के लिए जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है।

पिछले दशक के दौरान 232 लघु एककों की स्थापना की गई है तथा 1981-82 तक और एककों की स्थापना करने की योजना बना ली गई है। गारा चरमा में एक औद्योगिक ब की स्थापना कर दी गई है तथा 1981-82 के दौरान कैम्पवैल खाड़ी में एक अन्य बस्ती की स्था की जा रही है। 1981-82 में बांस लकड़ी से होने वाले निर्माण कार्यों तथा कयर आदि में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त "ट्राइसेम" के अन्तर्गत और व्यक्तियों को लिया जाना है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों, औद्योगिक बस्तियों, कयर उद्योगों तथा हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु 100 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

मैसर्स गोड़पुर कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लि० पश्चिम बंगाल का विलय

535. **श्री मोहम्मद इसमाइलक्या क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स गौड़पुर कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लि०, वैछाटी, पश्चिम बंगाल को विलय द्वारा बचाये जाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : इस कम्पनी को मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन तथा बालमेर लारी जेसे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ सम्बद्ध करने/मिलाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया था किन्तु इसे सम्भव नहीं पाया गया है।

एच० एम० टी० घडियां

536. **श्री चित महाटा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एम० टी० घड़ियों का वार्षिक उत्पादन क्या है;

(ख) देश की मांग के लिए प्रतिवर्ष कितनी घड़ियों की तस्करी होती है;

(ग) क्या देश में घड़ियों का प्रति वर्ष का उत्पादन मांग को पूरी करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और देश की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पिछले दो वर्षों में एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

	उत्पादन	
वर्ष	**नग**	**मूल्य**
1979-80	31.25	70.10 करोड़ रु०
1980-81	35.13	80.15 करोड़ रु०

(ख) देश में तस्करी के द्वारा लाई जाने वाली घड़ियों की संख्या या मूल्य का कोई अनुमान नहीं है। किन्तु पिछले दो वर्षों में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई घड़ियों का अनुमानित मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	**मूल्य (लगभग)**
1979	3.37 करोड़ रु०
1980	3.15 करोड़ रु०

(ग) तथा (घ) मैसर्स एच. एम. टी. लिमिटेड के अलावा संगठित और लघु क्षेत्र में अनेक अन्य एकक हैं जो देश में कलाई घड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों द्वारा 1980 में लगभग 53 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन किया गया था और जनवरी से जून, 1981 तक लगभग 27 लाख घड़ियों का उत्पादन होने का अनुमान है।

सरकार ने 176.58 लाख यांत्रिक कलाई घड़ियों की कुल क्षमता से सगठित तथा लघु दोनों ही क्षेत्रों में कलाई घड़ियों के निर्माण के लिए पहले ही कई योजनाओं को स्वीकृत किया है। इसके अलावा, डिजिटल इलैक्ट्रानिक घड़ियों के निर्माण के लिए 32 लाख नग की क्षमता को भी हाल ही में ही स्वीकृत किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी

537. **श्री राम स्वरूप राम**
श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अजित कुमार मेहता

(क) क्या राज्य श्रम मन्त्रियों के एक कार्य दल ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सम्बन्धित सरकारों को ये अधिकार दिए जा सकें कि वे उन सभी नियोजनों, जिन्हें इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, के बारे में सामान्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें।

(2) न्यूनतम मजदूरी-दरों के पुनरीक्षण और सशोधन में अन्तराल को वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी-दरों को निश्चित करने के लिए मानदंड निर्धारित किया जाए।

(4) अधिनियम की धारा 5 (ख) में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों में सशोधन के लिए नोटिस की अवधि को कम करके 30 दिन कर दिया जाए।

(5) दावों के लिए और मजदूरी-दरों की अदायगी न करने के लिए लगाए जाने वाले दंड के लिए अधिनियम में व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4), जिसमें विद्वेषपूर्ण और तंग करने वाले दावों के लिए लगाए जाने वाले दंड की व्यवस्था है, को निकाल दिया जाए।

(7) अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की जाए।

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

शिवरामन समिति की सिफारिशें

538. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवरामन समिति ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में देश के पिछड़े जिलों में कोई काम आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या है और किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में परस्पर सम्बन्धित अनेक सिफारिशें की थीं, जिनमें बड़े और मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पात्र संवृद्धि केन्द्रों का चयन करना और प्रत्येक चुने हुए संवृद्धि केन्द्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है। विभिन्न सिफारिशों से सम्बन्धित ब्यौरे औद्योगिक प्रकीर्णन से सम्बन्धित रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं, जिनकी प्रतियां ससद पुस्तकालय में रखी गई हैं, और उसका सूचकांक 338-आर/एम० ओ० है।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों और वित्तीय सस्थाओं के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

अखबारी कागज

539. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1981 से 31 अक्टूबर, 1981 के दौरान कुल उपलब्ध अखबारी कागज में से देश बने अखबारी कागज की मात्रा कितनी रही और वित्त वर्ष के अन्त तक तत्सम्बन्धी स्थिति क्या रहेगी;

(ख) क्या अखबारी कागज के बारे में कोई युक्ति संगत मूल्य-नीति विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विभिन्न अनुत्पादक एककों द्वारा कितनी मात्रा में अखबारी उत्पादन किये जाने की अपेक्षा है, उन एककों के नाम क्या है और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगी;

(घ) उन देशों में प्रत्येक के नाम क्या हैं जो हमें अखबारी कागज का निर्यात और प्रत्येक से कितनी मात्रा प्राप्त होती है; और

(ङ) व्यापार अन्तराल में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए अखबारी कागज की में देश में बने कागज का अंश बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा विचार है ?

उद्योग श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ग) नेशनल एण्ड पेपर मिल्स द्वारा 1-4-81 से 31.10.81 तक 33,320 मी.टन अखबारी कागज का किया गया। वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान मिल द्वारा लगभग 55,000 मी.टन कागज का उत्पादन किए जाने की आशा है। इसके अलावा, अनुमान है कि मैसूर पेपर जिसकी अखबारी कागज परियोजना हाल ही में शुरू हो गयी है, लगभग 25,000-30,(टन उत्पादन उपलब्ध हो सकेगा तथा शीघ्र ही चालू होने वाली केरल अखबारी का योजना द्वा लगभग 10,000 मी. टन का उत्पादन किया जाएगा।

(ख) इन एककों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज के बिक्री मूल्य का निर्धार उत्पादन लागत और आयातित अखबारी कागज के बिक्री मूल्य दृष्टिगत रखते हु जाएगा।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान आयात की जाने वाली अखबारी कागज का देशवार विवरण निम्न प्रकार है :—

देश	मात्रा (मी० टनों में)
कनाड़ा	160,000
संयुक्त राज्य अमेरिका	3,000
स्केन्डीनेविया	86,000
न्यूजीलैंड	30,000
यूगोस्लाविया	5,000
बांगला देश	5,000
यू० एस० एस० आर०	45,000
रोमानिया	5,000
	339,000

(ङ) मैसूर पेपर मिल्स और केरल न्यूजप्रिंट परियोजनाओं के आरम्भ हो जाने पर 1,55,000 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जायेगी। दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लगभग 60,000 मी० टन की अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करके उसे 75,000 मी० टन तक करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः 20,000 मी० टन और 50,000 मी० टन क्षमता वाली मिलों की स्थापना करने के लिए मै० सेंचुरी पल्प और मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स को आशयपत्र जारी कर दिये गए हैं।

एक उद्योग के लिए एक संघ की प्रणाली

540. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है कि एक उद्योग के लिए एक ही संघ हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार प्राप्त उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

541. **श्री जयनारायण रोट :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार एकाधिकार प्राप्त उद्योगों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जहां दूसरे उद्योग पूंजीनिवेश करने में सकोच करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां दूसरे उद्योग निवेश करने में सकोच कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) 2 फरवरी 1973 के प्रेस नोट के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के कार्य में एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां भी भाग ले सकती हैं। एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली कम्पनियों को एम० आर० टी० पी०, की दृष्टि से अनौपत्ति प्राप्त करनी होगी। जहां तक परिशिष्ट 1 में सम्मिलित न किए गये उद्योगों का सम्बन्ध है उनके पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाने पर विहित स्तर तक निर्यात दायित्व की प्रतिबद्धता रहेगी।

एशियाई खेलों के लिए ठेका श्रमिक

542. **श्री के० ए० राजन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न एशियाई खेल परियोजनाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 10 सितम्बर, 1981 को वोट क्लब पर एक रैली आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया था;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जैसा कुछ समाचार-पत्रों में सूचित किया गया है, दिल्ली में विभिन्न एशियन खेल परियोजनाओं में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों ने 10 सितम्बर, 1981 को वोट क्लब पर एक रैली की।

(ख) तथापि उनकी मांगों से सम्बन्धित कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एशियाई परियोजनाओं पर काम कर रहे निर्माण श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत सभी सुविधाएं विधिवत् प्राप्त हो।

दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित मामलों को समय-समय पर उनके पास भेजा गया और उन्होंने सूचित किया है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी-दरें दी जा रही है, उपयुक्त स्थलों पर पेय जल सुविधाएं प्रदान की गई है, कुछ स्थानों पर कैंटीनों, विश्राम गृहों शौचालयों, मूत्रालयों आदि के प्रबन्ध किए गए हैं और सभी स्थलों पर प्राथमिक उपचार पेटिकाओं को उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि कार्य स्थल पर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, से कहा गया है कि वे परिवार कल्याण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरों का प्रबन्ध करें। परिवार कल्याण कार्यकलाप में प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य देखरेख और रोग क्षमता करण कार्यक्रम आदि शामिल है।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कोई अभियोजन भी दायर किए गए हैं।

दिल्ली महानगर परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम के लिये चुनाव

543. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली महानगर परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन हैं ।

मारुति लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग

544. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड में भारी-कारों के उत्पादन के लिये कोई विदेशी सहयोगकर्ता प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है;

(ख) क्या यह पता चला है कि केवल यात्री कारो का उत्पादन करना ही व्यवहार्य नहीं रहेगा; और

(ग) यदि हां, तो उस कम्पनी में उत्पादन कार्य आरम्भ करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र का बन्द होना

545. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितनी बार बन्द हुआ;

(ख) संयंत्र में इस तरह बार-बार खराबी होने के क्या मुख्य कारण थे; और

(ग) इस बिजली संयन्त्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर का पहला यूनिट तथा दूसरा यूनिट चालू वित्त वर्षमें अब तक क्रमशः 11 बार तथा 18 बार बंद हुए हैं।

(ख) तथा (ग) यह यूनिट ग्रिड की खराबी, उपकरणों के सही ढंग से काम न करने तथा मानवीय भूलों के कारण बन्द हुए थे। यूनिटों के बन्द होने की प्रत्येक घटना के कारणों का विश्लेषण किया जाता है तथाऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय, जिनमें यथावश्यक सुधार भी शामिल हैं, निरन्तर किए जाते हैं।

वैगनों एककों का उत्पादन

546. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैगन निर्माता एककों के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन एककों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी हां। रेलवे की छठीं योजना अवधि में एक लाख वैगन प्राप्त करने की योजना है।

(ग) जानकारी विवरण में दी गई है।

(घ) उत्पादन में अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से व्हील सेटों, एल० बी० स्प्रिंगों, इस्पात आदि जैसी बढ़े हुए स्तर की अंतर्वस्तुओं की निःशुल्क सप्लाई की योजना, विद्यमान क्षमताओं का बेहतर उपयोग, कड़ी मानीटरिंग तथा वैगन की उत्पादन की नियतकालिक समीक्षा इस दिशा में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

विवरण

1. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०।
   (क) मुजफ्फरपुर वर्क्स
   (ख) मोकामा वर्क्स
2. ब्रेथवेट एण्ड कं० लि० कलकत्ता।
3. बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि०।
   (क) हावड़ा वर्क्स
   (ख) बर्नपुर वर्क्स

4. जेसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता ।

5. सिमको लिमिटेड, भरतपुर ।

6. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नांगलोई, दिल्ली ।

7. माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद ।

8. टैक्समैशी लिमिटेड, कलकत्ता ।

कारों तथा स्कूटरों के मूल्यों में वृद्धि

547. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक**
श्री अशोक गहलौत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि निर्माताओं ने कारों स्कूटरों आदि के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है;

(ख) 31 अक्तूबर, 1981 तक के गत तीन वर्षों के दौरान स्कूटरों, कारों तथा अन्य वाहनों के मूल्यों में इनके निर्माताओं द्वारा कितनी बार वृद्धि की गई; प्रत्येक बार कितने-कितने रुपये की वृद्धि की गई; और

(ग) इन वाहनों के मूल्यों को युक्ति सगत स्तर तक नीचे लाने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) निर्माताओं ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं तथा निर्माण लागत में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक गाड़ियों, यात्री कारों, टैक्टरों तथा स्कूटरों के मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गई है ।

(ख) एक विवरण सलग्न है ।

(ग) सरकार ने निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है । औद्योगिक लागत तथा मूल्य कार्यालय को मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ।

विवरण

पिछले दो कलेंडर वर्षों तथा कलेंडर वर्ष 1981 के 31-10-1981 तक कुछ मेकों के स्कूटरों, यात्री कारों, ट्रक चेससों तथा बस चैसिसों के फैक्टरी से निकलते समय के शुद्ध विक्रेता मूल्यों में हुई वृद्धियां यहां बताई जाती हैं :—

मद	मेक	मूल्य वृद्धि की तारीख	वृद्धि की राशि (रुपयों में)
स्कूटर	विजय सुपर	1-8-1979	155
		1-10-1979	195
		24-12-1979	500
		15-7-1980	180
		1-4-1981	300
		5-10-1981	175
	बजाज सुपर	1-1-1979	100
		1-10-1979	325
		1-12-1979	500
		3-10-1980	165
		15-5-1981	200
	बजाज चेतक	1-1-1979	100
		1-10-1979	325
		1-12-1979	500
		3-10-1980	175
		15-5-1981	200
	लैम्बी	1-4-1979	216
		1-8-1979	175
		10-10-1979	185
		8-12-1979	500
		15-4-1981	300
		23-9-1981	250
	प्रिया	1-3-1979	150
		1-10-1979	275
		1-12-1979	500
		3-10-1980	100
		10-6-1981	160

मदा	मेक	मूल्य वृद्धि की तारीख	वृद्धि की राशि (रुपयों में)
यात्री कारें	अम्बेसेडर	24-1-1979	1761
		30-1-1979	2000
		1-3-1979	365
		14-9-1979	3500
		11-3-1980	2000
		19-6-1980	2200
		5-1-1981	3025
		25-3-1981	3500
		3-8-1981	4000
	प्रीमियर पद्मिनी	3-5-1979	3708
		8-9-1979	2655
		20-2-1980	2043
		1-9-1980	2997
		22-12-1980	3015
		3-7-1981	3762
ट्रक चैसिस (माडल 1210 एस० ई०/42)	टाटा	13-2-1979	354
		1-3-1979	1448
		2-4-1979	4930
		7-7-1979	8090
		6-8-1979	1678
		8-11-1979	915
		2-1-1980	3497
		1-6-1980	5300
		19-6-1980	7739
		18-7-1980	1509
		10-10-1980	5385
		1-11-1980	694
		10-4-1981	8283
		29-6-1981	1200

मद	मेक	मूल्य वृद्धि की तारीख	वृद्धि की राशि (रुपयों में)
ट्रक चैसिस	लेलैंड		
(9.00×20-12		1-1-1979	4550
प्लाई के छः टायरों वाला)		17-4-1979	4700
		14-5-1979	455
		17-7-1979	8518
		11-11-1979	1052
		23-12-1979	7750
		4-2-1979	1150
		2-6-1980	4087
		22-7-1980	536
		16-8-1980	2780
		1-9-1980	787
		1-1-1981	6310
		4-4-1981	708
		19-4-1981	6400
		3-7-1981	1181
		8-10-1981	1168
बस चैसिस	टाटा	13-2-1979	366
माडल एल. पी.		1-3-1979	1410
1210ई/52)		2-4-1979	4422
		7-7-1979	8090
		6-8-1979	153
		8-11-1979	915
		2-1-1980	3570

मादा	मेक	मूल्य वृद्धि की तारीख	वृद्धि की राशि (रुपयों में)
		1-6-1980	5300
		19-6-1980	710
		18-7-9980	3019
		10-10-1980	5385
		1-11-1980	695
		10-4-1981	8281
		29-6-1981	1200
बस चेसिस	लेलैंड	1-1-1979	4550
(9.00×20-12		17-4-1979	4700
प्लाई के 6 टायरों वाला)		14-5-1979	455
		17-7-1979	8518
		11-11-1979	1052
		23-12-1979	7750
		4-2-1980	1150
		2-6-1980	4087
		22-7-1980	536
		16-8-81	2780
		1-9-1980	787
		1-1-1981	6310
		4.4-1981	708
		19-4-1981	6400
		3-7-1981	1181
		8-10-1981	1168

पश्चिम बंगाल को उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

548. **श्री सुधीर कुमार गिरि**
श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय को पश्चिम बंगाल में नये उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु अक्टूबर, 1981 तक पश्चिम बंगाल सरकार से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनके मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये;

(ग) शेष आवेदन-पत्रों का क्या हुआ; और

(घ) उन पर लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी करने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 1-1-81 से 31-10-81 की अवधि में पश्चिमी बंगाल में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 52 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 आवेदन स्वीकृति कर आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं, 14 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, 1 आवेदन अन्यथा निपटा दिया गया है तथा 26 आवेदनों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। अनिर्णीत पड़े आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा वसूल किये जाने वाले अग्नि प्रमाण-पत्र शुल्क से निर्धन वर्ग को छूट

549. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अग्नि शमन सेवा उन झुग्गी निवासियों से अग्नि-प्रमाण पत्र देने के लिये 25 रुपये वसूल करती है जिन्हें किसी अग्नि कांड के बाद उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धन वर्ग को उक्त अधिभार से छूट न देने के क्या कारण हैं और क्या सरकार उन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा के इस अधिकार से छूट देने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा, अग्नि कांड के बाद किसी को भी कोई अग्नि प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। तथापि झुग्गी निवासियों सहित अग्नि कांड में प्रभावित व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर अग्नि कांड के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचनाओं वाली अग्नि कांड रिपोर्ट जारी की जाती है, ताकि वे हानि के मुआवजे का दावा कर सके। इस प्रकार की अग्नि कांड रिपोर्ट को जारी करने के लिए 25 रु० का शुल्क वसूल किया जाता है।

(ख) निर्धन वर्ग को शुल्क से छूट देने के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान को आधुनिकतम शस्त्रों की सप्लाई में अवरोध

550. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री बम वर्षक विमानों और टैंकों के सम्बन्ध में अमरीका पाकिस्तान समझौते के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी, पाकिस्तानी तथा ब्रिटिश सरकारों के प्रतिनिधियों और लोगों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप पाकिस्तान को आधुनिकतम आक्रामक हथियारों की सप्लाई में अवरोध पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने हेतु कूटनायक, रक्षा तथा राजनैतिक क्षेत्रों में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) इस उपमहाद्वीप में हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सरकार ने भी अनेक अल्प कालीन तथा दीर्घ कालीन उपाय करने शुरू कर दिए हैं।

हरियाणा को सीमेंट का कोटा

551. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए सीमेंट का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) देश में सीमेंट की सामान्य कमी के कारण राज्यों की सीमेंट की आवश्यकताओं को पूरे तौर पर पूरा किया जाना संभव नहीं हो सका है। अक्तूबर, 1981 से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिए हरियाणा राज्य को आयोजनागत योजनाओं विशेषतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंभरण योजना गन्दी बस्तियों में मकान का निर्माण, हरिजनों आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्ग की आवश्यकता के लिए 12,700 मी० टन सीमेंट का तदर्थ अतिरिक्त नियतन किया गया है। सीमेंट की उपलब्धता स्थिति सुधरने पर हरयाणा सहित अन्य राज्यों को सीमेंट का ज्यादा नियतन किया जाना संभव हो सकेगा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु को सीमेंट का आवंटन

553. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु को सीमेंट का आवंटन वहां की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तमिनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से दिसम्बर, 1981 तक तमिलनाडु को 4 लाख 50 हजार मीटरी टन सीमेंट देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बताया है कि उनकी सीमेन्ट की आवश्यकता प्रति तिमाही 4.5 लाख मी० टन होगी। जबकि राज्य को पहले 3,23,400 मी० टन सीमेन्ट का मूल आवंटन किया जाता रहा है। अक्तूबर, 1981 से शुरू होने वाली तिमाही में, तमिलनाडु राज्य को योजनागत, योजनाओ, विशेष रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण की योजनाओं और गंदी बस्तियों के निवासियों के लिए आवासीय योजना की आवश्यकताओं और हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 48,000 मी० टन सीमेन्ट का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। देश में सीमेन्ट की सामान्य कमी होने के कारण राज्यों की सीमेन्ट की समग्र आवश्यकताओं को पूरा कर पाना संभव नहीं हुआ है। तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों के आवंटन को बढ़ाना सीमेन्ट की उपलब्धता-स्थिति सुधर जाने के बाद ही संभव होगा, जिसके लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

बस्तर जिले के डर्बा क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप

554. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला बस्तर के डर्बा क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के दरबा नामक स्थान पर किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप, उच्चस्तर की रेडियोधर्मिता में कुछ असंगतियां होने के संकेत मिले हैं। इस बारे में अन्वेषण जारी हैं।

छावनी अधिनियम, 1924 का संशोधन

555. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में रहने वाली असैनिक जनसंख्या के इच्छानुसार छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव उनके मन्त्रालय में विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) छावनी अधिनियम 1924 को संशोधित करने का प्रश्न सरकार के पास विचाराधीन है। मोटे तौर पर प्रस्तावित संशोधनों में नौसैनिक स्टेशनों को छावनियां घोषित करना, बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना तथा नगरपालिका प्रशासन को कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए छावनी बोर्डों के प्रशासन को कारगर बनाना शामिल है।

"शौर्टेजिज हिट खुर्जा पौटरी यूनिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

556. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस में "शौर्टेजिज हिट खुर्जा पौटरी यूनिट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 1981 में रेलवे से कोयले के लिए वैगनों के संभरण में बढ़ोत्तरी करने के लिए गया था। बाद में लघु उद्योगों के लिए सीमेन्ट का नियतन करने के लिए कहा गया।

मिशनों में स्टेनोग्राफर्स

557. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या रक्षा मन्त्री मिशनों में मिलिटरी अटैचियों में स्टेनोग्राफर के सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न 433 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन मिशनों में वह पद है वे कहां स्थित है;

(ख) इन पदों पर नियुक्त स्टेनोग्राफरों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस सेवा के हैं; और कब से है;

(ग) काम्बेटेंट स्टेनोग्राफरों को सशस्त्र सेना मुख्यालय से असैनिक स्टेनोग्राफरों के स्थान पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं जिनका एन० ए० एम ए०, एम० ए० एन० आदि के साथ काम करने का अधिकार है; और

(घ) तीन वर्ष के निर्धारित कार्यकाल का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विवरण में यह सूचना प्रस्तुत है ।

(ख) विवरण में दिए गए 24 कार्यालयों में आज तक आशुलिपिकों के 34 पद स्वीकृत हैं। (अगस्त, 1981 के बाद दो पद समाप्त कर दिए गए हैं) । इन 34 पदों पर विभिन्न संवर्गों के आशुलिपिकों की नियुक्तियों की स्थिति इस प्रकार है :—

(एक) नवम्बर, 1981 से आशुलिपिकों के दो पद रक्षा मन्त्रालय के पास हैं । रक्षा मंत्रालय संवर्ग के आशुलिपिक सितम्बर 1978 में तैनात किया गया था । इनके स्थान पर शीघ्र ही दूसरा आशुलिपिक भेजा जाएगा ।

(दो) आठ पद सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिकों के पास हैं जिनमें से 6 पद अगस्त 1978 से, एक पद मई, 1981 से और आठवां पद नवम्बर, 1981 से हैं । जो लोग अगस्त, 1978 से इन पदों पर हैं उनके स्थान पर दूसरे आशुलिपिक नियुक्त किए जा रहे ।

(तीन) शेष 23 पद योधियों के पास हैं और ये पद अक्तूबर, 1978 और अगस्त, 1981 के बीच विभिन्न तारीखों से इनके पास हैं ।

(ग) योधियों/सिविलयन आशुलिपिकों की किसी विशेष स्तर पर नियुक्ति के काम की आवश्यकता के आधार पर की जाती है ।

(घ) जहां तक सम्भव होता है, इसके लिए तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि का पालन किया जाता है ।

विवरण

विदेश स्थित विभिन्न मिशनों में सैनिक सलाहकार/अताशे के कार्यालयों के स्थान

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. बांगलादेश

4. बर्मा
5. चीन
6. चैकोस्लोवाकिया
7. मिश्र
8. ईथोपिया
9. फ्रांस
10. इंडोनेशिया
11. ईरान
12. ईराक
13. जापान
14. मलेशिया
15. नेपाल
16. यूगोस्लाविया
17. ब्रिटेन
18. सोवियत संघ
19. अमरीका
20. पश्चिम जर्मनी
21. पाकिस्तान
22. पोलैंड
23. वियतनाम
24. नाईजीरिया

जालौर, राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर का काटना

558. **श्री विरधाराम फुलवारिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के जालौर जिले में ग्रेनाइट पत्थर की कटाई के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में किसी प्राइवेट फर्म को लाइसेंस देने का है; और

(ग) क्या प्राइवेट फर्मों को ग्रेनाइट पत्थर का पट्टा दिया गया है और यदि हां, तो उसकी किस्म अवधि सहित पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राजस्थान के जालौर जिले में ग्रेनाइट काटने की एक योजना राजस्थान राज्य ग्रेनाइट और मार्बल लिमिटेड द्वारा पंजीकृत करवायी गई है ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दल बदल

559. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दल बदल को रोकने के लिये कठोर उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) दल बदल की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने के प्रश्न के प्रति भारत सरकार का ध्यान है । यह मामला चुनाव सम्बन्धी सुधार के वृहत् विषय का एक हिस्सा है ।

संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 1979 के आधार पर राजपत्रित ग्रेडों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिशशुदा उम्मीदवार

560. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजपत्रित ग्रेडों के लिए विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों के ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है जिनके लिए संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 1979 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को तदर्थ आधार पर अथवा नियमित रूप से अब तक नियुक्त किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) अनुमानतः इस सन्दर्भ का सम्बन्ध अनुभाग अधिकारी ग्रेड/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा, 1979 से है । आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड	126	35	2
2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ख"	30	1	—

एक उम्मीदवार को छोड़कर जो पात्र नहीं था अब सभी उम्मीदवारों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुभाग अधिकारियों/ग्रेड "ख" आशुलिपिकों के पदों पर नामांकित/नियुक्त किया जा चुका है।

भविष्य निधि सम्बन्धी नियमों को उदार बनाना

561. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो कर्मचारी भवन निर्माण के और प्लाट खरीदने के लिए ऋण लेना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में भविष्य निधि योजना को हाल में उदार बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि योजना में क्या ढील दी गई है;

(ग) क्या उदार बनाए गए ये नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने पांच से कम तथा तीन वर्ष से अधिक जमा करना आरम्भ किया है; और

(घ) भविष्य निधि, जमाकर्त्ताओं के लाभ के लिए उदार किए गए नियमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री० पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अधीन रिहायशी मकान या फ्लैट खरीदने/मकान के निर्माण/मकान आदि के निर्माण के प्रयोजनार्थ स्थान अधिग्रहण करने के लिये पेशगियां देने की सीमा का व्यापक रूप से विचार किया जा गया है। उक्त योजना के सम्बद्ध उपबंधों में इस उद्देश्य से तथा वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से समुचित रूप में संशोधन किया गया है। संशोधित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय शर्तों के अधीन पेशगियां देने के लिए व्यवस्था की की गई है :—

(1) उस मामले में भी, जिनमें निधि के सदस्यों ने निर्माण शुरू कर दिया है—

(2) व्यक्ति विशेष रिहायशी मकान की खरीद के लिए;

(3) पहले से प्रारम्भ किए गए निर्माण को पूरा करने हेतु पत्नी को वित्तीय सहायता देने के लिए। पेशगी की सीमा भी बढ़ा दी गई है।

आयुक्त के अतिरिक्त अधिकारी भी, यदि उसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया हो, पेशगी मंजूर कर सकता है।

(घ) जी, नहीं। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पेशगी केवल उन कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को ग्राहय है, जिन्होंने निधि में पांच वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है।

औद्योगिक सम्बन्ध मानीटरिंग सैल

562. श्री अनादि चरण दास : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक सम्बन्ध मानीटरिंग सैल की स्थापना कब की गई थी ;

(ख) कुल कितने औद्योगिक विवाद के मामले इस औद्योगिक सम्बन्ध मानीटरिंग सैल को भेजे गए ;

(ग) अब तक कितने ऐसे मामलों का निपटान किया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : (क) श्रम मंत्रालय में स्थापित औद्योगिक सम्बन्ध मानीटरिंग सैल ने 12 अक्तूबर 1981 से काम करना शुरू कर दिया।

(ख) जबसे मानीटरिंग सैल स्थापित किया गया, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति से सम्बन्धित कुल 111 मामले मानीटरिंग सैल को सूचित किए गए हैं।

(ग) और (घ) कुल सूचित किए गए मामलों में से 83 मामले हड़तालों से सम्बन्धित हैं और 28 मामले तालाबंदियों से सम्बन्धित हैं। सूचित किए गए मामलों में से प्रत्येक मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है और विवादों के शीघ्र निपटान के लिए उचित कार्यवाही शुरू की गई है। इसके परिणामस्वरूप, 24 हड़ताले वापस ले ली गई और 12 तालाबन्दियां उठा ली गई।

अपराधों के आंकड़े

563. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपराध के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि अपराध स्थिति प्रति वर्ष बिगड़ती जा रही है; यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चूंकि यह राज्य का विषय है अतः अखिल भारतीय आधार पर कुल मिलाकर अपराध के आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई डाटा संकलित नहीं किया जाता है। फिर भी अपराध स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और इस सम्बन्ध में जब आवश्यक होता है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

बीड़ी श्रमिकों की सेवा की शर्तें

564. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में बीड़ी श्रमिकों को निम्नतम मजूरी सेवा कार्ड; भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य वैध सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को उक्त सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, न्यूनतम मजदूरी-दरों के निर्धारण और उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सरकारों का है। बीड़ी उद्योग में नियोजनों के मामले में राज्य सरकारें सम्बन्धित सरकारें हैं उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों ने, जहां बीड़ी का उत्पादन होता है, न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं। हाल ही में श्रम मंत्रियों के ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीड़ी उद्योग में उन नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में जनवरी, 1982 तक संशोधन किया जाए, जहां कहीं यह संशोधन किया जाना है। राज्य सरकारें अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के लिए कार्यवाही भी कर रही है। यदि न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू न करने के विशिष्ट मामले सूचित किए जाएं, तो वे मामले की जांच कर सकती हैं।

माडल बीड़ी और सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें)नियम, 1967 में जिसे अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनाया है, यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नियोजक हर एक घरेलू कर्मकार को निर्धारित फार्म में निशुल्क: लाग बुक प्रदान करेगा, जिसमें श्रमिक द्वारा किए गए दैनिक कार्य उसके द्वारा निर्मित बीड़ियों और सिगारों की संख्या और उसके द्वारा प्राप्त मजदूरी दरों का रिकार्ड रखेगा। दिसम्बर, 1979 में बिहार सरकार ने बिहार बीड़ी और सिगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1968 में संशोधन किया ताकि बीड़ी श्रमिकों को उनके नियोजक के तीन दिनों के अन्दर सर्विस कार्ड जारी करने के लिए व्यवस्था की जा सके।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में, यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन जारी की गई अधिसूचना को, जिसमें इसका कार्यक्षेत्र बीड़ी निर्माताओं तक बढ़ाया गया है लागू करने को उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। इस स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तथापि, कुछ नियोजक अधिनियम का अनुपालन कर रहे हैं।

उद्योग की स्थापना में ईरान को सहायता

565. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने उस देश में छोटे इस्पात संयंत्रफांउड्री, ढलाई और गढ़ाई मृत्रिका शिल्प और इलैक्ट्रानिक यूनिटों की स्थापना के मामले में भारत से सहायता मांगी है।

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय ईरान के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सहायता देगा; और

(घ) उस प्रस्ताव की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) ईरान के आवास तथा ग्रामीण विकास मन्त्री के हाल ही के दौरे के दौरान ईरानी शिष्ट मण्डल ने मोटे तौर पर मिनी सीमेंट संयंत्र, फाउंड्री, कास्टिंग्स तथा फोरजिंग्स, सैरेमिक्स, इलैक्ट्रानिक और खनन मशीनों के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी में व्यापक तौर पर अपनी रुचि प्रकट की है। किन्तु ईरान के सम्बन्धित प्राधिकारियों से भारत से अपेक्षित विशिष्ट सहायता का ब्यौरा अभी प्राप्त होना है।

महिलाओं के प्रति अपराध

566. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए सरकार का विचार एक विशेष सैल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हो तो सैल कब तक स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में इसी प्रकार के विशेष सैल स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों का मार्ग निर्देश कर दिया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में की जानीवाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव बिचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि योजना का विकेन्द्रीकरण

567. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में प्रयोगात्मक आधार पर भविष्य निधि योजना में विकेन्द्रीकरण करने का सरकार का कोई विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विकेन्द्रीकरण योजना के कारण उन संगठनों में कर्मचारियों की छंटनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ;

(ग) उक्त विकेन्दरीकरण को किस आकार पर क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षा समिति (रामानुजम समिति) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि 500 या इससे अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को यह विकल्प दिया जाए कि वे प्रायोगिक आधार पर अपने लेखे रखें और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत भुगतान करें। ये कार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लागू किए जाने वाली पर्याप्त सुरक्षा और इस शर्त के अध्याधीन किए जाएं कि कार्य के ऐसे विकेन्दरीकरण से संगठन के कर्मचारियों की संख्या में कोई छंटनी नहीं होगी। तथापि, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के कारण होने वाले भुगतान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्राधिकृत किया जाना जारी रहेगा।

(घ) निर्णयों को लागू करने के ब्यौरे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

कागज की कमी

568. श्री ए० नीलालोहियावसन नाडार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कागज की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना हैं और यदि हां, तो क्या कार्यक्रम हैं ; और

(ग) 1975-76 से 1980-81 प्रत्येक वर्ष में कागज उद्योग के लाभ के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम और बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्त के किये गए अध्ययन के आधार पर कागज और कागज की वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों की वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान कुल आस्तियों में से सकल लाभ का प्रतिशत 17.3 8.5 और 9.3 था । करों के पश्चात शुद्ध मूल्य के रूप में लाभ का प्रतिशत क्रमश: 14.8, 2.6 और 5.5 रहा ।

विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की मजूरी

569. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

निम्नलिखित के बारे में 1 मई, 1981 को राज्य वार चालू मजूरी क्या है ;

1. बढ़ई
2. राज
3. राज्यों के सहायक
4. निर्माण कार्य उद्योग में दैनिक मजूरी के श्रमिक
5. कृषि क्षेत्र में अकुशल दैनिक मजदूर
6. प्लफमैन
7. गहाई श्रमिक
8. आटोमोबाईल मैकेनिक ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में आदिवासी उपयोजना

570. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें आदिवासी उपयोजना तथा (कम्पोनेंट) सहायक योजना की क्रियान्विति के लिए सम्मिलित किया गया है ;

(ख) आदिवासी उपयोजना तथा सहायक योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 1981-82 के दौरान उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(ग) उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति करने के मामले में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत (1) मयूरभंज (2) बालासौर (3) क्योंझर (4) सुन्दरगढ़ (5) सम्बलपुर (6) कोरापुट (7) फूलबनी (8) गंजाम और (9) कालाहंडी जिले सम्मिलित हैं । अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सहायक योजना सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) विशेष सहायक योजना और आदिवासी उपयोजना के लिए वर्ष 1981-82 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अस्थाई परिव्यय नीचे दिया गया है ।

विशेष सहायक योजना—4.279 करोड़ रु० ।

आदिवासी उपयोजना – 10.22 करोड़ रु० ।

(ग) उपर उल्लिखित दो योजनाएं चल रही हैं और वर्ष 1981-82 की प्रगति रिपोर्ट सभी उपलब्ध नहीं हैं ।

-"न्यु कर्व आन एस० सी० स्कालरशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

571. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री 22 सिक्तूबर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "न्यू कर्व आन एस० सी० स्कालरशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 22 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "न्यू कर्व आन सडूल्ड कास्ट स्कालरशिप्स" नामक

शीर्षक का समाचार दिल्ली प्रशासन द्वारा कक्षा 5 से कक्षा 10 तक अर्थात मैट्रिक पूर्व स्तर के अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति से संबंधित है। दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) द्वार निर्धारित सम्बद्ध फार्म में कहा गया है कि जो छात्र अपना धर्म हिन्दू अथवा सिख के अलावा घोषित करते हैं उन्हें अनुसूचित जातियों के छात्र नहीं माना जाएगा। यह सांविधिक स्थिति के अनुसार है। अतः अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए मना नहीं किया जा रहा है और इस संबंध में कोई नया प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु दिल्ली प्रशासन ने यह अनियमितता छात्रों द्वारा गैर सरकारी प्रशासकों से लिए गए गलत छपे फार्मों में देखी है। दिल्ली प्रशासन के सूचना तथा प्रचार निदेशालय ने 22-10-1981 को इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और अन्य बातों के साथ यह स्पष्ट किया है कि हिन्दू अथवा सिख धर्म के अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए मना नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए फार्मों को स्कूलों तथा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और गैर सरकारी प्रकाशकों द्वारा मुद्रित फार्मों में मुद्रण की त्रुटि के कारण किसी छात्र को वंचित न करने अनुदेश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली प्रशासन ने शैक्षिक वर्ष 1981-82 के लिए अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्रों से आवेदन फार्म स्वीकार कर लिए हैं। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने भी सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानों को पत्र भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि वे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर निर्धारित आवेदन फार्म लगायें और व्यापक प्रचार करें ताकि भविष्य में इस कारण कोई गलती न हो। यह भी बल देकर कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई पात्र छात्र किसी भी कारण से छात्रवृत्ति से वंचित न रखा जाय।

संकटग्रस्त यूनिटों का अधिकार में लिया जाना

572. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान साकार ने अब तक गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगवार और राज्यवार कितने तथा कौन-कौन से संकटग्रस्त यूनिट अपने अधिकार में लिये हैं;

(ख) कितने तथा कौन-कौन से संकटग्रस्त एककों की स्थिति ठीक हो गई है;

(ग) कितने तथा कौन-कौन से संकटग्रस्त एककों का राष्ट्रीयकरण किया गया है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक संकटग्रस्त एकक को कितना मुआवजा दिया गया है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक एककों के प्रबन्ध का अभिग्रहण किया है :—

औद्योगिक एकक का नाम	अभिग्रहण की की तिथि	उद्योग	राज्य
1. मै० उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लि०, चौडवार कटक	19.9.81	वस्त्र	उड़ीसा
2. मै० मोहिनी मिल्स लि०, बेलधारिया	53.10.81	वस्त्र	पश्चिमी बंगाल

(ख) चालू वर्ष में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत अभिग्रहीत किसी भी औद्योगिक एकक के प्रबन्ध को भूतपूर्व मालिकों को वापस नहीं किया गया है।

(ग) चालू गर्ष के दौरान उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अंतर्गत अभिग्रहीत किसी भी औद्योगिक एकक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना

573. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल चयन समिति ने कर्नाटक में कितने स्थानों का दौरा किया ;

(ख) क्या समिति ने संयंत्र के लिए किसी स्थान का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) स्थल चयन समिति को रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सेवानिवृत्ति की आयु

574. श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीवन अवधि वृद्धि को देखते हुए 58 वर्ष की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु को समाप्त कमने का तथा लोगों को 60 से 65 वर्ष की आयु तक उनको योग्यता तथा अनुभव का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम हथियार खरीदा जाना

575. श्री अर्जुन सेठी
श्री के० राममूर्ति] : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अमरीका निर्मित आधुनिकतम एफ 16 विमानों के अतिरिक्त 20 अन्य प्रकार के आधुनिकतम हथियार खरीद रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारत की सीमा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) प्राप्त सूचना से पता चलता हैं कि पाकिस्तान एफ-16 विमानों सहित कई किस्मों का आधुनिकतम सैनिक साज सामान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इसकी खरीददारी सूची में टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहन, विमान, हेलीकाप्टर, प्रक्षेपास्त्र, आर्टिलरी और हवाई सुरक्षा प्रणालियों के अलावा कुछ टैंक रोधी शस्त्र, विध्वंसक और नौसेनिक प्रक्षेपास्त्र शामिल हैं।

(ख) पड़ोस में हो रही उन सभी घटनाओं, सैनिक तैयारिया भी शामिल हैं, और जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, के प्रति सरकार पूरी तरह से सजग रहती है और सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियों को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने प्रारम्भ कर दिये हैं।

मिजो समस्या

575. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो समस्या का समाधान करने के लिए सितम्बर, 1981 से कितनी बार बातचीत हुई है;

(ख) बातचीत के लिए कार्यसूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्या के समाधान के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मिजो नेशनल फ्रंट के साथ अभी वार्ता जारी है। इस स्थिति में ब्यौरे देना असामयिक होगा।

मैसर्स निटको केबल इंड्स्ट्रीज ओखला की ओर कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की बकाया राशि

575. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निटको केबल इंड्स्ट्रीज, 111-बी ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई, दिल्ली में मासिक और दैनिक मजूरी के आधार पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी द्वारा अब तक कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि कि कितनी राशि जमा कराई गई है और कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या इस कम्पनी द्वारा कम्पनी विधियों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में 51 कर्मचारी हैं। तथापि मासिक और दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों की पृथक रूप से संख्या दर्शाने के लिए कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ख) नियोजक कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि की ओर 24,152.40 रु० की राशि जमा की है और कोई भी राशि बकाया नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा करने के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय कर्मचारियों को मकान निर्माण ऋण

578. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस वर्ष मकान निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करनें हेतु आवेदन पत्र भेंजे हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार, कुल संख्या कितनी है जिनको भुगतान कर दिया गया है और कितने कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :

(क)

ग्रुप "क"	ग्रुप "ख"	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"
4	16	17	2

(ख)

	ग्रुप "क"	ग्रुप "ख"	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"
भुगतान किया गया	कुछ नहीं	1	1	कुछ नहीं
भुगतान नहीं किया गया	4	15	16	2

(ग) धन की कमी के कारण ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में गलतियां

579. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में बहुत गलतियां हैं;

(ख) इन गलतियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खातों की पास बुकें जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये पास बुकें कब तक जारी की जायेंगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । 2038 खातों में से केवल 5 खातों में मामूली विसंगतियां होने की सूचना मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । वायु सेना मुख्यालय में प्रत्येक सिविलियन कर्मचारी को उसकी भुगतान स्लिप प्रत्येक महीने जारी की जाती है जिसमें भविष्य निधि के अंशदान को दिखाया जाता है । यह स्लिप भविष्य निधि खाते में प्रत्येक महीने जमा हुई रकम के रिकार्ड का काम देती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए इकहरी प्रशासन नीति

580. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और आदिवासी क्षेत्रों के अन्य मामलों के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय द्वारा बताये गये मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार इकहरी प्रशासन नीति अपनाई है ;

(ख) उनके मन्त्रालय ने राज्यों को मार्गनिर्देशक सिद्धांत जारी किए थे और उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) राज्यों के इसके लिये स्वीकृत कार्मिक नीति को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण बताये हैं; और

(घ) उनके मन्त्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर इकहरी प्रशासन नीति बनाने के लिये इन राज्यों को ही राजी करने हेतु क्या उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिये इकहरी प्रशासन नीति अपनाई है । गुजरात और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि राज्यों में वर्तमान प्रशासनिक ढांचा इकहरी प्रशासन नीति के सदृश है । कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार और कर्नाटक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) गृह मन्त्रालय ने समय-समय पर राज्यों को आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशक सिद्धान्त भेजे हैं । गृह मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को 6 फरवरी, 1979 और 15 फरवरी, 1980 को आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक और कार्मिक नीति के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जारी किए हैं । मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों में से एक समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम स्तर पर समेकित प्रशासनिक ढांचे को अपनाना और उचित अधिकारियों की नियुक्ति है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों की वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह मन्त्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करना है। उदाहरणार्थ कुछ राज्यों में उपयोजना क्षेत्रों का स्वरूप बिखरा हुआ होने के कारण इकहरी प्रशासन नीति संभव नहीं हो सकती। गृह मन्त्रालय राज्य सरकारों को भेजी गई प्रशासनिक और कार्मिक नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जहां तक संभव है राज्यों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

देश में पिछड़े जिले

581. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मन्त्रालय ने देश के कुछ पिछड़े जिलों व क्षेत्रों का पता लगाया है और इन क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रालयों के नाम क्या हैं और राज्यवार तथा मन्त्रालयवार पता लगाये गये जिलों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को इन मन्त्रालयों से कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और इस मामले पर ब्यौरेवार चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति केन्द्र ने क्या आवंटन नीति तथा दृष्टिकोण अपनाया है और उसे कहां तक कार्य रूप दिया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क)पहाड़ी क्षेत्रों, जन जातीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए मौजूदा स्कीमों/कार्यक्रमों और पूंजी राज सहायता/रियायती वित्त आदि के जरिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के विकास के लिए स्कीम के अलावा नए मापदंडों के आधार पर पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के और अधिक निर्धारण के लिए किसी केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

582. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में किन मध्यम दर्जे के और प्रमुख उद्योगों का प्रस्ताव किया है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए हैं;

(ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले में उद्योग स्थापित करने के लिये किन उद्योगों को पहले ही आशय-पत्र प्राप्त हो चुके हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को कोटापुर जिले में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा परियोजना की स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना विधि (1980-1985) में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा बड़े और मझोले उद्योग क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भेजा गया विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

1. राज्य औद्योगिक विकास निगम की योजनाएं/परियोजनाएं

चल रही योजनाएं :—

1. कोंपार्क जूट, मिल्स, ढेंकेनाल (संयुक्त क्षेत्र)।
2. सोडियम डिक्रोमेट प्लांट, तलचर (संयुक्त क्षेत्र)।
3. एक्स० एल० पी० ई० पावर केबल्स प्रोजेक्ट्स, बारीपाड़ा (संयुक्त क्षेत्र)
4. प्रोपोरजी मिल, हीराकुण्ड।
5. हीरा सीमेंट वर्क्स (विस्तार) बारगढ़।
6. स्पन पाइप प्लांट, चौड़वार।
7. रिफ्रैक्टरी वर्क्स, चौड़वार।
8. मिनी सीमेंट प्लांट, किरिंगसेर (सुन्दरगढ़ जिला)

नई परियोजनाएं

9. सोनपुर स्पिनिंग मिल्स।

10. बायलर पाइप प्लांट, भुवनेश्वर।

11. बालासोर साल्ट प्रोजेक्ट।

12. श्री स्पिनिंग मिल्स (पुरी बोलनगीर, मयूर भंज)।

13. टी० वी० ग्लास शैल प्रोजेक्ट।

14. मेग्नेटिक वीडीयो टैप्स।

15. स्पेशल मोटर्स।

16. ई० एच० टी० इन्सूलेटर्स।

17. माइका पेपर।

18. फोर्ज़ शाप।

19. स्पेशल इलेक्ट्राड्स।

20. गढ़े हुए औजार (निर्यात पर्यक)

21. पालिएस्टर फाइबर संयंत्र।

22. विस्फोटक पदार्थ संयंत्र।

23. फैरो वेनाडियम संयं त्र।

2. औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम की योजनाएं/परियोजनाएं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं

चल रही परियोजनाएं :—

1. रिफ्रैक्टरी परियोजना, धेनकनाल।

2. औजार कक्ष सनबेडा।

3. वाच एसेम्बली परियोजना, खुर्दा।

4. इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाई-अक्साइड, कयोंझर।

5. स्पंज आयरन परियोजना, क्योंझर।

6. औषध काम्पलैक्स, भुवनेश्वर।

नई योजनाएं

7. एच० टी० फास्टनर्स, धेनकनाल 21

8. कैल्शियम कार्बाइड, राजरंगपुर।

9. कोंणार्क वुड प्राडक्ट्स, कोरापुट।

10. स्पंज आयरन (टिस्को)

11. नाइट्रो ग्लिसरीन।

12. कास्टिक क्लोरीन।

13. हैक्साक्लोर साइकिल पेंटाडीन।

14. मैलिक एनहाइड्रिड।

15. चीनी/इण्डस्ट्रियल एल्कोहल डेरीवेटिव्ज।

16. कम तापक्रम का कार्बोनाइजेशन संयंत्र, तल्चर।

17. चाइना क्ले बाशरी और एच० टी० इन्सूलेटर्स।

18. भारत स्टील कास्टिंग्स।

19. सोडा ऐश और अमोनिया क्लोराइड।

20. फैरोनिकल प्रोजेक्ट।

21. फाइबर ग्लास प्रोजेक्ट।

22. कन्वेयर बैल्टिंग।

23. इलैक्ट्रीकल स्टाम्पिंग।

24. पावर ट्रांस फार्मर्स ।

25. जूट ट्विन एकक ।

संयुक्त उद्यम (नए)

26. वनस्पिति, प्रोजेक्ट बोलनगीर ।

27. सल्फरिक एसिड प्लांट, कालमा

28. बाइसिकल प्रोजेक्ट (निर्यात परक) ।

सरकारी क्षेत्र (नया)

29. एच० पी० सिलण्डर परियोजना ।

वर्ष 1978 से 1981 (अक्तूबर, 81 तक) के दौरान उड़ीसा के कोरापुट जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु जिन पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. मे० स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०, नई दिल्ली ।

2. मे० इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलाय लि०, भुवनेश्वर ।

3. श्री० के० सी० सेठी, बम्बई ।

4. सीवा इन्टरनेशरल फैशन्स (फर्नीचर ब्लाक), नई दिल्ली ।

5. हिन्दुस्तान इलैक्ट्रा ग्रेफाइट लि०, नई दिल्ली ।

6. इण्डियन मैटल एण्ड फैरो एलाय लि०, भुवनेश्वर ।

7. एम० पी० आयल एक्टएक्सट्रेक्शन प्रा० लि०, रायपुर ।

उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कोरापुट जिले में एककों की स्थापना हेतु लाइसेंस के वास्ते निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

क्रम सं०	आवेदक का नाम	प्रस्तावित क्षमता	टिप्पणी
1.	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ	प्रथम प्रावस्था में 10 लाख मी०टन,	आवेदन पत्र मार्च 1981 में प्राप्त हुआ था तथा उसे जुलाई, 1981

1	2	3	4
	सहसा लि०, भुवनेश्वर	दूसरी प्रावस्था में 20 लाख मी०टन।	में रद्द कर दिया गया था क्योंकि यातायात सुविधा के लिए रेलवे मिलानपर्याप्त नहीं था। निगम ने निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है तथा निगम द्वारा संयंत्र के सही स्थापना स्थल की जानकारी देने के बाद तथा रेल मन्त्रालय द्वारा इसकी अनुमति दिए जाने के अध्यधीन इस मामले को लाइ-सेंसिग समिति को भेजने की सिफारिश का प्रस्ताव किया गया है।
2.	इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि०, भुवनेश्वर।	66,000 मीन टन (मिनी)	आवेदन पत्र सितम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ था। चूंकि राज्य सरकार को इस बात का सुनिश्चय नहीं था कि आवेदन पत्र मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आता है अतः 10-11-81 को हुई बैठक में लाइसेंसिग समिति ने आवेदन को रद्द करने की सिफारिश की है।
3.	श्री सी० पी० के० मूर्ति, भुवनेश्वर।	66,000 मी०टन (मिनी)	आवेदन पत्र सितम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ था तथा लाइसेंसिग समिति ने दिनांक 3-11-81 को हुई अपनी बैठक में इसे रद्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि राज्य सरकार ने इसका समर्थन नहीं किया था।

समेकित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण

583. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने और उनको लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने हेतु देश में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पिछड़े जिलों के विकास के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस क्षेत्र का चयन किया गया है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने स्वरोजगार के लिए एक ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) नामक योजना 15 अगस्त, 1979 से आरम्भ की थी। 2 अक्तूबर, 1980 से इस योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के साथ मिला दिया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के टी० आर० वाई० एस० ई० एम० अंग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलता और प्रौद्योगिकी से अवगत कराने पर विशेष और औद्योगिक एककों, बड़े शिल्पकारों, कारीगरों एवं कुशल कामगारों द्वारा दिए गये जाने वाला संस्थागत प्रशिक्षण भी शामिल है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पहले कदम के रूप में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का पता लगाने के उद्देश्य को लेकर सभी खण्डों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। स्वरोजगार सम्बन्धी ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टी० आर० वाई० ई० एम०) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों का चयन आय के मापदण्ड के आधार पर किया जाता है। अन्तोदय कार्यक्रम के अनुरूप सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। उद्यम चलाने तथा उद्यमिता संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। देश के हर खंड में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहा है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बल देकर युवकों की बेरोजगारी को दूर करना है ताकि वे स्व-रोजगार से धन्धा चला सकें। इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार का प्रशिक्षण स्वीकार किया जाता है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलीटेक्नीकों एवं तकनीकी विद्यालयों, केन्द्र सरकार उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्त सुविधाएं देने, केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, परिवहन राजसहायता, कर संबन्धी रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम,

ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र, मूल/सीमांत (मार्जिन) धनराशि सहायता जैसे प्रोत्साहन देती है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

584. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी देने के काम में तेजी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ से लेकर 31 अक्टूबर, 1981 तक कितने मामलों में, राज्यवार स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कारावास की अवधि की शर्तों को और अधिक उदार बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका सही स्वरूप क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1-4-1981 से 31-10-1981 तक स्वीकृत मामलों के ब्यौरों का राज्यवार-विवरण।

	राज्य/संघ शाशित क्षेत्र प्रशासन	स्वीकृत की गई
1.	अण्डमान और निकोबार	16
2.	आंध्र प्रदेश	7
3.	अरूणाचल प्रदेश	—
4.	असम	68
5.	बिहार	437

1	2	3
6.	चण्डीगढ़	8
7.	दिल्ली	24
8.	गोवा	23
9.	गुजरात	117
10.	हरियाणा	33
11.	हिमाचल प्रदेश	1
12.	जम्मू और कश्मीर	15
13.	केरल	3
14.	कर्नाटक	169
15.	मध्य प्रदेश	16
16.	महाराष्ट्र	132
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	10
19.	मिजोरम	—
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	132
22.	पांडिचेरी	10
23.	पंजाब	142
24.	राजस्थान	26
25.	तमिलनाडु	99

1	2	3
26.	त्रिपुरा	8
27.	उत्तर प्रदेश	213
28.	पश्चिम बंगाल	72
	जोड़	1786
	आजाद हिन्द फौज	172
	कुल जोड़	1958

स्वनियोजन योजना

585. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित युवकों के लिए स्वनियोजन को बढ़ावा देने हेतु विश्व-विद्यालयों से मिल कर कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या स्वनियोजन के क्षेत्र में काम करने वाली ऐजेंसियों की कोई सूची बनाई गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चुने हुए संस्थानों और कालेजों में चलाये जाते हैं। स्वयं रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख अभिकरण ये हैं लघु उद्योग विकास संगठन, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, कयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और जिला उद्योग केन्द्र, राज्य वित्तीय और औद्योगिक निगम जैसे विभिन्न अभिकरण।

(ग) रियायतों में ऋण प्रावधान, प्रशिक्षण तकनीकी परामर्श, प्रायोजना बनाना और विपणन सुविधाएं सम्मिलित हैं।

औरंगाबाद, चन्द्रपुर और रत्नगिरि में उद्योगों की स्थापना

586. **श्री आर० के० महालगी :** क्या उद्योग मन्त्री महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों के विकास के लिए योजना के बारे में 2 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तीन जिलों यथा औरंगाबाद, चन्द्रपुर और रत्नगिरी में गहन औद्योगिक विकास के लिए बनाये गये कर्मी दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और उनकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृतिक बल ने 550.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली 13 परियोजनाओं के एक समूह की संभाव्यताओं का प्राथमिक रूप से पता लगाया है जिसमें 30,000 व्यक्तियों से अधिक को रोजगार मिलने का अनुमान है। उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाले 500 सम्बद्ध सहायक उद्योग अथवा नीचे वाली परियोजनाओं का भी पता लगाया है जिनमें 7000 व्यक्तियों से कुछ अधिक को रोजगार दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग 10.45 करोड़ रुपये के अवस्थापना निवेश का भी सुझाव दिया है।

अन्य के साथ-साथ पता लगाई गई परियोजनाओं में (1) अल्यूमिनियम काम्पलैक्स, (2) कास्टिक सोडा/पी० वी० सी० काम्पलैक्स, (3) मेरीन इंजिन तथा टू-व्हीलर काम्पलैक्स (4) कयर काम्पलैक्स (5) डिजिटल कलाई घड़ियां तथा (6) रत्नगिरी जिले के लिए ए० एम०/एफ० एम० सैट (7) एच० टी० इन्सूलेटर्स (8) हाथ से चलने वाले छोटे पम्प (9) टसर सिल्क परियोजना तथा (10) चन्द्रपुर जिले में वायर राड प्रोजेक्ट (11) इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग इक्विपट में (12) —2 व्हीलर परियोजना और (13) लैदर काम्पलैक्स परियोजना भी सम्मिलित हैं।

महाराष्ट्र सरकार से इन परियोजनाओं की जांच करने तथा पता लगाए गये जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके कार्यान्वयन के बारे में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अन्तरिम सहायता में कमी तथा बोनस का भुगतान न किए जाने के संबंध में निर्णय

587. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मन्त्री अन्तरिम सहायता में कमी तथा बोनस का भुगतान किये जाने के बारे में ज्ञापन के संबंध में दिनांक 25 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1215 तथा अंतरिम सहायता के भुगतान में कमी तथा बोनस का भुगतान न किये जाने के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय डी० एम० टी० एस० ओ० एफ० टी० आई०, अमरनाथ (महाराष्ट्र) को नियमित भुगतान से अंतरिम सहायता में कमी तथा उत्पादकता से संबद्ध बोनस का भुगतान न दिये जाने के संबंध में क्या निर्णय हुआ है;

(ख) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस मामले में उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ आगे परामर्श किया गया है । आशा है जल्दी ही अन्तिम निर्णय/स्पष्टीकारक आदेश जारी कर दिये जाएंगे ।

सीमेंट का दोषपूर्ण वितरण

588. **श्री भीकूराम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि वर्तमान सीमेंट वितरण नीति लोगों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है क्योंकि जिन लोगों को वास्तव में सीमेंट की आवश्यकता होती है उन्हें सीमेंट बिल्कुल नहीं मिलता और सामान्य तौर पर उन लोगों को सप्लाई किया जाता है जो लाभ कमाकर आगे बेच देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में सीमेंट की सामान्य कमी है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा ।

(ख). सीमेंट एक कानूनी रूप से नियन्त्रित वस्तु है । राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं राज्य सरकारों को सीमेंट की सार्वजनिक बिक्री और सामान वितरण पर नियन्त्रण रखने के लिये प्रभावी योजनाएं बनाने सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में भी सलाह दी गई है । सीमेंट स्टाकिस्टों को कानूनी लाइसेंस देना, फलस्वरूप उत्पादकों के साथ स्टाकिस्टों का सम्बन्ध समाप्त होने पर राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट डीलरों की सीधे ही नियुक्ति करना, परमिट प्रणाली लागू करना तथा योजना का कार्यान्वयन करने के लिये आवश्यक प्रशासनिक तन्त्र स्थापित करना, सुझाई गई योजना की आवश्यक विशेषताएं थीं । तदनुसार 17 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों ने सीमेंट के सार्वजनिक वितरण के लिए अपनी योजनायें लागू की हैं ।

राज्यों को सीमेंट आवंटन

589. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को सीमेंट आवंटित किये जाने का मापदंड क्या है;

(ख) क्या नियमित आवंटन के अतिरिक्त तदर्थ आधार पर भी सीमेंट का आवंटन किया जाता है, यदि हां तो उसका मापदंड क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सीमेंट के आवंटन के मानदंड में परिवर्तन करने का है ताकि उसे अधिक यथार्थ बनाया जा सके;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) राज्यों को सीमेंट का आवंटन पिछली खपत के आधार पर तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। किन्तु संसद में और इसके बाहर बार बार व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब सीमेंट के आवंटन में जनता तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण की योजनाओं, गंदी बस्तियों के निवासियों के लिये तैयार की गई आवास योजनाओं जैसी योजनागत योजनाओं तथा हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के अन्य गरीब वर्गों की आवश्यकताओं को अधिमानता देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों को 1 अक्तूबर 1981 से शुरू होने वाली तिमाही के लिये मूल आवंटनों से अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किये गये हैं।

राज्य सरकारों को बाढ़-राहत कार्यों, लघु उद्योग एककों आदि जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किये जाते हैं।

सौर ऊर्जा अनुसंधान में कार्यरत संस्थाएं

590. **श्रीमती माधुरी सिंह**
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा अनुसंधान करने वाली प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की संख्या और नाम क्या हैं,

(ख) क्या कोई ऐसा सस्ता सोलर कुकर अथवा सोलर वाटर हीटर तैयार किया गया है जो एक साधारण व्यक्ति भी अपने घर लगा सकता हो;

(ग) क्या सरकार ने इन नये उपकरणों की सफलता की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०

पी० एन० सिंह) : (क) सौर ऊर्जा अनुसन्धान में लगे संगठनों की एक सूची विवरण के रूप में सदन पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) से (घ) घरेलू उपयोग के उपयुक्त सौर कुकरों के विभिन्न डिजाइनों का देश में विकास किया गया है । सौर कुकर की लागत इसके डिजाइन और इस्तेमाल में लाई गई सामग्री पर निर्भर करता है । ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के कुकरों का मूल्यांकन किया गया है । शुरू में, एक बक्सा टाइप कुकर को उसकी कीमत, उसके टिकाऊपन और इस्तेमाल की सुविधा के आधार पर घरेलू उपयोग के लिये उपयुक्त पाया गया है । इस प्रकार के कुकर को कई स्थानों पर आजमाया गया है और इससे एक औसत परिवार कम से कम 30 प्रतिशत ईंधन की बचत कर सकता है । इन कुकरों को व्यापक पैमाने पर लोकप्रिय बनाने की एक योजना को शीघ्र ही आरम्भ किया जाना है ।

घरेलू उपयोग के लिये उपयुक्त सौर जल तापकों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन विकसित की गई जानकारी के आधार पर कई फर्मों द्वारा बाजार में बिक्री के लिये पेश किया गया है । इनका तकनीकी कार्य निष्पादन संतोषजनक है । परम्परागत तापकों के मुकाबले में इन तापकों की प्रारम्भिक लागत अधिक है लेकिन इनको चलाने की लागत में काफी बचत है ।

विवरण

सौर ऊर्जा अनुसंधान द्वारा प्रयोग में लायें जा रहे संस्थान एवं प्रयोगशलाएं

1. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. भारत हैवी विद्युतीय लिमिटेड, हैदराबाद
4. बिड़ला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
5. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अन्वेषण संस्थान, जोधपुर
6. केन्द्रीय भवन अन्वेषण संस्थान, रुड़की
7. केन्द्रीय विद्युतीय लि०, साहिबाबाद
8. केन्द्रीय वैद्युतिकी अभियन्त्र अन्वेषण संस्थान, पिलानी
9. केन्द्रीय यांत्रिक अभियन्त्रण अन्वेषण संस्थान, दुर्गापुर
10. केन्द्रीय लवण एवं जल रसायन अन्वेषण संस्थान, भावनगर

11. वन अन्वेषण संस्थान, देहरादून

12. भारतीय एसोसिएशन दी कलटीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता

13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

14. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

15. भारतीय तकनीकी संस्थान, बम्बई

16. भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर

17. भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर

18. भारतीय तकनीकी संस्थान, मद्रास

19. भारतीय तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली

20. अभियन्त्रण एवं ग्रामीण तकनीकी संस्थान, इलाहाबाद

21 जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

22. ज्योति सौर ऊर्जा संस्थान, वल्लभ विद्यानगर

23. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी

24. ए० एम० एम० मुरुगप्पा चेटियार अन्वेषण केन्द्र, मद्रास

25. नागाजुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर

26. राष्ट्रीय एरोनोटिकल प्रयोगशाला, बंगलौर

27. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

28. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली

29. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली

30. पंजाव कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

31. क्षेत्रीय अन्वेषण प्रयोगशाला, जम्मू

32. क्षेत्रीय अन्वेषण प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम

33. ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली

34. टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी

35. तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड, हौसपैट

इसके अतिरिक्त, बहुत से और भी निजी क्षेत्र संगठन सौर ऊर्जा अनुसंधान कार्य के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

बिहार में परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जाना

591. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार को ऊर्जा की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उसके सर्वांगीण विकास में बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा के अभाव का मुकाबला करने के लिये बिहार में परमाणु बिजली घर स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता, परिवहन सुविधाओं जैसी बातों को और अन्य तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस समय बिहार में कोई परमाणु बिजलीघर लगाना लाभप्रद नहीं समझती।

फ्रांस के मिराज 2000 विमानों के सम्बन्ध में करार

592. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री माधव राव सिंधिया
श्री अमर राय प्रधान
श्री बी० वी० देसाई
श्री एन० ई० होरो
श्री डी० पी० यादव
श्री अर्जुन सेठी
प्रो० मधु दंडवते
श्री रशीद मदसू
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री बाला साहिब विखे पाटिल
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री वृद्धि चन्द जैन
श्री आचार्य भगवान देव : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फ्रांस के बीच फ्रांस के मिराज 2000 जेट विमान खरीदने पर एक समझौता हुआ है :

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इस अत्यन्त आधुनिक बहु प्रयोजनीय विमान के पुर्जे जोड़ने और बनाने वाला सन्यन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति दिये जाने के बारे में भी समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अधिग्रहीत उद्योगों को चलाने के लिए समिति

593. **श्री सुबोध सेन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटे की अधिग्रहीत औद्योगिक यूनिटों को राष्ट्रीय हित में चलाने के वास्तविक कारणों को जांच करने के लिये सभी दलों के संसद सदस्यों की एक उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब।

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में सीमेंट का उचित वितरण

594. **श्री आर० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी सहित, क्या संक्षिप्त प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु में अभ्यावेदकों के दावों पर ध्यान न देते हुए बड़ी मात्रा में सीमेंट सिनेमाघरों के निर्माण के लिए आबंटित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस राज्य में समाज के आवश्यकता वाले अन्य वर्ग के दावों को भुलाकर सीमेंट बड़े भवन निर्माताओं को आवंटित किया गया जिसके कारण कई मुकदमे दायर किए गए ; और

(घ) तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मामलों में जैसी वास्तविक स्थिति है उसे देखते हुए उपरोक्त "क" भाग में उल्लिखित निर्णय को दृढ़ता से लागू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सिंचाई और बिजली के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सीमेंट का पूर्व आरक्षण करने की प्रणाली लागू है। कम उपलब्धता होने पर भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट दिया जाता है। सिंचाई और बिजली प्रायोजनाओं के लिए सीमेंट प्रेषण को सीमेंट नियन्त्रक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रकों के सहयोग से मोनीटर करते हैं।

(ख) और (ग) सीमेंट वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को प्रत्येक तिमाही में पिछली खपत के आधार पर सीमेंट की समग्र उपलब्धता के अधीन इकट्ठा आवंटन किया जाता है। सिंचाई और बिजली प्रायोजनाओं और लघु उद्योग जैसी प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात राज्य सरकारें अपने विवेक के अनुसार सिनेमाघर, बहुमंजिली इमारतें आदि अन्य उपभोक्ताओं के लिए सीमेंट का उप आबंटन कर सकती हैं। ऐसे उप-आबंटनों के विवरण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

औद्योगिक सम्बन्धों की निगरानी के लिए नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना

595. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्रीमती आनन्द पाठक } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की निगरानी के लिए सरकार ने नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को क्या मार्गदर्शन दिए गए हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के कक्ष विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(घ) इस प्रकार के कक्षों की स्थापना में सम्भवतः कितना समय लगेगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) देश में औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित सूचना पर सतत् निगरानी रखने के लिए सरकार ने श्रम मन्त्रालय में एक श्रम सम्बन्ध मानिटरिंग एकक स्थापित किया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि 100 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनका लगातार चालू रहना अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों के रक्षण के लिए अनिवार्य है, चाहे नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या 100 से कम हो, की स्थितियों के बारे में विशेष रिपोर्ट भेजें।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित स्थिति की प्रतिदिन सूचना भेजें। ये रिपोर्ट दो भांगों में होती हैं। एक रिपोर्ट में हड़ताओं, तालाबन्दियों, घेरावों, मुठभेड़, हमलों, धीरे काम करो, हिंसात्मक कार्यवाहियों आदि सहित औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सामान्य स्थिति का मूल्यांकन होता है, तथा दूसरी रिपोर्ट 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले अधिक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा ऐसे प्रतिष्ठानों की स्थितियों के सम्बन्ध में विशेष रिपोर्ट है जिनको लगातार चालू रहना अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों के रक्षण के लिए अनिवार्य है चाहे नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या 100 से कम हो। यह विशेष रिपोर्ट एक प्रपत्र पर प्राप्त हो रही है। इस रिपोर्ट में दी गई सूचना स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायेगी। यह रिपोर्ट यह भी दर्शायेगी कि क्या राज्य सरकार मामले में केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्रालय या विभाग से कोई सहायता चाहती है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने, प्रत्याशित औद्योगिक असन्तोष तथा ऐसे असन्तोष को दूर करने के लिए समय पर उपचारी उपाय सुझाने के लिए विशेष श्रम सैल स्थापित करें। अब तक ऐसे सैल गुजरात, कर्नाटक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किए गये हैं।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी

596. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी पर उच्चाधिकार समिति ने सिफारिश की थी कि वर्तमान मूल्य स्तर पर कृषि श्रमिकों को कम से कम 240 रुपये प्रति मास का भुगतान किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिफारिश तुरन्त कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है ; और

(ग) इस सुझाव पर किन राज्यों ने जवाब में कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रम मन्त्रियों के कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में यह व्यवस्था की जाए ताकि सम्बन्धित सरकारें उन सभी नियोजनों में, जो अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं हैं, सामान्य न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित कर सकें और सामान्य न्यूनतम मजदूरी-दरे गरीबी रेखा के स्तर पर, जैसी योजना आयोग ने परिभाषा की है, श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं के सम्बन्ध में निर्धारित की जाएं।

कार्यकारी दल की सिफारिश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के कुछ प्रस्तावों के सन्दर्भ में की गई है। यह सिफारिश सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है।

नौवहन प्राधिकारियों को पुराना काउन्सिल हाल सौंपा जाना

597. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मन्त्री नौवहन प्राधिकारियों को काउंसिल हाल लौटाए जाने के बारे में 18 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में पुराना काउंसिल हाल कब तक नौवहन प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा क्योंकि नया काउंसिल हाल बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने पुराने काउंसिल हाल का उपयोग करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। पुराने काउंसिल हाल को नौसेना प्राधिकारियों को सौंपने के बारे में राज्य सरकार से बातचीत चल रही है।

"डेक्वाइटी, स्टेबिग इन डेल्ही विलेज" शीर्षक समाचार

598. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डेक्वाइटी स्टेबिंग इन डेल्ही विलेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) देश में सामान्य रूप से तथा विशेषकर राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा सत्ता संभालने से लेकर अब तक राजधानी में डकैती, बैंकों में लूटपाट, छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण के कितने मामले हुए हैं, उनमें से कितनों का पता लगा लिया गया है। कितने मामलों का अभी तक पता नहीं लग पाया है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अन्तर्गत थाना दिल्ली कैंट, नई दिल्ली में 26-9-1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 216 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) इस घटना से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राजधानी या शेष देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, कानून और व्यवस्था की स्थिति में अच्छा खासा सुधार हुआ है । 1979 की तुलना में 1980 में अपराध दर में 15 प्रतिशत की कमी आई है और 1980 के समकालीन अवधि की तुलना में चालू वर्ष में 31-10-1981 तक 18 प्रतिशत की और कमी आई है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1-1-80 से 31-10-81 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किए डकैती, बैंक को लूटने, छेड़खानी, बलात्कार और अपहरण के मामलों के निपटान का विवरण :—

अपराध शीर्ष	सूचित मामले	रद्द	स्वीकृत	चालान	दोष सिद्ध	दोष मुक्त	विचारणाधीन	जांच पड़ताल के लिए लम्बित	पता न लगे
डकैती	53	4	49	15	—	—	15	12	22
बैंक को लूटना	2	—	2	—	—	—	—	2	—
छेड़खानी	123	6	117	94	5	7	82	13	10
बलात्कार	118	11	107	67	5	8	54	31	9
अपहरण	1085	475	610	209	12	13	184	243	158

टिप्पणीं—अपहरण के मामलों में रद्द किए गए मामलों की संख्या अधिक है क्योंकि अपने घरों से भागी हुई अनेक लड़कियाँ अपने आप वापस आ गईं ।

मामलों को पता न लगा के रूप में भेजने के सामान्य कारण इस प्रकार हैं :

1. अपराध के स्थान पर अपराधियों के विषय में सुराग उपलब्ध न होना ।

2. हत्या आदि के मामलों में अपराधियों की पहचान होना ।

शिवरामन समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

599. श्री जगदीश टाईटलर
श्री अमर राय प्रधान } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर शिवरामन समिति रिपोर्ट पर चर्चा के लिए सभी राज्यों में उद्योग मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था ;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं, और समिति द्वारा क्या प्रोत्साहन सुझाए गए ;

(ग) सभी राज्यों के उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) उद्योगों के छितराव के अन्तर्गत सभी पिछड़े क्षेत्र आ जायें इस हेतु समिति ने ये सिफारिशें की हैं : (1) पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए विकसित नगरीय केन्द्रों से दूर होने की विभिन्न दूरियों का मापदण्ड (2) ऐसे छांटे गये क्षेत्रों में केन्द्रीय राज सहायता और रियायती दर वित्त का लागू होना (3) कुछ अवस्थापना वाले छांटे गये विकास केन्द्रों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न करने व उसके प्रसार के लिए संवर्धन प्रयासों का केन्द्रीयकरण (4) औद्योगिक छितराव की उपर्युक्त धारणा के अंश के रूप में केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम का प्रवर्तन (5) निवास केन्द्र के तरीके को कार्यान्वित करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन (6) उद्यमी विकास और प्रशिक्षण के लिये समेकित कार्यक्रम।

(ग) और (घ) सरकार इस मामले पर अन्तिम निर्णय ले इससे पूर्व शिवरामन समिति की सिफारिशों पर उनके विचार जानने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था।

कागज का आयात

600. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और अन्य सहकारी ऐजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कागज का आयात किए जाने के कारण भारतीय कागज निर्माताओं की मांग को बहुत गम्भीर मन्दी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार या तो सरकारी एजेंसियों द्वारा कागज का आयात रोकने अथवा कागज उद्योग को अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : मांग को पूरा करने में उत्पादन के अपर्याप्त होने पर तथा मूल्यों की वृद्धि को आगे रोकने के लिए ही सीमित आयात का सहारा लिया जा रहा है। कागज की कुछ किस्मों के सीमित निर्यात की पहले से अनुमति है लेकिन वर्तमान में लिखाई और छपाई के कागज के निर्बाध निर्यात की स्थिति नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग के पास केन्द्रीय राजभाषा सेवा के "ए" तथा "बी" पदों से सम्बन्धित विचाराधीन नियम

601. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के पास केन्द्रीय राजभाषा सेवा के "ए" और "बी" पद छः महीने से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) नियमों को तुरन्त अन्तिम रूप दिए जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" और "ख") के ड्राफ्ट नियम अप्रैल, 1981 में संघ लोक सेवा आयोग को सहमति के लिए भेजे गये थे। आयोग ने अपने पत्र दिनांक 17-11-81 के द्वारा कुछ संशोधन सुझाये हैं। आयोग के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। नियमों को शीघ्रता से मुकम्मल करवाने के लिये प्रयत्न जारी रखे जाएंगे।

पाकिस्तान द्वारा पूर्व चेतावनी देने वाला राडार यंत्र प्राप्त किया जाना

602. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पूर्व चेतावनी देने वाले राडार (अवाक राडार) प्राप्त करने और उन्हें अपनी वायुसेना के सी-130 परिवहन विमानों में, जो उसके पास पहले से हैं, अमरीका के सहयोग से आवश्यक सुधार कर लगाने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पाकिस्तानी चाल का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी हैं कि पाकिस्तान सी-130 परिवहन विमान को आकाश से चेतावनी देने और नियंत्रण प्रणाली युक्त विमान में बदलने की योजना बना रहा है। इस बारे में कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) हमारे सुरक्षा परिवेश में होने वाली सभी घटनाओं पर लगातार नजर रखी जाती है और हम पूरी रक्षा तैयारियां बनाए रखने के लिए समुचित उपाय कर रहे हैं। इस बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

करांची बन्दरगाह में अमरीकी नौसेना फ्रिगेट जहाज

603. **श्री पी० नामग्याय** : क्या रक्षा मंत्री 26 अक्तूबर, 1981 के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में कराची बन्दरगाह में घातक मिसाइलों और अन्य युद्ध हथियारों को लेकर अमरीका के नौ सेना के फ्रिगेट जहाजों के बार-बार आने के बारे में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान और अमरीकी नौसेना को इस प्रकार की खतरनाक चालों से सुरक्षा करने और उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना क्या चौकसी बरत रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सरकार को अमरीकी नौसैनिक पोतों द्वारा कराची का दौरा करते रहने का पता है। एक देश के युद्ध पोतों द्वारा दूसरे देशों को दौरा किया जाना एक आम बात है और उसे आवश्यक रूप से आक्रमक कार्रवाई के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। फिर भी पड़ोस में हो रही घटनाओं पर बराबर नजर रखी जाती है और देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

पश्चिमी बंगाल में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की स्थापना

604. **श्री रेणु पद दास**
प्रो० रूप चन्द्र पाल } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का एक यूनिट स्थापित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की दो नई यूनिटें स्थापित करने के मुख्य प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेते समय इन यूनिटों की स्थापना के स्थान के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में 7 ए० पी० ए० और एम्पीसिलीन संयंत्रों की स्थापना

605 **श्री रेणु पद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने उनके साथ नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की समस्याओं पर चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बंगाल इम्यूनिटी एकक के दायरे में ही 7 ए०पी०ए० और एम्पीसिलीन के जुड़वां संयंत्र स्थापित करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु बंगाल इम्यूनिटी कंपनी, कलकत्ता द्वारा प्रतिवर्ष 25 मी० टन एम्पिसिलीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस हेतु जून, 1981 में प्रस्तुत किये गए आवेदन को रद्द कर दिया गया है। अक्तूबर 1981 में प्रस्तुत, कम्पनी के दूसरे आवेदन पत्र पर, जो एम्पिसिलीन के उत्पादन के एक मध्य ए० पी० ए० के 100 मी० टन प्रतिवर्ष उत्पादन की सुविधाएं स्थापित करने के लिए है, विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को कच्चे माल की सप्लाई

606. **श्री रेणु पद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम कच्चा सामान मिल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को आबंटित कोटा नहीं मिल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को आवंटित कोटा समय पर सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) राज्यों को दुर्लभ कच्ची सामग्री का आवंटन विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर किया जाता है जिनका सम्बन्ध उनकी पिछली कुल खरीद और पूर्वनिर्धारित उपलब्धता से होता है।

(ख) से (घ) आवंटन को पर्याप्त पूर्ति में बदलने और उसे उठाने संबंधी मामला राज्य

निगमों तथा संभरण-अधिकरण के बीच का आपसी वाणिज्यिक मामला है। इस संबंध में राज्य निगमों को उपलब्ध कराए गए माल को उठाने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विकास के लिए अन्तरिक्ष टेक्नॉलॉजी

607. **श्री रेणु पद दास :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका के बारे में जानकारी है जो विकास के लिये विकासशील देशों को हानि में रखते हुये अन्तरिक्ष टेक्नालाजी के प्रयोग पर एकाधिकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी०एन० सिंह): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में ऐसी कम्पनियां हैं, जो अन्तरिक्ष उपयोग और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य करती हैं। ये कम्पनियां सामान्य रूप में प्रमुख ठेकेदार के रूप में अथवा उप-ठेकेदार के रूप में स्वयं कार्य करती हैं। विकासशील देशों को हानि में रखते हुए अन्तरिक्ष टेक्नालाजी के प्रयोग पर उनके एकाधिकार के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपयोग के सभी पहलुओं के बारे में आत्म-निर्भरता पर बल प्रदान किया है तथा इसे उपलब्ध करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत 1980-90 के लिये अन्तरिक्ष प्रोफाइल में इस नीति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्रोफाइल की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं।

पहाड़ों और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों का पुनर्वास

608. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के पहाड़ों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को अण्डमान के दूरस्थ किनारे में रह रहे अंग आदिवासियों, जो विलुप्त होने के संकट में हैं, की दुर्दशा के बारे में जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) उन्हें शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां । अंग आदिवासियों को आदिम जन जाति वर्ग के रूप में माना गया है ।

(ग) और (घ) इस समुदाय के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं । सुधारात्मक उपाय शरू करने के लिये इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जा रही है जिनमें जननिक तत्वों के कारण जनसंख्या में ह्रास सम्बन्धित समस्याएं शामिल हैं । उनको आवास; चिकित्सा और पीने के पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ।

नरौरा परमाणु बिजली संयन्त्र का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब

609. **श्री जगपाल सिंह**
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरौरा में बनाये जा रहे परमाणु बिजली संयंत्र के पूरा होने में लगभग 5 वर्ष का विलम्ब होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप संयन्त्र के निर्माण कार्य की लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) संयंत्र के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिटों का निर्माण-कार्यक्र मशः सन् 1986 तथा सन् 1987 में पूरा होने की आशा है । प्रारम्भ में इन यूनिटों का निर्माण-कार्य क्रमशः सन 1981 तथा सन् 1982 तक पूरा करने का कार्यक्रम था ।

(ख) तथा (घ) परियोजना के निर्माण-कार्य के निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रह जाने के कारण हैं आरम्भिक चरणों में भूमि के अधिग्रहण में सामने आई समस्यायें, भूकम्प सम्बन्धी विश्लेषण करने के बाद डिजाइनों को अन्तिम रूप देने में लगा आवश्यक अतिरिक्त समय तथा ऐसे कारणों से, जो विभाग के नियन्त्रण से बाहर की बात थे, बड़े नाभिकीय उपस्करों की आपूर्ति देरी से होना । परियोजना के लिये निर्धारित कार्यक्रम पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न उपस्करों का निर्माण

तेजी से करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उपस्करों को लगाने तथा उनको चालू करने के काम यथासम्भव साथ-साथ किये जा रहे हैं।

(ग) लागत में हुई वृद्धि से पड़ा ऐसा प्रभाव, जिसे परियोजना में हुए विलम्ब का सीधा कारण बताया जा सके, बहुत अधिक नहीं है।

बदरपुर खान में एक श्रमिक की मृत्यु

610. **श्री जगपाल सिंह**
डा० कृपा सिंधु भोई
प्रो० अजीत कुमार मेहता } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बदरपुर रेत और भट्टी खान में धस जाने के कारण एक श्रमिक की मृत्यु हो गई;

(ख) क्या कई भट्टी खानों में जिन्हें दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है,लगातार अवैध रूप से ठेकेदारों द्वारा खुदाई की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और खानों की कार्य स्थिति में सुधार के लिये और खानों की अवैध रूप से खुदाई रोकने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। डी० एस० आई० डी० सी० की भट्टी बजरी खान में 19 अक्तूबर, 1981 को दीवार के गिरने के कारण हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया।

(ख) चूंकि भट्टी बजरी खान की स्थिति खतरनाक पाई गई थी, इसलिये खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अधीन आदेश जारी किये थे, जिसके द्वारा उचित बैंचों के बनाये जाने और काम-काज की दशाएं सुरक्षित किये जाने तक खान में व्यक्तियों के नियोजन पर रोक लगाई गई थी। ये आदेश अभी भी लागू हैं। डी० एस० आई० डी० सी० के अनुसार, उक्त खान में खनन संक्रियाएं 22-10-81 से बन्द कर दी गई हैं।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशक के एक अधिकारी द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई है। जांच से पता चला है कि दुर्घटना दीवार के गिरने के कारण हुई। निदेशालय ने डी० एस० आई० डी० को चेतावनी पत्र जारी किए हैं और यह मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया है।

बर्मा में भूमिगत नागाओं को शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण

611. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण पाने के लिये बड़ी संख्या में भूमिगत नागाओं ने हाल ही में मणिपुर सीमा से बर्मा में प्रवेश किया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों के दौरान शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण पाने के लिये कितने भूमिगत नागा बर्मा और अन्य स्थानों पर भाग गये हैं; और

(ग) भूमिगत नागाओं के छिपकर चले जाने और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद भारत में उनका प्रवेश रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) बताया जाता है कि कुछ गुमराह व्यक्तियों ने मणिपुर सोमा से वर्मा में घुसपैठ,की है। ऐसे व्यक्तियों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है। इस प्रकार चोरी छिपे पार सीमा करने की कार्यवाही रोकने के लिये भारत-बर्मा सीमा पर सतर्कता रखी जा रही है।

श्रम सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए-अस्थायी श्रम न्यायालय

612. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति**
श्री अजय विश्वास } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे लम्बी अवधि से विचाराधीन पड़े औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिये अस्थायी श्रम न्यायालयों की स्थापना पर विचार करें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई मार्ग निर्देश तैयार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे श्रम न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिये प्रभावी उपाय करें ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह राज्य सरकारों का काम है कि वे स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात उपयुक्त मार्ग निर्देश करें।

(घ) उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

दिल्ली छावनी में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध नोटिस

613. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में दुकानों को 'सबलेट' किये जाने के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित व्यक्तियों को अनाधिकृत निर्माण के लिये नोटिस कब जारी किये गये थे;

(ख) यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण है;

(ग) प्राप्त उत्तरों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) अनाधिकृत निर्माण/छज्जों को गिराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी औचित्य क्या है और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सर्व श्री हरनाम सिंह और लखीराम को दूकानों के अनाधिकृत उप विभाजन के लिये 7 जुलाई 1977 को नोटिस दिये गये थे। इन दूकानों के अनाधिकृत निर्माण के दोनों मामलों में से एक मामले में एक पार्टी ने छावनी अधिनियम 1924 की धारा 274 के अन्तर्गत एक अपील, अपील अधिकारी को पेश की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है । दूसरे मामले में सम्बन्धित पार्टी से नोटिस के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस मामले में छावनी अधिनियम 1924 की संगत धारा के अधीन कार्यवाई की जायेगी।

48 दुकानों में अनाधिकृत रूप से बनाये गये छज्जों के निर्माण के सम्बन्ध में छावनी बोर्ड ने यह तय किया है कि जब तक प्रत्येक के बारे में पूरे ब्यौरे प्राप्त नहीं होते तब तक इनके बारे में कार्रवाई स्थगित रखी जाये । 12 दूकानों के ऊपर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	नाम और पता	पहली मंजिल पर अनधिकृत निर्माण का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	श्री लखीराम 1/166 सदर बाजार	सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा और एक छज्जा का निर्माण किया।	1. नोटिस, धारा 18 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/4/यू सी/लखीराम/एस बी/79-80 दिनांक 18-9-1977 को दिया गया। नोटिस, धारा 256 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/4/यू सी /लखीराम/ एस बी/79-80 दिनांक 6. 11. 1979 को दिया गया। धारा 184 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। अब अपील खारिज की जा चुकी है किन्तु अनाधिकृत रूप ये बनाए गए कमरे और छज्जे को गिराने की कार्यवाही न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है।
	—वही—	एक कमरा और एक जीने का निर्माण किया।	नोटिस धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/-/यू सी/ लखीराम/एस बी दिनांक 27. 7. 81 को दिया गया। धारा 184 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है।

1	2	3	4
3.	श्री सूरजभान 1/170, सदर बाजार	एक कमरा, एक रसोई और गुसलखाने का निर्माण किया।	20. 7. 1981 को धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/4/यू सी/एस वी दिया गया। 13. 11. 1981 को धारा 256 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी वी/4/यू सी/एस वी/एस बी दिया गया।
4.	श्री दीनानाथ 1/177, सदर बाजार	दो कमरों का निर्माण किया	नोटिस, धार, 185 के अन्तर्गत 15. 10. 1974 को नोटिस संख्या 4/यू सी/दीनानाथ/एस वी, दिया गया। नोटिस, धारा 256 के अन्तर्गत 4. 5. 1977 को नोटिस संख्या 4/यू सी दीनानाथ/एस वी /77-78 दिया गया। पुलिस दल के उपलब्ध होने पर इसे गिराने की कार्यवाही की जाएगी।
5.	श्री मनोहर लाल 1/173, सदर बाजार	दो कमरों और एक रसोई का निर्माण किया।	नोटिस, धारा 185 के अन्तर्गत 18. 9. 1979 को नोटिस संख्या डी. सी वी/4/यू सी मनोहर लाल/एस वी/79-80 दिया गया। नोटिस धारा 256 के अन्तर्गत 6. 11 1979 को नोटिस संख्या डी सी वी/4/यू सी/मनोहर लाल/एस वी दिया गया। पुलिस दल के उपलब्ध होने के बाद गिराने की कार्यवाही की जाएगी।
6.	श्री स्वर्ण सिंह तांगा स्टैंड, सदर बाजार	एक कमरे का निर्माण किया।	नोटिस, धारा 185 के अन्तर्गत 18. 9. 1979 को नोटिस संख्या डी सी वी/यू सी/स्वर्ण सिंह/79-80 को दिया गया। नोटिस धारा 256 के अन्तर्गत 6. 11. 1979 को नोटिस संख्या डी सी वी/4/यू सी/स्वर्ण सिंह एस बी/79-80 दिया गया। धारा 184 के अधीन मुकदमा चलाया गया है। पुलिस दल के उपलब्ध होने पर गिराने की कार्यवाही की जाएगी।

1	2	3	4
7.	श्री हेमराज 11/34, सदर बाजार	एक कमरे का निर्माण किया ।	नोटिस धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी/4/यू सी/एच-आर/एस बी दिनांक 15. 2. 80 को दिया गया। धारा 184 के अधीन मुकदमा चलाया गया। धारा 256 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने के लिए मामला छावनी बोर्ड को भेजा जा रहा है।
8.	श्री प्रीतम सिंह गिल 11/25, 26 सदर बाजार	एक गुसलखाना और एक शौचालय का निर्माण किया।	धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/4/यू सी/पी एस जी/एस बी दिनांक 6.1.1981 दिया गया। धारा 184 के अधीन मुकदमा चलाया गया है। मामला छावनी बोर्ड के पास अगला नोटिस धारा 256 के अन्तर्गत जारी करने के लिये भेजा जा रहा है।
9.	--वही--	दो कमरों का निर्माण किया	धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या डी सी बी/4/यूसी/पी एस जी/एस बी/80-81 दिनांक 25. 3. 1981 जारी किया गया। धारा 184 के अधीन अभियोजन किया गया है। अगला नोटिस धारा 256 के अधीन जारी करने के लिए मामला छावनी बोर्ड को भेजा जा रहा है।
10.	श्री रतन लाल सूद 1/165, सदर बाजार	एक परछत्ती, एक कमरा और एक शौचालय का निर्माण किया।	नोटिस धारा 185 के अन्तर्गत दिनांक 18. 4. 1979 को नोटिस संख्या 4/यू सी/आर एल सूद/ एस. बी/78-79 जारी किया गया। धारा 256 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 13. 11. 1981 को नोटिस

१	2	3	4
			संख्या डी सी बी/4/यू सी/आर एल सूद/एस बी/78-79 जारी किया गया।
11.	श्री दयाराम जैन, 1/162, सदर बाजार	दो कमरे और एक जीना।	धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस संख्या 4/यू सी/दयाराम/ एस बी/ 77-78 दिनांक 7. 7. 77 जारी किया गया। धारा 256 के अधीन नोटिस दिनांक 31. 8. 1977 को नोटिस संख्या 4/यू सी/दयाराम/ एस बी/77-78 जारी किया गया । पुलिस दल के उपलब्ध होने पर अनधिकृत निर्माण को गिराने की कार्यवाही की जाएगी।
12.	श्री स्वर्ण सिंह मक्कर 1/153 (सिंहसन बेकरी)	पूरी पहली मंजिल का निर्माण किया।	अनधिकृत निर्माण को हटाने का मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है।

"हाउ वीमेन बीहेव इन जेल" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

614. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1981 में "हाउ वीमेन वीहेव इन जेल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) तिहाड़ जेल सहित जेलों के कार्यक्रम में क्या-क्या सुधार लाने का विचार है;

(घ) क्या जेल नियम पुस्तिकायें अद्यतन और पुनरीक्षित कर दी गई हैं तथा लागू कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार ने तारीख 25-9-1981 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित "हाउ वीमेन बोहेव इन जेल" नामक शीर्षक समाचार देखा है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तिहाड़ जेल के कार्यकरण में कदाचार के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त होने के अनुसरण में जेल प्रशासन में सुधार लाने और जेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए हाल में अनेक कदम उठाये गये हैं। उठाये गये कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में एक पूर्णकालिक उप महानिरीक्षक (जेल) के पद का सृजन किया गया है। उप-महानिरीक्षक (जेल) का कार्यालय तिहाड़ जेल के परिसर में स्थित है।

(2) भूतपूर्व अधीक्षक और दो उप-अधीक्षकों को उनके मूल राज्यों को भेज दिया गया है और दिल्ली अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा के एक अधिकारी को तिहाड़ जेल के अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है।

(3) मुलाकात की प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

(4) जहां तक संभव होता है, जेल का लाक अप और लाक आउट मैनुअल के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

(5) वार्डरों/मुख्य वार्डरों की ड्यूटियों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन किया जाता है ताकि निजी स्वार्थी को टाला जा सके।

(6) कैदियों की साप्ताहिक परेड और वार्डरों की परेड नियमित रूप से की जाती है।

(7) महिला कैदियों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना तैयार की जा रही है।

(ग) "जेल" राज्य का विषय है और जेलों के प्रशासन और रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार ने भी समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता सहित सलाह और सहायता दी है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 11 राज्यों को 48 31 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विस्तृत विचारार्थ विषयों के साथ जुलाई 1980 में जेल सुधार सम्बन्धी एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जेल नियमों में संशोधन के लिए सिफारिशें करना, क्षमा पेरोल और परिवीक्षा के लिए समान और मानकीकृत नीति अपनाना, महिला बच्चों, और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के साथ विशेष व्यवहार, हिरासत और सुधार के सम्बन्ध में जेल कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, कैदियों की मूल आवश्यकताओं और सुविधाओं के विशिष्ट संदर्भ में उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार, खुली जेलों का विकास आदि सम्मिलित है। इस समिति ने तिहाड़ जेल के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसमें निहित सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा 1957 में नियुक्त अखिल-भारतीय जेल मैनुअल समिति द्वारा बनाए गए आदर्श जेल मेनुअल के उपबन्धों को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपने जेल के मैनुअलों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संशोधित जेल मैनुअल क्रमशः 14 जून, 1979 और 15 जुलाई 1978 में लागू हुए हैं। महाराष्ट्र का जेल मैनुअल जेल नियमों का संचय है जो 1962 से आरम्भ होकर वर्ष 1979 तक विभिन्न तारीखों को लागू हुआ है। दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र मैनुअल का अनुसरण करता है और गोवा, दमण और दीव आदर्श जेल मैनुअल का अनुपालन करता है। अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में संशोधन का कार्य चल रहा है। तिहाड़ जेल दिल्ली के लिए जेल मैनुअल के संशोधन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

"लाइफर आन पैरोल एट लार्ज" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

615. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्टूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "लाइफर आन पैरोल एट लार्ज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस आजीवन बन्दी के दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा से बच निकलने का ब्यौरा क्या है जब वह कनाट प्लेस, नई दिल्ली में पकड़ा गया था तथा कर्त्तव्य के प्रति उदासीन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(क) और (ग) स्वदेश निर्मित पिस्तोल और 5 बिना चले कारतूस रखने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अन्तर्गत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में चिड़ियाघर के नजदीक मथुरा रोड पर 12 फरवरी, 1981 को रवीकान्त शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान उसने बताया कि वह पटियाला सैंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और 6 फरवरी, 1981 तक पैरोल पर है। पैरोल की समाप्ति के बाद वह जेल वापस नहीं गया। थाना अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक पटियाला और चंडीगढ़ को बेतार संदेश भेजा लेकिन पटियाला सैन्ट्रल जेल के अधीक्षक को सूचना नहीं भेजी। मैट्रो-पोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में 13 फरवरी, 1981 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

थाना अधिकारी और उपनिरीक्षक के विरुद्ध उनकी लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

616. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे**
श्री सज्जन कुमार
श्री भीकूराम जैन } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस समय सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में सीमेंट की मांग और पूर्ति का कोई सर्वेक्षण किया है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली के लोगों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिल्ली के संघ शासित प्रदेश सहित देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने संघ शासित प्रदेश दिल्ली में सीमेंट की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया है और उन्होंने सीमेंट की प्रति तिमाही आवश्यकता का 2,20,000 मी० टन अनुमान लगाया है।

(घ) सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग कर, नई क्षमता स्वीकृत करके और आयात द्वारा देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

(ङ) चालू तिमाही के दौरान कुछ सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ावा देना प्रत्याशित है और संघ शासित प्रदेश दिल्ली के लिए सीमेंट का 6,000 मी० टन अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

एसोसिएटिड जरनल्स लिमिडेड, दिल्ली द्वारा मजदूरी का भुगतान न किया जाना

617. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज मान
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एसोसिएटिड जरनल्स लि० में 1981 के गत नौ महीनों के दौरान श्रमजीवी पत्रकारों और कर्मचारियों को मजूरी तथा वेतन का भुगतान अनियमित रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दशहरा, दीवाली के त्यौहारों के अवसर पर भी सितम्बर के लिए मजूरी तथा वेतन का भुगतान नहीं किया गया था; और

(ग) क्या यह न्यूनतम मजूरी संदाय अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, यदि हां, तो ऐसोसिएटेड जनरल्स लि० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मजदूरी और वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के रिकार्ड की जांच की गई थी और यह पाया गया था दिल्ली में उक्त प्रतिष्ठान के श्रमजीवी-पत्रकारों तथा अन्यों की जनवरी, 1981 से अक्टूबर, 1981 महीनों तक की मजदूरी और वेतन का भुगतान देय तारीखों, या उसके अगले दिन (यदि प्रकाशनाधीन प्रतिष्ठान भुगतान की देय तारीख को छुट्टी के कारण बंद था) किया गया था, केवल उन श्रमिकों के मामलों को छोड़कर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी, सेवा निवृत्त हो गये या छुट्टी पर थे। प्रशासन ने आगे यह भी सूचित किया है कि मजदूरी और वेतन के भुगतान में देरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए प्रबन्धतंत्र के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आदि के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

विद्रोह तथा साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए नए अर्द्ध सैनिक बल

618: **श्री टी० दामोदर रेड्डी**
श्री एम० राजगोपाल रेड्डी
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोह तथा साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं से निपटने के लिए पूर्णतया भूतपूर्व सैनिकों का एक नया अर्द्धसैनिक बल शीघ्र ही बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में जाली डिगरियां बेचने वाला गिरोह

619. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार नई दिल्ली में जाली डिगरियां बेचने वाले इस गिरोह का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐसी जाली डिगरियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की जाली डिगरी देने के एक मामले का पता लगाया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत कल्याणपुरी थाना, दिल्ली में 26-9-1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 359 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त श्री ओमपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसके कार्यालय और घर से चिकित्सा विज्ञान की डिगरियां/डिप्लोमा जारी करने से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं।

(ग) जब कभी इस प्रकार का कोई मामला पुलिस को सूचित किया जाता है, उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

620. **श्री चित्त बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्तूबर, को जमशेदपुर में अपने भाषण में उन्होंने भागीदारी आदर्श के रूप में कम्पनी की इक्विटी में, श्रमिकों की भागीदारी की संभावना की ओर संकेत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर और प्रकाश डालेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) 21 सदस्दीय समिति ने, जिसने प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता के प्रश्न की जांच की, यह विचार व्यक्त किया कि निजी क्षेत्र में किसी कम्पनी द्वारा भविष्य में जारी किए गए सभी नए शेयरों का कम से कम 10 प्रतिशत केवल श्रमिकों के शेयर के रूप में सुरक्षित रखा जाए और

उक्त कम्पनी के श्रमिकों को पहले दिया जाए। यदि श्रमिक इन शेयरों को नहीं खरीदते, तो उन्हें अन्य व्यक्तियों को दिया जाए।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में ठेका श्रमिक

621. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषकर रेलवे, डाक व तार तथा निर्माण और आवास में ठेका श्रमिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको नियमित रोजगार में खपाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेश के राष्ट्रिकों के अनधिकृत प्रवेश का अध्ययन करने के लिए पेनल

622. **श्री चित्त बसु**
श्री सत्यगोपाल मिश्र } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती राज्यों में बंगलादेश के राष्ट्रिकों के अनधिकृत प्रवेश की समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार ने हाल ही में कोई पेनल गठित किया है ;

(ख) क्या उक्त पेनल ने इस बीच कोई प्रतिवेदन पेश किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सीमा पर सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) : समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पश्चिम बंगाल के विधेयकों पर सम्मति

623. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री सुबोध सेन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति की सम्मति के लिये केन्द्रीय सरकार को

भेजे गये कितने विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास सम्मति प्राप्त करने के लिये पड़े हुए हैं ;

(ख) उन विधेयकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विधेयकों को कब तक निपटा दिया जायेगा, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

31-10-1981 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़े हुए पश्चिम बंगाल के विधेयकों का विवरण।

क्रम सं०	विधेयक का नाम	
1.	ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1969	इन विधेयोंक पर केन्द्रीय सरकार की टिप्पणियां पश्चिमबंगाल सरकारको भेजी गई हैं, उनके विचारों की प्रतीक्षा है।
2.	नगर नागरिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1980	
3.	पंजीकरण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	
4.	नेताजी नगर कालेज (प्रबन्ध अधिग्रहण संशोधन) विधेयक, 1981	
5.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	इन विधेयकों पर नर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।
6.	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	
7.	इंडियन कालेज आफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप (प्रबंध अधिग्रहण) संशोधन), 1981	
8.	श्री रामकृष्ण शारदा विद्या महापीठ अधिग्रहण, विधेयक, 1981	
9.	बंगवासी वर्ग के कालेजों का अधिग्रहण विधेयक, 1981	
10.	बिरला कालेज आफ साइन्स एंड ऐजूकेशन अधिग्रहण विधेयक, 1981	
11.	इंडियन कालेज आफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप अधिग्रहण विधेयक, 1981	

12. नेताजी नगर कालेज अधिग्रहण विधेयक, 1981

13. नहर (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981

14. बंगाल तटबंध (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981

15. कलकत्ता नगर निगम विधेयक, 1980

16. भारतीय वन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981

हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, आसनसोल की स्थिति

624. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल स्थित हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) कारखाने को पुनः खोलने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड आसनसोल के कारखाने में अभी तालाबन्दी चल रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को राज्य के श्रमायुक्त को यह परामर्श देने का सुझाव दिया गया है कि वह श्रमिक-प्रबन्धकों के झगड़े को सुलझायें ताकि तालाबन्दी समाप्त हो और उत्पादन प्रारम्भ हो।

कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स का अधिग्रहण

625. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने 7-11-80 को रेडियो प्रसारण में घोषणा की थी कि सरकार ने बिहार के धनबाद जिले में कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा उस कारखाने के अधिग्रहण के लिए आश्वासन दिये जाने के बाद की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है परन्तु कारखाने के अधिग्रहण के लिए कुछ नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आरम्भ में इस मामले पर 5-11-80 को बिहार के उद्योग मन्त्री ने भारत सरकार के उद्योग राज्य मन्त्री से विचार-विमर्श किया था किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा कारखाने को अधिकार में लेने के बारे में बिहार सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। कम्पनी को फिर से चालू करने का मामला अभी केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को पुनः चालू करना

626. **श्री ए० के० राय**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर } : क्या **उद्योग** मन्त्री कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को पुनः चालू करने के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3545 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को पुनः चालू करने की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त जांच निकाय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और क्या सरकार उसकी जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का सारांश क्या है और क्या सरकार द्वारा जाँच पूरी कर ली गई है ; यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अभी यह मामला भारत सरकार तथा बिहार सरकार के विचाराधीन है अतः इस अवस्था में विस्तृत ब्यौरा बताना समय पूर्व होगा।

बंगलौर में टेलीविजन निर्माता एकक की स्थापना करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनी की स्वीकृति

627. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेलीविजन सैट बनाने के लिए बंगलौर में एकक की स्थापना करने हेतु किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विचाराधीन औद्योगिक विवाद

628. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे दो महीनों से अधिक अवधि से विचाराधीन पड़े औद्योगिक विवादों के सभी मामलों की सूचना दें ;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं। सरकार ने केवल महत्त्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक विवादों के मामले से सम्बन्धित सूचना मांगी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में सीमेंट उद्योगों की स्थापना

629. **आचार्य भगवान देव** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान के कितने सीमेंट कारखाने निर्माणधीन हैं, वे कहां-कहां पर हैं तथा उनके पूरा होने पर प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी;

(ख) क्या इन सीमेंट कारखानों का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनियोजित ढंग से चल रहा है और क्या उनके निर्धारित समय में पूरा हो जाने तथा उनमें अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन होने की आशा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा और उनमें कितनी मात्रा में उत्पादन होगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन करने के लिये एकक स्थापित करने हेतु जिन एककों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र

स्वीकृत किये गये हैं, उनकी एक सूची विवरण रूप में संलग्न है। इनमें से क्रम संख्या 7, 8, 9, तथा 17 पर उल्लिखित एककों ने अपनी क्षमता का कार्यान्वयन करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा लिये हैं तथा इनमें वर्ष 1984-85 तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है अन्य योजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा पनपने की 4 से 5 वर्षों की सामान्य अवधि में इनके स्थापित हो जाने की आशा है, बशर्ते कि इन्हें वित्त आदि उपलब्ध होता रहे। इन एककों द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखने के बाद आशय पत्रों/लाइसेंसों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।

विवरण

राजस्थान में स्थापित की जाने वाली क्षमताएं

क्र० सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
1	2	3	4
1.	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इनवैस्टमेंट कारपोरेशन, जयपुर (राजस्थान)	जैतरन जिला पाली	66,000 नया एकक
2.	—वही—	विलारा, जिला जोधपुर	66,000 वही
3.	—वही—	कोटपुतली, जिला जयपुर	66,000 वही
4.	— वही—	ऐबरोड अखरा, जिला सिरोही	66,000 वही
5.	—वही —	नीम का थाना, जिला सिकार	66,000 वही
6.	—वही—	गोतन, तहसील नगाउर	66,000 वही (नया सीमेंट)
7.	श्री सीमेंट लिमिटेड	बीवार, जिला अजमेर	12,00,000 नया एकक
8.	स्टरा प्रोडक्शन लिमिटेड नई दिल्ली।	बनाश, जिला सिरोही	500,000 वही

1	2	3	4
9.	जे० के० सिन्थेटिक लिमिटिड	निमबाहेरा	500,000 पर्याप्त विस्तार (नया सीमेंट)
10.	श्रीराम कैमिकल इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, नई दिल्ली ।	तहसील लाडपुरा, जिला कोटा	200,000 पर्याप्त विस्तार
11.	श्री राज पुरोहित, मैसर्स अपैक्स प्रोड्क्टस, कलकत्ता	तहसील आबू रोड, जिला सिरोही	66,000 -वही-
12.	जे० के० सिंथेटिक लिमिटेड, कानपुर	डिगोड, जिला कोटा	420,000 -वही-
13.	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड (उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स)	तहसील मेवली, जिला उदयपुर	400,000 पर्याप्त विस्तार (विस्तार के बाद 800,000)
14.	श्री चन्द्र प्रकाश कनोई, कलकत्ता	तहसील शम्भुपुरा, जिला चित्तौड़ गढ़	420,000 नया एकक
15.	श्री कुशल चन्द्र शर्मा, जयपुर	तहसील आबू रोड, जिला सिरोही	400,000 नया एकक
16.	जे० के० सिंथेटिक लिमिटेड, कानपुर	तहसील शम्भुपुरा, जिला चित्तौड़ गढ़	600,000 नया एकक
17.	वही	निमबहेरा, जिला चित्तौड़ गढ़	420,000 पर्याप्त विस्तार (विस्तार के बाद 11,40,000)
18.	जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	तहसील बेगुन जिला चित्तौड़ गढ़	500,000 नया एकक

1	2	3	4
19.	बिरला जूट मैन्यु० कं० लि०,	तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़ गढ़	3,30,000 पर्याप्त विस्तार (विस्तार के बाद 7,30,000)

इन्सैट का छोड़ा जाना

630. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इन्सैट-1 ए' छोड़ने के लिए आवश्यक प्रबन्ध पूरे कर लिये गये हैं;

(ख) क्या इसे निर्धारित समय के अनुसार छोड़ा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

आशा की जाती है कि 'इन्सैट-1 ए' को निर्धारित समय के अनुसार अप्रैल 8, 1982 को छोड़ा जायेगा।

(ग) इन्सैट—1 अन्तरिक्षयान के लिये "नासा" द्वारा लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमोचन और सम्बद्ध सेवाओं के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के साथ नवम्बर, 1980 में करार किया गया था। अन्तरिक्ष विभाग द्वारा दिये गये विकल्पों के अनुसार इस करार में प्रथम इन्सैट-1 (इन्सैट-1 ए) अन्तरिक्षयान को उत्सर्जनीय डेल्टा 3910 प्रमोचक राकेट द्वारा छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। इन्सैट 1 ए. को अप्रैल 8, 1982 को छोड़ा जाना है।

नार्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हत्या

631. **श्री एम० राजगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक वाइस-चांसलर की 31 अक्तूबर 1981 को गोली के घाव के कारण मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में आवश्यक जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

आटोमोवाइल उद्योग में मूल्य नियन्त्रक उपायों को लागू करना

632. **श्री तारिक अनवर**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पर मूल्य नियंत्रक उपाय लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अभी हाल में मोटर गाड़ियों, स्कूटरों, ट्रैक्टरों और हल्के वाहनों के मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि होनी आरम्भ हो गई है; और

(ग) बढ़ते मूल्यों की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करने के लिये कौन से उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत तिवारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) निर्माताओं ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं की लागत तथा निर्माण लागत में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक गाड़ियों, यात्री कारों, ट्रैक्टरों और स्कूटरों के मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। सरकार ने निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य कार्यालय को मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है।

प्रत्येक कारखाने में उत्पादित सीमेंट

633. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश के प्रत्येक कारखाने द्वारा कुल कितनी मात्रा में सीमेण्ट का उत्पादन किया गया;

(ख) प्रत्येक वर्ष सीमेण्ट उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने सीमेण्ट उद्योग को कहा है कि वह सीमेण्ट के उत्पादन में वृद्धि करें; और

(घ) सीमेंट उद्योग ने सरकार के इस सुझाव को कहां तक स्वीकार कर लिया है और सीमेण्ट के वृद्धिगत उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार सीमेण्ट का देश के भीतर ही उत्पादन बढ़ाने के लिये उद्योग से बार-बार अनुरोध करती रही है। सीमेण्ट की चालू उत्पादन सम्बन्धी प्रवृत्ति से पता चलता है कि वर्ष 1981-82 के दौरान उत्पादन विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक होगा। उद्योग के बारे में ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आन्तरिक कठिनाइयों जैसे कोयले की कमी, बिजली की कटौतियों, बिजली के चले जाने आदि के कारण उत्पादन में रुकावट आई, इनकी विधिवत् रूप से जांच की गई है तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सुधारक कदम उठाये गये हैं। वर्तमान क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करके तथा नयी क्षमता का सृजन करके अधिकाधिक उत्पादन करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	उत्पादन (मी० टन)		
		1978	1979	1980
1.	ए० सी० सी० लि०, बनमोर	66008	52359	46382
2.	,, भूपेन्द्रा	446364	397745	375955
3.	,, चाइवासा	459163	419428	383738

1	2	3	4	5	6
4.	ए० सी० सी० लि०,	चन्दा	364908	410157	376836
5.	,,	जमूल	1201678	1151187	1109228
6.	,,	द्वारका	305540	236967	245536
7.	,,	खलारी	97330	91120	95900
8.	,,	किस्तना	224918	282999	235510
9.	,,	कैमूद	766833	757801	635678
10.	,,	लखेरी	306452	218006	164343
11.	,,	मंदुकरई	410212	390822	408394
12.	,,	मनचेरियल	271494	258561	245567
13.	,,	न्यू पोरबन्दर	150086	189490	202567
14.	,,	पोरबन्दर (व्हाइट)	22457	26081	28760
15.	,,	सेवालिया	226754	184658	167960
16.	,,	शहाबाद	511335	406140	361735
17.	,,	वादी	378832	277377	301194
18.	,,	सिन्दरी	180685	153913	128798

1	2	3	4	5	6
19.	आन्ध्रा सीमेंट	विशाखापत्तनम	—	—	177686
20.	,,	विजयवाड़ा	277472	255635	201865
21.	वगालकोट उद्योग		184172	155557	144048
22.	बिरला सीमेंट वर्क्स		404363	448927	307771
23.	चेटीनाड सीमेंट		338014	367583	341303
24.	सीमेंट कार्पो०	वोकाजन	109925	151640	128810
25.	,,	कुरकुन्टा	161068	162410	210228
26.	,,	मंडहर	181395	260410	287288
27.	,,	राजबन	—	20238	114360
28.	,,	अकलतरा	—	—	14493
29.	,,	नीमच	—	—	22058
30.	सैंचुरी सीमेंट		676650	692220	716110
31.	डालमिया दादरी सीमेंट		163614	113348	9181 (3 मास)
32.	डालमिया सीमेंट भारत		531868	514521	479983
33.	दुर्गापुर सीमेंट		425603	383872	348519

1	2	3	4	5	6
34.	हीरा सीमेंट		416838	396020	400312
35.	इण्डिया सीमेंट	(शेंकरीदुर्ग)	664009	599562	550499
36.	,,	(तलईयूथ)	850047	708375	543319
37.	जयपुर उद्योग		685064	580714	449477
38.	जे० एण्ड के० मिनरल्स		8595	7282	7078
39.	जे० के० सीमेंट वर्क्स		418148	438471	560918
40.	कल्याणपुर लाईम एण्ड सीमेंट		306002	253060	291571
41.	केसोराम सीमेंट		555612	711939	711885
42.	मद्रास सीमेंट		320897	354735	429752
43.	मावमूल-चेरा सीमेंट		61960	56300	61390
44.	मैसूर सीमेंट		434874	393773	391809
45.	उड़ीसा सीमेंट		481588	454542	411027
46.	पनायाम सीमेंट		368605	195913	280324
47.	रामाकृष्णा (के सी पी)		291174	284049	223653
48.	रोहतास इण्डस्ट्रीज		308970	219423	208496
49.	सौराष्ट्र सीमेंट		494619	391050	437723

1	2	3	4	5	6
50.	सतना सीमेंट		506650	556802	531615
51.	श्री दिग्विजय	(सिक्दा)	535200	658950	642200
52.	,,	(अहमदाबाद)	121997	124150	80131
53.	,,	(सेवरी)	215748	171425	174559
54.	सोनवैली पोर्टलैंड सीमेंट		215170	149671	180190
55.	तमिलनाडू सीमेंट	(अलनगुलम)	353325	246667	308577
56.	,,	(अरियालूर)	—	28766	217959
57.	तरावनकौर सीमेंट		35571	36945	37867
58.	उदयपुर सीमेंट		230264	235585	159424
59.	यू. पी. एस. सी.	चुर्क	364103	295808	267318
60.	,,	दाला	266328	196838	217907
61.	वी. आई. एस. एल.	भद्रावती	95105	91178	75051
62.	कच्छ सीमेंट		—	—	19019
63.	मेहर सीमेंट		—	—	34606
		कुल उत्पादन	196.3 लाख मी० टन	182.7 लाख मी० टन	179.0 लाख मी० टन
		पिछले वर्ष के उत्पादन से भिन्नता	+4.3 लाख मी० टन	(—) 13.6 लाख मी० टन	(—) 3.7 लाख मी० टन

आदिवासी लोगों को उनकी भूमि के विकास के लिए ऋण

634. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आदिवासियों को उनकी भूमि और कृषि का विकास करने के लिये भिन्न-भिन्न आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋण क्या हैं;

(ख) इस समय उड़ीसा के आदिवासी किसानों को उनकी भूमि और फसलों के विकास के लिये दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋण क्या हैं ;

(ग) 1975 से 1980 तक उड़ीसा में मयूरभंज जिले के छोटे और सीमान्त आदिवासी किसानों को दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई मूल्यांकन किया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में उपरोक्त ऋणों द्वारा छोटे और सीमांत आदिवासी किसान कहां तक लाभान्वित हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संस्थागत ऋण एजेंसियों के माध्यम से अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घाविधि, ऋण दिए जाते हैं तथा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं आदिवासियों को योजना के लिए आर्थिक सहायता घटक उपलब्ध कराती है। कृषि ऋण खेती (अल्पावधि) हल, बैल और कृषि उपकरणों की खरीद (मध्यमावधि) सिंचाई के कूओं की खुदाई, खुदे हुए कूओं में शक्ति संचार करना, उठाव सिंचाई योजना (दीर्घावधि) आदि के लिए स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रकार के ऋण उनकी आवश्यकताओं और योजना की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा और जिला मयूरभंज के आदिवासी किसानों को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत यह सहायता ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक पुनर्वास (ई आर आर पी) और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आवंटन

635. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों की कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई राशि क्या है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें निर्धारित अवधि के दौरान पूरी राशि को खर्च नहीं कर सकी है ;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार इन वर्षों में आदिवासी-उपयोजना कार्यक्रमों में समस्त आवंटन को न खर्च किये जा सकने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि वापस दी गई थी ;

(घ) निर्धारित अवधि के दौरान समस्त राशि को न खर्च करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि आदिवासी उप-योजना के लिये आवंटित की गई राशि समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर खर्च की गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटित धनराशि और किये गये व्यय का एक विवरण संलग्न है। जैसा कि विवरण से पता चलता है, 1980-81 के लिए व्यय के सभी आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और 1978-79 और 1979-80 में कमी नागण्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य ने व्यय न की गई आवंटित धनराशि को वापस नहीं किया है। राज्य सरकारों को व्यय न की गई शेष धनराशि को योजना अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर आगे ले जाने की अनुमति दे दी गई है।

(घ) और (ङ) 1978-79 और 1979-80 के दौरान कभी इतनी न्यून और 1980-81 के लिए व्यय के सभी आंकड़े अभी तक उपलब्ध न होने के कारण अभी कोई विशेष उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता। तथापि कार्यक्रम की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है।

विवरण

	आदिवासी उप-योजना		
	1978-79	1979-80	1980-81
धन का आवंटन	7000.00	7000.00	7000.00
व्यय	6896.14	6914.99	2610.09*

*बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सरकारों के व्यय के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि ये उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली में बदरपुर की खानों के मालिकों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाना

636. **श्री माधव राव सिंधिया** . क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की बदरपुर की खतरनाक खानों में अवैध कार्य जारी है हालांकि इनमें बार-बार घातक दुर्घटनायें हुई हैं जिस में बच्चों और महिलाओं सहित गरीब श्रमिकों की जाने गई हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं थीं और इनमें कितने लोग मरे थे ; और

(ग) इन खानों के इस अवैध कार्य को रोकने और इनके विदोहन का कार्य पुनः आरम्भ करने से पूर्व श्रमिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की भट्टी बदरपुर बजरी खान में अवैधानिक तरीके और अतःखतरनाक तरीकों द्वारा खनन प्रक्रिया की जा रही है।

(ख) 1979, 1980 और 1981 (20-11.81 तक) के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या और मारे गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1979	1	1
1980	5	6
1981 (20-11-81 तक)	4	[illegible]

(ग) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के अधीन निषेधात्मक आदेश समय-समय पर पास किए गए हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध उनकी खानों में विभिन्न दुर्घटनाओं तथा निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए न्यायालयों में मामले दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को समय-समय पर चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। यह मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया है।

"एप्पल" में आ गई बाधायें

37. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एप्पल" में कुछ बाधाएं आ गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये थे और इसमें कितनी सफलत मिली है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां

(ख) भू-स्थायी कक्षा में आने पर दो सौर पैनलों में से एक सौर पैनल नहीं खुल सका था। फिर भी निर्धारित कार्यक्रमों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना उपग्रह को प्रचालित किया गया। अक्तूबर, 1981 में अन्तरिक्षयान में रखी कुछ प्रणालियों जैसे भू-संवेदक और बैटरी में थोड़ी अवधियों के लिए तापमान में सुरक्षित सीमाओं से अधिक वृद्धि हो गई। यह वृद्धि सूर्य के भूमध्यरेखा के दक्षिण की ओर गतिमान होने तथा इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी रेडिएटर के माध्यम से अतिरिक्त ताप निवेश होने के कारण हुई थी। चूंकि एक-सौर पैनल के न खुलने के कारण इसका उत्तरी रेडिएटर बन्द रहा, अतः केवल दक्षिणी रेडिएटर ही प्रभावी रेडिएटर है।

(ग) तापमान वृद्धि को रोकने के लिए एप्पल मिशन टीम ने सफलतापूर्वक समुचित उपाय किए और अक्तूबर 22, 1981 से नीतभार प्रचालन पुनः चालू कर दिये गए हैं।

मारुति लिमिटेड में कारों का उत्पादन

638. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के मारुति उद्योग परियोजना में कार का उत्पादन करने के लिए सरकार योजनाओं में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मारुति कार सड़क पर कब आ जायेगी और इसकी लागत क्या होगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आशय के लिए एक बोर्ड गठित किया गया था और इसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आशा है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजना, मारुति उद्योग लिमिटेड, में 1983 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। कार का मूल्य चुने जाने वाले माडल तथा अन्य संबद्ध बातों पर निर्भर करेगा।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड, के प्रबन्ध के लिए सरकार ने एक निदेशक मण्डल का गठन किया है। आशा है कि सहयोगी के चयन तथा निर्मित किये जाने वाले वास्तविक उत्पादन के संबंध में यह बोर्ड निकट भविष्य में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बी० ई० एल० बंगलौर में 40 सूत्री राउस्टर सिफारिश

639. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ई० एल०, बंगलौर के प्रबंधक 40-सूत्री राउस्टर सिफारिश का पालन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1970-81 से अनुसूचित जातियों/अनूचित जनजातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां :

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	भरती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या		अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या		अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या	
	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी
1970	130	1,307	5	145	—	—
1971	142	945	2	101	1	1
1972	63	465	19	296	1	6
1973	88	594	16	387	2	1
1974	67	526	3	131	1	1
1975	34	319	1	56	—	1
1976	124	158	6	19	1	[illegible]
1977	44	273	2	61	—	1
1978	149	278	3	73	—	2
1979	130	354	8	92	2	9
1980	43	160	5	54	—	3
1981 (30-9-81 तक)	53	84	—	10	—	[illegible]

पदोन्नति

वर्ष	पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या		अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या		अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या	
	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी
1970	38	253	2	31	—	—
1971	145	1,834	1	135	—	[illegible]
1972	124	1,906	7	174	2	2
1973	145	996	4	132	[illegible]	[illegible]
1974	132	1,368	2	120	1	—
1975	66	1,680	8	247	—	3
1976	389	1,574	84	189	5	1
1977	217	837	7	86	—	—
1978	200	4,255	18	530	2	9
1979	396	1,841	11	357	1	3
1980	233	1,217	8	185	1	2
1981 (30-9-81 तक)	285	724	4	127	1	[illegible]

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में भर्ती समितियां

640. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से 1981 तक भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर से वाह्य भर्ती समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं और उनके द्वारा कितने व्यक्तियों का चयन किया है और उनमें श्रेणीवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) 1970 से 1981 तक भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में आन्तरिक भर्ती समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं और उनके द्वारा कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है और उनमें श्रेणीवार (आय वर्गवार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं ; और

(ग) 1 70 से 1981 तक उच्च ग्रेड में कुल कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है और उनमें से आय वर्गवार और वर्गवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा 1970 से 1981 तक वाह्य/आंतरिक भर्ती समितियों और पदोन्नति समितियों और चुने गये/पदोन्नत किये व्यक्तियों की श्रेणीवार (वेतन समूहवार) संख्या का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बंगलौर समूह के लिए कुछ भर्ती प्रधान कार्यालय द्वारा भी की जाती है। जहां तक 1970 से 31-9-1981 तक चुने गये/पदोन्नत किये गये कार्यपालक अधिकारियों और गैर कार्यपालक अधिकारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सम्बन्ध है, एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	भर्ती किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या		अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या		अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या	
	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी
1970	130	1,307	5	145	—	—
1971	142	945	2	101	1	1
1972	63	465	19	296	1	6
1973	88	594	16	387	2	1

1	2	3	4	5	6	7
1974	67	526	3	131	1	1
1975	34	319	1	56	—	1
1976	124	158	6	19	1	1
1977	44	273	2	61	—	1
1978	149	278	3	73	—	2
1979	130	354	8	92	2	9
1980	43	160	5	54	—	3
1981 (30-9-81 तक)	53	84	—	10	—	1

पदोन्नति

वर्ष	पदोन्नत किए गये कर्मचारियों की कुल संख्या		अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या		अनुसूचित जन-जातियों व्यक्तियों संख्या	
	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक अधिकारी	गैरकार्यपालक अधिकारी
1970	38	253	2	31	—	—
1971	145	1,834	1	135	—	7
1972	124	1,906	7	174	2	2
1973	145	996	4	132	1	2
1974	132	1,368	2	120	1	—

1	2	3	4	5	6	7
1975	66	1,680	8	247	—	3
1976	389	1,574	84	189	5	1
1977	216	837	7	86	—	—
1978	200	4,255	18	530	2	9
1979	396	1,841	11	357	1	3
1980	233	1,217	8	185	1	2
1981 (30-9-81 तक)	285	724	4	127	1	3

राज्यों में हड़तालें

641. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1980 से जून, 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य के उद्योगों में कितनी बार हड़तालें हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन हड़तालों के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के हित में इन हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें जुलाई, 1980 से जून 1981 तक प्रत्येक राज्य द्वारा सूचित की गई औद्योगिक हड़तालों की संख्या दी गई है ।

(ख) और (ग) इन हड़तालों के मुख्य कारण मजदूरी दरों और भत्तों, बोनस, कार्मिक, छटनी, छुट्टी और कार्य-घंटो, अनुशासनहीनता और हिंसा से सम्बन्धित विवाद है ।

(घ) सरकार देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। केन्द्र तथा राज्य दोनों में औद्योगिक संबंध तन्त्र मध्यस्थता, निवारक मुलह कार्यवाही, न्याय निर्णयन पंच फैसले द्वारा हड़तालों और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या में कमी करने के प्रयत्न करता रहा, जैसा वर्तमान सांविधिक उपबंधों और स्वैच्छिक प्रबंधों के अंतर्गत आवश्यक है।

विवरण

राज्यों द्वारा जुलाई 1981 तक की अवधि के दौरान सूचित की गई हड़तालों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	हड़तालों की संख्या (अ)
1. आन्ध्र प्रदेश	282
2. असम	17
3. बिहार	170
4. गुजरात	255
5. हरियाणा	89
6. हिमाचल प्रदेश	12
7. जम्मू और काश्मीर	10
8. कर्नाटक	43
9. केरल	77
10. मध्य प्रदेश	168
11. महाराष्ट्र	260
12. मणीपुर	3
13. मेघालय	—
14. नागालैण्ड	—
15. उड़ीसा	79

1	2
16. पंजाब	51
17. राजस्थान	97
18. सिक्किम	
19. तमिलनाडु	301
20. त्रिपुरा	—
21. उत्तर प्रदेश	181
22. पश्चिम बंगाल	193
23. अंडेमान और निकोबार	9
24. अरुणाचल प्रदेश	-
25. चंडीगढ़	5
26. दादरा और नागर हवेली	—
27. दिल्ली	33
28. गोवा, दमन और दीव	29
29. लक्षद्वीप	-
30. मिजोरम	—
31. पांडीचेरी	13
कुल	2,395

(अ) अन्तिम

अनुसूचित जातियों के लिए नौकरियों और पदोन्नतियां सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना

642. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजनों और अनुसूचित जातियों को नौकरियां देने, पदोन्नतियां करने आदि को सुनिश्चित करने के लिए हाल में कोई मार्गदर्शी सिद्धात जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग क्या इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक किन राज्यों ने मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यरूप दिया है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा 335 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों में ही सभी नियुक्तियों तथा पदों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था कार्यकारी अनुदेशों द्वारा की गई हैं। सरकार समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रियायतों तथा लाभों को विनियमित करने के लिये आदेश तथा अनुदेश जारी करती है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा अन्य लाभों की योजना के अनुपालन का निरीक्षण करने तथा उनके कार्यान्वियन के लिये प्रक्रियात्मक तथा संस्थागत व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। एक अर्थ में यह सब मिलाकर मार्गदर्शी सिद्धांत ही हैं और इन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका में शामिल किया गया है (पांचवां संस्करण वर्ष 1978 में प्रकाशित किया गया था)।

(ग) तथा (घ) राज्य लोक सेवाएं, सूची-II अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की मद-41 में सम्मिलित की गई है और वे इस प्रकार पूर्णतया राज्य सरकारों की अधिकारिता के अन्तर्गत आती हैं। इसलिए उपर्युक्त विवरणिका में दिये गये केन्द्रीय सेवाओं पर लागू आरक्षण आदेश राज्य सेवाओं पर लागू नहीं होते। यह विवरणिका एक प्रकाशित दस्तावेज है और यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो यह उनके अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

विद्यमान पर्यावरण विधान पर पुनर्विचार

643. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिवारी समिति की यह सिफारिश कि पर्यावरण विभाग पर पुनः विचार करना चाहिए और उन क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना चाहिए जहां नये कानूनों की आवश्यकता है, सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विधायी समीक्षा और सुधार, पर्यावरण विभाग की एक अनुक्रमिक गतिविधि बनने वाली है। यह भी प्रस्ताव है कि जहां कहीं और जब कभी आवश्यक हो वहां विधायी उपायों को अपने हाथ में लिया जाये।

न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन

644. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और इस बारे में सिफारिश करने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) इस समिति का गठन कब किया गया था और इसके निदेश-पद क्या थे ?

(ग) क्या इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई सीमा निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 7 के अधीन एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड गठित किया है।

(ख) यह बोर्ड 28 मई, 1981 को पुनर्गठित किया गया था। बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समितियों और उपसमितियों, यदि कोई हों, के कार्य को समन्वित करे तथा सरकार को साधारणत: ऐसे रोजगारों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और पुनरीक्षित करने में सलाह देना है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है।

(ग) वह बोर्ड एक सतत निकाय है और जब कभी न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/पुनरीक्षण के लिये प्रस्तावों पर विचार करना अपेक्षित होता है, यह बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित करता है। यह बोर्ड कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, इसलिये रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती है।

(घ) बोर्ड की पिछली बैठक खनन रोजगारों से सम्बन्धित न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये 29 सितम्बर, 1981 को हुई थी तथा उस बैठक में की गई बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिये कार्यवाही की गई है।

वार्षिक योजना 1981-82 का मूल्यांकन

645. श्री आर० पी० गायकवाड़
श्री स्कारिया थामस } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 1981-82 की वार्षिक योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूरा किया गया था और क्या यह भी सच है कि मूल्यावधि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप राज्यों में कुछ योजनाओं की काट-छांट की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां कटौती की जायेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1981-82 की वार्षिक योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श में इस मूल्यांकन के पूरे होने के बाद ही राज्य योजनाओं में समायोजनों के बारे में निश्चित स्थिति मालूम होगी।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मारुति लिमिटेड में शेयरों के लिए दावे

646. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड में शेयरों के लिये दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख क्या है;

(ख) किन-किन व्यक्तियों ने दावे प्रस्तुत किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी राशि का दावा किया था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने मारुति लिमटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद कोई दावे प्रस्तुत नहीं किये थे, अब नये दावे दायर किये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं और प्रत्येक द्वारा दावा की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1980 में यह प्रावधान है कि कम्पनी के विरुद्ध क्लेम निर्धारित तिथि से तीस दिन के भीतर भुगतान आयुक्त के समक्ष दायर किये जायेंगे। अधिनियम की अनुसूची में अंशधारियों को मुआवजा अदा करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे दायर करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

उद्योगों के स्थापना-स्थल और राजसहायता

647. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में, राज्यवार, नये औद्योगिक एककों को दी गई राजसहायता की राशि कितनी है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में कितने नये एकक स्थापित किये जाने की संभावना है और राज्यवार वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और उन्हें दी जाने वाली राजसहायता की राशि कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा परिवहन राजसहायता योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ताकि इनका हकदार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने वाले उद्यमियों की सहायता की जा सके। इसके रूप में राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गई राजसहायता राशि की पूरी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत अक्टूबर, 1981 तक राज्य सरकारों को प्रति वर्ष की गई प्रतिपूर्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नये एककों को दी गई राजसहायता के अलग-अलग आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चूंकि औद्योगिक विकास की योजना और संवर्धन का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है अतः पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले संभावित नये एककों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत हकदार दावों के संबन्ध में राज्य सरकारों के प्रतिपूर्ति करने के लिये केन्द्रीय बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अक्टूबर, 1981 के अन्त तक, 11.73 करोड़ रुपये राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

विवरण

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा परिवहन योजना के अन्तर्ग

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82 (अक्तूबर, 81 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1.	आन्ध्र	1,58,46,091	2,58,75,933	1,32,07,754	1,27,47,565	2,93,98,565	1,67,64,069
2.	आसाम	23,67,557	26,14,007	56,19,428	13,63,430	19,64,000	8,14,177
3.	बिहार	19,95,047	45,94,492	36,98,452	—	18,96,695	—
4.	गुजरात	90,20,366	64,10,694	1,86,37,028	1,48,66,642	4,07,37,192	1,15,65,0.5
5.	हरियाणा	8,96,196	94,66,457	43,35,192	8,93,680	10,67,740	—
6.	हिमाचल प्रदेश	12,88,396	1,05,08,781	23,98,451	44,55,627	16,63,059	97,37,725
7.	जम्मू और कश्मीर	47,03,113	27,18,212	70,81,033	45,34,222	82,54,624	—
8.	कर्नाटक	1,15,09,208	1,54,01,845	87,90,195	79,01,410	2,10,37,390	71,41,759
9.	केरल	19,31,135	1,29,17,070	71,01,169	70,16,813	2,05,89,132	11,52,244
10.	मध्य प्रदेश	40,25,052	1,56,77,226	34,02,579	60,04,638	1,43,67,532	63,67,660
11.	महाराष्ट्र	86,00,145	1,18,12,132	1,44,30,740	91,20,746	2,89,20,206	55,76,677

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	मणीपुर	—	6,24,389	—	5,98,536	—	6,93,838
13.	मेघालय	4,64,267	5,05,053	—	18,510	—	—
14.	नागालैंड	—	34,63,384	—	14,95,621	—	—
15.	उड़ीसा	12,23,019	11,21,324	28,95,005	33,39,132	—	—
16.	पंजाब	45,45,351	65,36,021	45,47,698	94,47,518	98,37,448	2,06,45,084
17.	राजस्थान	81,76,284	1,82,84,196	1,32,89,798	1,31,75,,458	4,01,98,754	1,03,25,548
18.	सिक्किम	1,33,830	—	—	3,56,992	2,04,389	—
19.	तमिलनाडु	2,38,32,232	2,92,78,257	1,98,46,731	1,25,26,844	5,39,03,009	2,05,30,582
20	त्रिपुरा	—	4,83,810	14,05,240	5,20,325	—	1,72,102
21.	उत्तर प्रदेश	54,37,996	19,08,697	37,01,621	—	70,42,808	—
22.	पश्चिमी बंगाल	32,32,940	4,46,880	63,32,021	44,73,036	69,85,529	17,35,428
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36,083	—	4,41,595	16,193	13,15,282	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	9,19,021	—	25,347	3,33,065	,36,633
25.	दादरा और नगर हवेली	—	8,37,211	9,68,880	13,79,961	9,79,558	7,11,682
26.	गोआ, दमन तथा दीव	2165,860	66,34,806	95,24,979	37,21,714	48,11,667	27,33,636
27.	लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—	—
28.	मिजोरम	—	5,50,093	—	—	—	—
29.	पाण्डिचेरी	2,69,832	—	24,23,445	—	—	—
	योग :	11,17,00,000	19,96,00,000	15,41,19,034	12,00,000	30,55,07,944	11,73,03,849

राकेट/उपग्रह लांचर का मॉडल

648. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राकेट अथवा उपग्रह लांचर का नवीनतम मॉडल क्या है जो सरकार विकसित कर रही है ;

(ख) इस राकेट के प्रोपिलांट, धातु और नियंत्रण पद्धति में स्वदेशी उपकरण कितना है ;

(ग) प्रस्थान के समय राकेट कितना प्रघात विकसित कर सकेगा ; और

(घ) प्रयुक्त किये गये प्रोपिलांट का विशिष्ट आवेग कितना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) मौसमविज्ञानीय उपयोगों के लिए निर्मित किये जा रहे रोहिणी-200 राकेटों के अलावा, वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए कुछ मध्यम आकार के राकेटों का विकास किया जा रहा है। पिछले प्रमोचनों से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी०=3) का संशोधन किया जा रहा है। ऐसे संशोधित एस० एल० वी०-3 के कुछ प्रमोचनों के किए जाने की संभावना है। एस० एल० वी०-3 रेंज में 40 किलोग्राम से बेहतर नीतभार क्षमता वाले एस० एल० वी०=3 के एक सम्वर्धित रूपांतर के प्रमोचन की योजना बनाई जा रही है। लगभग 1000 किलोग्राम भार के उपग्रह को 900 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में छोड़ने में सक्षम एक ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का भी प्रस्ताव किया गया है तथा इसकी विस्तृत डिजाइन सम्बन्धी गतिविधियां अग्रसर हैं।

(ख) सभी परिज्ञापी राकेट, एस० एल० वी० 3 राकेट तथा एस० एल० वी०=3के संशोधित रूपान्तर में स्वदेशी रूप में निर्मित ठोस प्रणोदकों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) के लिए ठोस और द्रव प्रणोदकों के सम्मिश्रण का इस्तेमाल किया जायेगा। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा विकसित जानकारी के आधार पर भारतीय उद्योगों द्वारा द्रव प्रणोदकों का निर्माण किया जा रहा है। प्रमोचक यान कार्यक्रम में प्रयुक्त स्टेनलेस स्टील जैसी कुछ धातुओं का आयात किया जाता है, जिसका मुख्य कारण इसकी आवश्यकता का अल्प मात्रा में होना है। पी० एस० एल० वी० के लिये मैरेजिंग स्टील का आंशिक निर्माण देश में ही किया जायेगा। मार्गदर्शन प्रणाली के लिये जाइरो, इलेक्ट्रॉनिकी तथा यांत्रिकी प्रणालियों इत्यादि जैसे उपस्करों का निर्माण भारतीय उद्योगों में किया जायेगा, यद्यपि कुछ अंतरिक्ष अर्ह इलेक्ट्रॉनिकी उपस्करों का आयात किया जा सकता है।

(ग) प्रस्थान के समय पी० एस० एल० वी० राकेट के प्रघात के 400 और 600 टनों के बीच होने की संभावना है।

(घ) ठोस प्रणोदकों के लिये विशिष्ट आवेग 260 सैकण्ड (वेक) से 285 सैकण्ड (वेक) तक

और द्रव प्रणोदकों के लिये विशिष्ट आवेग लगभग 285 सैकण्ड (वेक) से 295 सैकण्ड (वेक) तक भिन्न-भिन्न होता है।

समुद्री जल का खारापन दूर करना

649. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री जल का खारापन दूर करने की संभावना का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी० एस० एम० सी० आर० आई०), भावनगर ने खारापन दूर करने की निम्नांकित तकनीकें विकसित की हैं :—

(1) सौर विलवणीकरण

(2) आर्द्रीकरण, विआर्द्रीकरण

(3) जलयानवाहित विलवणीकरण यूनिट

(4) फ्लैश विलवणीकरण और

(5) उत्क्रम परासरण

सी० एस० एम० सी० आर० आई० के अभिकल्प पर आधारित सौर भभके नवनार और छाची लाइट हाउस में सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। संस्थान में उत्क्रम परासरण प्रक्रम के लिये विकासाधीन हौलोफाइन फाइबर विन्यास का समुद्री जल के विलवणीकरण करने में विशेष उद्देश्य है। सम्प्रति विकसित विलवणीकरण तकनीक के लिये विद्युत-अपोहन और नलिकाकार विन्यास 3000 पी० पी० एम० और 5000 पी० पी० एम० तक कार्य कर सकता है। सौर भभके और उत्क्रम परासरण से तैयार जल की लागत क्रमशः 20/-रु० और 9/-रु० प्रति घन मीटर जल आती है।

यूनियन कार्बाइड, बम्बई द्वारा श्रमिक नीति का उल्लंघन

650. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनियन कार्बाइड, बम्बई राष्ट्र द्वारा

स्वीकार की गई संघ बनाने के अधिकार जैसी श्रमिक सम्बन्धी नीतियों का निरन्तर उल्लंघन कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यूनियन कार्बाइड को ऐसा करने से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार से मांगी गई है और उसे प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

बम्बई में रेलवे का विकास

651. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने बम्बई में रेलवे के विकास, जैसे कि उपनगरीय सेवाएं और मानखुर्द-पनवल विस्तार आदि के लिये योजना आयोग से सम्पर्क किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने बम्बई में महानगरीय रेल परिवहन की अतिरिक्त सुविधाओं के लिये निम्नलिखित दो प्रस्ताव योजना आयोग के पास भेजे हैं : —

(1) बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त लाइनों के युग्म की व्यवस्था और कुछ सहायक सुविधाओं के साथ रावली जंक्शन पर एक पुल की व्यवस्था।

(2) मानखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन का विस्तार।

संसाधानों की बाध्यकारिता की दृष्टि से इन स्कीमों को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में अभी तक शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

छठी योजना में बड़ी परियोजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन

652. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना तैयार करते समय छठी योजना की बड़ी परियोजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन करें और चालू स्कीमों को उच्च प्राथमिकता दें ताकि समय और लागत में होने वाली वृद्धि से बचा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने राज्यों को यह लिखा है कि वर्ष 1982-83, छठी योजना का बीच का वर्ष है अतः यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि योजना गतिविधियां एकदम समयबद्ध है और योजना-अवधि में ही पूरी हो जायेंगी, ताकि बढ़ते हुये समय और उसके परिणामस्वरूप बढ़ती हुई लागत से बचा जा सके ;

(ग) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिये राज्यों को और क्या अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं ;

(घ) योजना आयोग के अनुरोध का कितने राज्यों ने उत्तर दिया है ; और

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति से योजना आयोग कहां तक संतुष्ट है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1982-83 की वार्षिक योजना तैयार करने के बारे में पत्र में योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना की प्राथमिकताओं और 1980-85 की छठी योजना के आधारस्वरूप को ध्यान में रखें। तथापि इस प्रश्न के भाग (क) में यथा उल्लिखित जारी परियोजनाओं को निर्धारित तारीखों तक शीघ्रता से पूरा करने की तात्कालिकता पर बल देने के अलावा निम्नलिखित बातों पर अधिक बल दिया गया है :—

(1) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात करने की आवश्यकता न होने देने के लिये खाद्यान्न, दालों, तिलहनों तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाना।

(2) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के विकास की गति तेज करना।

(3) सामाजिक/कृषि वन उद्योग कार्यक्रमों के अंतर्गत पेड़ों की तेजी से बढ़ने वाली किस्मों के व्यापक रूप से पौधे लगाना और ईंधन तथा ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिये बायो गैस संयंत्रों तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की स्थापना करना।

(4) समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारना।

(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वियन।

(6) अनुसूचित जाति संघटक योजना, जनजातीय उपयोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिये बनाये गये कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था।

(7) जिलों और खंडों के स्थानीय स्तरों पर गरीबी-निरोधी लक्ष्योन्मुख कार्यक्रमों का एकीकरण ।

(8) सातवीं योजना में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के लिये अग्रिम कार्रवाई करना ।

(9) छठी योजना की प्रतिबद्धताओं के अनुसार योजनेत्तर व्यय में कमी करना तथा राज्य बिजली बोर्डों, सिंचाई व्यवस्था और परिवहन निगमों के कार्य संचालन में सुधार करना ; और

(10) नितांत चुने हुये आधार पर नये कार्यों की शुरूआत करना ।

(घ) और (ङ) योजना आयोग में अब तक प्राप्त प्रारूप प्रस्तावों के अनुसार, यह देखने में आया है कि 1982-83 की वार्षिक योजना तैयार करने के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का सामान्य रूप से अनुपालन कर रहे हैं । हाल ही में राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू हुआ है । वर्ष 19 2-83 के लिये राज्यों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के जनवरी, 1982 के अन्त तक जारी रहने की संभावना है, इसलिये राज्यों द्वारा अपनी छठी योजना के कार्यान्वयन के बारे में की गई प्रगति के सम्बन्ध में इतनी जल्दी सही-सही बताना कठिन है ।

देश में उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां

653. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के महीनों के दौरान अनेक बम-विस्फोट हुए । इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण हुआ और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां अत्यधिक तेज रहीं;

(ख) यदि हां, तो इससे देश में भारी अशान्ति का वातावरण बना है;

(ग) यदि हां, तो क्या लगभग सभी मामलों में कुछ विदेशी तत्व अत्यधिक सक्रिय पाये गये हैं;

(घ) ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) उनकी संख्या में अब कितनी कमी आई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान को इंडियन एयर लाइन्स विमान के अपहरण करने की घटना के अतिरिक्त पंजाब दिल्ली,

चंडीगढ़, मणिपुर और पांडिचेरी में विस्फोटक की कुछ घटनायें घटी हैं। अन्य राज्यों से उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनाओं की सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक इस प्रकार के अन्तर्ग्रस्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रयत्न तेज कर दिये हैं।

पाकिस्तान को भविष्य में हथियारों की सहायता देने के सम्बन्ध में अमरीका के प्रतिबन्धात्मक उपाय

654. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सिनेट ने 21 अक्तूबर, 1981 को पाकिस्तान के लिये भविष्य में हथियारों की कोई सहायता देने के सम्बन्ध में दो प्रतिबन्धात्मक उपायों के पक्ष में मत दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अनुसार अमरीकी सरकार पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डालर की सैनिक और आर्थिक सहायता देने के अपने वायदों को कार्यान्वित करने में समर्थ होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे भारत की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जायेगा और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या अमरीका भारत को भी हथियार सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। रिपोर्टों से पता चलता है कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता के बारे में अपनी मंजूरी इस शर्त पर दे दी है कि अमरीकी विदेश सहायता अधिनियम में किये गए संशोधनों में उल्लिखित शर्तें पूरी की जाय।

(ग) सरकार इस उपमहाद्वीप में प्रस्तावित आधुनिकतम हथियारों के आने से चिन्तित है और अमरीका तथा पाकिस्तान की सरकारों के साथ यह मामला उठाया गया है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भी अपनी रक्षा तैयारियों को अद्यतन करने के लिये उपयुक्त कदम उठा रही है।

(घ) अमरीका उसी आधार पर भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया, आसनसोल के श्रमिकों के दावे

655. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया, आसनसोल के श्रमिकों के वर्ष 1972 से 1977 तक की अवधि जब उन्हें नौकरी से जबरदस्ती बाहर रखा गया था, के वेतन के बकाया से सम्बन्धित दावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पेरुवन्नान समुदाय को अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल करना

656 **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पेरुवन्नान समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)केरल में पेरुवन्नान समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में उपर्युक्त प्रस्तावों तथा अन्य ऐसे प्रस्तावों को केरल राज्य समेत सम्बन्धित राज्य सरकारों और भारत के महापंजीकार से परामर्श करके जांच की जा रही है।

देश में घड़ी उद्योग की कुल क्षमता

657. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घड़ी उद्योग की कुल क्षमता कितनी है और इस समय क्षमता का कितना प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) इस समय देश में घड़ियों की कुल कितनी मांग है;

(ग) एच० एम० टी० कहां तक इस मांग की पूर्ति करने में समर्थ है;

(घ) क्या मांग की पूर्ति के लिये घड़ियों का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्रों में 176.20 लाख मैकेनिकल कलाई घड़ियों की 6 कुल स्वीकृत उत्पादन क्षमता में से विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का अनुमान लगभग 80.30 लाख घड़ियां लगाया गया है तथा चालू उत्पादन का अनुमान लगभग 50.50 लाख घड़ियां प्रति वर्ष लगाया गया है ।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा 1977 में गठित घड़ी उद्योग सम्बन्धी कृतिक बल ने मोटे तौर पर 1981-82 तक कलाई-घड़ियों की मांग का अनुमान 80 से 80,50 लाख घड़ियां लगाया है छठी पंच-वर्षीय योजना के अनुसार, 1984.85 तक मैकेनिकल घड़ियों की क्षमता और उत्पादन के लिए क्रमश: 150 और 125 लाख घड़ियों का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने वर्ष 1980 में लगभग 36 लाख कलाई-घड़ियों का उत्पादन किया था तथा जनवरी से जून, 1981 में उन्होंने लगभग 17 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन किया है ।

(घ) 1981-82 की आयात नीति के अधीन घड़ियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मजूरी का भुगतान न किया जाना

658. **श्री बी० एस० विजयाराघवन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने गैर-सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी में गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्राय: सभी प्रतिष्ठान न्यूनतम मजदूरी-दरें दे रहे हैं, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा पहली जनवरी, 1981 से संशोधित की गई है। जब कभी न्यूनतम मजदूरी-दरों की अदायगी न करने के लिए कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रशासन के निरीक्षणालय तंत्र द्वारा इसकी जांच करवाई जाती है और यदि असंगति हो, तो उसमें सुधार करवाया जाता है । मजदूरी-दरों के विवादों के मामले में, कर्मचारी अपनी बकाया राशि को

प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के पास जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित 10,740 शिकायतों में से 10,651 शिकायतों का निपटान/सुधार कराया गया और 23,68,420 रुपये की राशि का भुगतान श्रमिकों को किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रशासन की मशीनरी ने 43,302 निरीक्षण किए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 910 मामलों में चालान जारी किए।

रुग्ण इकाइयों से संबन्धित नीति

659. **श्री सुबोध सेन**
श्री ई० बालानन्दन
श्री चित्त महाटा
श्री नारायण चौबे
: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में कई नीति अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ख) नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में हुए अनुभव को ध्यान में रखकर औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी नीति की समीक्षा की है। केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए संशोधित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की घोषणा 6 अक्टूबर, 1981 को की गई थी। इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मन्त्रालयों पर उनके प्रभार के अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक रुग्णता को रोकने एवं उपचारात्मक कार्रवाई करने की विशेष जिम्दामेरी होगी उन्हें रुग्णता को मानीटरिंग करने तथा रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवित करने और पुनर्स्थापित में प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। उपयुक्त मामलों में वे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जिनमें रुग्णता बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं, स्थायी समितियों का गठन करेंगे।

2. वित्तीय संस्थान मानीटरिंग प्रणाली को मजबूत बनायेंगे ताकि प्रारम्भिक रुग्णता को दूर करने के लिए समय के अन्दर सुधारात्मक कार्यवाही करना सम्भव हो सके। वे सहायता प्राप्त एककों तथा ऐसे एककों के बोर्डों में उनके द्वारा नामित किए गए निदेशकों के समय-समय पर विवरणीयां प्राप्त करेंगे।

3. वित्तीय संस्थान और बैंक रुग्णता अथवा उनके द्वारा किये गये निदान सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर प्रारम्भिक रुग्णता वाले एककों के लिये आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही

करेंगे। बढ़ती हुई रुग्णता के मामलों में वित्तीय संस्थान उस मामले में प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर भी विचार करेंगे, जहां वे एक एकक के स्वस्थ होने के बारे आश्वस्त हों।

4. जहां वित्तीय संस्थान और बैंक रुग्णता को रोकने अथवा एक रुग्ण एकक की पुनः स्थापना का सुनिश्चय करने में असमर्थ हैं, वहां वे सामान्य बैंकिंग पद्धति के अनुसार एकक पर बकाया अपनी धनराशि के लिये कार्यवाही करेंगे। किन्तु ऐसा करने से पूर्व वे केन्द्रीय सरकार को इस मामले की सूचना देंगे जो यह निर्णय करेगी कि क्या एकक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी सहित कोई अन्य विकल्प उपक्रम को पुनर्जीवित कर सकता है।

5. जहां कहीं उपक्रम राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया जाता है इसके प्रबन्ध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत 6 महीने की अवधि के लिये सरकार द्वारा अभिग्रहीत कर लिया जाता है ताकि सरकार राष्ट्रीयकरण के लिये आवश्यक कदम उठा सके।

6. औद्योगिक उपक्रम जो वर्तमान में उद्योग(विकास और अधिनियमन)अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन हैं उनके साथ उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार किया जायेगा। यह निश्चय किया जायेगा कि उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया जाये अथवा वैकल्पिक उपाय से निकल सकता है। यदि कोई विकल्प संभव नहीं समझा जाता है तो सरकार उसके अनधिसूचित करने पर विचार कर सकती है ऐसी स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थान उपक्रम द्वारा देय राशि के लिए सामान्य बैंक पद्धति के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

"ओपन गवर्नमेंट इन इंडिया" नामक पुस्तक

660. **श्री सुबोध सेन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर श्री एस० आर० महेश्वरी द्वारी लिखित "ओपन गवर्नमेंट इन इन्डिया" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पुस्तक में, सरकारी रहस्यों और सरकारी सूचना अबाध रूप से नागरिकों को मिलने

के अधिकार से संबन्धित मामलों पर चर्चा की गई हैं। लेखक ने इस संबन्ध में अपने व्यक्तिगत विचार और मत प्रकट किये हैं।

ईंट-भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के मामले में न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम लागू किया जाना

661. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट-भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है; यदि हां, तो सिर पर बोझा उठाने या उसे उतारने, मिट्टी खोदने, ईंट थापने आदि काम के लिए जिसमें भारी संख्या में आदिवासी लड़कियां लगी हुई हैं, क्या मजदूरी तय है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन श्रमिकों के लिये जिनमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी औरतें शामिल हैं, शौचालय, मूत्रालय, क्वार्टर, शिशुसदन, प्रसूति सम्बन्धी सुविधा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) ईंट-भट्टे उद्योग में रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित करने हेतु संबंधित सरकारें राज्य सरकारें हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा चंडीगढ़ की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में ईंट-भट्टों में रोजगारों को शामिल किया गया है और इन्होंने अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं, जो संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य का नाम	वर्ग का नाम	मजदूरी दरें
1	2	3
केरल	अकुशल किल्न लोड श्रमिकों सहित	4.00 रु० प्रति दिन
	अर्ध कुशल मोल्डरों सहित	4.40 रु० प्रति दिन
	कुशल	4.80 रु० प्रति दिन

1	2	3
तमिलनाडु	ब्रिक मेकर्स	12.00 रु० प्रति 1000 ब्रिक
	किल्न लोडर और अनलोडर	ग्रेडों के अनुसार 3.00 रुपये से 4.25 रु० प्रति दिन
उत्तर प्रदेश.	ब्रिक किल्न उद्योग में नियोजित श्रमिक	क्षेत्रों के अनुसार 3.00 रुपये से 3.85 रु० प्रति दिन।
हरियाणा	पाथेरा (ब्रिकों की मोल्डिंग)	प्रति 1000 ब्रिकों की मोल्डिंग के लिए 17.00 रु० तथा जमादारी कमीशन।
	लोडिंग और अनलोडिंग) आपरेशन में श्रमिक	240 रु० प्रति मास।
महाराष्ट्र	अकुशल	104 रु० से 135 रु० प्रति मास।
	अर्धकुशल	120 से 160 रु० प्रति मास) जोनों के अनुसार
	कुशल	145 से 225 रु० प्रति मास)
मध्य प्रदेश	अकुशल	5.00 रु० प्रति दिन
	अर्धकुशल	250 रु० से 250 रु० प्रति मास } जोनों के
	कुशल	250 रु० से 285 रु० प्रति मास } अनुसार
गुजरात	विविध श्रमिक	130 रु० से 140 रु० प्रति मास (जोनों के अनुसार)
	पतला वाला ब्रिक मोल्डर	जोनों के अनुसार प्रति 1000 ब्रिकों के लिये 16 रुपये से 20 रुपये।
पंजाब	पाथेरा ब्रिकों की मोल्डिंग	जमादारी कमीशन सहित प्रति 1000 ब्रिकों के लिये 17.50 रुपये।
	लोडिंग या अनलोडिंग ट्रकों में नलकेवाला सहित अकुशल	225 रुपये प्रति मास।

1	2	3
चंडीगढ़	लोडिंग या अनलोडिंग ट्रकों पर नलकेवाला जैसे सभी अकुशल श्रमिक	163.50 रुपये प्रति मास ।
	पाथेरा (ब्रिकों की मोल्डिंग)	जमादारी कमीशन सहित प्रति 1000 ब्रिक की मोल्डिंग के लिये 13.95 रुपये ।
दिल्ली	लोडर	प्रति 1000 ब्रिक 6.60 रुपये ।
	पाथेरा (मोल्डर)	320 रुपये प्रति मास ।

अतिरिक्त साधनों की कमी

662. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को यह बताया जा रहा है कि उनकी वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजनाओं के परिव्यय में उतनी कमी कर दी जायेगी जितनी कमी उनकी चालू योजना के संदर्भ में अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में रह जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग राज्य-सरकारों के साथ उनकी चालू वार्षिक योजनाओं की प्रगति और आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं के निर्माण के संबंध में विचार-विमर्श करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ विचार विमर्श पूरा हो चुका है और चालू वर्ष की योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा चुका है और इनकी सूचना योजना आयोग को दी जा चुकी है; और

(घ) योजना आयोग की सभी राज्यों से योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वियन की स्थिति को कब तक सुनिश्चित कर लेगा और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अलग-अलग राज्यों की 1982-83 की वार्षिक

योजना के परिव्ययों का निर्धारण राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

(ख) से (घ) 1982-83 की राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर योजना आयोग में हाल ही में विचार-विमर्श शुरू हुआ है और इन विचार-विमर्शों में अन्य बातों के साथ-साथ 1981-82 की उनकी वार्षिक योजना की प्रगति का भी मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 1982-83 के लिये राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया के जनवरी, 1982 के अन्त तक जारी रहने की संभावना है, इसीलिये राज्यों द्वारा अपनी छठी योजना के कार्यान्वियन के बारे में की गई प्रगति के संबंध में इतनी जल्दी ठीक-ठीक बताना कठिन है।

भारतीय वायुसेना में कुशल श्रमिकों की कमी

663. **श्री० एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना को विमान-इन्जीनियरों और तकनीशियनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीय वायुसेना में वैमानिकी इंजीनियरों और तकनीशियनों की कुछ कमी है। लेकिन यह गम्भीरता नहीं है।

(ख) भारतीय वायु सेना में वैमानिकी इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी को यथा संभव शीघ्र पूरा करने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) सिद्धान्त रूप से यह निर्णय किया गया है कि भारतीय वायु सेना में उन इंजीनियर अफसरों को तकनीकी वेतन मंजूर किया जायेगा जिनके पास स्नातकोत्तर योग्यताएं हैं या जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सेवा के दौरान कुछ विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों को पूरा किया है। योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(2) तकनीकी शाखाओं में वायुसैनिकों के सेवा अवसरों में और वृद्धि करने के लिये वायु सैनिकों को कमीशन दिये जाने के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है।

(3) जुलाई 1981 से अन्तिम वर्ष के वी० ई० (इलैक्ट्रानिक्स/मैकेनिकल) विद्यार्थियों को भारतीय वायु सेना में तकनीकी शाखाओं में कमीशन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के लिये अनुमति दे दी गई है।

(4) विभिन्न इंजीनियरी कालेजों/संस्थानों में भारतीय वायुसेना में इंजीनियरों के सुअवसरों को बताते हुए विशेष भरती अभियान चलाया जा रहा है ।

पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे

664. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान पंजाब में और देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये साम्प्रदायिक दंगे हुए थे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी मौतें हुई हैं और क्या सभी मामलों में जांच की गई है;

(घ) क्या यह भी पाया गया है कि भारत में हुए इन सभी साम्प्रदायिक दंगों में कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है; और

(ङ) यदि हां, तो उन सम्बन्धित देशों के नाम क्या-क्या हैं और भारत में साम्प्रदायिक दंगों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 सितम्बर, 1981 से 15-11-1981 तक की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिन्दू और मुसलमान समुदायों के बीच कुल 67 घटनाएं हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उन राज्यों और जिलों के नाम जिनमें ये झगड़े हुए संलग्न विवरण में दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन घटनाओं के लिये किसी जांच के आदेश नहीं दिये हैं ।

पंजाब में ऊपर लिखित अवधि के दौरान ऐसा कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ।

(घ) तथा (ङ) सरकार को भारत में साम्प्रदायिक दंगे होने में अभी तक किसी विदेशी हाथ होने की सूचना नहीं है । जहां तक साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का सम्बन्ध है सरकार किसी साम्प्रदायिक स्थिति से सख्ती, शीघ्रता और प्रभावी रूप से निपटने के लिये और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दृढ़ विचार कर लिया है। साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिये राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है जैसे स्थानीय आसूचना नैट वर्क को बढ़ाना; केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षों की स्थापना,

पुलिस की तैनातगी को कड़ा करना, समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध अधिक कड़ी निवारक कार्रवाई, अग्नेयस्त्रों पर अधिक कड़ा नियन्त्रण और अवैध शस्त्रों और गोला-बारूद का पता लगाने के लिये लगातार कड़े कदम उठाना, महत्वपूर्ण त्यौहारों और समारोहों के समय विशेष सावधानी बर्तना। केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा पर नियन्त्रण रखने के लिये राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है। समाज विरोधी तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के उपबन्ध उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित कर दिया गया है और इसकी बैठक 12 नवम्बर, 1980 को हुई। परिषद ने साम्प्रदायिक सौहार्द सम्बन्धी एक उप समिति गठित की है।

विवरण

उन राज्यों तथा जिलों के नाम जिनमें एक सितम्बर 1981 से 15 नवम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक (हिन्दू-मुस्लिम) झगड़े हुए।

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर और हैदराबाद शहर
2.	असम	कछार और दारंग
3.	बिहार	दरभंगा, पूर्वी चम्पारन, पटना, मुंगेर, रोहतास हजारी बाग, पूर्णिया और नवादा
4.	दिल्ली	दिल्ली
5.	गुजरात	बड़ौदा, कूंच, अहमदाबाद, और भावनगर
6.	कर्नाटक	बंगलौर, साउथ कैनरा, चिमोगा, नार्थ-क्विवारा, बीजापुर, हसन और बेलगांव
7.	केरल	किलान और अलेपी
8.	मध्य प्रदेश	खरगांव, इन्दौर, भोपाल, शाहजापुर
9.	महाराष्ट्र	बोड़, नांदेड़, अहमदनगर, बम्बई, जलगांव अमरावती, और धूल्हे।

1		2
10.	उड़ीसा	कटक
11.	राजस्थान	नागौर, कोटा, जोधपुर, और जयपुर
12.	तमिलनाडु	मदुराई और तिरूनेलवेली
13.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, जौनपुर और आगरा
14.	पश्चिम बंगाल	नादियां, मिदनापुर, कलकत्ता, पश्चिम दिनाजपुर और बीरभूमि

श्रम मन्त्री की राज्यों के श्रम मन्त्रियों के साथ बैठक

655. **श्री अजय बिश्वास :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ परामर्श करने के लिये उन राज्यों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में उद्योग आदि के बन्द होने, उनमें तालाबन्दी के होने के मामलों के सन्दर्भ में इन दौरों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां। श्रम राज्य मंत्री ने इन राज्यों का दौरा किया।

(ख) और (ग) न केवल कामबन्दियों और तालाबन्दियों से सम्बन्धित मामलों परन्तु औद्योगिक सम्बन्ध के विभिन्न पहलुओं और कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं, न्यूनतम मजदूरी-दरों आदि जैसे श्रम कल्याण कार्यकलापों से सम्बन्धित समस्याओं पर इन सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के दौरान, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया कि वे इन सभी मामलों पर शीघ्रता से ध्यान दें।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र द्वारा अशान्ति के स्थानों का पता लगाया जाना

666. **श्री अजय बिश्वास :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र से देश में राज्यवार अशान्ति के स्थानों का पता लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो, अब तक पता लगाये गये ऐसे स्थानों पर ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर ऐसी स्थिति पर काबू पाने तथा उसे समाप्त करने के लिये अब तक किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र को औद्योगिक विवादों को रोकने और उनके निपटारा तथा केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों में स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन का काम सौंपा गया है । इन कर्त्तव्यों को करते समय यह मशीनरी अपने क्षेत्रीय संगठनों द्वारा सम्बन्धित राज्य औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के साथ निकट से सम्पर्क रख रही है ताकि ये जब कभी आवश्यकता हो, विवादों का समाधान करने और औद्योगिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में श्रमिक अशान्ति पर नियन्त्रण पाने के लिये उन्हें परामर्श दे सकें तथा उनकी सहायता कर सकें ।

(ख) और (ग) औद्योगिक अशान्ति किसी विशिष्ट स्थानों तक ही सीमित नहीं है । जहां कहीं अशान्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, वहां राज्य तथा केन्द्रीय दोनों तन्त्र निवारक मध्यस्थता, समझौता वार्ता आदि के माध्यम से स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हैं ।

तेल के विकल्प के रूप में कोयले के उपयोग सम्बन्धी रूपरेखा

667. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० के कोयले पर आधारित ईंधन और रसायन परियोजना प्रभाग ने तेल के विकल्प के रूप में कोयले के उपयोग सम्बन्धी रूपरेखा की प्रतियां उनके मंत्रालय को दिसम्बर 1980, जनवरी 1981 में भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस रूपरेखा पर उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) रानीगंज कोयला क्षेत्र से प्राप्त कोयले पर आधारित मेथानोल और पाइप लाइन गैस का उत्पादन करने के लिए पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले की तहसील जाटगोरिया में एक औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० से औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में दिनांक 17-7-1981 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के साथ पश्चिम बंगाल में कोयले से मेथानोल और पाइप लाइन गैस का उत्पादन करने के सम्बन्ध में प्रोफाइल (रूपरेखा) की एक प्रति भी संलग्न की गई थी ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पर विचार कर लिया गया है तथा आवेदन को दिनांक 9 नवम्बर, 1981 को दृष्टया आवेदन रद्द किए जाने की जानकारी दे दी गई है कि प्रस्ताव कोयले से गैस बनाने पर आधारित है तथा इसमें निहित निवेश की राशि बहुत अधिक है । तथापि, मेथानोल का क्षमता का अन्तराल पहले ही कम कर दिया गया है और मेथानोल सम्बन्धी मांग एवं पूर्ति सम्बन्धी स्थिति भी अब विकट नहीं है । यह स्वीकार किया गया है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० की प्रस्तावित प्रक्रिया अधिक लागत वाली है अतः इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय श्रम संगठन की सदस्यता के सत्यापन के लिये नयी प्रणाली

668. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम संगठन की सदस्यता के सत्यापन के लिए किसी नयी प्रणाली की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,; और

(ख) यह प्रणाली कब तक कार्यान्वित हो जाएगी और उस पर श्रम संगठनों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

नयी प्रक्रिया दर्शानेवाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) 31-12-1980 को समाप्त होने वाले वर्ग के लिए केन्द्रीय संगठनों की सदस्य संख्या के आंकड़े संशोधित प्रक्रिया के अधीन तैयार किए जाएंगे । यह प्रक्रिया प्रायोगिक है । यह तब तक लागू रहेंगी जब तक कि इसका स्थान भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तैयार की गई नयी प्रक्रिया नहीं ले लेती ।

ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग और श्रम मंत्री के बीच हुए विचार-

विमर्श के दौरान, हालांकि कुछ संगठनों ने सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित प्रक्रिया का समर्थन किया, निम्नलिखित अन्य सुझाव भी दिये गए :—

(1) सत्यापन्न उस ग्रेड यूनियन की मौजूदगी में किया जाना चाहिए जिसको चुनौती दी जाती है।

(2) गुप्त मतदान प्रणाली का संगठित क्षेत्र में परीक्षण किया जाए।

(3) गुप्त मतदान का सीमित क्षेत्रों में परीक्षण किया जाए जहां यूनियन की बाहुलता है और इनका परीक्षण सभी मामलों में न किया जाए क्योंकि इससे लघु चुनावों (मिनी इलैक्शन) को करवाना होगा।

(4) गुप्त मतदान का प्रयोग विवाद के मामलों में किया जाए।

(5) गुप्त मतदान का केवल कारखानों में प्रयोग किया जाए।

(6) गुप्त मतदान प्रणाली को केवल तभी स्वीकार किया जाय, यदि ट्रेड यूनियन हड़तालें न करने का आश्वासन दें।

(7) गुप्त मतदान ही श्रमिकों के अपनी यूनियनों की पसन्द का पता लगाने का लौकतांत्रिक तरीका है जो सुपरिभाषित प्रतिष्ठानों या उद्योगों में मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेकारी एजेंट का रूप है।

(8) सत्यापन वर्तमान सरकारी-एजेंसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

(9) प्रत्येक ट्रेड यूनियन की वार्षिक विवरणियां भेजनी चाहिए और वार्षिकी यूनियनों का पंजीकरण रद्द किया जाए।

केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की सदस्यता के निर्धारण के लिए ग्रहण की जाने वाली सरकार द्वारा निर्णीत नई पद्धति।

(क) केन्द्रीय संगठनों को पहले की भांति, दावा की गई अपनी सदस्यता सूचियां गणना-तारीख के संदर्भ में भेजने के लिए कहा जाएगा, जो कि उस वर्ष की 31 दिसम्बर होगी जिससे सत्यापन संबंधित है;

(ख) इस प्रकार प्राप्त दावा की गई सूचियों को ऐसे अन्य संगठनों में आपत्तियां, यदि कोई हो, उठाने के लिए परिचालित किया जाएगा, जिन्होंने दावा सूचियां प्रस्तुत की है;

(ग) इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों की अनुबन्ध में यथा-उल्लिखित अब तक अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी;

(घ) यदि कोई संगठन दावा की गई सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो उस संगठन से सम्बन्धित दावा सूची ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के रिकार्ड से तैयार की जाएगी और सभी संगठनों को परिचालित की जाएगी;

(ङ) ऊपर (घ) में निर्दिष्ट संगठन ऊपर (क) के अधीन प्रस्तुत की गई या ऊपर (घ) के अधीन संकलित की गई दावा सूचियों पर आपत्तियां उठाने के हकदार नहीं होंगे;

(च) ऊपर (घ) के अधीन तैयार की गई दावा सूचियों के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा उपलब्ध या उसको उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर विचार किया जाएगा और वह उसमें यथावश्यक सुधार करेंगे।

(छ) जहां ऊपर उप-पैरा (च) में मुख्य श्रमायुक्त द्वारा किए गए अन्तिम निर्णयों को कोई ऐसा संगठन स्वीकार नहीं करता है, जिसने ऊपर उप-पैरा (ङ) के साथ पठित कोई आपत्ति उठाई है, तो विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया वहीं होगी जो कि उपर्युक्त पैरा (क) में बताई गई यथोक्ति परिवर्तित प्रक्रिया होगी;

(ज) इस प्रकार से अन्तिम रूप दी गई सदस्यता के आंकड़ों और उनके राज्य-वार एवं उद्योग-वार ब्यौरों को सभी संगठनों को परिचालित किया जाएगा और यह प्रतिनिधित्व का आधार होगा।

प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की सदस्यता का निर्धारण समय-समय पर केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र द्वारा किए जाने वाले सदस्यता के सामान्य सत्यापन की पद्धति द्वारा किया जा रहा था। सत्यापन के लिए पद्धति वही थी जो तत्कालीन चार केन्द्रीय संगठनों के परामर्श करके तय की गई थी और इसे परीक्षण जांच तथा यंत्र-तंत्र से लिए गए नमूनों के आधार पर किया जा रहा था। इसमें निम्नलिखित ढंग से जांच और प्रति-जांच की व्यवस्था थी :—

"प्रत्येक संगठन द्वारा मुख्य श्रमायुक्त को प्रस्तुत किए गए सदस्यता दावे अन्य संगठनों को उपलब्ध करवाए जाते थे। सत्यापन को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व मुख्य श्रमायुक्त सत्यापन के नतीजे सभी संगठनों को प्रदान करते थे ताकि वे किसी भी प्रकार की गलती को, ठीक करने के लिए, उनके ध्यान में ला सकें। जिन मामलों में सत्यापन के नतीजे पत्रों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते थे, उनके सम्बन्ध में उक्त पद्धति में समिति की व्यवस्था थी जो सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से गठित की जाती थी तथा मुख्य श्रमायुक्त या उनका प्रतिनिधि उसकी अध्यक्षता करते थे। यह समिति मामले की जांच करती थी और विवादों को निपटाती थी, जिससे असफल होने पर विवाद श्रम मंत्रालय को स्वतंत्र अभिकरण या न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए सूचित किया जाता था।"

अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ए" के अधिकारियों का मुअत्तिल किया जाना

669. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ए" के ऐसे कितने अधिकारी इस समय निलम्बित हैं और वे कब-कब से निलम्बित हैं, किन आरोपों के लिए वे निलम्बित हैं, और क्या उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसे नियम बनाए हैं जिनके अन्तर्गत कोई विशेष अधिकारी किसी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और ये सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) संगत नियमों के अधीन दिया गया अथवा दिया हुआ मान लिया गया निलम्बन का आदेश तब तक लागू रहता है, जब तक कि इसे ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अथवा रद्द नहीं कर दिया जाता। फिर भी, इस आशय के अनुदेश विद्यमान हैं कि लगातार निलम्बन की आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

सेना अधिनियम का संशोधन

670. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) भारतीय सेना अधिनियम का संशोधन कब किया जाएगा और संसद में नया विधेयक कब तक पेश कर दिया जाएगा ; और

(ख) संशोधित विधेयक अब तक पेश न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय सेना अधिनियम 1911 (1911 का अधिनियम आठ) के स्थान पर पहले ही थलसेना अधिनियम 1950 (1950 का अधिनियम छियालीस) लाया जा चुका है और इस समय यही अधिनियम लागू है। इसमें किस तरह के संशोधन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए हरिजनों, आदिवासियों को सुविधायें

671. श्री केयूर भूषण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें देने का है ;

(ख) यदि हां, तो हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों को क्या सुवधिाएं प्रदान की जाएंगी ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, करों में रियायत, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए विशेष सुविधायें जिला उद्योग केन्द्र और मूल/मार्जिन धनराशि सहायता जैसे प्रोत्साहन देती है ।

ये सुविधायें हरिजनों, आदिवासियों महिलाओं और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों सहित सभी उद्यमियों को उपलब्ध हैं ।

इन योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं की और आगे संवीक्षा करने से संबंधित शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

घरेलू नौकरों का शोषण

672. श्री केयूर भूषण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के श्रमिक ब्यूरो ने दिल्ली में घरेलू नौकरों की दशा का अध्ययन शुरू किया है ;

(ख) क्या मालिकों के शोषण से घरेलू नौकरों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जेल में जन्में बच्चों को कैद

673. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक आठ वर्ष का लड़का, जो जेल में पैदा हुआ था, अभी जेल में ही है क्योंकि उसकी मां विचाराधीन बंदी के रूप में जमशेदपुर की सांकची जेल में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी समय इस बात का पता करने की कोशिश की कि गत लगभग पांच वर्षों के दौरान इस तरह के कितने बच्चे जेलों में पैदा हुए, और अपनी माताओं की, उनके मुकदमों के पूरे होने तक के लिए नजरबंदी के कारण जेलों में रह रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन बच्चों को अनुचित और अनावश्यक कैद से बचाने के लिए और जेल में पैदा हुए कैद बच्चे की देखभाल करने के लिए कानून की कमियों को यदि कोई है, को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां श्रीमान । एक विचारणाधीन महिला कैदी जिसके मामले का विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीन जमशेदपुर के न्यायालय में किया जा रहा है, को 7-9-1973 को लड़का पैदा हुआ था । इसको जमशेदपुर जेल में रखा जा रहा है क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए उसका कोई भी संबंधी तैयार नहीं है ।

(ख) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार जेल में पैदा हुए बच्चों के आंकड़े नहीं रखती है और पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे बच्चों की संख्या मालूम करने के लिए उनके द्वारा कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया गया है ।

(ग) उपयुक्त स्थानीय परिवर्तनों के साथ अपनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई आदर्श जेल नियमावलियों और विद्यमान राज्य जेल नियमावलियों में जेल में उत्पन्न बच्चों अथवा जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों के रख रखाव और देखभाल के लिए विस्तृत उपबन्ध हैं । इनके अनुसार केवल ऐसे बच्चे जिनका कोई संबंधी अथवा मित्र नहीं है अथवा उनको ले जाने अथवा उनकी देखभाल के लिए कोई तैयार नहीं है, को जेलों में तब तक उनकी माताओं के साथ रखा जाता है जब तक वे विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करते हैं । जो

बच्चे उस आयु को पार कर लेते हैं उनको जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नर्सरी और बाल-ग्रहों में रखा जाता है यदि उसकी माता को स्वीकार्य अच्छा प्रबंध उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे बच्चों को सभी पर्याप्त सुविधायें दी जाती हैं।

गैर पिछड़े जिलों को राजकीय आर्थिक सहायता का दे दिया जाना

674. **श्री रामबिलास पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को जानने के लिए मूल्यांकन किया है कि किस सीमा तक केन्द्रीय पूंजी निवेश आर्थिक सहायता और रियायती वित्त सहायता उन जिलों/क्षेत्रों को दे दी गई है जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए निर्धारित राजकीय आर्थिक सहायता गैर-पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को दे दी गई; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय निवेश राजसहायता और रियायती वित्त योजनाओं के अन्तर्गत गैर-पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को किसी प्रकार की निधियां नहीं दी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिहाड़ जेल में निषिद्ध वस्तुओं को चोरी छिपे ले जाया जाना

675. **श्री राम बिलास पासवान**
श्री के० लकप्पा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जेल अधिकारियों की सांठगांठ से, जो पूरी तरह कुछ शक्तिशाली और ऊपर तक पहुंच वाली विचाराधीन कैदियों के प्रभाग में हैं, तिहाड़ जेल में निषिद्ध वस्तुओं को कैदियों के प्रयोग के लिए चोरी छिपे ले जाने में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जेल प्रशासन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने

सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि तिहाड़ जेल में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि हुई है। प्रशासन ने जेल प्रशासन के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) एक वरिष्ठ वेतनमान के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की पूर्णकालीन उप-महानिरीक्षक (जेल) नियुक्त किया गया गया है।

(2) तिहाड़ जेल के अधीक्षक के पद पर पहले पदासीन अधिकारी को प्रति-नियुक्ति की अवधि को कम कर दिया गया था और उसे उसके मूल राज्य को वापस भेज दिया गया था। उसके स्थान पर अब दिल्ली अण्डमान निकोबार द्वीप सिविल सेवा का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(3) मुलाकात की प्रणाली को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और कैदियों, वार्डर कर्मचारियों आदि की तलाशी ली जाती है।

(4) वार्डर गार्डों की ड्यूटियों में निरन्तर परिवर्तन किया जाता है।

(5) बैरकों कक्षों और कैदियों की बार-बार अचानक तलाशी ली जाती है

मिग-21 के बारे में रक्षा विशेषज्ञों की राय

676. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विशेषज्ञों की यह राय है कि मिग-21 साठ प्रतिशत की सीमा तक एफ०-16 के समकक्ष हो सकता है, इस विमान को, इसमें एक उन्नत अग्नि नियन्त्रण राडार लगाकर सुधारा जा सकता है और भारतीय वायु सेना की लम्बी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को प्राप्त करना चाहिए जिसकी लागत, भारतीय वायु सेना के लिए विमान की व्यवस्था करने की तुलना में काफी कम होगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी और इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एफ-16 विमान मिग-21 से एकदम अलग है इसलिए प्रतिशतता के आधार पर इन दोनों विमानों की क्षमताओं की तुलना करना सम्भव नहीं है। मिग-21 में दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र या उन्नत किस्म के फायर कंट्रोल राडार लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय तकनालाजी की दृष्टि से यह व्यवहार्य नहीं है।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

677. श्री के० पी० सिंह देव : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान उड़ीसा में योजना विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता 145 करोड़ रुपये थी और 1981-82 की अवधि के लिए इस राशि को घटाकर 138 करोड़ रुपए किए जाने का विचार है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के लिए कुल कितने रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) एक ऐसे राज्य की केन्द्रीय सहायता को कम किए जाने के क्या कारण हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है जिसने अपनी जनता की बेहत्तरी के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं जो पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के अभाव में फलीभूत नहीं होंगी; और

(घ) क्या सरकार 1982-83 के दौरान इस कमी को पूरा करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री स० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 के लिए उड़ीसा को आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 145.10 करोड़ रु० और 137.81 करोड़ रुपए है।

(ग) 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार को यह सहायता राशि दी गई थी—(1) वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता को कम करने के बाद, छठी योजना की अवधि के लिए सहमत केन्द्रीय सहायता की अवशिष्ट राशि का 1/4 भाग ; और (2) 9.2 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता जिससे कि राज्य सरकार इस वर्ष योजना परिव्यय को उचित स्तर पर बनाए रख सके। वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता को इस विचार से तदर्थ आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था कि उसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले छठी योजना के लिए आवंटन के अन्दर समायोजित किया जाएगा।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उड़ीसा की जगन्नाथ कोयला खान में दुर्घटना

678. श्री के० पी० सिंह देव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने (सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड के अन्तर्गत) जगन्नाथ कोयला खान दुर्घटना, जिसमें 24 जुलाई, 1981 को 10 व्यक्ति मारे गये थे, के बारे में एक जांच अदालत गठित की थी ;

(ख) यदि हां तो खासतौर पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के बारे में, जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र को इस बात की जानकारी है कि खानों में प्रायः सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता जिससे इस तरह की दुर्घटनायें होती हैं, और यदि हां, तो क्या इस बात का पता करने के लिए उड़ीसा की सभी कोयला खानों का पूरी तरह निरीक्षण किया गया था कि कहां-कहां इस तरह के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता और यह निरीक्षण कब किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के नियमों का उल्लंघन न हो, क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) उन खानों के नाम क्या हैं जिन्हें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों की मृत्यु हो जाती है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जगन्नाथ कोलियरी में 24 जून, 1981 को (न कि 24 जुलाई, 1981 को) हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए पहली सितम्बर, 1981 को जांच न्यायालय गठित किया गया। इस दुर्घटना में कई व्यक्तियों की जानें गईं।

(ख) जांच अभी तक चल रही है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ग्रेचुटी निधि और रोजगार योजना की पुनरीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति

679. श्री के० पी० सिंह देव
श्री ई० बालानन्दन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेचुटी निधि और रोजगार योजना की व्यवहारिकता की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति का निदेश पद और उसके सदस्य कौन कौन से हैं ; और

(ग) क्या गठन के मामले में राज्यों से कोई सहायता मांगी गई है क्योंकि इस तरह के नियमों का अधिकाशतः उनके द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने, बेरोजगारी बीमा योजना प्रारम्भ करने के सुझावों तथा रुग्ण यूनिटों को चालू करने के लिए निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव की गहराई से जांच करने के लिए समिति गठित की गई है। समिति का गठन इस प्रकार है :—

1. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा — अध्यक्ष
   श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

2. श्री सनत मेहता, — सदस्य
   श्रम मन्त्री, गुजरात।

3. श्री एन० एम० टिडके, — सदस्य
   श्रम मन्त्री, महाराष्ट्र।

4. श्री एस० राघवनन्दन, — सदस्य
   श्रम मन्त्री,
   तमिलनाडु।

5. श्री के० पी० घोष, — सदस्य
   श्रम मन्त्री,
   पश्चिम बंगाल।

6. श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्या, — सयोजक
   अपर सचिव,
   श्रम मन्त्रालय।

(ग) जैसा कि समिति के गठन से पता चलता है, राज्य सरकारों को पहले से ही प्रस्तावों की जांच करने के लिए सहयोजित किया गया है और उनसे इस मामले में सलाह ली जाती रहेगी।

यूनिकेम लेबोरेटरीज पर कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशी

680. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री यूनिकेम लेबोरेटरीज पर ई० एस० आई० की बकाया राशि के बारे में 21 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2580 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य बीमा योजना के कारण यूनिकेम लेबोरेटरीज पर 24,772.24 रुपये की धन राशि की त्वरित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को आदेश जारी किए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि कम्पनी के कर्मचारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों मे सांठ-गांठ है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ख के अधीन आवश्यक वसूली प्रमाण-पत्र दायर किए और वे देय राशियों की शीघ्र वसूली हेतु प्रयास कर रहे हैं।

मूलभूत आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

681. **श्री चित्त महाटा**
प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी की रेखा के स्तर पर मजदूरों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को संशोधित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रम मन्त्रियों के कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में व्यवस्था की जाए ताकि सम्बन्धित सरकारें उन सभी नियोजनों के बारे में, जो अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं हैं, सामान्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकें और सामान्य मजदूरी योजना आयोग द्वारा यथापरिभाषित गरीबी रेखा पर श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देते हुए निर्धारित की जानी चाहिए।

अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों को तैयार करते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

"फेरा" और बड़ी कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाना

683. श्री राम स्वरूप राम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फेरा" और बड़ी कम्पनियों को नए लाइसेंस देने सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है;

(ख) निर्यात, आयात स्थापनापन्न, स्वामित्व का व्यापक, विभाजन आदि आधारों पर गत दो वर्षों के दौरान सरकार की नीति में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक मामले का औचित्य क्या है।

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार की विद्यमान नीति के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के अनुबन्ध-1 में शामिल उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक कार्यकलापों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद बिना किसी रोक के भाग लेने के पात्र हैं। अनुबन्ध-1 में शामिल न किए गए उद्योगों के सम्बन्ध में, उन्हें तीन वर्षों में किए जाने वाले नये या अतिरिक्त उत्पादन के 60% या अधिक के लिए न्यूनतम निर्यात दायित्व प्रतिबद्धता करनी पड़ेगी। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में, तीन वर्षों की अधिकतम अवधि में किए गए जाने वाले या नये अतिरिक्त उत्पादन के कम से कम 75% उत्पादन के निर्यात दायित्व पर जोर दिया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विशिष्ट मामलों में उपर्युक्त नीति को चयनात्मक रूप से उदार बना दिया गया है। चमड़ा उद्योग के मामले में सरकार ने हाल ही में चमड़े के सामान की पर्याप्त निर्यात परक क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा लघु और कुटीर क्षेत्रों के लिए निरन्तर समर्थन और बाजार का सुनिश्चय करने हेतु चमड़े के जूते और चमड़े चे अन्य सामान के सम्बन्ध में उपर्युक्त नीति को उदार बना दिया है। चमड़े की वस्तुओं के बारे में निर्यात दायित्व घटाकर 75% से 60% कर दिया गया है।

भागलपुर में अन्धा किये जाने की घटना के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) की रिपोर्ट

684. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख को सी० बी० आई० ने भागलपुर में अन्धा किए जाने की घटनाओं की जांच का कार्य शुरू किया ;

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या जांच कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है यदि यां, तो कब तक इसके पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भागलपुर में अन्धा किए जाने के मामलों की जांच का कार्य 7 फरवरी, 1981 को शुरू किया था ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि भागलपुर में अन्धा किए जाने से सम्बन्धित 24 मामलों के सम्बन्ध में हाल ही में जांच पूरी कर ली गई है और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पूरी होने वाली है । वे आवश्यक कार्रवाई के लिए यथावधि सरकार को भेज दी जाएगी ।

कृषि और भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारन्टी

685. श्री जमीलुर्रहमान : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार गारन्टी के लिए एक कानून बनाने की योजना है, : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और रायल सीमा के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना किया जाना

686. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में और देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रायल सीमा में उद्योग शुरू करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के एक अंग के रूप में चल रही सरकारी प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाएं जैसे रियायती वित्त, केन्द्रीय राजसहायता, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों पर भी लागू हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमें पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के अधिकांश भाग को शामिल किया गया है । उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की विशेष कठिनाइयों को समझते हुए इस देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए एककों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता की दर 15 लाख प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दी गई है जिससे निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये हो गई है। सरकार पिछड़े देशों के औद्योगिक विकास के बारे में नीतियों और कार्यक्रमों की दक्षता की सतत मानीटरिंग कर रही है।

(ख) चूंकि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है अतः केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में सभी चार जिलों को रियायती वित्त पाने के लिए अर्ह घोषित कर दिया है। इतके अतिरिक्त सभी चार जिलों के 22 ब्लाकों (खण्डों) के एक समूह को केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के लिए भी पात्र स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार के कहने पर अनन्तपुर जिले को केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिकरण शुरू करने के लिए छांटा गया है जिसके लिए एक कृतिक बल परियोजना सम्भाव्यताओं का पता लगाने, आनुषंगीकरण का विस्तार करने तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्तरालों को न्यूनतम करने के लिए कार्य कर रहा है।

परमाणु विद्युत संयंत्र में लीकेज

687. श्री पी० राजगोपाल नायडू
श्री जयनारायण रौट } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के परमाणु विद्युत संयंत्रों में हाल ही में कोई लीकेज हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लीकेज को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी० सी० सेन सिंह) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट में हाल ही में यह पाया गया था कि हल्का पानी रिस रहा है। रिसने वाले स्थानों का पता सही-सही लगाया जा चुका है तथा इस यूनिट को फिर से चालू करने से पहले उन स्थानों से पानी के रिसाव को बन्द कर दिया जायेगा।

पंजाब में अशान्ति के बारे में पजाब के नेताओं के साथ बातचीत

688. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री माधव राव सिंधिया
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री मूल चन्द डागा
श्री के० पी० सिंह देव
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री बीरभद्र सिंह
श्री चिरंजी लाल शर्मा
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब ने नेताओं के साथ हुई बातचीत में राज्य में व्याप्त अशान्ति का कोई स्वीकृत हल ढूंढ निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पंजाब के नेताओं के साथ अभी बातचीत समाप्त नहीं हुई है।

झालावाड, राजस्थान में उद्योग की स्थापना

689. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यस्थान के एक पिछड़े हुए जिले झालावाड में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) इस जिले में पिछड़े दो वर्षों में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं और उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में बड़े और मझोले उद्योग क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 45.09 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

मुख्यतया केन्द्रीय निवेश मूलभूत आधार वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है तथा इन परियोजनाओं के स्थापनास्थल पर निर्णय तकनीकी आर्थिक कारकों के अधीन किया जाता है तथा तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमानता दी जाती है।

झालावाड़ जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना गया है तथा निवेशकर्ता रियायती वित्तकरों में रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ब्याज राजसहायता, कच्ची सामग्री, के आयात के लिए विशेष सुविधाएँ, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, मूल/सीमांत धनराशि सहायता तथा जिला उद्योग केन्द्र जैसे केन्द्रीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार हैं।

राज्य सरकार के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान क्रमशः 50 और 494 नए उद्योग स्थापित किए गए, 1050 और 1485 प्रत्याशी उद्योगों का पता लगाया गया, 380 और 45 परियोजनाओं की रूप रेखायें तैयार की गई 875 व1473 उद्योग पंजीकृत किए गए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 28.50 और 22.50 लाख रु० का ऋण दिया गया तथा क्रमश : 869 तथा 1548 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के लिए वर्ष 1978-79 में 141.25 लाख रु० 1979-80 में 38.78 लाख रु०, 1980-81 में 39.00 लाख रु० तथा चालू वर्ष 1981-82 की पहली और दूसरी तिमाही में 50.70 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। राज्य के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहायता के आवंटन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

गया में उद्योगों की स्थापना

690. श्री रामस्वरूप राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक रूप से पिछडे क्षेत्र गया (बिहार) में कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों की औद्योगिक योजना के भाग के रूप में निम्नलिखित उद्योगों की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :

1—एन्ट्रीफिकेशन डीयरिंग प्रयोजना

2—क्राफ्ट पेपर प्रायोजना (जेहानाबाद) गया

3—सेनेटरी वेयर प्रायोजना

4—सैन्ट्रल प्रोसेसिंग हाउस

5—25000 तकुओं वाली सूत कताई मिल

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, गढ़वाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) मैं आपका तथा सभा का ध्यान एक अन्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। आज प्रात : भी मैंने आपका एक पत्र लिखा था।...

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में आप को बता तो दिया है। आपको कन्वे कर दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको बताना चाहता हूं। यह मेरी अन्यन्त गम्भीर आपत्ति है। मुझे बताया गया है कि इस प्रकार के वक्तव्य सदा सभा के बाहर दिये जाते रहते हैं अतएव यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आज शाम को मंत्री महोदय विदेश नीति पर वक्तव्य देंगे। उस समय हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मामला विदेश नीति का नहीं है अपितु प्रधान मंत्री द्वारा 'युद्ध वर्जन संधि' पर सभा के बाहर दिये गये वक्तव्य के बारे में है। यह राष्ट्रीय तथा अन्तरष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण मामला है। जबकि सभा सत्र में है।.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैंने पहले भी ऐसा पढ़ा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसका अभिप्राय है कि सभा का कोई महत्व नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं एक पूर्व उदाहरण उद्धृत कर सकता हू। पांचवी लोक सभा में जब श्री खडिलकर ने बोनस के मामले पर सभा के बाहर

एक वक्तव्य दिया था तो अध्यक्ष महोदय ने उनकी ताड़ना करते हुए कहा था "कि मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देता हूं कि वह ऐसे मामले सत्र के दौरान सभा में ही उठाये।" अब प्रधान मंत्री ने सभा के बाहर पाकिस्तान पर वक्तव्य दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह विनिर्णय इसी सभा में दिया गया था कि जिस समय सभा सत्र में हो, महत्वपूर्ण वक्तव्य सभा के बाहर न दिये जायें (व्यवधान) विदेश मंत्री सभा में उपस्थित हैं। कार्य मन्त्रणा समिती की बैठक में उन्होंने बताया था कि सरकार समुचित समय पर वक्तव्य देगी। समिति ने भी ऐसा कोई आग्रह नहीं किया कि सरकार शीघ्रता में कोई वक्तव्य दे। परन्तु प्रधान मंत्री ने डिफेंस कालेज के प्रशिक्षकों को सम्बोधित करते समय युद्ध वर्जन संधि पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेगी अथवा नहीं। इस पर बातचीत करेगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी इस बारे में कई वक्तव्य पढ़े हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप विदेश मंत्री से बात करें। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उसी आधार पर उन्होंने कहा था कि इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अब प्रधान मन्त्री ने सभा के बाहर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम भारत सरकार से यह जानना चाहेंगे कि क्या उसको पाकिस्तान से औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अथवा नहीं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

अध्यक्ष महोदय : वह आज मध्याह्न पश्चात अपना वक्तव्य देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम उसे समाचार पत्रों से जानना पसन्द नहीं करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि संसद को अन्धकार में रखा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : वह आज म० प० ही सभा में वक्तव्य दे रहे हैं। हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक भिन्न प्रश्न है।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : माननीय सदस्य का कथन है कि प्रधान मन्त्री द्वारा सभा के बाहर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया गया था। परन्तु वहां पर नीति संबंधी कोई नई घोषणा नहीं की गई। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार पैदा हुई हो।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने कही थी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : कोई बात उठी और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ संक्षेप में कहा गया है। मंत्री महोदय आज वक्तव्य देंगे। यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री को प्रक्रिया के रूप में एक दो शब्द अथवा वाक्य बोलने की मनाही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अपना वक्तव्य देने से पूर्व कृपया विदेश मंत्री से इसकी पुष्टि कर लें। विदेश मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति में भी सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि हम उचित समय पर सरकार को समर्थन देंगे। परन्तु यह वक्तव्य सभा के बाहर दिया गया। इसे हम किस रूप में लें ? (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार में ...

अध्यक्ष महोदय : भाइयों ने मुझे इसके बारे में रोक दिया है। यह स्टेट सब्जैक्ट है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। रामवतार जी की यही मंशा है कि हम काम न करें ? इसी सदन में आपने मुझसे कहा था कि आप किसी स्टेट सब्जैक्ट को नहीं ले सकते। दिस इज ए स्टेट सब्जैक्ट (व्यवधान) आप बहस मत कीजिए। एक चीज को दो तरह से न लीजिए यह दुधारू तलवार है। मैंने आपके कहने पर एक चीज वापस ली है। अगर आपकी यही मंशा है कि यह हाउस न चले तो दूसरी बात है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपके पूर्वाधिकारियों द्वारा बहुत से विनिर्णय लिए गए थे कि जब संसद सत्र में ही कोई भी नीति संबंधी घोषणा बाहर नहीं की जानी चाहिए। जब विदेश मंत्री आज सभा में वक्तव्य दे रहे हैं तो यह वक्तव्य सभा के बाहर नहीं दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री चरणजीत यादव द्वारा उठाया गया मामला अति संगत है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस पर आपका विनिर्णय क्या है। (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पावर थ्रेशरस (गुण-प्रकार नियंत्रण) आदेश 1981, दो पहिए वाले वाहन (पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश 1981, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा उद्योग (विकास में विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पावर थ्रेशरस (गुण-प्रकार नियंत्रण) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 746 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 2915/81)

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अन्तर्गत जारी किया गया दो पहिये वाले वाहन (पुन: बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 735 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।
(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 2916/81)

(3) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पेट्रोलियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 756 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 757 में प्रकाशित हुए थे।
(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2917/81)

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि बढ़ाने के बारे में सां० आ० 315 (ङ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि बढ़ाने के बारे में सा० आ० 331 (ङ) जो दिनांक 2 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2918/81)

(5) (एक) भारतीय सीमेंट अनुसंधान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखें।

(दो) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2919/81)

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना, विदेशी अभिदाय (दान अथवा उपहार स्वीकार करना अथवा अधिकार में रखना) संशोधन विनियम, 1981 तथा अन्दमान और निकोबार प्रशासन की वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ० 11/20/79-एल० एस० जी० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अक्तूबर 1981 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें गृह मंत्रालय का आदेश संख्या यू० 11013/6/81-दिल्ली दिया गया है जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किए गए दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के आदेश में संशोधन करके अधिनियम की उपधारा (3) के अन्तर्गत उसमें "डेढ़ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गये हैं तथा आदेश जारी करने का व्याख्यात्मक विवरण।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2920/81)

(2) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय (दान अथवा उपहार स्वीकार करना अथवा अधिकार में रखना) संशोधन विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 786 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2921/81)

(3) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2922/81)

नौ सेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) पहला (संशोधन) विनियम, 1981

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अन्तर्गत नौ सेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (पहला संशोधन) विनियम 198. (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 12 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 247 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2923/81)

दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचना, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1981, सीमा सुरक्षा बल मुख्य विधि अधिकारी तथा विधि अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें (संशोधन) नियम, 1981 तथा बिलम्ब के बारे मे विवरण अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1851 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा दिल्ली पुलिस पदोन्नति तथा स्थायीकरण दूसरा (संशोधन) नियम, 1981

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सां० आ० 707 (ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया दिनांक 19 सितम्बर 1981 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 21 सितम्बर 1981 से छह महीने की और अवधि के लिए निलम्बित किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2924/81)

(2) संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत जारी किए गए संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचिना संख्या सा० सां० नि० 832 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2925/81)

(3) (एक) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल मुख्य विधि अधिकारी तथा विधि अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2926/81)

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 875 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1981, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 602 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 603 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन, विनियम, 1981 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 604 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 605 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) (सोलहवां संशोधन) विनियम, 1981 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 925 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1954 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 926 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) सत्रहवां संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 944 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वतन) बारहवां संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 945 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

(दस) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 31 अक्तूबर 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 959 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवा (सामूहिक बीमा) नियम, 1981 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 584 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 2927/81)

(5) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस (पदोन्नति स्थायीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/31/81-होम पी/एस्टेब० में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2928/81)

लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1981 जून 1980 मे जेनेवा में हुए में अन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के छियासठवे अधिवेशन में स्वीकृत ओल्डर वर्कस से संबंधित सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण तथा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचनाएं

श्रम मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं श्री पी० वेंकट रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सं० दि० 921 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या डी० एल० टी० 2929/81)

(2) जून, 1980 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के छियासठवें अधिवेशन में स्वीकृत 'ओल्डर वर्कस' से सम्बन्धित सिफारिश पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2930/81)

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनाओं संख्या सा० सां० नि० 548 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवा संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 3 अक्तूबर 1981 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 549(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2931/81)

राज्य सभा से संदेश

पेंशन संशोधन विधेयक

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्य सभा द्वारा 23 नवम्बर, 1981 को अपनी बैठक में पारित, पेंशन (संशोधन) विधेयक 1981, की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : श्रीमन, मैं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981, राज्य सभा द्वारा पारित किये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

30 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास-उत्तर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 30वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चिट फंड विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री ईरा अनबारासु : (चिंगलपट्टु) : मैं चिट फन्डों के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : क्या आप पुलिस द्वारा अल्प संख्यकों की हत्या पर चर्चा की अनुमति नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : बीजू साहब, मैंने कल भी आप से कहा था कि आप आकर बात कीजिए, फिर मुझे समझाइये कि क्या करना है लेकिन आप वापिस चले गये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने सारे कम्युनल राइट्स देखे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, अगर यही तरीका है, यही तरीका अख्तियार करना है और मन बना लिया है कि हमने काम नहीं करना है तो दूसरी बातें हैं। मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कहां चलने देते हैं। आप तो ऐसे करते हैं...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब बैठ जाइए। मैंने कल भी बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में कहा, उनके सामने सब रख दिया, सब बातें डिसकस हो चुकी हैं। उनसे कहा गया कि आप प्रियारिटी फिक्स कर लो। मैं तो कुछ रखता नहीं हूं। मैं इस बात के लिए हैरान हूं कि आप लोग दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के लिए हम यह सब कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? विचार-विमर्श को ही तो डेमोक्रेसी कहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं गलत बात है, आप ऐसा कहते हैं। आपके बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में जो नुमाइंदे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मैंने कहा या नहीं कहा। पूछिए कि हमने बैठकर फैसला किया या नहीं और प्रियारिटी किस हिसाब से फिक्स करनी है, इस बारे में बात हुई या नहीं प्रियायिरिटी फिक्स उनमें मिलकर करते हैं तो भी गलत है, नहीं करते हैं तो भी गलत है तो इस तरीके से तो हाउस नहीं चल सकता अगर ऐसा है तो मैं छुट्टी कर लेता हूं। यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कमेटी के सामने रख दिया कि बोलो भई क्या करना है। हाउस के सामने रख दिया। इसके बावजूद आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं तो देश आपको समझेगा।

श्री बीजू पटनायक : हम आपके विचार का पूरा समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिये इस सत्र के दौरान अपने कुछ मामले कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखे हैं। लेकिन कुछ बातें इस तरह से उत्पन्न होती हैं एक स्थान पर हमारे मुस्लिम भाई को पुलिस ने गोली मार दी।

यह बाद की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मेरे से बात कर लीजिये, सलाह कर लीजिये। आपका हमेशा स्वागत है। हर माननीय सदस्य का हमेशा स्वागत हैं। मैं इसके बारे उनसे बात करूंगा।

श्री बीजू पटनायक : कृपया मेरी बात सुनें। भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि उन्होंने हरिजनों को शस्त्र देने के लिये राज्य सरकारों को लिखा है। उनके सहायक, राज्य मंत्री राज्य-सभा में कहते हैं कि यह सरकार की नीति नहीं है। हम इससे क्या समझें? राष्ट्र इससे क्या समझें?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात कर रहा हूं कि प्रियारिटी फिक्स कर ली गई है और सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अगर इसी प्रकार से वक्त जाया करते हैं तो न आपका डिसकशन हो सकेगा और न कोई और काम हो सकेगा। आप मेरे पास आइए, बात कीजिए। आई एम ओपन टू सजेशन। लेकिन अगर आप पांच जिस तरह से अपनी अपनी बात करते हैं, इसी तरह से सारा हाउस करने लग जाए तो फिर मेरी क्या जरूरत है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हमको भी चांस मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सारा चांस आप लोगों को ही तो मिलता है। बाहर के लोग जब देखेंगे तो याद रखेंगे आप लोगों को।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : गढ़वाल में चुनाव कराने के बार में...

अध्यक्ष महोदय : अब आप तो बैठे थे, क्यों खड़े हो गए। क्या कहना चाहते हैं आप।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ये गढ़वाल चुनावों के बारे कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है आपको। आपके पास आपके दोस्त बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, सारी बात उनको पता है।

आप उनकी बात क्यों नहीं सुन सकते? आप अपने दोस्तों से बात कीजिये और फिर मुझसे कीजिये। मैं आदमी हूं। क्या आप समझते हैं कि मैं आदमी नहीं हूं?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं किसी अत्य विषय पर बात कर रहा हूं। उन लोगों को सजा देने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है जो श्री एच० एन० बहुगुणा जैसे राष्ट्रीय नेता की हत्या के षढ़यंत्र से सम्बद्ध हैं। इस बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। संसद इसे इस तरह से नहीं ले सकती।

केनरा बैंक की साउथ एक्सटेन्शन शाखा नई दिल्ली में डकैती के समाचार के बारे में ध्यानाकर्षण के उत्तर में 9 सितम्बर, 1981 को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तिव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : नई दिल्ली में केनरा बैंक की साउथ एक्सटेंशन ब्रांच में कथित डकैती के बारे में 9.9.1 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान मैंने कहा था कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है और उनसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अन्य रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

स्थिति यह है कि पहली रिपोर्ट के अलावा राज्य सरकारों को कोई अन्य रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। उन पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मस्तिष्क ज्वर एंसिफेलाइटिस के भीषण प्रकोप के कारण हुई मोतों का समाचार

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में एक बयान दें।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और देश के अन्य भागों में मस्तिष्क ज्वर (एंसिफेलाइटिस) के भीषण प्रकोप के कारण हुई मौतों के समाचार।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों, दोनों से मच्छर के काटने से होने वाले जापानी ऐनसेफलाइटिस की समय-समय पर सूचना मिलती रही है। हाल हीं के वर्षों में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश,

कर्नाटक और तमिलनाडु से इस रोग के भारी प्रकोप की सूचना मिली है। वैसे चालू वर्ष के दौरान यह महामारी कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु और पांडिचेरी के 26 जिलों के आस-पास के इलाकों में फैली है। इस वर्ष उत्तरी राज्यों से जापानी ऐनसेफलाइटिस महामारी की कोई सूचना नहीं मिली है। जो जिले इस रोग से प्रभावित हुए हैं वे मुख्यतः ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ने की अधिक संभावना रहती है और जिनमें 1981 के दौरान अच्छी बारिश हुई है। इसके फलस्वरूप मच्छरों के वैक्टरों के पैदा होने के हालात उत्पन्न हो गये जो इस रोग को फैलाते हैं।

2. इस रोग की स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी केन्द्रशासित क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों से इस प्रकोप पर काबू पाने के लिए तत्काल प्रभावकारी उपाय करने और इस दिशा में अपने कार्यों में तालमेल रखने के लिए कहा है।

3. देश में समय-समय पर जापानी ऐनसेफलाइटिस की महामारी के फैलने को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप पर काबू पाने के लिए स्थायी आदेश जारी कर दिए हैं। तदनुसार संबंधित राज्यों ने इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया हैं :—

(i) इस रोग से प्रभावित गावों में विशेष रूप से पशु-गृहों और झोंपड़ियों में एच० सी० एच० कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना;

(ii) घरों के बाहर जिन स्थानों में मच्छर रहते हैं उनमें मशीनों से कीटनाशी दवा का फागिंग करना;

(iii) रोग-प्रभावित गांवों के चारों ओर उन स्थानों में लार्वानाशी दवाइयों का छिड़काव करना जहां मच्छर पनपते हैं;

(iv) प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाइयों के पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था करना;

(v) प्रभावकारी मानीटरिंग की व्यवस्था।

4. इन राज्यों से इस रोग के प्रकोप की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों ने हैदराबाद में इस स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक के परिणामस्वरूप निम्नलिखित और तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे :—

4.1 जिन गावों में जापानी ऐनसेफलाइटिस पीड़ित रोगियों की रोग-जांच और उसकी पुष्टि हो जाए उन सभी गांवों में घरों के अन्दर एच० सी० एच० का छिड़काव कराया जाए।

[श्री बी० शंकरा नन्द]

4.2 जहां ये मच्छर पैदा होते हैं उन स्थानों के आस-पास की वनस्पतियों और इस रोग से प्रभावित गांवों में झोपड़ियों/पशुगृहों में मलेथियन का छिड़काव किया जाए।

4.3 जो गांव इस रोग से प्रभावित नहीं हैं परन्तु वे रोग से प्रभावित गांवों से दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर आते हैं, उनमें भी नवारक उपाय के रूप में एच० सी० एच० और मलेथियन का छिड़काव किया जाए।

4.4 जो गांव रोग प्रभावित गांवों के निकट हों और जिनमें इस समय पानी में खेती की जा रही हो और जिनमें गांवों के आस-पास अधिक जल जमा हो, जहां पर प्रवासी और अन्य जल पक्षी आते हों, उनकी निगरानी की जाए।

4.5 रोग प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषकर उचित निदान करने के लिए विशेषज्ञ सेवाएं तुरन्त उपलब्ध होनी चाहिए।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोग प्रभावित क्षेत्रों के लिए संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्र की मांग के अनुसार 60 मीट्रिक टन एच० सी० एच० 18.5 मीट्रिक टन मलेथियन और आठ फागिंग स्प्रे मशीनों सहित आवश्यक अतिरिक्त सामग्री और उपकरण भेज दिए हैं।

6. चूंकि ऐनसेफलाटिस कई विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य रोगों के कारण होता है, इसलिए परिधीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जापानी ऐनसेफलाइटिस का विशेष रूप से निदान करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः जापानी मस्तिष्क ज्वर के रोगियों को अधिक देने की सम्भावना है अतः इस रोग पर काबू पाने और वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकोप की जांच करने औ नियंत्रण संबंधी उपाय करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे के दल इन राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र में भेज दिए गए हैं।

7. केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों से परामर्श लेकर इस स्थिति पर निकट से नजर रखे रखे हुए है और इस रोग पर काबू पाने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना

चाहता हूं कि एक मस्तिष्क ज्वर तो हमारे देश के सभी प्रान्तों में फैला उसको रोकने के लिए किस प्रकार की वैक्सीन तथा अन्य चीजों की जरूरत है ताकि उसको रोका जा सके ताकि उसकी बाबत तो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के मस्तिष्क ज्वर से हमारे विरोधी दल के लोग पीड़ित हैं उसका इलाज निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय और आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए किसी वैक्सीन की लोज करनी पड़ेगी।

मंत्री जी के उत्तर से और जो अन्य रिपोर्टें मिली हैं ऐसा लगता है कि जनता राज्य से जो विरासत में हमारे देश की बहुत सारी बुराइयां मिलीं उनमें से एक बीमारी या बुराई मस्तिष्क की 1979 के बाद तेजी से फैली। जनता राज के विरासत में यह बीमारी अधिक मिली है। मंत्री जी के उत्तर से कुछ प्रश्न उठते हैं जो मैं पूछना चाहता हूं :

(1) इस बीमारी में जो मौतें हुई हैं मैं उसका कारण लोगों का देर से अस्पताल में जाना है।

(2) यह बीमारी गावों में ज्यादा फैली है क्योंकि वहां सफाई नहीं है ;

(3) लोगों को इस बीमारी के विषय में प्रोपर ऐजूकेशन नहीं है। तो जिस तरह से हमारे गांवों की आज हालत है, दूर दूर अस्पताल हैं और अधिकांश अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं। और अगर हैं भी तो दवाएं नहीं हैं। मेरे अपने ही क्षेत्र में इस समय 428 डाक्टरों की कमी है अस्पतालों में। और कारण यह है कि जो डाक्टर गांवों में भेजे जाते हैं वह वहां काम नहीं करना चाहते। तो क्या कोई ऐसी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का आप निर्माण करेंगे ताकि डाक्टर्स गांवों में जा सकें और उनसे गांवों में काम करने के लिए बौंड लिए जा सकें।

इसके अलावा दवाई का मसला है। जो शहरों में अस्पताल हैं उनमें ऐसे लोग रहते हैं जो सरकार को प्रेशराइज करते हैं और शहर के अस्पतालों को दवायें मिल जाती हैं। साथ ही केन्द्र सरकार के जो अस्पताल है उनके रिसीर्सज भी अधिक हैं। लेकिन गांवों में जो अस्पताल हैं जो राज्य सरकारों के अधीन हैं राज्यों के रिसीर्सज कम होने की वजह से वह अपने अस्पतालों में दवाएं नहीं दे सकते। तो क्या कोई ऐसा तरीका आप निकालेंगे कि गांवों के अस्पताल को समुचित ग्रान्ट्स मिल सके ताकि उनको धन के अभाव में दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े और ऐसी बीमारियों का वहां इलाज हो सके चूंकि गांवों में समय पर दवाएं नहीं मिलती हैं इसलिए ऐसा होता है। आपके उत्तर और अखबारों से साफ है कि लोगों को देर से अस्पताल ले जाया गया या वे वह स्वयं देर से अस्पताल गए और अगर गए भी तो प्रोपर मैडिकल केयर उनको नहीं मिली। पोपर मैडिकल कैयर देना सरकार की ड्यूटी है। और यदि दवाएं न हों तो इस दिक्कत को दूर करना आपका काम है। तो इस संदर्भ में आप क्या ऐक्शन ले रहे हैं ?

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

कर्नाटक और दूसरे प्रान्तों में बीमारी फैली है । इसका कारण यह भी है राज्यों के बीच प्रोपर कोआर्डिनेशन नहीं हुआ । एक राज्य में आपने कुछ दवाओं का छिड़काव कर दिया, मगर आसपास के राज्यों में नहीं किया जिसकी वजह से वहां बीमारी फैल गई । तो एक जगह कंट्रोल हो और दूसरी जगह कंट्रोल न हो यह भी ठीक नहीं है । खासकर बार्डर एरियाज में तो प्रोपर कोआर्डिनेश होना चाहिए । मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकारों को डायरेक्टिव दिया गया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ।

इसके वैक्सीन जापान से आते है । मगर बताया गया है कि वे वैक्सीन अब प्रभावी नहीं रह गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इनको प्रभावी बनाने के लिए नैशनल इंस्टीट्यूट आफ वाइरालोजी, पूना, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैन्टल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर और वाइरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली (हिमाचल प्रदेश) में क्या प्राग्रेस हुई है । पिछले साल काला ज्वर की बात उठी थी । इसी दौरान और भी कई बातें उठी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर इन दवाओं की ईजाद करने के बारे में क्या प्राग्रेस हुई है । मंत्री महोदय ने मामलों को रेफर करने की बात कही है । वह यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इस बारे में क्या प्राग्रेस हुई है ।

मंत्री महोदय ने बी० एच० सी० और मेलेथियन आदि दवाएं छिड़कने की बात कही है । गांवों के अधिकांस लोग खेती पर निर्भर करते हैं । हमने देखा है कि विभिन्न दवाएं छिड़कने से न केवल फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि घास भी नष्ट हो जाती है, जो गाय बैल के काम आती है । इस लिए गांवों के लोग दवाओं के छिड़कने के बारे में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते और इसको रेसिस्ट करते हैं इससे कीटाणुओं को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता । क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जहां ये महामारियां फैलती हैं और दवाओं के छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है वहां एग्रीकल्चरल क्राप्स और घास के लिए वैकल्पिक उपाय किया जाए और यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उन्हें उसका कम्पेन्सेशन दिया जाए ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने मस्तिष्क ज्वर की समस्या पर प्रकाश डालते हुये शुरू में इस सभा में विरोध का रवैया अपनाया । वे मुझ से चाहते थे कि मैं कहूं कि क्या हम स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कर सकते हैं ? मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इंदिरा कांग्रेस की एक बड़ी और प्रभावशाली खुराक की मात्रा ही विपक्ष के मस्तिष्क ज्वर का उपचार कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इसका जिक्र ध्यानाकर्षण में नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : यह वही बात है जिसका उन्होंने जिक्र किया था ।

समस्या की चर्चा करते हुये इस सम्बन्ध में किये गये उपायों के बारे में माननीय सदस्य ने कई ऐसे प्रश्न उठाये जिनका जिक्र मैं अपने मूल उत्तर में दे चुका हूं। वह ग्रामीण क्षेत्र में औषधियों की आपूर्ति तथा डाक्टरों की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। यह एक व्यापक प्रश्न है जिसका उत्तर, निस्संदेह मैं कई बार इस सभा में दे चुका हूं। वर्तमान प्रश्न केवल मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के लिये औषधियों की आपूर्ति तथा उनके इलाज की सुविधायें उपलब्ध होने से सम्बन्धित है। जहां तक सरकार द्वारा किये गये उपायों का सम्बन्ध है, भारत सरकार तथा राज्यों की गतिविधियों में तालमेल लाने के लिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में एक सेल स्थापित कर दिया गया है ताकि इस रोग की रोकथाम हो सके।

वह यह भी जानना चाहते थे कि क्या हम जनता को सूचित करने के लिये कुछ करते रहे हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी बातों सम्बन्धी सूचना जारी की है। इसके उत्तर में, मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिये जापान के मस्तिष्क ज्वर सम्बन्धी एक टिप्पण को मुद्रित करके लोगों तथा चिकित्सा व्यवसाय के लोगों के बीच वितरित करने के लिये विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है ताकि हम देख सकें कि जब कभी ऐसा संक्रामक रोग फैलें या इसके लक्षण नजर आएं तो लोगों को उन्हें क्या कदम उठाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, जापानी मस्तिष्क ज्वर के कारण, प्रकार, मरक-विज्ञान, विज्ञान तथा लक्षण उपचार, वैक्सीन तथा अन्य निवारणात्मक उपायों सम्बन्धी एक तकनीकी नोट तैयार कर लिया गया है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से भी उन क्षेत्रों के दो तीन किलोमीटर ईदगिर्द, जहां काफी रोग फैलने के समाचार मिले, बी० एस० सी० तथा डी० डी० टी० का छिड़काव करने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक माननीय सदस्य के डाक्टरों द्वारा गांवों में न जाने सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि इस बारे में कई समस्यायें हैं। निस्संदेह यह प्रश्न इस पहलू से सम्बन्धित नहीं है — ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं।

सभा इस बात को जानती है कि मैंने हाल में एक उच्च स्तरीय समिति, चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति, का गठन किया है जिसमें ख्याति प्राप्त चिकित्सा शिक्षा-विद हैं जो सरकार को सुझाव देंगे कि क्या चिकित्सा शिक्षा के वर्तमान प्रणाली में सुधार किया जा सकता है और इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जा सके। चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर हम जान सकते हैं कि क्या हम ऐसे डाक्टर तैयार कर सकते हैं जो सामजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर अपनी इच्छा से ग्रामीणों की सेवार्थ गांव जाने को तैयार हैं।

[श्री बी० शंकरा नन्द]

जहां तक उन दक्षिण राज्यों के बीच तालमेल का सम्बन्ध है, जहां इस रोग के फैलने के लक्षण नजर आ रहे हैं, मुझे कहना चाहिये कि केवल इसी महीने की 11 तारीख के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैदराबाद तथा सभी प्रभावित राज्यों में गये और रोग को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के बारे में उचित निदेश जारी किये।

मैं एक अथवा दो दिनों के अंदर प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी आयोजित करने जा रहा हूं और मैं इन राज्यों के बीच प्रभावशाली तालमेल स्थापित करने पर विचार कर रहा हूं ताकि यह रोग अन्य क्षेत्रों में न फैले।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० जे० कुरियन।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : एक मैंने यह पूछा था कि जो आपकी इंस्टीच्यूट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी वैक्सीन या दवा तैयार करते के विषय में क्या प्रोग्रेस हुई है।

श्री बी० शंकरानंद : इस समय केवल एक ही वैक्सीन उपलब्ध है जो बहुत मंहगी है। दुनिया भर में यह पता लगाने के लिये अनुसंधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि क्या वैक्सीन द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिये कोई प्रभावशाली उपाय किये जा सकते हैं और इस काम में हम अभी तक सफल नहीं हो पाये। निस्सदेह हमें इन्ट्राफैरोन नामक एक औषधि मिली है और इसे अभी तक चिकित्सा में उपयोग के लिये स्वीकृति नहीं दी गयी है और अनुसंधान अभी चल ही रहा है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मंत्री महोदय ने मस्तिष्क ज्वर के निवारणार्थ और जहां भी यह रोग फैला वहां इसकी चिकित्सा के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र किया है।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के पैराग्राफ 6 में भी यह बताया है कि हो सकता है एनसेफलाइटिस के रोगियों की संख्या अधिक बताई गई हो। ऐसा हो सकता है। परन्तु समस्या यह है कि यह एक ऐसी बीमारी है जिससे समाज में बड़ी चिन्ता हो रही है और इससे बहुत सी मौतें हुई हैं; मृतकों की संख्या बहुत अधिक है। अतः यदि मस्तिष्क-ज्वर के मामलों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है तो हमें उसके बारे में बहुत अधिक चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क ज्वर एक महामारी के रूप में इस 21 जिलों में फैल गया है। यह केवल 21 जिलों का ही प्रश्न नहीं है; मुख्य बात यह है ये 21 जिले आपस में सटे हुए हैं और ये संलग्न जिले संक्रामक रोगग्रस्त हो गए हैं। अतः इस महामारी की यह मुख्य बात है। यदि सरकार की वास्तव में ही इसके प्रति तीखी प्रक्रिया है तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि मलेरिया और झीलपात्र के बाद मच्छरों से पैदा होने वाली यह तीसरी प्रमुख बीमारी है और यह

झीलपांव का रोग फाइलों में लग जाने वाला रोग नहीं, अपितु वह है जो मलेरिया के बाद होता है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें इसके लिए कुछ सहायता प्रदान की है और क्या कोई अन्य सामाजिक संगठन भी सहायता के लिए आगे आया है, क्योंकि इसमें सरकार को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेने का विचार एक अच्छा विचार है। देश के अन्य क्षेत्रों में इस रोग के फैलने के समाचार नहीं हैं, परन्तु निरोधक उपाय करने आवश्यक हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह रोग केवल सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में ही फैला है। जैसा कि अनेक समाचार पत्रों में आया है, यह रोग किसी ऐसे स्थान से आया है जहां सूअर होते हैं, और सूअर तो सारे ही देश में मिलते हैं। अतः जब से यह रोग 1973-74 के बाद महामारी के रूप में फैला हैं, सरकार कौन-कौन से निरोधक उपाय करने जा रही है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन लोगों के परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति करने पर विचार करेगी जो इसका शिकार हुए और काल-कलवित हो गए। क्या उन्हें कुछ धन प्रधान मन्त्री राहत कोष से दिया जा सकता है?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या कोई सीरम खोज ली गई है। मन्त्रि महोदय ने एक अस्पष्ट वक्तव्य दिया है कि सीरम तो है परन्तु वह सफल नहीं रही है। परन्तु समाचारों में यह दिया गया है कि इसके लिए सीरम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सीरम का उपयोग किया जाएगा और यदि यह सफल नहीं रहा है तो वे कब तक इसके सफल हो जाने की आशा करते हैं और कब तक इसका टीका प्रयोग में लाया जाएगा जिससे अन्य जिले इस रोग से प्रभावित न हो सकें।

श्री बी० शंकरानन्द : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एन्सेफलाइटिस एक मस्तिष्क-ज्वर होता है जो कि विभिन्न प्रकार के वायरल और गैर-वायरल कारकों से पैदा होता है। रैबीज (अलर्क) हार्प्स, पोलियो जैसे विषाणु तथा आन्तरिक विषाणु, कनफेड़े, मोतीझारा, खसरा की मस्तिष्क-ज्वर के मामलों के विरल कारण माने जाते हैं। बैक्टीरिया, फफूंद और प्लेज्मोडियम फाल्सीपरूम जैसे पटोटेक्सोआ भी मस्तिष्क के सदूषण के कारण हो सकते हैं। गत वर्षों में मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जो जांच की गई है, उसमें उसके फैलने में जापानी मस्तिष्क ज्वर को मुख्य कारण पाया गया है। जापानी मस्तिष्क-ज्वर एक ऐसा रोग है जो कि विषाणु से फैलता है और यह बात सिद्ध की जा चुकी है। इस विषाणु मस्तिष्क-ज्वर से मृत्यु भी हो जाती है और इसकी मृत्यु-दर बहुत ऊंची है। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अन्य प्रकार के मस्तिष्क-ज्वरों से होने वाली मौतों को भी डाक्टर लोग प्रायः इसी के साथ गिन लेते है। क्योंकि आमतौर से इसकी जानकारी नहीं है और संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाने की भी संभावनाएं हैं। मस्तिष्क-ज्वर और कई अन्य विभिन्न कारणों से भी हो सकता है। अतः जब इस संबंध में रिपोर्टें आती हैं तो इसमें अन्य प्रकार के मस्तिष्क ज्वर के कारणों से होने वाली मौतों को भी गिन लिए जाने की

[श्री बी० शंकरा नन्द]

संभावना होती है और इस प्रकार मृत्यु संख्या बहुत अधिक दिखाई जा सकती है। उन्होंने उन 26 जिलों में रोग की संक्रमण प्रकृति के बारे में पूछा है। इस रोग की प्रकृति ही ऐसी है कि यह इस ढंग से फैली हुई हैं कि किसी एक जिले-विशेष में भी यह एक गांव तो अपना प्रकोप दिखा रही हो तो दूसरे किसी गांव में कतई देखने को भी न हो और प्रकोप-भाजन गांव में भी केवल एक या दो ही मामले हों। इस महामारी की ऐसी तासीर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या वह चाहते हैं कि इस रोग से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो ? ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है। माननीय सदस्य ने यही कहा था।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं जानता हूं। महोदय, यह महामारी दूसरी महामारी से भिन्न है। आपको भी यह पता होना चाहिए। इसकी अन्य महामारियों से तुलना नहीं की जा सकती है। ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी भतीजी इसी रोग से मरी थी। अतः मैं इसे जानता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : यही तो समस्या है। यदि आप इस महामारी और अन्य महामारियों के अन्तर को समझते होते तो आप मेरी बात को मानते। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके निवारण का एकमात्र प्रभावकारी उपाय है कीटनाशकों का छिड़काव करना और उनका धुंआ उठाना। यदि यह काम समय पर हो जाता है तो शायद इस रोग को रोकने और इसके अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने में सहायता मिल सकती है। ...

एक माननीय सदस्य : प्रार्थना से भी ?

श्री बी० शंकरानन्द : छिड़काव से। प्रार्थना तो मरने के बाद आती।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मै मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को देखें। वह एक मुख्य और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना तो भूल ही गए हैं। मैं उनके लाभार्थ उद्धृत कर रहा हूं :—

> "मस्तिष्क-ज्वर के बड़े पैमाने पर फैल जाने के कारण हुई मौतों के समाचार की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित .. ।"

उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि उन्हें मौतों के बारे में कुछ समाचार मिले हैं, परन्तु उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया है कि वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, किस वय-वर्ग के लोग

मरें हैं, किस आयु के लोग इसका शिकार हो रहे हैं या 12 वर्ष की आयु से कम के बच्चे ही इसका शिकार बनते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मन्त्री महोदय सदन को मृतकों की वास्तविक संख्या भी बता दें। प्रतिवेदन में यह बताया गया है और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण भारत के लगभग 26 जिले इससे प्रभावित हैं। यह भी बताया गया है कि आमतौर से मस्तिष्क-ज्वर के नाम से जानी जाने वाली यह बीमार गत 3-4 वर्षों से हमारे देश में आती रही है। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से प्रतिवर्ष इसके बारे में समाचार मिलते रहे हैं और वहां पर कुछ लोगों की इससे मृत्यु भी होती रही है।

आपके माध्यम से मेरी मन्त्री महोदय से यह शिकायत है कि यदि भारत सरकार, राज्य सरकारों की सहायता से प्रारम्भ से ही अथवा इसके दिखाई देने वाले वर्ष से ही पर्याप्त सावधानी बरतती तो इस रोग को फैलने से रोका जा सकता था। अब जहां तक समाचारों का संबंध है, अकेले आन्ध्र प्रदेश में ही 104 व्यक्ति इससे मृत्यु का शिकार हुए हैं। और दुर्भाग्य से 12 वर्ष की आयु-वर्ग से नीचे के बच्चे ही अधिकांश इसका शिकार हो रहे हैं। यह इसका सर्वाधिक दुर्भाग्य-पूर्ण पहलू है। मैं मन्त्री महोदय के इस कथन का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं कि ऐसा हो सकता है कि मृतकों की संख्या कुछ अधिक बताई गई हो। मैं मन्त्री महोदय और सदन को बता देना चाहता हूं कि हमारे दक्षिणी राज्यों में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में जो कि इस रोग से प्रभावित रहा है, ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग इससे काल कलवित हो रहे हैं। जो संख्या मैंने अभी बताई थी वह प्रामाणिक है। यह सरकारी आंकड़े हैं। ऐसी बहुत सी मौतें हुई हैं जिनकी सूचना अस्पतालों को नहीं दी गई थी। इन मामलों के बारे में आपका क्या कहना है? दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इस बीमारी को गम्भीरता से लेना चाहिए उन्हें यह नहीं मान लेना चाहिये कि उन्हें जो रिपोर्ट मिली है उनमें मृतकों की संख्या अधिक बताई गई है। दूसरी ओर इस देश के दक्षिणी राज्यों के 12 वर्ष से छोटे बच्चों की ओर से मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि यदि उन्हें मिलने वाली रिपोर्टों में यदि संख्या कम भी हो तो भी आपको पर्याप्त पूर्वोपाय करने होंगे। गत अनेक वर्षों में कुछ भी तो नहीं किया गया है। हम असहाय बनकर इस बीमारी से अबोध बच्चों को रोगग्रस्त होते देखते रहते हैं। इस बीमारी का सामना करने में हम असहाय हैं। हमारे पास दवाईयां नहीं है, भेषज नहीं, औषधियां नहीं हैं और इस रोग से लड़ने के लिए जो कि पिछले चार वर्षों से आया है, हमारे पास कुछ भी इलाज नहीं है।

अतः अपील करता हूं कि भारत सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि अनन्त-पुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र ही विशेषकर इस रोग के प्रथमतः शिकार बने थे। अब यह बीमारी आन्ध्र-प्रदेश के तीन अथवा चार जिलों में फैल गई है। मेरे विचार से उपाध्यक्ष महोदय भी जानते होंगे कि स्वयं उनके राज्य तमिलनाडु को भी इस रोग ने प्रभावित किया है। अब कर्नाटक का कोलार जिला इससे प्रभावित है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं हमारे देश में इस बीमारी की

[श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी]

जड़ें और अधिक गहरी होती जा रही हैं। जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारें इससे युद्ध स्तर पर निपटने के लिए इसको गम्भीरता से नहीं लेती, तो मुझे डर है कि यह रोग दावानल की तरह फैल जाएगा और यह हमें एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देगा जबकि हम बहुत से छोटे बच्चों को असहाय दर्शक बनकर कालग्रस्त होते देखते रहेंगे।

अतः महोदय मैं मन्त्री महोदय से एक बार और अनुरोध करूंगा कि वह इसे बहुत गम्भीरता से लें। अब मैं विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा और मैं उनके विशिष्ट उत्तर चाहूंगा।

मै जानना चाहता हूं कि क्या

(1) सूअर बाडे वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में, जहां विशेष रूप से यह रोग फैला हुआ है छिड़काव करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों को मालथियन मिस्ट ब्लोअर पर्याप्त संख्या में भेज दिये गए हैं ;

(2) मस्तिष्क ज्वर रोग के कितने कठिन मामलों को इस रोग के लिए विशेष रूप से अपेक्षित उपकरणों से सज्जित अस्पतालों में ले जाया गया है।

(3) क्या नाजुक क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और क्या वहां पर निरन्तर चिकित्सा संबंधी सतर्कता बरती जा रही है ;

(4) क्या किसी टीके को विकसित करने के लिए तुरन्त पग उठाए गए हैं और यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(5) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यह बीमारी इस दावे के साथ महामारी के रूप में भारत में आई है कि क्या भारत सरकार इस बीमारी के उन्मूलन तथा इस पर नियंत्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने के लिए तैयार है।

और अन्त में, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वाइरोलोजी, पूना से विशेषज्ञों के जांच दल ने अपने निष्कर्ष भेज दिये हैं, यदि हां, तो कृपया बताइये कि वे निष्कर्ष क्या हैं। महोदय, धन्यवाद।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता के साथ अच्छी प्रकार सहमत हूं। किन्तु, मैं नहीं जानता कि क्या वह इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जो यह कहा है कि लगातार 4 या 5 वर्षों से आन्ध्र-प्रदेश इस बीमारी से पीड़ित रहा है, यह बात सही नहीं है। इस बीमारी से आन्ध्र-प्रदेश में 1978, 1979 और 1977 वर्षों में होने

बाली मौतों की संख्या मुश्किल से 50 है। अतः उनकी यह धारणा कि यह बीमारी लगातार तीन या चार वर्षों से आन्ध्र-प्रदेश राज्य को प्रभावित कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं इसे सही करके तीन वर्ष कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अवधि को कम करके तीन वर्ष कर दिया है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य तथा सभा को सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा दी जा रही कीटनाशक दवाईयों या फागिंग मशीनों की सप्लाई और तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव के कारण इस बीमारी को रोकने तथा इस पर नियंत्रण करने के कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ा है। जो कुछ राज्यों ने मांगा, अर्थात एच० सी० एच० और मालथियन, वह उन्हें भेजा जा चुका है और नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ वाइरोलोजी, पूना का तकनीकी मार्गदर्शक दल इस क्षेत्र को गया है और वह इस बीमारी पर नियंत्रण करने तथा इसे रोकने के हेतु, मार्गदर्शन कर रहा है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : महोदय मैं मन्त्री महोदय द्वारा व्यक्त इस विचार के विरुद्ध जोरदार शब्दों में आपत्ति करता हूं कि इस बीमारी ने समस्त देश को प्रभावित नहीं किया है और इससे तीन अंकों की संख्या से अधिक लोग नहीं मरे हैं क्या भारत सरकार इस संबंध में सोती रहेगी ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितनी मौतों के पश्चात आप जागेंगे ? मेरे विचार में केवल एक अवयस्क बच्चे की मौत को भी वही महत्व देना होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इतने निराशावादी क्यों हैं मैंने यह नहीं कहा है कि हम इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा है कि हमने इसकी ओर सभी तरह से ध्यान दिया है और सभी प्रकार की वह सहायता भी भेजी है जिसकी राज्यों को आवश्यकता है और कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें कार्यसूची में शामिल करने और राष्ट्र के समक्ष इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए स्वीकृति दी है। मैं व्यक्ति रूप से अपने एक अच्छे मित्र के रूप में तथा एक मन्त्री के रूप में मैं श्री शंकरानन्द जी का कृतज्ञ हूं। मैंने इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए उनकी गहन तीव्र व्यथा को देखा है। किन्तु महोदय अनेक बातें ऐसी हैं जिन पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं है। उसे भी ध्यान में रखना होगा। कई बार उनके संकल्प को मूलभूत ढांचे की ओर उनके पास उपलब्ध अन्य संसाधनों की कमियां पूरा नहीं होने देतीं।

महोदय, मेरे पास छठी पंचवर्षीय योजना की एक प्रति है जिसमें बताया गया है कि अनुमानित व्यय 1821 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 542 करोड़ रुपये संक्रामक रोगों पर नियंत्रण

[श्री डी० पी० यादव]

के लिये हैं। मन्त्री महोदय ने ठीक और ईमानदारी से कहा है कि ऐनसेफलाइटिस मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है। इसका अर्थ यह कि यह एक संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए मंत्रालय या योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना, अर्थात 1980 से 1985 तक के लिये 524 करोड़ की धनराशि का नियतन किया है। मैं विशेष रूप से इस बारे में जानना चाहता हूं। गत दो वर्षों से आप स्वास्थ्य मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री हैं। आपने इन दो वर्षों में संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए इस 524 करोड़ रुपये की धनराशि में कितना व्यय किया है? मैं यह जानता हूं कि कितना प्रतिशत व्यय किया गया है ये मच्छर केवल ऐनसेफलाइटिस के रोग के कारण नहीं हैं। यदि उनके कारण केवल ऐनसेफलाइटिस ही होता, तो सारी बात के लिए हमें क्षमा किया जा सकता है। किन्तु, होता यह है कि ये मच्छर फिलेटिया, मलेरिया आदि फैलाने के भी कारण हैं। वे ऐनसेफलाइटिस तथा अन्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं चाहे ये वाइरस हो अथवा वेकटेरियल। इस बात को देखते हुए मच्छरों पर नियंत्रण के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा करना होगा,न कि छुट पुट आधार पर अथवा जिलावार आधार पर या कि उस ऐसे अन्य आधार पर। अतः, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मच्छर उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए। मलेरिया, फिलेटिया तथा ऐनसेफलाइटिस हो सकता है कि जो जापान अथवा कहीं और से आयी हों, समाप्त करने के लिए आपका क्या कार्यक्रम है? श्री शंकरानन्द जी अब यह आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आपके मन्त्रालय ने कृषि मन्त्रालय के साथ मिलकर कोई समन्वित प्रयास किया है? महोदय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में होता यह है कि यह रसायन मालथियन, जिसके बारे में आपने सभी प्रकार सामस के साथ इतनी बातें कही हैं, बिलकुल प्रभावी नहीं है। अब हमको प्रभावशीलता के बारे में सन्देह है आप मच्छरों को नष्ट करने के लिए तरल रूप में इस रसायन का छिड़काव करते हैं। मैं इन रसायनों के बारे में बताना चाहता हूं जो भारतीय मच्छरों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, इन में से 80 से 90 प्रतिशत नकली होते हैं; उन्हें नकली फर्मों द्वारा बनाया जा रहा है और इन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं कृषि सेवा निदेशालय द्वारा बहुत ही ऊंचे मूल्यों पर खरीदा गया है। इनमें इनकी प्रभावकारिता है ही नहीं। इस बात की ध्यान से जांच करनी होगी कि ये किस सीमा तक प्रभावकारी हैं। इन छिड़काव कार्यों की कार्यप्रणाली पर फिर से विचार करना होगा।

एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह योजना दस्तावेज कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डाल रही है जो बड़ी ऊंची आवाज में कही जा रही है। निस्संदेह यह सुन्दर ढंग से लिखा गया एक दस्तावेज है। यह छठी पंच वर्षीय योजना निश्चित रूप से एक सुन्दर ढग से लिखा गया दस्तावेज है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हैं कि इसके इरादे अच्छे हैं छठी योजना में आप स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों पर 1824 करोड़ रुपया खर्च करेंगे।

श्री शंकरानन्द जी, ठीक हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसमें सफल हों। मैं आपकी सफलता चाहता हूं किन्तु हमारे ग्रामीण अस्पतालों में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में क्या स्थिति है ? ये अस्पताल बहुत ही खराब स्थिति में हैं। ऐनसेफलाइटिस में कारडियो वेसकुलर रेस्पाइरेटरी सिस्टम विफल हो जाता है जिसके लिए एक रिसपोरेटर एक रेस्पाइरेटर की आवश्यकता होती है। यह एक सरल उपकरण है जिसकी व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। किन्तु इन अस्पतालों में ये रेस्पीरेटर उपलब्ध नहीं है। देश में इन 380 अस्पतालों में से कितने अस्पतालों को रेस्पीरेटर दिये गये हैं क्या आप बता सकते है कि आप के पास इन जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऐसे रेस्पीरेटर हैं ? आप कैसे कह सकते हैं कि इस स्थिति में आप मस्तिष्क ज्वर जैसे रोगों पर नियत्रण कर सकेंगे ? शंकरानन्द जी इन जिला अस्पतालों को न्यूनतम उपकरणों की सप्लाई कीजिये जिनकी उन्हें आवश्यकता है। कहीं एक्स रे प्लांट काम नहीं कर रहा है। वहीं रेस्पीरेटर उपलब्ध नहीं हैं। महोदय केवल यही सामग्री नहीं है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। जिला अस्पतालों में आक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी से पीडित हो, तो उसे तुरन्त आक्सीजन पर रखा जाना चाहिए। उसे किसी स्वैच्छक संगठन अथवा किन्हीं अन्य निजी व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है। यदि उनके पास भी ये उपकरण नहीं होते, तो रोगी को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैंने एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह एक संक्रामक बीमारी है। क्या आपने रोगी को एकान्त में रखने के बारे में कभी सोचा है ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि उसको ऐनसेफलाइटिस की बीमारी है, तो उसे अलग रखना होता है। क्या आप के पास इन रोगियों को अलग रखने के लिए वार्ड हैं ? जिला अस्पतालों में संघ डिविजनल अस्पतालों में अथवा तथा कथित रेफरल अस्पतालों में, जिनके लिये आप इतने अधिक भवन बनाने जा रहें हैं लेकिन आपके पास डाक्टर, दवाइयां आदि नहीं हैं। क्या आपके पास इन अस्पतालों में इन बीमारियों के रोगियों को अलग रखने के लिये वार्ड हैं ? आप के पास अच्छे भवन हैं। 4 अथवा 5 खंडों वाले अच्छे रेफरल अस्पतालों का निर्माण करने के लिए आपको यूनेस्को या अन्य स्रोतों से धन मिल रहा है। किन्तु आप इन अस्पतालों में अन्य आवश्यक सुविधायें नहीं जुटा रहे हैं। अत : इसमें रोगी को एकान्त में रखने वाली बात है। यदि आप ने हैजा और प्लेग को एक संक्रामक रोग के रूप में घोषित कर दिया है, तो क्या आप ऐनसेफलाइटिस को भी संक्रामक रोग के रूप में घोषित करेंगे ? यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित होता है तो उसके बारे में सम्बन्धित प्राधिकरण को सूचना दी जानी चाहिये। अन्यथा, कानूनी तौर पर उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे लागू करना आपका कर्त्तव्य है और आप को इसे संक्रामक रोग के रूप में अवश्य ही घोषित करना चाहिए।

अब क्या आप हमें अन्य उन्नत देशों में ऐनसेफलाइटिस की स्थिति के बारे में बतायेंगे ? क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या वहां पर यह रोग पुन : शुरू हुआ ? इसके आंकड़े क्या हैं ? इस देश को यह बताया जाना चाहिए कि विश्व के अन्य भागों में ऐनसेफलाइटिस की बीमारी के बारे में कभी-कभी ही सुना गया हैं। किन्तु भारत में यह बहुत ही आम रोग है।

[श्री डी० पी० यादव]

अन्त में, एक अन्य महत्वपूर्ण बात है मैं इस बीमारी पर नियंत्रण करने के हेतु उठाये गये वर्गों के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। मलेरिया, फिलेरिया, तपेदिक, जैसी बीमारियों और कोढ़ तथा अंधेपन जैसी अन्य बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम बनाये गये हैं। किन्तु क्या आप ऐनसेफलाइटिस एक या दो अन्य रोग राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जोड़ेंगे? एक अन्य भयंकर रोग है जो बहुत तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है वाइरस हैपीटेरिस। वह भी एक सक्रामक रोग है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों की सूची में वाइरल हेपीटेरिस को भी शामिल करने जा रहे हैं? मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनका उत्तर देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने अनेक ऐसे मामले उठाये जिनका हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं है उन्होंने सारी संक्रामक बीमारियों के बारे में ही यह सब कुछ कहा है। उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया है यह एक ऐसी बीमारी है जिसे आम तौर से जापानी ऐनसेफलाइटिस के नाम से जाना जाता है। अन्य संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में जैसा कि उन्होंने कहा है कि रोगी को अलग रखे जाने की आवश्यकता होती है। किन्तु यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाये। (व्यवधान)

श्री डी० पी० यादव : यहां यह बताया गया है कि जापानी ऐनसेफलाइटिस को समय पर मच्छरों से होने वाली वाइरल बीमारी बताया गया है।

श्री बी० शंकरानन्द : उसका यह अर्थ नहीं है कि रोगी को अलग रखना आवश्यक है। उन्होंने जिला अस्पतालों रेफरल अस्पतालों के रख रखाव, दवाइयों की सप्लाई आदि पूरी बातों के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस रोग की रोकथाम तथा इसके निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम को कीटनाशक औषधियों तथा डाक्टरों की कमी के कारण नुकसान नहीं पहुंच रहा है। राज्यों ने जो कुछ भी मांगा, केन्द्र ने वह दिया है। राज्यों के पास पूरे उपकरण हैं। हमने प्रभावित क्षेत्रों को फौगिंग मशीनें भेजी हैं। हमने मेलथियन तथा बी० एच० सी० के अतिरिक्त स्टाक के छिड़काव तथा उपयोग के भी लिए भेजे हैं। सभी आवश्यक चीजें दी गयी हैं। जो तकनीकी जानकारी जरूरी थी वह भी केन्द्रीय सरकार ने प्रदान की है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस बारे में और क्या जानना चाहते हैं।

अस्पतालों की दशा तथा पर्याप्त औषधियों की सप्लाई आदि के प्रश्न की चर्चा इस विषय से सम्बन्धित नहीं हैं। आज तो मैं केवल मस्तिष्क ज्वर के लिए जरूरी औषधियों आदि के सम्बन्ध में ही बताऊंगा। माननीय सदस्य ने मुझे औषधियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए कहा इस दवाई के उपचार के लिए कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। रोग का इलाज लक्षणों के अनुसार ही किया जाता है। अतः किसी औषधि के सप्लाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता इस रोग का इलाज लक्षणों के अनुसार करने लिए औषधियां अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

माननीय सदस्य ने मलेरिया, मच्छरों आदि के बारे में भी प्रश्न पूछा है यह एक व्यापक प्रश्न है और मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस बार स्वयं बहुत गम्भीरता के कार्य कर रहे हैं। इस समस्या के प्रति जो चिन्ता उन्हें है, उसमें मैं भी उनके साथ हूं। इसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है और यह बहुत सतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

पाकिस्तान द्वारा "युद्ध वर्जन सन्धि" के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जैसा कि सदन को याद होगा स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू ने 22 दिसम्बर, 1949 को प्रधान मन्त्री लियाकत अली खां के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि दोनों देशों की सरकारें युद्ध न करने की एक सम्मिलित घोषणा पर हस्ताक्षर करें। इसका आधार यह होता कि "भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार अपने-अपने लोगों के बीच मित्रता और सदभाव को संवर्धित करने की इच्छा से, जोकि एक सम्पर्क सूत्र में गुथे हुए हैं, इसके द्वारा यह घोषणा करती हैं कि वे अपने आपस के किसी वर्तमान या भावी विवाद को सुलझाने के युद्ध का सहारा लेने की निंदा करती हैं"। बाद में प्रधान मन्त्री नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री (1965 में), श्रीमती इंदिरा गांधी (1968 में), और श्री मोरारजी देसाई (1977 में) द्वारा अनेक अवसरों पर इस पेशकश को दोहराया गया। फरवरी, 1980 में विदेश सचिव जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को पुन: दोहराया था जिनका उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान में भारत की ओर से किसी प्रकार के खतरे की आशंका न रहे।

2. इस दिशा में हमने बार-बार जो पहलकदमी की है उसका हमेशा ही पाकिस्तान की ओर से नकारात्मक उत्तर मिला है।

3. विगत वर्षों में इस मामले पर पाकिस्तान की बुनियादी स्थिति यथावत बनी रही है। जून, 1963 में श्री भुट्टो ने ऐलान किया था "एक बार भारत कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ न्यायोचित और सम्माननीय समझौता कर ले तो युद्ध न करने की एक संधि तो क्या हम हजार संधियां कर सकते हैं.....लेकिन जब तक कश्मीर का विवाद चल रहा है तब तक हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि हम भारत का युद्ध न करने की संधि करने का प्रस्ताव स्वीकार करें।" प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी की ओर से प्रस्तावित युद्ध न करने की संधि की पेशकश को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रपति श्री अयूब ने कहा था कि पहले कश्मीर का मसला तय किया जाए। प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी के युद्ध न करने के सुझाव का जवाब देते हुए राष्ट्रपति याइया खां ने कहा था "हमारी यह दृढ़ धारणा है कि अगर हमारी दोनों सरकारें सतही मसलों के पीछे, जोकि वास्तव में छाया मात्र है, दौड़ती रहेंगी और हमारे बीच के दो विवादों, यानि जम्मू

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

और काश्मीर तथा गंगा के पानी के विवाद से कतराती रहेंगी तो सौहार्द और मित्रता की बात भारत और पाकिस्तान के लिए एक मृग-तृष्णा ही बनी रहेगी.....।" एक भारतीय पत्रकार को इन्टरव्यू देते हुए राष्ट्रपति श्री ज़िया-ऊल-हक ने बहुत साफ शब्दों में कहा था "युद्ध न करने की संधि, अनाक्रमण संधि की कीमत उतनी भी नहीं होती जितनी कि उन कागजों की होती है जिन पर वे लिखी जाती हैं। इतिहास हमें बताता है कि युद्ध न करने की अनेक संधियां, अनेक अनाक्रमण संधियों और अनेक शांति संधियां कितनी निरर्थक सिद्ध हुई हैं।

4. 1972 के शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि शिमला समझौता अपने आप में एक प्रकार से युद्ध न करने की संधि ही है और इसलिए ऐसी किसी अन्य संधि की बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है फरवरी, 1980 में विदेश मन्त्री श्री आगाशाही ने हमारे विदेश सचिव को बताया था कि राजनीतिक कारणों से उनके लिए युद्ध न करने की संधि पर विचार करना संभव नहीं है क्योंकि उनकी राय में शिमला समझौता स्वयं ही वस्तुतः युद्ध न करने की एक संधि है।

5. पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने 15 सिम्बर, 1981 को एक बहुत बड़ा बयान जारी करके पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति और बिक्री से सम्बद्ध एक-मुश्त प्रस्ताव पर पाकिस्तान की औपचारिक स्वीकृति का ऐलान किया। इस बयान के अन्तिम पैराग्राफ में यह सुझाव निहित था कि पाकिस्तान "शिमला समझौते की भावना के अनुरूप अनाक्रमण और बल प्रयोग न करने की पारस्परिक गारन्टी देने के उद्देश्य से भारत के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है।" 16 सितम्बर के पाकिस्तानी अखबारों ने इस बयान के मुख्य तत्व को जोर देकर और "पोजिटिव टर्न इन डायलाग विद यू० एस० ए०" (अमरीका के साथ बातचीत में एक रचनात्मक मोड़) जैसी सुर्खियां देते हुए छापा। इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने यह सुझाव रखा था। इस सुझाव के रखे जाने का वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण था, यानि यह सुझाव ऐसे वक्त पर रखा गया था जबकि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाना था।

6. पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता के जिस बयान का ऊपर उल्लेख किया गया है उसकी प्रति इस्लामाबाद में हमारे राजदूत को दी गई थी और पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित राजदूत ने इसकी प्रति हमारे विदेश सचिव को दी थी। दो महीने का अर्सा गुजर जाने के बाद यानी 22 नवम्बर 1981 को पाकिस्तान की सरकार ने दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने आधिकारिक टिप्पणों में अपनी इस "पेशकश" की पुष्टि की है।

7. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस विषय का उल्लेख बड़े रहस्यमय ढंग से एक सार्वजनिक बयान में किया गया था जो एक नितांत भिन्न विषय पर प्रेस के लिए जारी किया गया

था और इसकी विडंबना यह है कि इसमें हथियारों के अर्जन को न्यायोचित ठहराया गया था जिन से कि संघर्ष पुनः पैदा होने और इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ और बढ़ने की ही सम्भावना हो सकती है। इसके बाद भारत के विरुद्ध प्रचार आक्रमण में विविध विषयों को लेकर तरह-तरह के झूठे और बेहूदा आरोप भारत पर लगाए गए। जाहिर है भारत सरकार के लिए इसे समुचित प्रतिक्रिया का आधार बनाना मुश्किल था। फिर भी हमने कोई ऐसी बात नहीं कहीं जिसे नकारात्मक कहा जा सके। इसे बीच पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आगा शाही ने 21 सितम्बर को न्यूयार्क में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से एसोसिएटिड प्रेस आफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है "साफ शब्दों में इस बात को अस्वीकार किया है कि पाकिस्तान की यह पेशकश 1951 की इस स्थिति के विपरीत है कि युद्ध न करने की संधि से पहले कश्मीर का विचार निपट जाना चाहिए।"

8. पाकिस्तान की पेशकश का सार-तत्व आज तक के उनके सभी पत्र-संचारों में यथावत बना रहा है और भारत सरकार यह जरूरी समझती है कि अपने विचारों पर संसद की राय ली जाए। इसी वजह से अध्यक्ष महोदय सभापति जी यह बयान दे रहा है।

9. इस सिलसिले में, मैं अधिक से अधिक अपनी सुविदित स्थिति को ही एक बार पुनः दोहरा सकता हूं। जैसा कि जून में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान मैंने कहा था कि इसमें भारत का ही हित है कि पाकिस्तान में स्थायित्व आए और वह समृद्ध हो। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी हमारे प्रति ऐसी ही भावनाएं रखते हैं। हम, जैसा कि शिमला समझौते में कहा गया है, पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सभी समस्याओं को किसी तीसरे पक्ष को बीच में लाये बिना सीधी द्विपक्षीय बातचीत के जरिये तय करेंगे। इसी आधार पर हमने पहले-पहल युद्ध न करने की संधि की पेशकश की थी। हम आज भी इसके कायल हैं; न हम इसमें कोई अपवाद चाहते हैं, न कोई शर्त रखते हैं और न इसमें फेर-बदल चाहते हैं। इस तरह, हमारा रुख इस आधार पर रचनात्मक होगा कि पाकिस्तान की यह "पेशकश" वास्तव में भारत की युद्ध न करने की संधि की उस "पेशकश" की पहली बार स्वीकृति है जो वह 1949 से बराबर ज्यों की त्यों दोहराता आया है तथा यह शिमला समझौते का विस्तार भी होगा।

कार्य मंत्रणा समिति

21वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित किया जाये :—

"कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन को निम्नलिखित मदों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाने के रवैये समिति को वापिस भेजा जाये : —

(i) खालिस्तान की मांग के प्रश्न पर चर्चा;

(ii) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी श्री बी० पी० मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा;

(iii) हरिजनों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा;

(iv) बेरोजगार युवकों को प्रति माल 50 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने पर चर्चा;

(v) बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति;

(vi) निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य; और

(vii) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगें ।

मैंने मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव के बारे में कुछ संशोधन दिये हैं; और मेरे विचार में कार्य मंत्रणा समिति ने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को नजरअंदाज किया है जिन पर इस सभा को प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करनी चाहिए थी । पहला प्रश्न जिसकी ओर से ध्यान दिलाना चाहूंगा वह खालिस्तान समस्या है जिस पर इस सभा में वर्षा होनी चाहिए थी । यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । इस देश के कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व खालिस्तान के नाम पर एक दूसरे प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य की मांग कर रहे हैं; और कुछ जानी-मानी विदेशी एजेन्सियां तथा विदेशी ताकतें इस आन्दोलन के पीछे हैं । यह एक गम्भीर प्रश्न है और मेरे विचार में सभा को इस आन्दोलन की पुरजोर निन्दा करनी चाहिए । सरकार को इस सभा में चर्चा हेतु इस प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए थी । यदि सभा इस आन्दोलन की सर्वसम्पति से निंदा करती तो शायद देश के कोने-कोने में इस बात की जानकारी हो जाती और लोग इस प्रकार की देशविरोधी गतिविधियों से दूर रहने के लिए स्तर्क हो जाते । अतः मैं कहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले में पहल

करनी चाहिए थी । मैं उनसे पहल करने तथा इस प्रश्न पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करने का अनुरोध करता हूं । मैं यह सुझाव भी दूंगा कि वे विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत करें क्योंकि मेरे विचार में यह एक ऐसा प्रश्न है । जिसके बारे में मतभेद नहीं हो सकता—अर्थात एसे आन्दोलन की निंदा करना जो हमारे देश का एक बहुत ही देशभक्ति विरोधी आन्दोलन है ।

दूसरा प्रश्न श्री बी० पी० मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है । आपको याद होगा कि पिछली बार भी इस प्रश्न को सभा में उठाया गया था और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था । आप जानते हैं कि देश भर के पिछड़े वर्ग इस कारण उत्तेजित हैं कि सरकारी सेवाओं में उनके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है । आज की परिस्थितियों में इसका महत्व और भी बढ़ गया है । राजनैतिक संघ निष्प्रभावी हो गये हैं और नौकरशाही देश के शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है । इन व्यक्तियों को विधान-मंडलों तथा संसद या अन्य निर्वाचित संस्थाओं में तो प्रतिनिधित्व मिलता है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व प्रशासन के सभी सारों पर नहीं है जिसके फलस्वरूप उनकी जरूरतें उचित ढंग से पूरी नहीं होतीं । अतः मैं समझता हूं कि श्री बी० पी० मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिए और इसके लिये कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए । मैं नहीं जानता कि इस बारे में संकोच क्यों किया जा रहा है । इसी सत्तारूढ़ दल ने विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया है और पिछले वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । केरल, के तमिलनाडु, कर्नाटक तथा अन्य बहुत से राज्यों में ऐसा किया गया है । सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में भी इन समुदायों को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी प्रश्न को क्यों टाल रही है ?

कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न उठाया था कि वर्तमान नीति के शिकार अधिकतर इन्हीं समुदायों, अर्थात् पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा सभी गरीब वर्गों —के लोग हैं क्योंकि सारी नौकरशाही पूर्णतः विपरीत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है । डकैती का सामना करने के नाम पर उत्तर प्रदेश में जाली मुठभेड़ हो रही है । मैं जानता हूं कि मेरे अपने ही जिले में पुलिस द्वारा जाली मुठभेड़ों में 46 लोग मारे गए हैं । वहां के पुलिस प्रशासन को भी यह मानना पड़ा कि कुछ मामलों में निर्दोष लोग मारे गए । उत्तर प्रदेश में इस समय कोई सरकार नहीं है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि उत्तर प्रदेश में अन्य आदमी बस, रेलगाड़ी अथवा अन्यथा यात्रा करने से घबराता है । वहां कोई प्रशासन, कानून और व्यवस्था नहीं है । एक कारण यह है कि इन समुदायों के लोगों का प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं है; और जो वहां है उन्हें घटिया वर्गों का माना जाता है —जो एक प्रजातंत्रीय शासन में बहुत ही गम्भीर बात है । अतः मेरा विचार है कि इस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिए ।

अगली बात हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में है । हम इस पर इस सभा में कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस पर विचार करने का यह भी ठीक अवसर है । मुझे एक बात का सचमुच आश्चर्य है : गृहमंत्री ने उस दिन यहां एक वक्तव्य दिया कि हरिजनों की रक्षा के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

लिए सरकार अपने खर्च पर हरिजनों को शस्त्र देने जा रही है और गृहमंत्री के उपमंत्री ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा है कि यह सरकार कि नीति नहीं। गृह मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिये क्योंकि उन्होंने सरकार की नीति के अनुसार वक्तव्य नही दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी हैसियत क्या है? यह गम्भीर बात है। आज देश भर के हरिजन असहाय अनुभव कर रहे हैं और उन पर हमले हो रहे है। ऐसा पहले कभी नही हुआ। उन्हें निर्ममता से मारा जाता है, जलाया जाता है और उनकी सम्पत्ति तथा घर जो कुछ भी उनके पास हो, उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। यह इस सभा की जिम्मेवारी है। सभा को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि कमजोर वर्गों की जान और माल की रक्षा करने के लिये क्या ठोस प्रस्ताव हैं।

इस देश में दो करोड़ से अधिक बेरोजगार शिक्षित युवक, लड़किया तथा लड़के हैं और सरकार ने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या के प्रति अपनी आखें बंद कर ली हैं। मेरी मांग है कि बेरोजगार युवकों के रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज किये जाने के बाद एक वर्ष के भीतर सरकारी दफ्तरों में या प्राईवेट कारखानों अथवा गैर सरकारी दफ्तरों में रोजगार दिया जाये और ऐसा न हो तो बैंकों को सस्ते तथा उचित ब्याज की दरों पर ऋण देने के लिये कहा जाये ताकि वे जीविका का कोई साधन जुटा सकें और ये दो बाते न होने पर सरकार को उन्हें 150 रुपये प्रति मास की दर से बेरोजगारी भत्ता देना चाहिये केरल तथा बंगाल जैसे कुछ राज्य यह भत्ता क्यों दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इसकी घोषणा कर दी गयी है। मैं समझता कि क्या बिहार सरकार ऐसा कर सकेगी; इसने कम से कम अपनी ऐसा करने की इच्छा की घोषणा कर दी है। मैं नहीं जानता कि क्या वे इसे देंगे। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में पहल क्यों नहीं करनी चाहिये और कोई प्रस्ताव क्यों नहीं रखना चाहिये? जैसा कि आप सब जानते हैं दुनिया भर में इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है लेकिन भारत सरकार इसका समाधान करने में असफल रही है।

बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति का भी एक प्रश्न है, यह बात एक ही राज्य की नहीं; बल्कि सारे देश की है, फिर मूल्य वृद्धि का प्रश्न है वित्त मन्त्री के इस वक्तव्य के बावजूद भी कि मुद्रास्थित 20 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत गयी है, मूल्य बढ़ते ही जा रहें। मेरे विचार में संसदीय कार्य मन्त्री इस बात को जानते हैं। आज स्थिति क्या है? पिछले वर्ष यूरोप नामक उर्वरक 50 से 60 रुपये प्रति बोरी बिक रहा था वह अब इस वर्ष 125 रुपये प्रति बोरी की दर से बिक रहा है, पिछले वर्ष आर० ए० पी० 125 रुपये प्रति बोरी बिक रहा था, इस वर्ष इसका मूल्य बढ़ कर 188 रुपये प्रति बोरी हो गया है। अब ब्याज के मूल्य भी बढ़कर 7 या 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गये हैं। हर अनिवार्य वस्तु के मूल्य बढ़ गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का प्रभावकारी ढंग से समाधान करने के लिये कोई प्रस्ताव है? अन्तिम मुद्दा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक

अन्दोलन कर रहे हैं, जो कालेज बंद कर दिए थे। तुलाराम कालेज दो वर्षों के लिये बंद कर दिया गया। रामजस कालेज बहुत दिनों के लिये बंद किया गया, उनकी शिकायत वेतनमानों में संसोधन करने, आवास तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के बारे में हैं जो उचित हैं। कुछ अध्यापकों को दो वर्षों से वेतन नहीं दिया गया है। इस बात की बहुत आशंका है कि यदि सरकार हस्ताक्षेप नहीं करती और इसका एक संतोषजनक समाधान नहीं ढूंढती तो दिल्ली से और अधिक कालेज बंद होंगे मेरे विचार में इन प्रश्नों की चर्चा के लिये शामिल किया जाना चाहिये।

श्री भीष्म नरायण सिंह : मैं उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका अभारी हूं। मैं उन्हें सुझाव ही मानूंगा। जैसा कि आप जानते हैं यह कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन है। मैं केवल उन्हें इतना आश्वासन दे सकता हूं कि उनके द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों की ओर मैं कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान दिलाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें। (व्यवधान) नहीं, वे उसके सदस्य नहीं हैं परन्तु उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों को मैं निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना प्रतिस्थापना प्रस्ताव वापिस ले लें और कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों को सर्वसम्मति से पास हो जाने दें।

श्री चरणजीत यादव (आजमगढ़) : में जानता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री महोदय को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करना है वह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मुझे इस सदन में मतदान के लिए रखने कि आवश्यकता नहीं है। क्या उन्हें अपना प्रस्ताव वापिस लेने की सदन अनुमति देता है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

प्रस्थापना प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 32 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में सड़क संचार के लिए और अधिक धन की व्यवस्था

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : उड़ीसा की भावात्मक एकता और इस राज्य के आर्थिक विकास को अधिकांशतः जिला मुख्यालयों और निकटस्थ राज्यों के बीच सीधी संचार व्यवस्था के अभाव के कारण आघात पहुंचा है। यह एक अविवादास्पद तथ्य है कि किसी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सड़क-संचार की महती आवश्यकता होती है।

एक सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 16 किलोमीटर सड़क की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले उड़ीसा का औसत केवल 8.60 किलोमीटर सड़क का है और एक लाख की जनसंख्या के पीछे 90 किलोमीटर अखिल भारतीय औसत के मुकाबले इसका पक्की सड़कों का औसत केवल 61 किलोमीटर है। राज्य के कुछ भाग, मुख्य रूप से कालाहांडी और फूलबनी जिले संचार साधनों की कमी के कारण और भौगोलिक सुदूरता के कारण इसकी मुख्य धारा से अलग-अलग पड़ गये हैं।

योजना के लिए उपयुक्त धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना का चालू कार्य भी पूर्ण करना सम्भव हो सका। जब तक छठी योजना की शेष अवधि में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक राज्य के लिए अखिल भारतीय सड़क संचार की औसत को प्राप्त करना सम्भव न होगा।

सरकार की हाल की नीति के अनुसार, 1500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को और 1000 से लेकर 1500 तक की जनसंख्या वाले आधे गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

सभी पहलूओं पर विचार करते हुए और उन पिछड़े राज्यों के द्रुत विकास की आवश्यकता को देखते हुए जो कि अधिकांशतः आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र है, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा के सड़क-संचार साधनों के लिए और अधिक धन आवंटित करे।

(दो) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को बन्द किए जाने का कथित निर्णय

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह बड़ी ही चिन्ता की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को बन्द करने का निर्णय लिया है जिसमे बड़ी संख्या में कर्मचारी अपना

रोजगार खो बैठेंगे और उनके समक्ष भुखमरी के सिवाय कोई विकल्प न होगा। पिछली सरकार ने 1978 में निरकुंशता से केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को बन्द करने का निर्णय लिया था परन्तु इस सम्बन्ध में किए गये अनेकों अभ्यावेदनों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एक नई योजना के साथ निगम को फिर से चलाने के मामले पर पुनर्विचार का निर्णय लिया। यद्यपि कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव भी था लेकिन 1979 तक 460 कर्मचारियों में से केवल 73 कर्मचारियों को ही किसी दूसरी जगह रोजगार दिलाया जा सका जबकि अन्य कर्मचारियों का भाग्य पूर्णतया अनिश्चयता से घिरा हुआ है और अब लगता है कि पूर्णतया अन्धकारमय रहेगा। अब तक, केवल स्थायी कर्मचारियों को मामूली सा एक मुश्त धन मिलता रहा है जबकि लगभग 120 दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक कि सभी कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार नहीं दे दिया जाता, तब तक सरकार इस निगम को बन्द करने के अपने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय को स्थगित रखे। मेरा सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों को और उनके परिवारों को पूर्णतया नष्ट होने और भुखमरी से बचाने की दृष्टि से वह इस मामले में तुरन्त निर्णय ले।

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां दिए जाने वाले सभी वक्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कृपया इन मामलों को भी उसी गम्भीरता से लेने के निर्देश दीजिए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में शारदा परियोजना नहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पानी के रिसने की समस्या

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

कृषि प्रधान भारत देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रान्त उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत एक विशाल नहर का निर्माण कराया है। जब इस नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, सीतापुर बारांबंकी, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि अनेक जनपदों को जो इस नहर की सिंचाई सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे, के छोटे-बड़े सभी कृषकों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ है। किसानों ने सहर्ष अपनी कृषि योग्य उपजाऊ भूमि व रिहायशी मकानात तक जो इस योजना की लपेट में आए, समर्पित कर दिया।

[श्री रामलाल राही]

नहर बनकर तैयार हो गयी है। सिंचाई के लिए लगभग 3–4 वर्षों से पानी आ रहा है। पर जनपद लखीमपुर, सीतापुर जहां के किसानों की भू-सम्पदा इस नहर में समा गई उन्हें सिंचाई के लिए समुचित पानी देने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। परन्तु नहर के सीमावर्ती इलाकों के कृषकों के लिए यह नहर अब अभिशाप बन गई है, क्योंकि इस नहर से सीपेज का पानी बेतहाशा निकल रहा है, जिसे नहर विभाग रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। उपेक्षा भी की जा रही है। परिणामस्वरूप पचासों गांव की हजारों एकड़ ज़मीन कई वर्षों से निरन्तर सीपेज के पानी में डूबी पड़ी बरबाद हो रही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इस योजना की विकृतियों और इससे होने वाली हानि की तरफ निरन्तर ध्यान दिया गया, सीपेज के पानी को निकालने और कृषि योग्य भूमि बचाने के लिए किसान एवं जन-प्रतिनिधि निरन्तर लिख रहे हैं, पर सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल उदासीन है। परिणाम स्वरूप छोटे-बड़े किसान भुखमरी के शिकार हो गये हैं।। मैं निजी जानकारी के आधार पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि अविलम्ब युद्ध स्तर पर सीपेज के पानी के निकास की व्यवस्था कराई जावे जिससे किसानों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बचाई जा सके और इस क्षेत्र के लोगों को भूखमरी का शिकार होने से बचाया जा सके।

(चार) जम्मू और काश्मीर किश्तवार नगर के लोगों की मांगें

डा० कर्ण सिंह (उधम पुर) : जम्मू प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र स्थित किश्तवार नगर में पर्वतों से घिरी एक पवित्र सरथल देवी मन्दिर है जहां हर वर्ष एक तीर्थ मेला लगता है। देवी का प्रतीक, छड़ी मुबारक, समारोह बड़े ही उल्लासपूर्वक किश्तवार नगर से आरम्भ होता है जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भाग लेते हैं। इस वर्ष यह छड़ी मुबारक समारोह 9 जुलाई को मनाया जाना था, परन्तु 8 और 9 जुलाई को हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के परिणामस्वरूप, जिसमें लाठियां बरसाई गई और गिरफ्तारियां भी हुई, किश्तवार के लोगों ने विरोधस्वरूप छड़ी को मन्दिर तक ले जाने से मना कर दिया। आजकल यह सब-डीवीजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रखी हुई है। किश्तवार के नागरिक इसे तब तक उठाने को तैयार नहीं हैं जब तक अधिकारीगण इस घटना की जांच कराने के आदेश नहीं दे देते। जांच आदेश अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप गत कई मास से स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है और अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई हैं जहां इस बात की गम्भीर आशका है कि तनाव और बढ़ सकता है और विस्फोटक स्थिति तक पहुंच सकता है।

किश्तवार के लोगों की ओर भी उचित मांगें हैं, जिनमें डिग्री कालेज खोलने की मांग है। किश्तवार को एक जिला बनाने की भी मांग की गई है। मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे किश्तवार की समस्याओं को तुरन्त जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ उठाएं और

उन पर सहानुभूतिजन्य रवैया अपनाने के लिए दबाव डालें जिससे कि यथाशीघ्र उस क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो सके।

(पांच) मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के उपाय

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : महोदय नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

मैं समझता हूं कि चिंगलपट्टू जिले के काल्पक्कम स्थान पर मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना 1964 में शुरू की गई थी। परन्तु अभी तक विद्युत उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। परमाणु ऊर्जा परियोजना का कार्य केन्द्रीय सरकार की अपेक्षानुरूप नहीं हुआ है।

मुझे यह बताया गया था कि परियोजना निर्माण कार्य को पूरा करने में परियोजना के अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर विलम्ब के हथकण्डे अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि परियोजना के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने पर, जो कर्मचारी अब वहां सेवारत हैं उनमें से बहुतसों का स्थानान्तरण हो जायेगा या सेवा-विमुक्त कर दिए जायेंगे।

दूसरे, मुझे यह भी पता चला है कि कुछ राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव के कारण, काल्पक्कम की इस फैक्ट्री के प्रांगण में अनियमितताएं, श्रमिक असन्तोष, प्रशासनिक ज्यादतियां तथा साम्प्रदायिक झगड़े पनप रहे हैं। **

यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने-अपने श्रमिक संघ हैं, तथापि केवल कुछ ही श्रमिक सघों के कार्यकत्ताओं की फैकटरी के प्रांगण में बैठके और अन्य क्रियाकलाप करने दिये जाते हैं वास्तविकता तो यह है कि केवल इन्हीं श्रमिक संघ कार्यकर्त्ताओं को अपने दलों के बिल्ले लगाकर कार्य स्थल पर जाने दिया जाता है। और वे वहां गड़बड़ मचाते हैं। ये श्रमिक संघ कार्यकर्त्ता हर प्रकार की राष्ट्र--विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं **। विद्युत उत्पादन में अनावश्यक विलम्ब का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक अनियमिताओं, श्रमिक असन्तोष और साम्प्रदायिक झगड़ों के विषय में पूरी जांच के आदेश नहीं दे दिए जाते हैं, तब तक परियोजना की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। यह अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वक्तव्य है। इस पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा सकता है और मैं आपको अनुमति

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। श्री अनबारासु अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं। (व्यवधान)*

श्री ईरा अनबारासू : मुझे यह भी पता चला है कि मूल प्रस्ताव में काल्पक्कम में दो और इकाइयों के खोले जाने की बात थी। आधार-भूत ढांचे की उपलब्धता को देखते हुए भारत सरकार को दी और इकाइयां स्थापित करने में बहुत अधिक धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि दो और इकाइयां स्थापित कर दी जाएं तो यह विमुक्ति और स्थानान्तरण का डर जो अब बैठा हुआ है वह दूर हो जाएगा और मद्रास परमाणु आगे परियोजना के प्रतिदिन के कार्यान्वयन में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि काल्पक्कम में दो और ईकाइयां स्थापित करने के लिए अब तक कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं।

अतः क्या मैं प्रधान मन्त्री महोदया से अपील कर सकता हूं कि काल्पक्कम स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना में पैदा की गई इस उत्तेजनात्मक समस्या पर वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा परियोजना के प्रशासन को सुधारने और यथाशीघ्र विद्युतोत्पादन आरम्भ करने हेतु उपचारात्मक उपाय करने के लिए पूर्ण जांच के आदेश दें। दूसरे मैं प्रधान मन्त्री महोदया से यह भी निवेदन करूंगा कि मूल योजना के अनुरूप काल्पक्कम में दो और इकाइयां स्थापित करने का प्रबन्ध करें।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में शून्यकाल चल रहा है। मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। मान लो कि आप दिए गए वक्तव्य से सहमत नहीं हैं तो आप अध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष महोदय को लिखिए वह इस पर ध्यान देंगे। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : नियम 377 का कुछ विशिष्ट आयाम है। उसके अन्तर्गत केवल गैर-विवादास्पद और सार्थक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है। उस वक्तव्य में निन्दा, आरोप, वाद-विवाद सामग्री और प्रान्तीयता की गन्ध आती हैं।** यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक बात है। इसे कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा जाएगा। यदि इसमें कोई बात अनादर पूर्ण किसी अधिकारी को बदनाम करने वाली या बुरी लगने वाली है तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा। (व्यवधान)

(छः) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली में हड़ताल की धमकी

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियां गंज) : नई दिल्ली के नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में 26 नवम्बर, से हड़ताल की धमकी एक गम्भीर मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

इस महत्वपूर्ण संस्था ने देश के नाट्य जीवन में ठोस योगदान दिया है तथा फिल्म उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों को जन्म दिया है। यह संस्था पिछले कुछ समय से संकट में है कुछ सप्ताह पूर्व एक युवा छात्र द्वारा आत्महत्या करने का एक मामला हुआ है। हमें असंतोष के कारण बताए गए हैं जिनके लिए एक युवा कलाकार को आत्महत्या करनी पड़ी, इस मामले पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हमें इस बात की सतर्कता बरतनी चाहिए कि किसी संस्था के प्रमुख के चयन का निर्णय शीघ्रता में न लिया जाये। निदेशक का पद कुछ समय से रिक्त पड़ा हुआ है जिसके कारण कि बहुत असंतोष है, परन्तु चयन से पूर्व बहुत सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि स्कूल द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो बाहर से नाट्य जगत के किसी व्यक्ति को इस संस्था का प्रमुख बनाया जाना चाहिए।

एक नई सिमिति को स्कूल की वर्तमान समस्याओं का अध्ययन कर शीघ्र अपना प्रतिवेदन देने को कहा जाय।

(सात) समाज के विभिन्न वर्गों को जारी किये गये शस्त्र लाइसेंसों को रद्द करना

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान देश के हरिजनों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले पिस्तौलों एवं बन्दूक के सन्दर्भ में ले जाना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि दिनांक 23 नवम्बर 1981 को लोक सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि इन वर्गों की इनके आत्म-रक्षार्थ उदार भावना से उक्त लाइसेंस वितरित किये जायें, ताकि पीड़ित लोग भी इनका मुकाबला करें।

मान्यवर, इसमें सन्देह नहीं कि आज इन वर्गों को लाइसेंस वितरित करने में भारी अनियमितता एवं भाई-भतीजावाद बरता जा रहा है। जातियता के आधार पर केवल उच्च लोगों को आज लाइसेंस दिये जाते हैं। परिणामस्वरूप गांवों में देवली, जिला मैनपुरी जैसा नरसंहार

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस सन्दर्भ में पूर्वी उत्तरप्रदेश के सैदपुर, वाराणसी, गाजीपुरी एवं जौनपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। सैदपुर संसदीय क्षेत्र में छोटे-बड़े चार हजार गांव हैं। इन गांवों में कुल 6128 बन्दूकों का लाइसेंस दिया गया है। इसमें से 5,178 लाइसेंस आर्थिक रूप से सम्पन्न एव ऊंची जाति के लोगों को दिया गया है। शेष 950 लाइसेंस छोटे और जाति व्यवस्था में नीची श्रेणी के लोगों को दिया गया है। आज सैदपुर संसदीय क्षेत्र में 8,000 बन्दूक लाइसेंस हेतु आवेदन विचाराधीन हैं। इनमें से लगभग 6 हजार लाइसेंस केवल छोटी श्रेणी के हैं। मान्यवर यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि बड़ी जातियों एवं बड़े लोगों को जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक तुरन्त लाइसेंस दे देते हैं। कमजोर और नीची जाति के लोगों को अनेक प्रकार का बहाना बना कर निराधार कारणों के द्वारा लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जाता है।

इस सन्दर्भ में मैं आग्रह करूंगा कि इस समस्त नरसंहारकी जड़ यह लाइसेंस वितरण प्रणाली ही है। कुछ खास लोगों को बन्दूक और पिस्तौल का अधिक लाइसेंस देना, कुछ को एक भी लाइसेंस न देना, उनके मनोबल को स्वयं घटाना-बढ़ाना ही कहा जायेगा। जो अधिकारियों की बहुत बड़ी साजिश है।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में हत्या, लूट और नरसंहार की घटनाओं पर यदि सरकार काबू पाना चाहती है तो अविलम्ब सभी वर्गों को दिये गये लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसका लाइसेंस रद्द कर उसके असलहे जमा करा देने से देश की स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

कल हरिजनों और आदिवासियों को लाइसेंस देने की बात कही गई। आज मंहगाई की विकट मार से प्राय: आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चार-पांच हजार रुपये का असलहा नहीं ले पायेगा। जिसके पास अनुचित साधनों से धन इकट्ठा किया गया है, या जो धनी है वह अपने घर के सभी व्यक्तियों की बन्दूक खरीदवा सकता है। उसे लाइसेंस भी मिल जायेगा। परन्तु जो गरीब है, वह बन्दूक क्या, एक चाकू भी आज नहीं रख सकता। अत: पूरे देश में लाइसेंस प्रणाली हर हालत में खत्म करनी आवश्यक हो गई है। जहां तक रक्षा का प्रश्न है किसी भी व्यक्ति की जान पर खतरा हो, उसे तुरन्त अंगरक्षक या फोर्स दे देनी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार कर देश में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु लाइसेंस (बन्दूक लाइसेंस) प्रणाली को रद्द करने की कृपा करें और इस सदन को इस सन्दर्भ में लिये गये अपने निर्णय से अवगत करायें।

(आठ) मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोलने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य): श्रीमान, मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय की कोई शाखा नहीं है और दक्षिण क्षेत्र से लगभग 15 हजार नाविकों को रोजगार आदि के लिए बंबई या कलकत्ता जाना पड़ता है। इसके अलावा मद्रास में भारतीय जहाजरानी निगम का कोई एजेंट भी नहीं है तथा उसका कार्य गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है जिससे सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी क्षेत्र के लाखों रुपए गैर सरकारी पार्टियों को जाते हैं।

विदेशी पोतों पर रोजगार पर अप्रवास अधिकारियों द्वारा अनुचित प्रतिबन्ध लगाये गये। उन नियमों के सरल बनाने तथा प्रतिबन्धों को हटाये जाने की आवश्यकता है ताकि हजारों पासपोर्ट-धारी नाविकों को रोजगार मिल सकें। सरकारी अस्पतालों में प्राप्त सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के समान 40000 नाविकों के परिवारों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार की नौवहन कम्पनियों तथा मुगल लाइसेंस के यात्री जहाजों में केन्टीन कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त गैर सरकारी ऐजेंसियों द्वारा की जानी है इन केन्टीन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय समुद्रीय बोर्ड द्वारा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, पोत स्वामियों तथा यूनियनों की स्वीकृति से 850 रुपए निर्धारित किया गया था परन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है इसके बदले गैर-सरकारी एजेंसियां रहने तथा खाने के अलावा केवल 150-200 रुपए ही देती हैं। इस विषमता के कारण तथा करार के क्रियान्वित न किए जाने के कारण एम० वी० चिदम्बरम के केन्टीन कर्मचारियों ने 27.10.81 को सिंगापुर में काम बंद कर दिया। समुद्री यात्रियों के राष्ट्रीय संघ ने प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू करदी है। यह समाचार इंडियन शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट न्यूज, दि इकानामिक टाइम्स (बम्बई संस्करण) तथा हिन्दु (मद्रास संस्करण) में छपा था। इन पहलुओं पर तुरन्त गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा केन्टीन कर्मचारियों और नाविकों के साथ न्याय अवश्य किया जाना चाहिए।

यदि उपर्युक्त सभी सुझाव क्रियान्वित किये जाते हैं तो न केवल सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ होगा अपितु इससे उन थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा जोकि राष्ट्र विरोधी तथा श्रमिक विरोधी हैं सम्पत्ति एकत्र करने पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। भारतीय पोतों के सभी नाविक तथा केन्टीन कर्मचारी सरकार को इसके लिए दिल से धन्यवाद करेंगे इसके लिए क्या भारत सरकार जागेगी तथा इन नाविकों को आवश्यक न्याय प्रदान करेगी जिसकी मांग मद्रास के सभी संबद्ध पक्ष के लोग कर रहें है।

———

आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। श्री रशीद मसूद अपना भाषण दें।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इकनामिक अफेंसेस के मुत्तालिक पेश किया गया है, इसकी बेइन्तहा जरूरत है कि इस मुल्क में जो इकनामिक अफेंसेस होते हैं, उनको कम किया जाए।

आज तक जितने भी मामलात होते हैं, उनमें छोटे और गरीब लोग तो पकड़े जाते हैं और उनको सजा भी दी जाती है, लेकिन जो सोसायटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जिन्हें व्हाइट कालर क्रिमिनल कहा जाता है, उनको कोई सजा नहीं मिलती है। उनको सजा देने के लिए जैसा कि बिल के आब्जेक्ट में लिखा गया है, इसके जरिए एक तरीका निकाला है और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा है और ऐसे इंतजामात करने चाहिए जिससे ऐसे अफेंसेस न हों जिनसे सोसायटी की तबाही हो रही हैं।

इस सब के बावजूद क्रिमिनल अफेंस की डेफीनेशन अभी तक ऐसी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि जो लोग ब्लेक मनी को बढ़ावा देते हैं, वे उसमें आ सकते हैं। इडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में जिन चीजों को क्रिमनल अफेंस कहा गया है, जैसे अगर बिना रजिस्ट्रेशन के

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

इंडस्ट्री चलाई जा रही है, यह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। डेफीनेशन को और बढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग गलत तरीकों से पैसा बना रहे हैं और शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, इन सबको इस लिस्ट में लिया जाना चाहिए। हमारा रोज का तजुरबा है कि लोग इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं और रुपया कहीं और खर्च कर देते हैं। गवर्नमेंट का पैसा खा जाते हैं। इन सब को रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिएं। जब तक इन बातों को नहीं रोका जाएगा तब तक गवर्नमेंट के पैसे का सही यूटीलाइजेशन नही हो सकेगा।

इन सब बातों को चैक करने के लिए मशीनरी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। बडी-बड़ी इंडस्ट्रीज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम जो रोज देखते हैं जो 10-20-50 लाख की इंडस्ट्रीज कस्बा या छोटे शहरों में हैं और गवर्नमेंट से लोन लिया गया है, लेकिन सारा पैसा खा जाते हैं और रिकवरी के नोटिस आते रहते हैं। ये सोसायटी के दुश्मन, व्हाइट कालर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। इन लोगों को सोसायटी में इज्जत दी जाती है, लेकिन ये ही सोसायटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

एक ओर यदि कोई चोर 10, 20 या 50 लाख रुपये की चोरी करता है, उसको पकड़ा जाता है और सजा दी जाती हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपया ब्लैक में कमा रहे हैं, सोसायटी के गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, उनको सजा देने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है ।

आपने इसमें बताया है कि ऐसे केसेस में बहुत समय लग जाता है और वक्त खत्म हो जाता है, प्रासीक्यूट नहीं कर पाते है, इसके लिए आपने एक बिल पेश किया है । इसकी सफलता के लिए कुछ खास ट्रेण्ड किस्म के लोगों को इसमें इन्वाल्व करना पड़ेगा । जिन लोगों के लिए यह बिल पेश किया गया है, वे लोग आसानी से कब्जे में आने वाले नहीं हैं । हर कदम पर रुकावट डालेंगे । जो आफिसर्स डिटेक्ट करेंगे ... । वह ज्यादा काबिल नहीं हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं । उसके बाद जो इन्वेस्टीगेशन करेंगे वह भी गलती करेंगे । और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर आपने किसी को प्रोसीक्यूट कर भी दिया तो फैसला होते-होते डिले करा लेतें हैं, सालों लग जाते हैं । तो जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा दी जा सके इसका इंतजाम आपको करना चाहिए । अभी जो यह कमी है उसको दूर करना चाहिए ताकि व्हाइट कालर्ड क्रिमिनल्स को पकड़ कर सजा दे सकें । जहां सोसायटी के चोरों और डकैतों से खतरा है उससे ज्यादा बड़ा खतरा इन व्हाइट कालर्ड लोगों से है । इसलिए जल्दी से जल्दी उनके मामले निपटाने के लिए, चाहे स्पेशल कोर्ट्स का प्राविजन करें या जो भी करें, आपको इंतजाम करना चाहिए । दूसरे यह कि खास ट्रेन्ड किस्म के लोगों को आप इन्वाल्व करें जो डिटेक्ट करने से लेकर इन्वेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन तक इस काम को करने की खास ट्रेनिंग रखते हों । कानून बनते रहे हैं और पहले भी बहुत से कानून हैं, लेकिन उन पर अमल कौन करेगा ? इसके लिए मोरल एजूकेशन उन सरकारी कर्मचारियों को देने चाहिए जो इस तरह के इकोनामिक आफेंसेज को देखेंगे । उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाय, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा । जितने भी जराये हैं इन सब को आपने कन्सेनट्रेट कर दिया है, कुछ परसेंटेज होगा तभी मदद मिलेगी । नतीजा यह है कि जिनके पास करोड़ों रु० हैं उनको तो मदद मिल जाती है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, मैं आपकी मदद चाहूं और अगर मेरे पास पैसा नहीं है 25 परसेंट जैसा आप कहते हैं, तो मैं इंडस्ट्री नहीं लगा सकता हूं । और अक्सर देखा जाता है कि जो सफेद पैसा पैदा करते हैं वह आपसे लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास 50 हजार नहीं है । और जो लोन लेते हैं करोड़ों रु० का वह ज्यादातर ब्लैक मनी वाले होतें हैं । चूंकि वह माहिर होते हैं कानून को तोड़ने में और आपके कर्मचारियों को खरीदने में लिहाजा वे लोग बच जाते हैं और जो सोसायटी में कम पैसे वाला और ईमानदार आदमी है वह महरूम रह जाता है । वह पैसा हासिल नहीं कर सकता । मेरे ही रिश्तेदारों ने चाहा कि स्ट्रा बोर्ड की इंडस्ट्री लगा लें और जब ऐस्टीमेट किया तो 27 लाख रु० का ऐस्टीमेट आया जिसके लिए साढे 6 लाख उसे जमा करना था । वह उतना नहीं कर सका । वह वहां घूमता रहा कि 21 लाख रु० सरकार दे सके, लेकिन नहीं मिला । चूंकि वह साढे 6 लाख रु० नहीं ला सका और 4 महीने में रजिस्ट्रेशन के बाद सारी फैसेलिटिज पूरी कर लेनी चाहिए, जो कि वह नहीं कर सका वह समय निकल गया और इन तमाम फैसेलिटीज को पूरा करने में जो 10,000 रु०

[श्री रशीद मसूद]

लगता है वह समय भी समाप्त हो गया। इसलिए सोसायटी में वह लोग ज्यादा पैसा हासिल न कर सकें जिनके पास पैसा है इसकी भी व्यवस्था की जाय ताकि यह इकानामिक अफेंसेज न हो। इस बात की सख्त जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं इसको सपोर्ट करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, यह बिल उन्होंने आर्थिक अपराधियों को पकड़ में लाने के लिए पेश किया है, जो लिमिटेशन एक्ट की वजह से निकल भागते हैं। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जितने कानून इस समय इसकी जद में आते हैं, उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट का जो पूअर परफार्मेंस रहा है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूं।

आज स्थिति यह है कि कानून के जो निपहबान हैं, अगर उन्होंने ही कानून तोड़ने वालों के साथ दोस्ती कर ली है, तो अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, यह आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। मौजूदा एक्ट के अन्तर्गत 20 कानून आते हैं? इन्कम टैक्स एक्ट कंपनीज (प्राफिट्स) सरटैक्स एक्ट, वैल्थ टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट वगैरह वगैरह। इस समय सरकार को जो अधिकार हासिल हैं, उसके मुताबिक इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कितने आर्थिक अपराधियों को पकड़ा गया है, अगर मंत्री महोदय इसका एक जायजा पेश करते, तो उससे हम लोगों को सहूलियत होती। लेकिन हम लोगों को तजुर्बा है कि बड़े-बड़े एकाधिकार वाले पूंजीपति, कंपनियों के मालिक और उद्योग पति कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। मैं अपने तर्कों को ज्यादा कान्क्रीटाइज करने के लिए एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

एक हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी है, जिस पर ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिलीवर का कन्ट्रोल है। आप जानते हैं कि सरकार ने ऐसी कंपनियों के बारे में कानून बना रखा है कि 40 परसेंट शेयर उनके रहेंगे और बाकी शेयर्ज हमारे देश का होना चाहिए। इस कंपनी की 1980 की बैलेंसशीट से पता चलता है कि उसकी इनस्टाल्ड कैपेसिटी 78,931 टन साबुन पैदा करने की है और लाइसेंस्ड कैपेसिटी, सरकारी छूट सहित, 87,335 टन है। लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि 1980 में उसका प्राडक्शन 1,63,724 टन था यह बात कैसे हुई कि गवर्नमेंट ने उसको जो इन्सटाल्ड कैपेसिटी और लाइसेंस्ड कैपेसिटी दे रखी है, उससे ज्यादा उसने पैदावार की। यह दो ही बातें हो सकती हैं: या तो उसने अपनी कैपेसिटि को छिपाया था, या उसने दूसरों का बनाया हुआ सामान अपना बताकर बाजार में भेज दिया था।

21 अगस्त, 1974 को लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इस बात को माना कि हिंदुस्तान लीवर की लाइसेंस्ड कैपेसिटी 91,000 टन साबुन पैदा करने की है, लेकिन उसने 1972 में पैदा किया 1,17,308 टन। पैट्रोलियम एण्ड केमिकल्स मिनिस्टर की भी इसकी रिपोर्ट दी गई है। पता नहीं इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है। लेकिन इससे भी सनसनीखेज बात यह है कि पार्लियामेंट में ही 2 सितम्बर, 1981 को एक जवाब में बताया गया कि उसकी उत्पादन-क्षमता का कोई रिकार्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इनको सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन दिया गया, उसमें बताया गया कि इन्होंने क्षमता का कोई जिक्र नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन में भी कोई जिक्र नहीं है। अब यह देखा जाय की पार्लियामेंट के अन्दर सरकार ही दो तरीकों में दो तरह जवाब देती है। एक बार वह कहती है कि इनकी क्षमता है, दूसरी बार कहती है कि इनकी क्षमता का कोई रिकार्ड ही नहीं है, वह जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिला है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, इसकी छानबीन हो रही है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का काम करने का ढंग क्या हैं और कैसे यह आर्थिक अपराधों को पकड़ सकती है, जब क्षमता का कोई रिकार्ड नहीं है, जब एक्सपेंशन होता है तो उसका कोई रिकार्ड इन को नहीं दिया जाता है, इनको जानकारी होती है, इस तरह की सारी बातें होती हैं और इस तरह से ब्लैक मनी बनाने का, ज्यादा से ज्यादा प्राफिट कमाने का, ज्यादा से ज्यादा आमदनी करने का, देश को धोखा देने का, मजदूरों को धोखा देने का और देश की दौलत को लूटने का काम ये मल्टी नेशनल कम्पनियां और साथ-साथ देश के मोनोपलिस्ट कैपिटलिस्ट लगातार कर रहे हैं जो सरकार की नोलेज में है लेकिन सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती हैं।

यही स्थिति लिपटन इंडिया लिमिटेड कम्पनी की है। इनकी जो एन्युअल रिपोर्ट आफ एकाउन्टस हैं उसके मुताबिक इनका कहना है कि पांच सौ लाख रुपए का इनका एथौराइज्ड कैपिटल है जिसकी कि पचास लाख शेयर्स के रूप में बिक्री होगी और दस रुपये का एक शेयर होगा। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 37.5 लाख शेयर्स बिक्री हुए हैं जो फुली पेड अप हैं। डिटेल्स में वह कहते हैं, जो सच्चाई हैं, वह यह कि 25 लाख 27 हजार 100 शेयर एलाट किया गया जो फुली पेड अप कहा जाता है लेकिन कैश पेमेंट नहीं हुआ है। 14 लाख 99 हजार 999 शेयर जो हैं वह यूनि लिवर लिमिटेड कम्पनी जो यू के की है उसके हैं और बाकी 12 लाख 22 हजार 900 शेयरों का कोई हिसाब नहीं है। यह भी अन्दाजा लगाया जा सकता है और यह बात भी सही है कि ये भी जो यू के की मल्टी नेशनल कम्पनी है उसके कब्जे में हैं जब कि 40 परसेंट होना चाहिए उनके हाथ में जो विदेशी हैं। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाय तो 27 लाख 22 हजार 899 शेयर उनके हाथ में आ जाते हैं जो 72.6 परसेंट आता है इस तरह से 40 परसेंट का जो कानून है उसका किस तरह से घोर उल्लंघन किया जा रहा है? यही नहीं, इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो लिपटन कम्पनी है इसको एक तरह से यही यूनिलीवर कम्पनी इस रूप में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैनेज कर रही है।

[श्री विजय कुमार यादव]

मेरा कहना यह है कि कानून जो बनाते हैं उद्देश्य उस का सही है, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती हैं, लेकिन जब एक्शन में जाते हैं तो जाहिर बात है कि आप उनसे मिले हुए हैं और आप उनको पकड़ नहीं पाते हैं।

मैं इस सिलसिले में दो और चीजों का उल्लेख करके बैठ जाऊंगा। वह बंगाल की दो कम्पनियों के बारे में है। एक है बगाल पाटरीज लिमिटेड़ कैलकटा और दूसरी नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड कैलकटा है। इन कम्पनियों की हालत बहुत खराब थी वहां का जो मैनेजमेंट था सरकार ने उसकी बुरी अवस्था को देखकर उसके मैनेजमेंट को टैक ओवर कर लिया। लेकिन इसके बाद भी प्रोडक्शन उन्होंने 50 परसेंट घटा दिया और रेट बढा दिया 60 परसेंट। पांच हजार मजदूर वहां काम करते हैं, अच्छा सामान पैदा होता है, फारेन एक्सचेंज उस से आता था। आज सारे देश को उससे नुकसान हो रहा है।

यही स्थिति नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड कैलकटा की है। 32 सौ मजदूर वहां काम करते हैं। जहां भी जब इंडस्ट्री सिक होने की अवस्था में आई तो सरकार ने मैनेजमेंट को टेकओवर किया। लेकिन वहां भी मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, मजदूरों को पूरा काम नहीं दे रहा है और स्थिति बड़ी खराब है। हमारी मांग है कि इन दोनों कम्पनियों को सरकार को नेशनलाइज करना चाहिए जिससे देश हित में फारेन एक्सचेंज आए और जो लगभग 10 हजार मजदूर परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो। वह काम करना चाहते हैं, अच्छा सामान पैदा करना चाहते हैं जिससे देश को फायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट में वहां पर गड़बड़ है इस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। जब तक सरकार उनको नेशनलाइज नहीं करती है तब तक ये गड़बड़ियां रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो बिल आया है, उसका उद्देश्य चूंकि अच्छा है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, सरकार गलत कानून लाने तथा गलत कार्यवाहियां करने के लिए प्रसिद्ध है। (व्यवधान) हम ऐसी बातों के अभ्यस्त हैं। जब सरकार यह कहती है कि वह एक अच्छा विधेयक लायी हैं अथवा अच्छी कार्यवाही करना चाहते हैं तब इसे धक्का लगता है।

सरकार द्वारा नियोक्ताओं की खुसामद करना तो समझ में तो आता है। परन्तु यह बिरला ही अवसर है कि यह सरकार नियोक्ताओं को दण्ड देने की बात कह रही है।

यदि आप विधेयक पर गम्भीरता से ध्यान दें तो यह सात पक्तियों का सीदा-सादा लगने वाला विधेयक है। इसके तीन पहलू हैं तथा इसे तीन प्रांतों से शक्ति प्राप्त होती है। एक है आर्थिक अपराध परिसीमा अधिनियम, 1974 जिसमें 22 अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की परिधि से बाहर रखा गया है तथा दूसरा है दण्ड प्रक्रिया सहिता का अध्याय 36 और तीसरा है उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की धारा 24 और 24क।

मुझे पेश किये गये तर्कों पर हैरानी है। वास्तव में यह सारी व्यवस्था उस विलम्ब को, जिसे यह समझा जाता है कि इसे टाला नहीं जा सकता, को कानूनी स्थिति प्रदान करना है। के लिए इस प्रकार के दण्ड से पुरस्कृत किया जा रहा है। दण्ड क्या है ? धारा 21 के अंतर्गत विलम्ब अपराध क्या हैं ?

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 में कहा गया है कि दण्ड केवल जुर्माने के रूप में दिया जा सकता है तथा अपराध होने पर उस पर विचार करने में छः महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए—जब समय एक वर्ष का होता है तब वे एक वर्ष का अंतर रखते हैं किसी भी अपराध तथा दण्ड के बीच तीन वर्ष का अन्तर होना चाहिए। संज्ञेय के लिए तीन वर्ष का समय रखा गया है।

इतना ही नहीं अध्याय 36 की धारा 473 में कहा गया है :

> "इस अध्याय के पूर्ववर्ती; उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।"

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कैसे धारा 437 इसमें मदद करेगी, यदि वे जांच सम्बन्धी कार्यवाही की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करते।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह आवश्यक है कि इतना लम्बा समय लिया जाए।

फिर भी, उद्योग विकास तथा विनियमन के अधीन सरकारी अधिकारी किन बातों की जाँच करते है ?

प्रश्न यह है कि क्या लाईसेंस लिया जाता है, उचित पंजीकरण किया जाता है और क्या उद्योग विकास तथा (विनियमन) अधिनियम की धारा 16 का पालन किया जा रहा है या नहीं। मैं नहीं जानता कि इन बातों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है या इनका पता कैसे लगाया जाता है। सरकार इतना समय लेती है वास्तव में विलम्ब को प्रस्तुत करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है।

हम चाहते हैं कि आर्थिक अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए। इस मामले में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्थिक अपराध आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जाते हैं। यदि उन्हें समय मिले तो वे सैकड़ों उपायों से अपने अपराध छिपा लेंगे। आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आपको अन्य अपराधों की अपेक्षा अधिक सख्ती से काम लेना चाहिए।

[श्री ए० के० राय]

जिन मामलों में जांच में अधिक समय लगता है उनके सम्बन्ध में एक कानून बनाया जाना चाहिए । ऐसी निश्चित समय-सूची होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत आर्थिक अपराधों पर कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए ।

विपक्ष के मेरे कई मित्रों ने विधेयक का समर्थन किया है लेकिन मैं इस विधयक के उद्देश्य पर ही संदेह करता हूं, यह विधेयक आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही को कमजोर कर देगा और प्रक्रिया में विलम्ब को कानूनी रूप देने से उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे क्योंकि सरकारी कर्मचारी तथा मन्त्रियों सहित समूची प्रणाली नियोजक को खुश करने तथा रुपयों की थैली पर आधारित है । मैं इस विधेयक का इस लिए विरोध करता हूं कि यह इसे कानूनी रूप देता है । मैं एक या दो मामलों का जिक्र करूंगा । मैं इनका जिक्र पहले भी कर चुका हूं ।

धारा 24 अथवा 24क के अधीन झूठे ब्यान देना एक अपराध है जिसकी सजा तीन महीने का कारावास तथा 2000 रुपए जुर्माना है । सरकार ने आज ही उत्तर दिया है, मेरे चुनाव क्षेत्र में कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्कस नामक एक कारखाना है । वह कारखाना दो वर्ष से अधिक समय से बंद पड़ा है । श्री प्राण प्रसाद, चेयरमैन बर्ड एंड कम्पनी ग्रुप, ने उद्योग विकास तथा विनियमन, अधिनियम की धारा 16 के सभी प्रावधानों का उल्लघन किया है लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी इतना ही नहीं इस सरकार ने उस कारखाने को अधिकार में लेने का वचन भी दिया । लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने आज मेरे प्रश्न के उत्तर में क्या कहा । मेरा प्रश्न था :

"क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने अपने 7.11.80 के रेडियो प्रसारण में घोषणा की कि सरकार ने कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्कस जिला धनबाद, बिहार के प्रबन्ध को अधिकार में लेने का निर्णय ले लिया है" ।

उसका उत्तर है : - "जी हां" । उन्होंने वायदा किया, आश्वासन दिया, वचन दिया और उस वचन के आधार पर बिहार के मुख्य मत्री ने जो इसी दल के हैं, रेडियो प्रसारण द्वारा भूखे श्रमिकों के लिए घोषणा की कि सरकार ने निर्णय ले लिया है । अब वे आपके उत्तर में इस प्रकार कहते हैं :—

"शुरू में इस मामले की चर्चा बिहार के उद्योग मन्त्री ने भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से 5.11.80 को की लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कारखाने को अधिकार में लेने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया ।"

इसका अर्थ यह है कि बिहार सरकार ने लोगों को धोखा दिया । उन्होंने रेडियो द्वारा एक गलत धारणा पैदा की, एक गलत सूचना दी जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 24क के अधीन एक दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा तीन महीने की जेल तथा 2000

रुपये जुर्माना है। उन्होंने सारे मामले को इस हद तक हास्यास्पद बना दिया है मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। मैंने स्वयं कर्मचारियों, मुख्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री से बात की है। उनका कहना है कि वे कोई बेवकूफ नहीं जो रेडियो पर जाकर लोगों को घोषणा करें। 2000 से अधिक कर्मचारी, तथा उनके परिवार के 20,000 सदस्य पिछले 2 1/2 वर्षों से भूखे मर रहे हैं; इतना ही नहीं 60 व्यक्ति भूखे मर भी गए हैं। स्थिति यह है। ये लोग इस किस्म का कानून ला रहे हैं, एक ऐसा कानून जो देखने में सीधा-सादा सा लगता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह एक प्रगतिशील कानून है, यह सरकार नियोजक को सजा देना चाहती है। ये नियोजक को सजा देना चाहते हैं! हम क्या ही अच्छी बातें सुन रहे हैं। (व्यवधान)। लेकिन वास्तव में ये विलम्ब को कानूनी रूप दे रहे हैं—इसे अनुमति दे रहे हैं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 16 अथवा 16क के प्रावधानों का लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के मामले में उल्लंघन करने का पता लगाने के लिए वे एक वर्ष से अधिक समय लेते हैं और इसीलिए ये कहते हैं कि दंड संहिता प्रक्रिया के किसी विशेष प्रावधान के महत्व को कम किया जाये।

मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय एक स्पष्ट बयान दें कि गलत सूचना किसने दी है। क्या भारत सरकार ने दी है या राज्य सरकार ने दी है। भारत सरकार एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में सूचना दे रही है और बिहार सरकार लोगों को पटना रेडियो स्टेशन द्वारा सूचना दे रही है। दोनों पर सरकार का स्वामित्व है। वे आज के उत्तर में पकड़े गये हैं, इन्होंने दोनों बातों को स्वीकार कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय वक्तव्य दें कि क्या यह एक अपराध नहीं है? मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराध, जिसमें 60 श्रमिक भुखमरी से मर जायें उसमें अपराधी को पकड़ने तथा सजा देने के लिए कानून का संशोधन कैसे किया जाना चाहिए। यदि ये घोषणा न करते तो श्रमिक इंतजार न करते। इन महीनों और वर्षों तक वे इंतजार करते रहे और मर गए। उनकी औरतें वेश्यायें बन गयीं और मेरे चुनाव क्षेत्र में एक अथवा दो नहीं बल्कि 2300 कर्मकार इससे प्रभावित हैं। उन्होंने एक नीति सम्बन्धी घोषणा की है कि से 2 करोड़ रुपये अधिक पूंजी तथा 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संकटग्रस्त उद्योगों को अधिकार में लिया जायेगा। इस उद्योग की 10 करोड़ रुपये से अधिक की परिसम्पत्ति है और इसमें 2300 लोग रोजगार में हैं। उन्हें संकटग्रस्त उद्योग के बारे में उचित नीति बनानी चाहिए। उन्हें उद्योग विकास अधिनियम को उचित ढंग से संशोधित करना चाहिए। उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें आर्थिक अपराओं के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्यवाही की जा सके और अपराधियों को दंडित किया जा सके और वे सजा से बच न पायें।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को चेतावनी देता हूं कि वे बतायें कि ऐसा करना क्यों जरूरी हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 437 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाय। यदि बिलम्ब भी हो तो भी कानून जरूरी है। इन शब्दों के साथ मुझे आशा

[श्री० ए० के० राय]

है कि मन्त्री महोदय इन सब, विशेषकर कुमार धुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स, जो सभी प्रकार के आर्थिक अपराधों का शिकार बन गया है सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कई सदस्यों ने आर्थिक अपराधों का जिक्र किया है। एक बात स्पष्ट नहीं है। इस सयम आर्थिक अपराध का अर्थ क्या है ?

मेरे माननीय सहयोगी, श्रीराय ने कुछ बातों का जिक्र किया है। मेरे माननीय मित्र श्री बापू साहेब पारुलेकर ने भी कुछ बातों का जिक्र किया मैं एक प्रश्न उठाना चाहती हूं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उद्योगों के प्रबन्ध को अधिकार में लिया जाता है। उसके बाद प्रायः यह देखा जाता है कि सरकार पुरानी कम्पनी के कुछ लोगों को, जिन्होंने इसे लूटा तथा संकटग्रस्त किया उच्चे पदों व स्थानों पर रखती है और वे उद्योग में तोड़-फोड़ का काम जारी रखते हैं और इस प्रकार की लूटमार चलती रहती है और सरकार पैसा देती है और उसके बाद यह उद्योग पुनः संकटग्रस्त हो जाता है अब मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यों को अर्थात् श्रमिकों को धोखा देना राज्य तथा आर्थिक अपराध माना जाये। यही मेरा प्रश्न है

अब जहां तक स्वयं विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करती हूं। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहूंगी कि मैं इस विधेयक के परिणामों से बहुत आशायें नहीं रखती क्योंकि वर्तमान शक्तियों के होते हुए जो कुछ भी किया गया, वह बहुत कम था। इस समय मैं कम्पनी के कुछ मामलों को मन्त्री के विचारार्थ उठाऊंगी कि उनका कैसे समाधान किया जाये। मेरे माननीय सहयोगी, श्री यादव ने पश्चिम बंगाल की कम्पनियो का जिक्र किया है इनमें से एक कम्पनी नेशनल रबड़ है जिसे धारा 12 के अन्तर्गत अधिकार में लिया गया था। जैसे कि आप समझते हैं यह एक रबड़ का सामान बनाने वाली कम्पनी है और यह एशिया की एक बड़ी कम्पनी थी। अब इसके प्रबन्ध को अधिकार में लिए जाने के बाद ही कर्मचारी इतने जोशीले बन गए कि इसका उत्पादन बढ़कर 1.30 करोड़ रुपये का हो गया। लेकिन लोगों को प्रबन्ध में रख दिया गया जिनको इस बात में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यह कम्पनी प्रगति करे। परिणाम यह हुआ कि अब कच्चा माल उपलब्ध नहीं है।

यदि कच्चा माल उपलब्ध भी होता है तो केवल 10 प्रतिशत ही खरीदा जाता है अब परिणाम यह निकलता है कि उत्पादन जो 1.30 करोड़ रुपये था घटकर केवल 16 लाख रुपये का रह गया है। सरकार को कम्पनी को प्रतिमास 35 लाख रुपए की राजसहायता देकर एक आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है। इस प्रकार के प्रबन्ध को अधिकार में लेने का अर्थ क्या है ? कम्पनी के एक बार राष्ट्रीयकृत किये जाने के तुरन्त बाद से ही सरकार को कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन को क्षति न पहुंचे।

मैं नेशनल रबड़ कम्पनी के तुरन्त राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं क्योंकि इससे सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है और रबड़ सामान क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी कम्पनी बंगाल पाटरी है। यह देश की किसी भी पाटरी से प्रतियोगिता किया करती थी। इसका बहुत अच्छा विदेशी बाजार है। हम निर्यातों की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं। यह किसी समय निर्यात द्वारा आय प्राप्त करने वाली कम्पनी थी जैसा कि प्रायः होता है, इस कम्पनी को लूटा गया और अन्ततः सरकार ने इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन बात यह है कि प्रबन्ध के अधिकार में लिए जाने के बाद भी उन्हीं लोगों को उच्च पद अथवा स्थानों पर रखा गया। उदाहरण के लिए मैं श्री भगत का नाम लेता हूं जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार प्रबन्ध को अधिकार में लेने जाने का क्या लाभ है?

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कम्पनी के तीन कारखाने हैं जिनमें से एक (तीसरा) प्लासटर आफ पेरिस के उत्पादन का कार्य करती हैं। मुख्य कम्पनी ने अपनी कम्पनी संख्या तीन को बन्द कर रखा है जिसके फलस्वरूप प्लासटर आफ पेरिस को मंहगे दामों पर बाहर से प्राप्त करना पड़ता है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है उच्चाधिकारियों की इसे बाहर से खरीदने में दिलचस्पी होगी।

अत : प्रबन्ध ग्रहण के बाद यह है लोगों के काम करने का तरीका प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात भी उन्हीं लोगों को लूटने का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए? सीधे ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और प्रबन्ध उन्हीं लोगों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए यही मेरा मुद्दा है।

इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि 'इन चेक' टायर्स के बारे में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके प्रबन्ध ग्रहण में काफी विलम्ब हुआ। लेकिन अभी भी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। एक और कम्पनी हुगली डाकिंग का केवल एक वर्ष के लिए प्रबन्ध ग्रहण किया गया। एक वर्ष के पश्चात इसे पुनः उसी व्यक्ति को सौंप दिया गया। अब इसके पूरी तरह बन्द हो जाने की स्थिति पैदा हो गई है। अतः पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की लूट को 'आर्थिक अपराध' के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये और प्रबन्ध को पुराने प्रबन्धकों के हाथों में कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात श्रमिक निश्चित रूप से बड़ी रुचि दिखाते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए इनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

मैंने यहां जिन विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया है उनकी जांच करने तथा इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं। भविष्य में ऐसे आर्थिक अपराधियों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सभापति महोदय सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं उन माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपना समर्थन आरक्षित रखा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं। इस विधेयक की आड़ में वे उद्योग की संकटग्रस्तता आदि के बारे में बात करना चाहेंगे। उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं। उन्होंने आठ-सूत्रीय कार्यक्रमों को दृष्टिगत रख कर और अधिक सुझाव दिये हैं। वास्तव में माननीय सदस्यों के सुझाव मेरे लिए मूल्यवान हैं। उनके साथ सहमत हों या नहीं यह बात भिन्न है। किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं सब से पहले एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत ही महत्व पूर्ण है। उन मित्रों को, जिन्होंने विधेयक टिप्पणी की है और अपना समर्थन सुरक्षित रखा है, यह जान लेना चाहिए कि इस विधेयक की उन लोगों द्वारा जांच की गई है जो विधि विशेषज्ञ हैं। वे इस बारे में अधिक जानते हैं और बेहतर निर्णय लेने की स्थिति के हैं। पंक्तियों की सख्या से विधेयक के अच्छा या बुरा होने का निर्णय नहीं होता है श्री राय ने पक्तियों की संख्या सात होने पर आपति उठायी है। मैं आशा करता हूं कि यह संख्या सात को भाग्य दुर्भाग्य से नहीं जोड़ रहे हैं। महोदय इस संख्यात्मक ज्योतिष के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और सक्षिप्त होना कानून का दोष नहीं है।

महोदय, श्री डागा द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी है कि परिसीमन का यह तलवार रूपी कानूनी आर्थिक अपराधियों के सिर पर क्यों लटकता जा रहा है उससे मुझे यह स्पष्टीकरण देना पड़ा था जिसमें मैंने कहा था कि कल या परसों का आर्थिक अपराधी बराबर आर्थिक अपराधी बना रहेगा क्योंकि समय के बीतने पर यह अपने किये गये अपराध से मुक्त नहीं हो जायेगा।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे इस संशोधन का समर्थन इस डर के कारण नहीं करना चाहते कि यह कानून केवल कागज पर ही रह जायेगा। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एक कागजी दस्तावेज नहीं रहेगा। वास्तव में हम विधेयक का मुख्य उद्देश्य कमजोर हो रही चीज में जान डालना है? कुछ मित्रों ने संसद में प्रश्नों के हमारे पुरानों उत्तरों से उद्धृत किया है और परिसीमन के कानून के इस अंश की कमजोरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें उत्पादन आंकड़ों को सम्बद्ध करने लिए एक वर्ष लग जाता है। महोदय, मेरी यह इच्छा है कि कोई ऐसी सांख्यिकीय पद्धति बनायी गई होती जिसमें हर ओर कम्प्यूटरों सहित टर्मीनल होते और हमारे पास दैनिक उत्पादन आंकड़े होते। श्री चटर्जी ने कहा है कि इसके द्वारा केवल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है जो बहुत ही कम है। मैं उनके साथ सहमत हूं। कुछ दंड ऐसे है जिनका कोई अर्थ नहीं हो सकता और इसी कारण हम इस परिसीमन खण्ड को, जो उन्हें सरक्षण दे सकता है हटाया चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त महोदय, जहां एक ओर नीति के मामले के रूप में हम स्थापित क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पहले से अधिक उत्पादन से और हम यह भी चाहते है कि अधिक क्षमता को नियमित किया जाये, दूसरी ओर जहां छोटे पैमाने के क्षेत्र और बड़े पैमाने के क्षेत्र के बीच हितों का टकराव होता है वहाँ हम यह चाहेंगे कि छोटे पैमाने के क्षेत्र की रक्षा की जायें, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और आश्वासन दिया जाये कि कोई आर्थिक अपराध जो किसी छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रभावित करता है इसे एक गम्भीर आर्थिक अपराध समझा जाना चाहिये और उसके लिए किसी भी तरह परिसीमन की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है की इस स्पष्टीकरण के माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने ऐसे उदाहरण दिये हैं जहां अमुक कम्पनियां अपनी सीमा से बढ़ गई हैं और कहा है कि हमें उन्हें रोकना चाहिये किन्तु 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें रोकने वाली बात निरर्थक है...

यदि एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है तो उन्हें निरापद कैसे छोड़ा जाना चाहिए ? मैं समझ नहीं पाया कि श्री डागा जी क्यों नहीं चाहते कि उनके सिर पर तलवार लटकी रहे। मैं तो चाहता हूं कि यह उन पर न लटकी रहे अपितु उन पर वार भी करे मेरे मित्र श्री राय ने पुनम प्रसाद बृज मोहन्ती के विषय में बात कही थी। मैं ऐसे नाम के साथ अपने दल को जरा भी जोड़ना नहीं चाहता हूं मेरे मित्र ने 2 वर्ष पूर्व हुए अपराधों के बारे में कहा माननीय सदस्य ने यही समय दिया है। यदि उन्होंने औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लघन किया है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। उनके साथ नरमी का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्थिक अपराधी को सुधारते के लिए सख्ती से पेश आया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को यह याद नहीं दिलाना चाहता कि उन्होंने उन सरकारों के साथ गलत सहयोग किया जिन्होंने कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के मामले में ऐसे विनियमनकारी उपायों को बढ़ावा दिया था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुमार धुबी इजीनियरिंग वर्क्स पिछले कई वर्षों से हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा इतिहास देखें यदि आप मेरे कक्ष में आएं तो मैं आपको सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। मैं आज कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स फर्म के विषय में प्रश्न के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर रहा था। हमने यह बात राज्य सरकार पर छोड़ दी है कि क्या वह इसका अधिग्रहण कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे आशा है कि मेरे मित्र इसकी प्रशंसा करेंगे। हमने नीति के तौर पर यह काम करने का निर्णय किया है। मुख्यतया रुग्ण इकाइयों के विषय में बात की गई थी। हमने देखा कि 1 अक्तूबर, 1981 को इन 53 औद्योगिक एककों, जिनका औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया था, के सबंध में अधिग्रहण अवधि इतनी लम्बी थी कि हमने निर्णय किया कि इसे और अधिक बढ़ाया जाए। मेरे माननीय मित्र ने

[श्री चरणजीत चानना]

राष्ट्रीय रबड़ के बारे में कहा था। अन्य माननीय मित्रों ने 'इनचेक', बंगाल पॉटरीज आदि के बारे में कहा था। सर्वप्रथम, हमें उद्योगों की रुग्णता का इलाज करने से संबंधी नीति के संबंध में निर्णय लेना है। मैं एक और विशेष बात का उल्लेख करना चाहता हूं। हमने सबसे पहला काम यह किया है कि 1 अक्तूबर, 1981 तक अधिगृहीत एककों के भविष्य बारे में हमें 6 महीने के अन्दर-अन्दर निर्णय कर लेना चाहिए। श्री चटर्जी ने इसका उल्लेख किया था। एककों को निजी क्षेत्र या उसी व्यक्ति को वापस देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। एक बार एकक का अधिग्रहण करने के बाद उसके लिए अनेक विकल्प हैं। इसका औद्योगिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकता है; किसी अन्य स्वस्थ एकक द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि वह उनके अपने परिवार में भी हो तो भी हम चाहेंगे कि वे उसका अधिग्रहण कर ले और आयकर अधिनियम की धारा 72 का लाभ उठाएं। यह एक बात हुई। दूसरी बात एककों का राष्ट्रीयकरण करने की है। तीसरी बात या संख्या दो का भाग (क) यह है : हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इसका अधिग्रहण कर ले...

डा० फारूक अब्दुल्ला : (श्री नगर) : क्या आपके कहने का मतलब यह है कि यह उन सभी एककों पर भी लागू होगा जो 1 अक्तूबर, 1981 से पहले मौजूद थीं ?

श्री चरणजीत चानना : मेरे विचार में माननीय सदस्य मेरी बात को समझेंगे : मेरा अभिप्राय उन एककों से है जिनका 1 अक्तूबर, 1981 से पहले और उसके बाद अधिग्रहण किया गया है। जब हम किसी एकक का अधिग्रहण करते हैं तो उसे 13 साल तक लटकाए रखने और उस पर अत्यधिक दायित्व लादने आदि की बजाय हमें 6 महीने के अन्दर अन्दर अवश्य उसके बारे में निर्णय कर लेना चाहिए। हम वैसा नहीं करना चाहते हैं।

और अन्तिम बात अधिसूचना को वापस लेना है। इसका अर्थ होगा एकक का परिसमापन हम सरकारी क्षेत्र के अधिकार में बहुत ज्यादा संख्या में रुग्ण मिलों को रखने के पक्ष में नहीं हैं। उनका प्रबंध इसलिए उसे अपने हाथ में लेना पड़ता है क्योंकि आर्थिक अपराधी भाग निकलते हैं। मैं अपराधियों का जरा भी समर्थन करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी माननीय मित्र इस बात को समझें। सरकार को श्रमिकों के हितों, श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों का रोजगार, मजदूरी का बकाया आदि के कारण किसी एकक का अधिग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ता है। कई मामलों में हमें अलाभकारी एककों का भी अधिग्रहण करना पड़ता है। मैं उन एककों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था। उन एककों, जिनका आपने उल्लेख किया था, के विषय में निर्णय किया जाएगा और मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सीमा में निर्णय करने की प्रक्रिया में हमने रुग्ण एककों के विषय में निर्णय कर लिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैंने जो कहा था, मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स के टेक ओवर के बारे में, उसके बारे में बताइए।

श्री चरणजीत चानना : उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं सिक मिल्स इन जनरल की जो बात कही वह मैं ले रहा हूं और उसका भी वही होगा, सब का वही होगा। जो टेकन ओवर नहीं है उसको भी मैं बता दूंगा।

मुझ प्रसन्नता है कि आपने इस बात को महत्व दिया। सरकार पहले से इसको अत्यधिक महत्व दे रही है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें ये हैं :

(1) अपने नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता के सम्बन्ध में निवारक तथा उपचारात्मक कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मन्त्रालय का होगा। रुग्ण एककों की रुग्णता पर नजर रखने और उनके बचाव तथा पुनर्स्थापना के लिए समन्वित कार्यवाही करने की उनकी केन्द्रीय भूमिका होगी। बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के उचित मामलों में, जहां रुग्णता अत्यधिक हो वहां वे स्थायी समितियां बनाएंगे।

माननीय सदस्य नियमित संकेत प्रणाली यानि उस चेतावनी संकेत प्रणाली से अवगत होंगे, जिनके द्वारा बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों विकास संस्थान से निरन्तर संकेत मिलने की अपेक्षा की जाती है। अतः हम औद्योगिक एककों के विकास पर निरन्तर नजर रखना चाहते हैं।

(2) उन एककों के मामले में जिनमें रुग्णता के लक्षण नजर आ रहे हों, वित्तीय संस्थान निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे ताकि प्रारम्भिक रुग्णता को दूर करने के लिए समय पर सटीक कार्यवाही करना सम्भव हो सके। वे अपनी सहायक एककों तथा ऐसे एककों के बोर्डों में उनके द्वारा नाम-निर्देशित निदेशकों से आवधिक विवरण प्राप्त करेंगे।

मैं चाहूंगा माननीय सदस्य एक बात समझ लें कि यदि ऐसा दो वर्ष पूर्व किया गया होता, तो ये सभी प्रकार की बातें आज पैदा नहीं होतीं। सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए जरा सी भी छूट नहीं है। अधिनियम सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्र दोनों पर लागू होता है।

(3) वित्तीय संस्थान तथा बैंक उनके द्वारा किए गए वैधानिक अध्ययन के आधार पर रुग्ण या प्रारम्भिक रुग्णता के लक्षणों वाले एककों के लिए आवश्यक

[श्री चरणजीत चानना]

उचित कार्यवाही करने में पहल करेंगे। बढ़ती हुई रुग्णता के मामलों में, वित्तीय संस्थान उन एककों के प्रबन्ध दायित्व को भी ग्रहण करेंगें, जहां उन्हें विश्वास हो कि एकक स्वस्थ स्थिति में आ जाएगा।

(4) जहां बैंक और वित्तीय संस्थान रुग्णता को रोकने अथवा किसी रुग्ण इकाई को फिर से चलाने में असमर्थ हों वहां वे सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार ही उस इकाई से अपनी बकाया राशि वसूल करेंगे। फिर भी, ऐसा करने से पूर्व वे मामले की सूचना केन्द्रीय सरकार को देंगे जो यह निर्णय करेगी कि क्या इकाई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए अथवा क्या कोई विकल्प उपक्रम को फिर से चालू करने का है जिसमें प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना भी सम्मिलित है।

अब ऐसे मामले हैं जिनमें वास्तव में हमने ऐसा करने का प्रयास किया है। डालमियां दादरी सीमेंट फैक्टरी के मामले में, हमने श्रमिकों को आमन्त्रित किया था कि वे श्रमिक प्रबन्ध इकाई के रूप में एक प्रशासनिक इकाई की स्थापना करें। परन्तु दुर्भाग्य से उस तरह की कोई इकाई नहीं बन सकी और हमें उसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। अब प्रबन्धक उपक्रम को फिर से चालू कर सकते हैं।

(5) जहां किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया जाता है वहां इसका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन छह मास तक के लिए अपने हाथ में लिया जा सकता है जिससे कि सरकार राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

(6) इस समय उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन जिस औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध चलाया जा रहा है। उस पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। इस बात का निर्णय लिया जायेगा कि क्या उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जाए अथवा कोई अन्य विकल्प समस्या का हल हो सकता है। यदि कोई भी विकल्प संभव नहीं समझा जाता तो सरकार इकाई के डी-नोटिफिकेशन पर विचार कर सकती है और उस अवस्था में बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी बकाया राशि उपक्रमों से वसूल करेंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा आम मुद्दा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के बारे में उठाया जो उनके विचार से 30 वर्ष पुराना है और उसमें फिर से प्राण फूंकने की

आवश्यकता है ठीक है, मैं भी माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं और मैं इस सदन में पहले ही कह चुका हूं कि सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जिनमें फिर से प्राण फूंकने की आवश्यकता है, जहां कहीं कोई खाई है या कानून के उपबन्धों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और यदि इस प्रकार इसकी आवश्यकता है तो हम उद्योग(विकास और विनियम) अधिनियम में जो संशोधन करना आवश्यक हुआ। हम लाएंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। मुझे आशा है कि जिन कम्पनियों का मैंने उल्लेख किया है वे आपके डि-नोटिफेक्शन एक्ट के अधीन नहीं आती हैं और मुझे यह भी आशा है कि आप उनके डी-नोटिफेक्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय इन कम्पनियों के तत्काल राष्ट्रीयकरण पर आप सक्रियता से विचार करेंगे।

श्री चरणजीत चानना : मैंने प्राथमिकता क्रम के बारे में बता दिया है। यह अन्तिम उपाय है।

सभापति महोदय : यह अन्तिम उपाय है। यह तो वह पहले ही कह चुके हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक में तो 5000 श्रमिक हैं और दूसरे में 3000 श्रमिक हैं। वह करना उनका काम है।

श्री चरणजीत चानना : हमारी प्राथमिकता अधिसूची में वह भी है। अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के मामलों का उल्लेख करूंगा और मेरे विचार से मैं उनके मुद्दों का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। श्री राय यह मानेंगे कि उनके मामले उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन नहीं आते। वह सदाचार-संहिता और कुछ इसी प्रकार की बातें कह रहे थे। मुझे सदैव ही इस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी यदि वे कोई सदाचार-संहिता बना सकें। उदाहरण-स्वरूप श्री चटर्जी की प्रतिक्रिया न्यायिक प्रणालियों के बारे में थी। वह स्वयं भी अनुशासन से सम्बद्ध व्यक्ति हैं और हम इसकी सराहना करते हैं और माननीय सदस्य के, सदन के जो सहयोगी उस अनुशासन से सम्बद्ध नहीं हैं वे भी विधि विशेषज्ञों या जो व्यक्ति उस अनुशासन में पेशेवर है से, यह देखने के लिए कि आया वे पेशेवर अपराधी तो नहीं है, एक सदाचार संहिता तैयार करने के मेरे द्वारा स्वागत किए जाने की बात से सहमत होंगे। उस प्रकार की एक राष्ट्रीय सदाचार-सहिता तैयार की जा सकती है। देश निश्चय ही उसका स्वागत करेगा। माननीय सदस्य श्री पलानी अप्पन कर चोरी की बात कर रहे थे। उन्होंने एक विशेष मामले का उल्लेख किया था वह तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के मामले को प्रकाश में लाए। चूंकि यह उद्योग मन्त्रालय से सम्बद्ध नहीं है, मेरा उनसे केवल इतना ही कहना है कि वह उसे सही मन्त्रालय के पास भेजें।

[श्री चरणजीत चानना]

मैंने श्री व्यास को बता दिया है कि हम एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सरकार ने मेवाड़ टेक्सटाइल मिल को टेक ओवर किया था। उसके बाद दो तीन साल तक उसने अपने पास रखने के बाद उसने उसको वापस कर दिया। आज उसकी कंडीशन यह है कि वे तीस लाख रुपया प्राविडेंट फंड का खा गये हैं, तीन चार लाख रुपया ई० एस० आई० का खा गए हैं और करोड़ों रुपये बैंकों के बकाया हैं। वह मिल पूरी तरह सिक हो गई है, लेकिन सरकार कोई एकशन नहीं ले रही है। तीन चार हज़ार लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए।

माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। जन-निधि के दुरुपयोग के विरुद्ध पहले ही एक विधि हमारे पास है। और उस विधि के साथ ही कम्पनी-विधि है। विधि के उल्लंघन से निपटने के लिए कम्पनी-विधि में उपयुक्त उपबन्ध हैं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, वास्तव में, चूंकि यह टेक्सटाइल की देख-रेख करने वाले वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बद्ध हैं, मैंने आपके मामले को उनके पास भेज दिया है और मैं सुझाव दूंगा कि आप एक प्रश्न अलग से वाणिज्य मन्त्रालय को भी प्रेषित करें और वे आपको इसका उत्तर दे सकेंगे। मैंने तो सिद्धान्त रूप में आपको केवल यह बताया है कि हम किन कम्पनियों के अधिग्रहण पर विचार करेंगे। किसी भी अधिगृहीत कम्पनी को अपने भाग्य का पता छह मास की अवधि में ही लग जायेगा, इसमें दो या तीन वर्ष का समय बिलकुल नहीं लगेगा।

मैं समझता हूं कि मैंने अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है।

श्री ए० के० राय : मान लो कि किसी कम्पनी का अधिग्रहण किया जाता है। आप इस बात पर विचार करते हैं कि इसको कैसे डी नोटीफाई किया जाये या इसका कैसे राष्ट्रीयकरण किया जाये। परन्तु जिस कम्पनी के अधिग्रहण का आश्वासन दिया गया है यह इस प्रकार नहीं रह सकती है।

श्री चरण जीत चानना : जहां तक अधिग्रहण का सम्बन्ध है, अधिग्रहण का आश्वासन देने की कोई बात नहीं है। चाहे कोई कम्पनी अधिगृहीत कर ली गई हो या उसका अधिग्रहण विचाराधीन हो। यदि अधिग्रहण से आपका तात्पर्य राष्ट्रीयकरण से है तो वह अलग बात है।

श्री ए० के० राय : मैं ऐसे दर्जनों उत्तर उद्धृत कर सकता हूं जिनमें यह कहा गया है कि आप अधिग्रहण पर विचार कर रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : कृपया अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण के बीच अन्तर को समझें। क्या अधिगहण को आप राष्ट्रीयकरण समझते हैं ?

श्री ए० के० राय : भारतीय सुरक्षा विनियम की धारा 15क के अधीन आपने अधिग्रहण की सम्भावना के बारे में जांच-पड़ताल की थी। यह कोई एक वर्ष पहले की बात है। जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। आप स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। आप अभी यह कहते हैं कि यह विचाराधीन है। श्रमिक आशान्वित होकर टूट रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : आप किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : कुमारधुबी इंजिनियरिंग वर्क्स, धनबाद।

सभापति महोदय : आप शीघ्र इस मामले पर विचार करें और उनको उत्तर भेजें।

श्री चरणजीत चानना : मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं। माननीय सदस्य इस मामले का इतिहास जानते हैं। वास्तव में, हमने इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया था।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके और सरकार के अनुसार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 24 के अधीन अपराध, आर्थिक अपराध माने जायेंगे। मेरे और अन्य सहयोगियों द्वारा पूछे गये इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अभी तक आपने कोई उत्तर नहीं दिया है।

इसके अतिरिक्त मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इस विधान को इसलिए लाये हैं कि आपके समक्ष ऐसे दृष्टान्त हैं कि कुछ मुकदमे इसलिए दायर न किए जा सके कि वे परिसीमन विधि के अन्तर्गत नहीं आते थे। यदि यही बात है तो अपराधी कौन हैं; क्या वे बहुत बड़े लोग थे।

श्री चरणजीत चानना : यदि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम एक आर्थिक अधिनियम है तो उस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन, आर्थिक अपराध होगा। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम एक आर्थिक अधिनियम है और इसलिए इस विधि का किसी प्रकार का उल्लंघन आर्थिक अपराध होगा।

जहां तक मामले की संख्या का सम्बन्ध है, मेरे पास सूची नहीं है। फिर भी यदि आपको कुछ दृष्टान्त चाहिये तो मैं दे सकता हूं। इन्हें इसी सदन में हमारे मित्रों ने हमारे ध्यान में लाया

[श्री चरणजीत चानना]

था। उदाहरण के तौर पर, आप कोलगेट पालमोलिव का टूथ-पेस्ट के अधिक उत्पादन का मामला जानते हैं। यह एक ऐसी मद है जो लघु-उद्योग के लिए आरक्षित है। यह मामला हमारे ध्यान में लाया गया था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक अपराध, (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड-2

सभापति महोदय : इस खण्ड में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री चरणजीत चानना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकार (संशोधन) विधेयक

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : सभापति महोदय, सदस्यों को पता होगा कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी कारखानों में लगे व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले कार्यों के वित्त-पोषण के लिए एक निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जायेगा :

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई में सुधार रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था ;

(ख) जल-पूर्ति की व्यवस्था तथा उसमें सुधार तथा कपड़े धोने की सुविधाओं की व्यवस्था;

(ग) शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार;

(घ) आवास तथा मनो-विनोद सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार आदि।

कल्याण निधि की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार बीड़ी तथा कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम के अधीन लगाये गए उपकर से प्राप्त आय में से एक राशि इस निधि में जमा कर सकेगी।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम, 1976 में बीड़ियों के विनिर्माण के लिए भाण्डागारों से जारी किए गए तम्बाकू पर बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है।

1979 में तम्बाकू की उत्पादन-शुल्क से छूट देने के निर्णय के परिणाम-स्वरूप उत्पादन-शुल्क के संग्रहण के लिए भण्डारण व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसलिए तम्बाकू पर उपकर नहीं लगाया जा सका। इसलिए इस निधि के लिए वित्त का कोई और स्रोत ढूंढना आवश्यक हो गया। इसलिए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि कल्याण निधि के लिए तम्बाकू की बजाय बीड़ियों पर उपकर लगाने और वसूल करने की व्यवस्था की जा सके। मुख्यतः इसी उद्देश्य से बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक लाया गया है।

विधेयक में एक हजार बीड़ियों पर कम से कम 10 पैसे तथा अधिक से अधिक 50 पैसे उपकर लगाने तथा वसूल करने की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि लगभग 30 लाख बीड़ी कर्मकार ऐसे हैं जिनके कार्य तथा जीवन की दशा सन्तोषजनक नहीं है। बीड़ी उद्योग की स्थिति ऐसी है कि कर्मकारों के

[श्री पी० वेंकट रेड्डी]

कल्याण का काम पूर्णतः प्रबन्धकों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः सरकार के लिए उनके कल्याण के लिए उपाय करना आवश्यक है।

1979 में तम्बाकू पर उपकर की वसूली समाप्त किए जाने से पूर्व सरकार ने कुछ धन एकत्र किया था जिससे कुछ कल्याण कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं जिन्हें जारी रखना आवश्यक है। निधि में बची हुई राशि इन उपायों को लम्बे समय तक जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यद्यपि विधेयक में व्यवस्था है कि बीड़ियों पर प्रति हजार 50 पैसे तक उपकर लगाया जा सकता है, शुरू में केवल 10 पैसे प्रति हजार उपकर लगाने का प्रस्ताव है। इस दर पर उपकर लगाने से 2.5 से 3 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र होने की सम्भावना है। यदि आवश्यक हुआ तो उपकर की दर बढ़ा दी जायेगी।

सरकार का सदा यह इरादा रहा है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अधीन उपकर की उगाही तथा वसूली केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाये। तदनुसार बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत बनाये गए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1977 में व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की उगाही तथा वसूली पर लागू होंगे। तथापि राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने, जिसने बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर नियमों का अध्ययन किया, यह टिप्पणी की कि चूंकि अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम के अधीन उपकर की वसूली के मामले में होंगे, इस सम्बन्ध में बनाये गए नियम मूल अधिनियम के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि इस अधिनियम में संशोधन करके इसमें यह उपबन्ध किया जाये कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम के उपबन्ध बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की उगाही पर लागू होंगे। तदनुसार इस आशय की एक नयी धारा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है।

इन शब्दों के साथ मैं, प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री ई० बालानन्दन

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : जैसा कि मन्त्री महोदय ने सभा में स्पष्ट किया है, इस रूप में इस संशोधन विधेयक को लाए जाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। परन्तु सरकार का इरादा बीड़ी कर्मकारों को दी जाने वाली कल्याण सुविधाओं में वृद्धि करने का है बहुत से अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें बीड़ी कर्मकारों पर लागू करके उनका कल्याण किया जा सकता है।

जैसा कि स्वयं मन्त्री महोदय ने बताया, देश में लगभग 30 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। यदि हम बीड़ी कर्मकारों के रहन-सहन पर सरसरी दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि उनकी दशा अत्यन्त दर्शनीय है स्वतन्त्रता के 34 वर्ष बाद भी देश के कई भागों में ये 30 लाख कर्मकार अमानवीय दशा में जीवन-यापन कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं। नियोक्ता किसी प्रकार के बिचौलिए रखते हैं। वे कर्मकारों को सीधे समान देते है। जब भी कर्मकारों से कोई वेतनों के सुधार की मांग आती है तब ये लोग कहते हैं कि हम इन लोगों की नियुक्ति नहीं करते, इनकी नियुक्ति बिचौलिए-ठेकेदार करते हैं।

देश के अधिकांश भागों में बीड़ी उद्योग का प्रबन्ध इसी तरह चल रहा है। मध्य प्रदेश तथा भारत के मध्य भागों में यही प्रणाली प्रचलित है।

30 लाख बीड़ी कर्मकारों में से एक बहुत बड़ी संख्या औरतों की है। वे घर पर काम करती हैं। ये बचौलिए कर्मकारों को ठगते हैं। वे कर्मकारों को कोई अदायगी, करें, अथवा न करें। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकारों ने बहुत से न्यूनतम मजदूरी कानून बनाए हैं परन्तु उन्हें लागू नहीं किया गया है। अतः मेरा इस सरकार से निवेदन है "यदि आप बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए उत्सुक हैं, तो एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि इस कार्य को राज्य सरकारों पर छोड़ा जाता है तो कुछ सरकारें कार्यवाही करेंगी तथा कुछ नहीं करेंगी। यदि सरकार इन 30 लाख बीड़ी कर्मकारों के मामले को गम्भीरता से लेती हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति लागू की जाये।

बीड़ी-सिगार अधिनियम के संबध में एक बात और है। एक इसे भी कुछ राज्यों ने लागू किया है। बहुत से अन्य राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है। अतः बात यह नहीं है कि कानूनों के अभाव के कारण कर्मकार हानि उठा रहे हैं। बात यह है कि विद्यमान कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है।

[श्री ई० बालानन्दन]

इसी विधेयक में एक संशोधन में कहा गया है कि इस समय प्रवृत्त एक ओर उदग्रहण को जारी रखना होगा। यह कानूनी स्थिति है, यह मैं जानता हूं। परन्तु उसके साथ ही इस समय लागू उत्पादन शुल्क से प्राप्त अनुभवों पर विचार करना होगा। तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के पश्चात सरकार ने विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद-शुल्क की प्रणाली शुरू की तथा भारत सरकार ने ऐसे बीड़ी निर्माताओं को छूट दी जो तीस लाख से कम बीड़ियां हर साल बनाते हैं तथा जो बीड़ियों पर लेबल नहीं लगाते हैं। ऊपर से देखने पर कोई भी इन विधेयक के उपबन्धों में कोई दोष नहीं पायेगा। हमारा अनुभव बताता है कि देश में दोष रहित कानून बनाये जाते हैं, परन्तु बहुत से लोग उनकी कमियों का लाभ उठाकर करों से बचते हैं और सरकार को धोखा देते हैं। कोई भी नियोक्ता सरकार को यह नहीं बताएगा कि वह प्रति वर्ष 30 लाख से अधिक बीड़ियां बनाता है। अतः उसे कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये लोग एक और चाल चलते हैं। वे अपनी बीड़ियों पर किसी ओर के लेबल लगाकर कर बचाते हैं। इसलिए भारत सरकार का तम्बाकू के बजाय बीड़ियों पर उत्पादनशुल्क लगाने का निर्णय सफल नहीं रहा। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा, इसे धोखा दिया जा रहा है और इस प्रकार बहुत सी राशि सरकार को नहीं मिलती है।

केरल में दिनेश बीड़ी उद्योग सहकारिता द्वारा एक विचित्र बीड़ी उद्योग चलाया जा रहा है। नियोक्ता सदा यह कहते हैं कि उनका बड़ा उद्योग नहीं है। परन्तु जब आप उनके कार्यों पर दृष्टि डालें तो आप पायेंगे कि वे दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। दूसरी ओर आप गरीब कर्मकारों की दीन-हीन दशा को देखें जो दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है 1975 से पूर्व केरल के दो बड़े बीड़ी निर्माता अपना व्यवसाय बद करके केरल छोड़कर चले गये, क्योंकि कर्मकार अधिक वेतन की मांग कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये बीड़ी कर्मकार स्वतः ही मर जायेंगे। उस हालत में केरल सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आई तथा श्रमिक संगठन के सहयोग से एक औद्योगिक सरकारी संस्था की स्थापना की जो अब दिनेश बीड़ी निर्माता सोसाईटी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। श्रमिक संगठनों में सभी राजनीतिक दल हैं। अतः कोई भी राजनीतिक दल यह दावा नही कर सकता कि यह सोसायटी उनकी अपनी है। इस समय कन्नानोर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में 22,000 कार्मिक नियुक्त किये गये हैं। केवल यही एक औद्योगिक सहकारी संस्था है जो प्रति हजार बीड़ियों के लिए 9.50 रुपए देती है। कानून के अनुसार अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। भविष्य निधि की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी भी उस उद्योग में लाभ हो रहा है। उसमें कुछ असुविधा भी है क्योंकि उन्हें 3.75 रुपया उत्पादन शुल्क के रूप में देना होता है जबकि अन्य बीड़ी निर्माताओं को कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि वे अपने उत्पादन को 30 लाख बीड़ियों से कम दिखा देते हैं और उन पर लेबल भी नहीं होते हैं। दिनेश बीड़ी को बाजार में अन्य बीड़ी निर्माताओं के साथ मुकाबला करना होता है जो कोई उत्पादन शुल्क नहीं देते। बाजार में 3.75 रुपए के इस अन्तर के साथ जाकर मुकाबला करना किस प्रकार संभव हो सकता है। मैं जानता

हूं कि हां या न कहना आपका विशेषाधिकार नहीं है। इस संबंध में मैं वित्त मन्त्री महोदय को दो बार मिला था। उन्होंने कहा "मैं इस पर विचार करूंगा। "शब्द विचार करूंगा" हमारी मृत्यु तक लागू रह सकते हैं।

यदि आप बीड़ी कर्मकारों की रक्षा करने के बारे में गम्भीर हैं, तो मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से एक समान पद्धति बनाने हेतु वित्त मन्त्री तथा सरकार पर दबाव डालने की प्रार्थना करता हूं। आप अन्य राज्यों से मजदूर संघों के सहयोग से इस प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियां बनाने के लिए कर सकते हैं। बिचौलिए बीड़ी कर्मकारों की मजूरी को लूट रहे हैं। और बीड़ी कर्मकार बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। 22,000 कर्मकारों की नियोजक दिनेश बीड़ी सोसायटी ने 1975 से 1980 तक उत्पादन शुल्क के रूप 5.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 30 लाख कर्मकारों के लिए आप हिसाब लगा सकते हैं कि सरकार को कितनी राशि मिलनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि वे सभी धोखा दे रहे हैं। इस अनुभव को दृष्टि में रखते हुए क्या आप कृपा करके इस भेदभाव चरने वाली पद्धति पर पुनः विचार करेंगे जो सरकार को धोखा देने तथा इस उद्योग को समाप्त करने हेतु, नियोजकों को एक बचाव का रास्ता देती है। कुछ ईमानदार नियोजकता भी हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे सभी ऐसा कर रहे हैं। कारोबार करने वाले कुछ ईमानदार उद्योगपति भी इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया।

श्री ई० बालानन्दन : उन्होंने 1975 से 1980 तक उत्पादन शुल्क के रूप में 5 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया है। अतः मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं ... उससे प्रार्थना अनुरोध कर रहा हूं ... कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करें कि क्या इस मामले में किसी प्रकार की एक समानता लायी जा सकती है ताकि इसमें कदाचार न हों।

दूसरी बात, मन्त्री महोदय ने कल्याण कोष के बारें में बताई है। शुरू में हमारे पास तम्बाकू पर शुल्क लगाकर धन प्राप्त करने की योजना थी। कुछ धन सरकार के पास था। उन्होंने अब कुछ कल्याण संबंधी उपाय शुरू किए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं उन्होंने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में इस कल्याण योजना के अन्तर्गत एक दवाखाना खोला है। किन्तु कर्मकार लाभ उठाने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि वहां एक डाक्टर है जो बंगाली नहीं जानते हैं। वे उसके साथ बात कैसे कर सकते हैं? कथाकली की तरह उन्हें केवल संकेतों के द्वारा अपने विचारों को डाक्टर तक पहुंचाना होता है। इसके अतिरिक्त दवाखाने में दवाईयां भी नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दवाइयों की कमी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई दवाखाना नहीं होना चाहिए। दवाखाना तो होना चाहिए किन्तु वहां सभी सामान की व्यवस्था करनी होगी। इस

[श्री ई० बालानन्दन]

बात पर सरकार को विचार करना होगा। अन्यथा, सरकार द्वारा प्रस्तावित इन सभी कल्याण सम्बन्धी उपायों का लाभ कर्मकारों को उपलब्ध नहीं होगा। अतः, जब भी कल्याण सम्बन्धी कार्य के लिए कुछ धन उपलब्ध हो तो भारत सरकार केवल इस बात को सोच सकती है कि सभी मजदूर संगठनों की किसी प्रकार की राज्यवार सहकारी समितियां बनाई जायें। मेरे विचार में इसमें आपके दल, हमारें दल का प्रश्न नहीं आना चाहिए।

अब मेरे द्वारा दिए गए दूसरे उदाहरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। नियोजक कहते हैं कि कर्मकार कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं, वे किसी कारोबार को करने के लिए समर्थ नहीं हैं और कर्मकार गैर जिम्मेदार होते हैं, आदि आदि। अब इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। मैंने तो आपको दिनेश बीड़ी का यह उदाहरण दिया है और वहां कर्मकार कारोबार करने में भी बहुत ही कार्यकुशल सिद्ध हुए। अतः कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करते समय उनमें कर्मकारों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कर्मकारों की भागीदारी के बारे में भूल जाइये। असली बात पर आइये।

श्री ई० बालानन्दन : मैं असली बात पर आ रहा हूं। सरकार द्वारा प्रस्तावित कल्याण संबंधी उपायों को कर्मकारों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। केवल तभी ये प्रभावी होंगे। मैं एक या दो समस्याओं पर विचार करने का सरकार से अनुरोध करता हूं। जिनका बीड़ी उद्योग सामना कर रहा है। बीड़ी उद्योग को अवश्य ही बीड़ी के पत्ते मिलने चाहिए। बीड़ी के पत्ते मध्य प्रदेश अथवा कहीं और से आते हैं और इन बीड़ी पत्तों की कीमत बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि यदि कभी ये बीड़ी के पत्ते मिलते भी हैं तो हमें ये रेलगाड़ी के द्वारा ही मिलते हैं। और रेलगाड़ियों के समय पर आने जाने के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। माल डिब्बों की कमी की समस्या भी है।

सभापति महोदय : आपको कितने माल डिब्बे चाहिए? मैं प्रबन्ध कर दूंगा।

श्री ई० बालानन्दन : लगभग 1,200 माल डिब्बे प्रति महीना।

सभापति महोदय : आप मुझे लिखिए। मैं इनका प्रबन्ध कर दूंगा।

श्री ई० बालानन्दन : धन्यवाद। मैं आपका कृतज्ञ हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि बीड़ी कर्मकारों के हित के लिए सरकार को राष्ट्रीय वेतन के रूप में सोचना चाहिए और मजदूरों का शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त करना चाहिए और इस उद्योग में कार्य करने वाले कर्मकारों को उचित मजूरी दी जानी चाहिए।

कर्मकार-कार्ड अथवा किसी इसी प्रकार की बात को लागू किया जाना चाहिए। जब तक केन्द्रीय सरकार किसी कानून को पेश नहीं करती है तब तक इस संबध में कुछ नहीं किया जा सकता है। सभी को चाहिए कि वे कर्मकारों के बारें में जानें। आजकल यदि मैं यह कहूं कि मैं एक बीड़ी मजदूर हूं, तो कोई मुझे यह कहने के लिए विवश करेगा, "आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए" इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री जी० नर सिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस संशोधन विधेयक को पेश करने का कारण स्पष्ट रूप से बताया है, अर्थात जनता सरकार के शासन के दौरान पास किए गये 1979 के वित्त अधिनियम के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जिसमें बीड़ी कल्याण उपकर वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता सरकार ने गोदाम में रखने की पद्धति को समाप्त कर दिया था और निर्मित बीड़ियों पर ही उत्पादन शुल्क लगाना आरम्भ किया था। 1979 के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत ब्रांडनाम की बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था। बिना ब्रांड नाम की बीड़ियों को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया था। अब आप बिना ब्रांडनाम के बीड़ी-निर्माताओं से इसे कैसे वसूल करेंगे? यदि आप उनसे इसे वसूल नहीं करते हैं, तो कृपया आप इस बारे में स्पष्ट रूप से हमें बताइये। यदि आप इसे उनसे वसूल करना चाहते हैं, तो यह संशोधन पर्याप्त नहीं होगा। आप को एक अन्य खण्ड लाना होगा जिससे आपको बिना ब्रांड नाम की बीड़ियों पर भी उपकर वसूल कर सकेंगे।

पिछले वक्ता ने उन समस्याओं का उल्लेख किया जिनका अपने देश में बीड़ी कर्मकारों को सामना करना पड़ रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी ओर श्रम मन्त्रालय द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अब बिना ब्रान्ड नाम की बीड़ियों के निर्माताओं को न केवल उत्पादन शुल्क को न देने का लाभ मिल जायेगा, प्रत्युत उन्हें हम उपकर को न देने का भी लाभ मिल जायेगा। बिना ब्रांड नाम की बीड़ियों का उत्पादन करने वाले कर्मकारों के हितों की ओर किसी का ध्यान नहीं हैं। ब्रांड नाम की बीड़ियों का उत्पादन करने वाले कर्मकारों की तुलना में बिना ब्रांड नाम के कर्मकारों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अतः, बिना ब्रांड नाम की बीड़ियों का उत्पादन करने वाले कर्मकारों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय को अवश्य ही वित्त मन्त्रालय को बिना ब्रांड नाम की बीड़ियों के सम्बन्ध में इस खण्ड को पूरी तरह से हटा देने के लिए परामर्श देना चाहिए। इस प्रकार सभी बीड़ी निर्माता श्रमिकों को वही मंजूरी मिलेगी जो उस राज्य के विशेष नगर या शहर

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

में निर्धारित की जायेगी केवल यही बात नहीं। इससे आप निर्मित की जा रही समस्त बीड़ीयों पर उपकर वसूल कर सकेंगे।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि मार्च, 1979 से उपकर की वसूली बन्द कर दी गयी है। अतः इसकी वसूली न करने से पर्याप्त हानि हुई है। क्या आप इस बीच की अवधि के लिए तदर्थ वसूली के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप 40 या 50 पैसे का तदर्थ उपकर लगा करके इस हानि को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यदि आप यह प्रस्ताव लाते हैं, तो सम्भवतः जो उपकर वसूल किया जाना था और जो आपने वसूल नहीं किया है, उसे वसूल किया जायेगा। उससे कल्यांण कोष में अधिक धन जमा हो जायेगा।

आप इस निधि का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या बैंक में पड़ी निधि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है? मुझे डर है कि यह अभी भी वहीं पड़ी है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? जब तक मन्त्रालय समस्त निधि का, जो मजदूरों के कल्याण के लिए वसूल की जाती है, उपयोग करने हेतु योजनायें या कार्यक्रम नहीं बनायेगा तब तक हम विधेयक का सारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पायेगा। सभी इस बात को जानते हैं कि इस उद्योग में कारखाना अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि श्रमिक तम्बाकू और बीड़ी के पत्ते ले जाते है और घर पर बीड़ी का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर, निर्माता यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वे उन्हें केवल ठेका दे रहें हैं, क्योंकि उनके पास उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और इसलिए कारखाना अधिनियम वहां लागू नहीं किया जा सकता। श्रमिक आमतौर से एक कमरे वाले घरों में रहते है। वे घर के एक कोने में बैठकर बीड़ी बनाते हैं। वैसा करना अस्वास्थ्यकर है। वे परिवार के अन्य सदस्यों के काम में बाधा डालते हैं। चूंकि यह निधि उनके कल्याण के लिए वसूल की जा रही है, इसलिए क्या आप उनके लिए बड़े नगरों में क्लबों का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। जहां कहीं भी हजारों श्रमिक हों, वहाँ बड़े हालों का निर्माण कीजिये तथा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सभी सुविधाओं की व्यवस्था कीजिये। श्रमिक निर्माताओं से तम्बाकू और बीड़ी के पत्ते ले सकते हैं। क्लब में आकर बीड़ी का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने स्वास्थ्य को भी बनाये रख सकते हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों को काम में भी बाधा नहीं डालेंगे। मैं महसूस करता हूं कि यह मेरा एक ठोस सुझाव है जिस पर मन्त्रालय विचार करेगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, इस हाउस में आज हम एक ऐसे बिल पर विचार कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के कम से कम ढाई करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। 37 लाख तो माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि बीड़ी कर्मचारी 37 लाख हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 37 लाख नहीं बल्कि इनकी संख्या एक करोड़ है जो कर्मचारी बीड़ी बनाने के धंधे में लगे हुए हैं और कई करोड़ लोग उन पर आश्रित हैं। मंत्री जी को शायद उनकी बेरोजगरी

का अंदाजा नहीं होगा। इस बिल को पेश करने से पहले अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश का दौरा करतीं और देखतीं कि वहां के बीड़ी कर्मचारियों की क्या आर्थिक हालत है तो अच्छा रहता। 34 साल के बाद आज भी उन पर कोई ऐक्ट लागू नहीं है चाहे विनियम वेजेज ऐक्ट हो, कोई लेबर लॉ हो, बोनस या प्रोवीडेंट फंड ऐक्ट हो, कोई भी कानून उनकी भलाई के लिये इमप्लीमेंट नहीं होता। मैं घूम कर आया हूं, मैं 37 लाख के अलावा की बात कर रहा हूं, ऐसी औरतें जिनके पास कोई काम नहीं, जमीन दुकान या धंधा नहीं है वह ठेकेदारों के यहां जा कर भीख मांगती है कि आप तीन रुपये ही दे देना लेकिन आप भत्ता और तम्बाकू बीड़ी बनाने के लिए दे दीजिए। उसे अपनी गोद में बच्चे की चिन्ता है, न कि अपनी। अब आप यह और ला रहे हैं। कि 1000 बीड़ी पर 10 पैसा उत्पादन कर लगा रहे है मैं सोचता हूं इस पर आपको सोचना चाहिये। विनिमम वेजेज ऐक्ट उन पर लागू नहीं हुआ, जहां पर यूनियन बन चुकी हैं वहां उनको 9 रु० मिल रहा है। अन्यथा सभी जगह 3, 4 और 5 रु० से ज्यादा पूरे देश में कोई भी बीड़ी बनवाने वाला एक हजार बीड़ी पर नहीं दे रहा है। आप एक साल में ढाई करोड़ रु० इकट्ठा करेंगे। आपके ही अनुसार 37 लाख पर इस ढाई करोड़ रु० में क्या योजनायें उनके कल्याण की बना सकते हैं ? क्या उनके लिए आप अस्पताल, स्कूल, आवास आदि की व्यवस्था कर पायेंगे ? मैं समझता हूं इतनी बड़ी आबादी पर ढाई करोड़ रु० में आप कुछ नहीं कर पायेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिए। पहले तो यही गलत कर रहे हैं जो तम्बाकू पर से हटा कर बीड़ी पर लगा रहे हैं। क्योंकि बीडी का कोई रिकार्ड नहीं रखा जा सकता है। आप पता नहीं लगा सकते कि एक मालिक साल भर में कितनी बीड़ी बनाता है। आप तम्बाकू पर तो ऐक्साइज ड्यूटी ले सकते थे, उसका रेकार्ड रख सकते थे कि किस मालिक ने कितनी ऐक्साइज ड्यूटी दी और उससे कितनी बीड़ी बनी। आपने तो एक ऐसा वेग क्लाज रख लिया कि आपके पास कोई रिकार्ड ही नहीं होगा किस मालिक ने 24 घंटे में कितनी बीड़ी बनायीं। इसलिए तम्बाकू पर अगर 1976, 1979 में नहीं लगा तो अब उसी पर लगाइये। वरना मजदूरों का शोषण होगा। मजदूर भीख मांगते हैं, वह लड़ेंगे और आपको सूचना देंगे कि उसने इतनी बीड़ी बना कर मालिक को दी इसलिए 10 पैसा प्रति हजार सरकार को मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि एक रु० प्रति किलो तम्बाकू पर मालिक पर लगाये और एक रु० बीड़ी पर लगाये और दो रु० अपनी तरफ से सरकार मिलाए जिससे एक अच्छी निधि उनके कल्याण के लिए हो सके। जैसे प्रोविडेंट फंड में है अगर 10 रुपए मजदूर से लेते हैं तो उसका दुगना करके मिल मालिक मजदूरों के लिए भविष्य निधि के रूप में जमा करता है। आप बोनस की व्यवस्था भी इस बिल में कीजिए और प्रोवीडेंट फंड की भी कीजिए। शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था कीजिए। अभी उनका बच्चा जैसे ही 6 साल का हुआ उसके हाथ में तम्बाकू और पत्ता पकड़ा देते हैं। जो मां बाप आज बीड़ी बना रहे हैं कल को उनकी क्या स्थिति होगी ? कभी आपने नही सोचा कि उनके बच्चे बीड़ी न बना पायें।'

यह एक बहुत नीरस काम है। वे लोग सुबह से शाम तक पत्ते में तम्बाकू रख कर धागा लगाते

[श्री जगपाल सिंह]

रहते हैं। आठ साल के बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन लोगों के बच्चों को बीड़ी बनाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सैंट्रल गवर्नमेंट पर यह जिम्मेदारी लगाई जाए कि जितना पैसा मालिकों से इकट्ठा होगा, उतना ही पैसा सरकार उनके विकास के लिए देगी। इस ढाई करोड़ रुपए से करोड़ों लोगों का क्या बनने वाला है ?

बीड़ी बनाने वाले वर्कर्ज के अलावा पत्ते तोड़ने वाले वर्कर्ज को भी इस कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। सरकार बाकायदा घूस लेकर ठेकेदारों तेंदू पत्ते का ठेका देती है और सरकारी अफसर काला धन कमाते हैं। ठेकेदार मजदूर को सस्ता मजदूरी दे कर पत्ते तुडवा कर अपना घाटा पूरा करते हैं और आमदनी भी करते हैं। जो लोग पूरा जगल तोड़ कर ठेकेदार को देते हैं, उन्हें भी इस कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, वर्ना पिछले 33,34 साल से पत्ता तोड़ने वाले कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, वह जारी रहेगा। मैं फिर अपील करूंगा कि विनियम वेजेज ऐक्ट को इस उद्योग में सख्ती से लागू किया जाए। वह मिनिमम वेज कम है या ज्यादा, लेकिन जो भी है, वह लागू की जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह काम अधिक होता है, वहां ए०आर० सी०ओ०आर० डिपुटी लेबर कमिश्नर के आफिस स्थापित किए जाएं और लेबर कोर्ट बनाई जाए, ताकि जो लोग मिनिमम वेजिज ऐक्ट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं करते, उनका प्रासीक्यूशन कर के उन्हें सजा दी जाए। तभी बीड़ी मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा।

मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें, अगर वे वास्तव में बीड़ी कर्मचारियों का स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना चाहते हैं।

* श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बीड़ी उद्योग जो शुरू में बहुत ही साधारण था, आज एक बहुत बड़े कुटीर उद्योग के रूप में फैल गया है। विश्व भर में उत्पादित बीड़ीयों का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है। कुछ वर्षों के पश्चात यह उद्योग एक शताब्दी पूरी कर लेगा।

बीड़ी उद्योग लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उद्योग मन्त्री के द्वारा इस प्रकार के विधान को सभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य लाखों ग्रामीण गरीब लोगों का कल्याण करना है। अतः, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

* उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जहाँ तक मुझे याद है कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार का "बीड़ी-सिगार कर्मकार कल्याण विधेयक" के नाम से एक विधेयक संसद द्वारा पास किया गया था। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उस अधिनियम को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया है। यद्यपि 50 लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए है, तो इसे पूरे समय का रोजगार अपनाने वाले कर्मकारों की प्रतिशतता बहुत ही कम है उनमें से अधिकांश नैमित्तिक श्रमिक हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह सुनिश्चित करने की प्रार्थना करता हूं कि उन्हें नियमित किया जाये। उन्हें नकद मजूरी तथा बोनस, भविष्य निधि और वेतन के साथ छुट्टी, त्यौहार छुट्टी, मजूरी और प्रसूति सुविधाओं जैसी अन्य सुविधायें भी दी जानी चाहिए।

यह उद्योग न केवल लाखों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है बल्कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं अन्य करों के रूप में राजकोष में करोड़ों रुपये के राजस्व का अंशदान भी करता है। इसके बावजूद भी बीड़ी उद्योग को जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं मन्त्री महोदय से उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने तथा उनका हल ढूंढ़ने की अपील करता हूं। केन्द्रीय सरकार कल्याण उपकर की वसूली कर रहा है ताकि चिकित्सा सहायता जैसे कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था की जा सके तथा श्रमिकों के लिए घण्टों तथा बीड़ी कर्मकारों के बच्चों के लिए वजीफों की भी व्यवस्था की जा सके। लेकिन यह खेद की बात है कि इन कल्याणकारी उपायों के अन्य राज्यों में कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे बीड़ी कारखानों के इन उपायों को उचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शी बातों सम्बन्धी निर्देश भेजें।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश केन्डू के पत्ते पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इन दो राज्यों में बीड़ी श्रमिकों के बहुत ही कम न्यूनतम मजूरी दी जाती है। चूंकि केन्डू के पत्ते तोड़ना ही उनकी आय का मुख्य साधन है, इसलिये उनकी मजूरी बढाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये। कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य बीड़ी श्रमिकों के समान दर पर मजूरी नहीं दे रहे हैं। अतः मजूरी में अन्तर को समाप्त किया जाये इसके लिए समान दरें निश्चित की जायें।

अन्त में, मैं बीड़ी निर्माता उद्योग की एक बुनियादी समस्या पर प्रकाश डालना चाहूंगा। बीड़ी निर्माताओं विशेषकर दक्षिणी भारत के निर्माताओं के, समय पर केन्डू को लाने के लिए रेल डिब्बे समय पर नहीं मिलते जिनकी आपूर्ति मुख्यतः उड़ीसा और मध्य प्रदेश ही करते हैं। मैं उद्योग मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन राज्यों से केन्डू के पत्तों का परिवहन करने हेतु रेल मन्त्रालय से तालमेल स्थापित करें। केन्डू के पत्तों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को रेल से जोड़ा जाये ताकि परिवहन लागत में कमी हो सके। इस बीड़ी उद्योग के श्रमिक तथा मालिक दोनों ही लाभान्वित होंगे।

* श्री सी० पलानीअप्पन (सलेम) : सभापति महोदय द्रमुक की ओर से बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981 पर सभा के सामने अपने विचार प्रकट करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हू।

मूल अधिनियम 1976 में पारित किया गया जिसमें बीड़ी निर्माण के लिए दिये गये तम्बाकू-पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क लगाने की तथा प्राप्त शुल्क की राशि को बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत कितनी राशि एकत्रित की गई और बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर कितनी राशि की गयी। अब इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य इस उपकर के लगाने लिये तम्बाकू के स्थान पर निर्मित बीड़ी को प्रतिस्थापित करता हूं। वार्षिक प्राप्ति का अनुमान 3 करोड़ रुपये का है। मुझे आशा है कि इसे पूर्णतः बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर खर्च किया जायेगा।

भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री चरणसिंह ने शायद बीड़ी के कुटीर उद्योगों को नष्ट करने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने "ब्रान्डेड" तथा "अनब्रान्डेड" वर्गों में विभाजित किया और अलग-अलग उत्पाद शुल्क लगाया। इसके फलस्वरूप कई अस्वस्थ तथा गैरकानूनी प्रथाएं पैदा हो गईं। इससे कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए और लाखों कर्मकार अपनी जीविका से हाथ धोने जा रहे हैं। उद्योग मन्त्री को वित्त मन्त्री से बातचीत करके देखना चाहिए कि उत्पाद-शुल्क की इस अलग-अलग दर का संशोधन इस ढंग से हो जिससे कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंच सके।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 976 में कहा गया था कि उपरोक्त उपकर की प्राप्तियों का उपयोग बीड़ी कर्मकारों का कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस निधि में कुल कितना पैसा जमा हुआ और निधि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है।

भारत भर में 30 लाख बीड़ी कर्मकार हैं और तमिलनाडु में भी कुछ लाख बीड़ी कर्मकार हैं। वे गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं। बीड़ी कर्मकारों के मामले में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है। ये असहाय कर्मकार अपनी रियायतों के समाधान हेतु न्यायालय भी नहीं जा सकते। बहुत सारे कानून होते हुए भी उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

तमिलनाडु में अधिकांश बीड़ी कर्मकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हैं। बीड़ी कर्मकारों में टी० बी० रोग बहुत फैला हुआ। उनके लिए निशुल्क चिकित्सा सहायता होनी चाहिए और सब

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की उचित जांच होनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त औषधियां दी जानी चाहिए। केवल तभी उनकी संताने अच्छे स्वास्थ्य वाली होंगी इतने कानून होने के बावजूद भी गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले इन लोगों के कल्याणार्थ बहुत कम काम हुआ है। इस विधेयक पर जो आशाएं मुझे हैं, वे धूल में न मिलें इस ध्येय से मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को बीड़ी कर्मकारों की भलाई के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। मैं आशा रखता हूं कि इस विधेयक द्वारा बीड़ी कर्मकारों की गरीबी का निवारण हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं श्रम उपमन्त्री श्री पी० वेंकट रेड्डी को इस महान सामाजिक श्रम कल्याण कानून को बनाने के लिए बधाई देता हूं।

इस विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। फिर भी यदि हम तम्बाकू उद्योग के उत्पादन, रोजगार तथा अन्य बातों सम्बन्धी आंकड़े देखें तो यह जानकर दुःख होता है कि तम्बाकू का उत्पादन करने में आठ लाख परिवार प्रत्यक्षतः लगे हैं और दुनियां भर में तम्बाकू के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर हैं। 1950-51 में उत्पादन 2 61 टन था जो 1977 तथा 1980 के बीच 4.45 लाख टन हो गया है जिसका मूल्य लगभग 888 करोड़ रुपये है। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि केवल इसी साधन से 100 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क अथवा अन्य प्रकार का शुल्क प्राप्त किया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकार भी प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये प्राप्त करती है।

मन्त्री महोदय सभा को कह रहे थे कि इस उद्योग में लगभग तीस लाख लोग लगे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन तीस लाख कर्मकारों में 90 प्रतिशत महिलाएं तथा बच्चे हैं। अतः इससे इस समस्या की गम्भीरता का पता चलता है यह बात भी आश्चर्यजनक है कि 10,000 से अधिक छोटे तथा बड़े निर्माता एकक प्रतिवर्ष 150 बीड़ियां तैयार कर रहे हैं। यह समस्या उस समय और बड़ी हो जाती है जब आप उनकी तुलना उनके कुल उत्पादन तथा रोजगार पर लगाए गए लोगों की संख्या से करते हैं, श्री नरसिम्हा रेड्डी ने इस विषय पर अपने भाषण में दो समस्याओं का जिक्र किया है और कुछ समाधानों के सुझाव दिए हैं।

जब विधेयक को 1976 में पुरःस्थापित किया गया तो प्रस्तावना में कहा गया था :—

"बीड़ी प्रतिष्ठान में लगे लोगों के कल्याण संवर्धन सम्बन्धी उपायों के लिए वित्त व्यवस्था करने वाला अधिनियम"

[श्री जेवियर अराकल]

इसी अधिनियम के उद्देश्य तथा कारणों के कथन में कहा गया है :—

".....बीड़ी प्रतिष्ठान में लगे श्रमिकों की रहन-सहन की दशा को सुधारने के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय संतोषजनक नहीं हैं।"

यह संयोग ही है कि इस विधेयक को आन्ध्र प्रदेश के एक दूसरे व्यक्ति श्री के० वी० आर० राव ने भी पेश किया था। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 1976 के इस कानून के बाद हमें इस प्रकार के उपायों में कहां तक सफलता मिली है ? यदि आप मूल अधिनियम की धाराओं को देखें तो पता चलेगा कि उसमें विभिन्न सामाजिक उपायों का जिक्र किया गया है। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस विभिन्न उपायों को किस सीमा तक कार्यान्वित तथा पूरा कर सकी हैं। पहले एक भाषण में कहा गया था कि निर्माता इस अधिनियम के प्रावधानों को मुख्य रूप से दो तरीकों से बड़ी होशियारी तथा चालाकी से टाल देते हैं। एक उप संविदा है और दूसरा बीड़ियों के ब्रांड न करने संबंधी। अत: इस प्रश्न का पूछा जाना स्वाभाविक ही है कि क्या सरकार का विचार मालिकों द्वारा उप-संविदा देने तथा बीड़ियों पर ब्रांड न लगाने से सबंधित इन टालने वाले तरीकों पर पाबन्दी लगाने या उन्हें समाप्त करने का है ? यदि सरकार का उपाय ऐसे विचार करने का नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। 1976 में जब यह अधिनियम पारित किया गया तो अखिल भारतीय बीड़ी कर्मकार महासंघ ने, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाये। उच्चतम न्यायालय ने 1977 में अपना निर्णय दिया और इस कानून की वैधता की पिछली तिथि से पुष्टि की। विभिन्न कल्याण-कारी उपायों को कार्यान्वित करने का दायित्व काफी सीमा तक राज्य सरकारों को सौंपा गया है। यह पूछना स्वाभाविक ही है कि इन कल्याणकारी उपायो को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों से क्या सहयोग मिला है।

अब आप उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखें इसमें कहा गया है :—

"1979-80 के वित्त अधिनियम में अविनिमित तंबाकू को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी है, छूट दी गई थी।"

यह विधेयक इस उपकर को लगाने तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस बीच क्या हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत कितना धन एकत्रित किया गया। वास्तव में वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि 1975 में 1.82 करोड़ रुपये एकत्रित किये जायेंगें जिसमें 1.82 लाख रुपये का प्रशासनिक व्यय होगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना धन जमा हुआ और कितना धन व्यय हुआ है। कितने औषधालय बनाए गए; कितने मकान बनाए गए अथवा उनके लिए कितनी राशि के ऋण दिए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि टी० बी० जो एक भयानक रोग है श्रमिकों के इस वर्ग में बहुत व्याप्त है। क्या इस रोग के उन्मूलन के लिए अथवा इस रोग के रोगियों की संख्या में कमी करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि अखबारों में प्रकाशित समाचार पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे मैं पूछता हूं कि सलाहकार समिति ने क्या किया ? क्या उन्होंने मूल अधिनियम के अनुरूप सलाहकार समिति का गठन किया था ? उस समय से कल्याण आयुक्त क्या करते रहे थे ?

सभापति महोदय : यह चाहे कागजों में न हों, यह कार्यालय में हो सकती है।

श्री जेवियर अराकल : हमें मन्त्री महोदय से जानने दीजिए। संभवतः समाचार पत्रों में सही ढंग से खबरें नहीं आती हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। परन्तु यही वह ठीक समय है जबकि मन्त्री महोदय को इस सदन को और जनता को यह बताना चाहिए कि इस बोर्ड या कोष की कुल क्या उपलब्धियां हैं, क्या-क्या कल्याण किए गए हैं और उन सब का क्या प्रभाव हुआ है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं और कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जब इस प्रकार का कोई विधेयक इस सदन के सामने आता है और इन तमाम बातों को सरकार को बताने का हमें अवसर मिलता है तो हम मन्त्री महोदय से उत्तर की आशा करते हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछ रहा हूं।

राज्य सलाहकार समिति कृत्य क्या हैं ? क्या राज्य सलाहकार समिति ने कुछ किया है। क्या इसने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के साथ सहयोग किया है ?

कुछ भी हो, मुझे अतीव प्रसन्नता है कि इस प्रकार का विधेयक सदन में इस सत्र में लाया गया है। श्रमिकों के असंगठित कमजोर वर्ग से सम्बद्ध यहां प्रस्तुत किया गया यह दूसरा विधेयक है। कल हमें सिनेमा कर्मकारों से सम्बद्ध विधेयक पारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज का विधेयक बीड़ी श्रमिकों से सम्बद्ध है। अतः इस विधेयक को लाने के लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के लागू करने के संबंध में सदन के माननीय सदस्यों ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है उन पर पूरा ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भीम सिंह (झुनझुनु) : चेअरमैन महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इस बिल के अन्दर जो कमियां हैं, पिट-फाल्ज हैं, भूल-भुलैयां हैं उन की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बिल में आप बीड़ी के ऊपर एक्साइज लगाना चाहते हैं, आप का लक्ष्य, बहुत अच्छा है, आप इसलिये लगाना चाहते हैं कि जो लोग बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं उन

[श्री भीम सिंह]

को कुछ राहत मिल सके, उनकी भलाई के लिये कुछ काम किये जा सकें। परन्तु इस में कुछ पिट फाल्ज हैं—जैसे आप ने पहले तम्बाकू पर टैक्स लगाया था और उसमें आप के एक्साइज महकमे के इंस्पैक्टरों और दूसरों की चान्दी बनती थी, परन्तु वसूली में सरकार के खजाने में बहुत कम पैसा आता था, इस बात को दृष्टि में रखते हुए 1979-80 में जो फाइनेन्स बिल आया उस में उस एक्साइज पर रोक लगा दी गई। उसी तरह से आज जब आप इस बिल को ला रहे हैं और एक्साइज बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप के इंस्पैक्टरों की कलाई का साधन तो खुल ही जायेगा, आप के खजाने में चाहे कुछ आये या न आये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और परिणाम यह होगा कि आप जिन बीड़ी बर्कर्स को राहत पहूचाने के लिये इस काम को करने जा रहे हैं उन के लिये उतनी रकम जुट ही नहीं पायेगी।

इसलिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं—वास्तव में इस समय आप के दो एक्ट्स हैं—जिन में से एक में आप इस संशोधन को ला रहे हैं। आप यह संशोधन बीड़ी वर्कर्स वेलफेअर सेस, एक्ट 1976 में कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एक्ट है बीड़ी वर्कर्स वेलफेअर फण्ड एक्ट, 1976, वह भी तो इस के साथ इन्टर-लिंक्ड है। आप बीड़ी वर्कर्स की मदद के लिये चाहे ब्रैण्डेड बीड़ी वाले हैं या अन-ब्रैण्डेड बीड़ी वाले हैं दोनों के ऊपर सेस लगाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रेक्टीकल हालत को देखें तो जो ब्रैण्ड के नाम से बीड़ी बना रहे हैं वे बहुत बड़े-बड़े मैन्यूफैक्चरर्स हैं, उनके बहुत बड़े-बड़े कारखाने हैं उन पर तो यह सेस लगेगा ही, लेकिन जो जर्दा खरीद कर स्वयं बीड़ी बनाते हैं उन पर भी यह टैक्स लागू होगा, इसमें आप ने कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं किया है—बीड़ी बनाने के लिए दिया गया तम्बाकू को आप रिप्लेस कर रहे हैं निर्मित बिड़िया इस में बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह पैसा किस को मिलेगा? आप बीड़ी वर्कर्स वेलफेअर फण्ड एक्ट को देखिये इस के क्लाज 4 में एप्लीकेशन आफ फण्ड सब क्लाज (बी) में लिखा है—

राज्य सरकार को या स्थानीय प्राधिकरण या किसी एक नियोजक को वार्षिक आर्थिक सहायता देना।

इसका जिक्र सब जगह आता है, लेकिन जो सेल्फ-एम्पलाएड है, जो किसी का एम्पलायर नहीं है, अपने घर में जर्दा लेकर बीड़ी बनाता है, जो एम्पलायर की डेफिनीशन में नहीं आता है, जो किसी का एम्पलाई नहीं है, अपनी खुद की स्माल इण्डस्ट्री चला रहा है उनकी इस वेलफेअर फण्ड के खर्चे में कोई भागीदारी नहीं है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

उनको इसके तेहत आप कैसे रिलीफ दे सकेंगे, इसका हिस्सेदार बना सकेंगे? टैक्स तो आप दोनों से इक्ट्ठा करने जा रहे हैं लेकिन इन की मदद आप कैसे करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप उन को इस एक्सप्लायटेशन से बचाइये। आप मिडिलमैन को पैसा देने जा रहे हैं, जिसके पास पहले ही बहुत साधन है, लेकिन जो सेल्फ एम्पलाएड है, खुद बीड़ी बनाता है उस को यदि

इस में भागीदारी नहीं मिलेगी तो इस कानून का क्या लाभ है। आप उनको कोआपरेटिव्ज के अन्तर्गत लाइये और बीड़ी वर्कर्स वेलफेअर फण्ड एक्ट में संशोधन करके उनकी मदद कीजिये। स्वयं बीड़ी बनाने वालों को जर्दा खरीदने या पत्ते खरीदने के लिये दूसरों पर निर्भर मत होने दीजिये, मिडिल मैन के चंगुल से छुटाने के लिये आप कोई व्यवस्था कीजिये।

इतना ही मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेन्डूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वेंकट रेड्डी को जोकि बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम में यह संशोधन लेकर यहां उपस्थिति हुए हैं, बधाई देता हूं। भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री चरणसिंह ने सोचा कि वह छाप वाली और बिना छाप वाली बीड़ियों पर विभेदी दर से उत्पाद-शुल्क लगाकर छोटे बीड़ी कार्मकारों को सहायता पहुंचा रहे हैं, परन्तु अन्तिम परिणाम यह निकला कि उन्होंने छोटे बीड़ी कर्मकारों की आजीविका को पूर्णतया नष्ट करके रख दिया। तम्बाकू निर्माताओं से उपकर वसूलने के बाद, श्रमिकों के लिए और आगे क्या किया गया ? विशिष्ट उदाहरण के रूप में एक विशेष बात का उल्लेख करूंगा। मैं तरूनलवेली जिले का रहने वाला हूं, जहां तिरूचेन्डुर में पांच लाख श्रमिक हैं, विशेषकर अम्बासुमुद्रम, शेरमा-देवी और अलंगुलाम क्षेत्रों में। सरकार ने मेरे जिले के लिए एक क्षय रोग अस्पताल की स्वीकृति दे दी है, परन्तु दुर्भाग्यवश वह नगर पालिका का क्षेत्र में बनाया गया है। उस नगर पालिका क्षेत्र में पहले ही सरकारी अस्पताल है, मुख्यालय अस्पताल भी अति निकट है। ऐसे गांव भी हैं जहां के लोग 10 या 20 अथवा 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क उपहार में देने को तैयार हैं, परन्तु सरकार ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। मैंने श्रम मन्त्रालय और राज्य सरकार को भी लिखा है परन्तु अभी तक पिछले तीन वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रतीकात्मक रूप में, नगरपालिका क्षेत्र में एक छोटा सा अस्पताल खोल दिया गया है। सरकार को यह देखना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अधिकांश बीड़ी श्रमिक रहते हैं और जहां के स्थानीय लोग निःशुल्क भूमि उपहार में दे रहे हैं, अस्पताल वहीं पर खोले जाएं। दो वर्ष के बाद भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने श्री चरणसिंह द्वारा की गई गलती को ठीक नहीं किया है जिसने सब कुछ नष्ट कर डाला है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने दो वर्ष में कुछ नहीं किया है, उन्हे यह देखना चाहिए कि स्थिति में सुधार किया जाए। मेरे अधिकांश मित्रों ने कहा कि यह स्वागत योग्य विधान है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात तो इसका सही ढंग से लागू किया जाना है। हमने अनेक विधेयक पारित किए है, परन्तु उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। इस विधेयक को लाने के लिए मैं मन्त्री महोदय को पहले ही बधाई दे चुका हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस कानून को समुचित रूप में लागू किया जाए और श्रमिकों को इसका लाभ मिले।

मेरे मित्र ने अभी-अभी बताया है कि किस प्रकार ठेके के काम के नाम पर लोगों को कष्ट

[श्री के० टी० कोसलराम]

में डाला जाता है और किस प्रकार मालिक लोग श्रमिकों को उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। यदि मेरे जैसे लोग किसी श्रमिक संघ को संगठित करना चाहते हैं तो वे तुरंत तम्बाकू और अन्य वस्तुएं बन्द कर देंगे। अतःइस प्रकार कार्यकारों को कष्ट उठाने पड़ रहे है। यदि इस कानून को सही रूप में कार्यान्वित किया जाए तो तभी बीड़ी श्रमिकों को बचाया जा सकता है।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं एक बार फिर मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री के० ए० राजन : (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विशिष्ट कानून के गुणा वगुण देखने से पहले, मैं इसकी उस पृष्ठ भूमि का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि उद्देश्य और कारणों के कथन में निम्न प्रकार हैं :

> "1979-80 के वित्त अधिनियम में अविनिर्मित तम्बाकू को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण से जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क भी है, छूट दी गई थी। इसके परिणाम-स्वरूप बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के वित्तपोषण के लिए उपकर का संग्रहण 1 मार्च, 1979 से बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1976 के अधीन नहीं किया जा सका है।"

इस विशिष्ट विधान को लाने की यही पृष्ठभूमि है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। परन्तु इस पर विचार करने से पूर्व, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वित्तीय ज्ञापन के अनुसार उन्हें इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए 2.5 से 3.00 करोड़ रुपये की आय की आशा है इस उद्योग में अधिकांश श्रमिक असंगठित हैं। महोदय, इस विशिष्ट विधान के गुणा व गुण पर विचार करने से पहले, मैं मन्त्री महोदय पर इस उद्योग की विशेष विशेषता के लिए बल देना चाहूंगा। अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग की क्या दशा है ? इसमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं। नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस उद्योग में 40 लाख मजदूर लगे हुए हैं। इन 40 लाख श्रमिकों में से, जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग आधे श्रमिक असंगठित हैं और यहां-वहां बिखरे पड़े हैं। इसमें एक सहकारी क्षेत्र भी है। कुछ राज्यों में संगठित फैक्टरियां हैं और अधिकांश राज्यों में यह उद्योग यहां-वहां फैला हुआ है और यह एक कुटीर उद्योग की तरह है जहां श्रमिकों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। श्रमिकों के लाभार्थ हम जो कुछ भी कल्याणकारी विधान लेकर आते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि इस उद्योग का स्वरूप ही ऐसा है।

देश में तैयार तम्बाकू के तक तिहाई से अधिक की खपत बीड़ी उद्योग में होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं इस उद्योग में 40 लाख लोग लगे हुए हैं। बीड़ी का वार्षिक उत्पादन

60,000 करोड़ का है जिसका मूल्य 1000 करोड़ रुपये आंका गया है और बीड़ी तैयार करने के लिए 1,30,000 टन तम्बाकू की खपत होती है जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है।

हम असंगठित क्षेत्र को बचाने के लिए भरपूर अच्छे इरादों से बहुत से अधिनियम बनाते हैं, जिनमें से एक है न्यूनतम मजूरी अधिनियम। मैं इस सम्बन्ध में दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस विधान का वास्तविक प्रवर्तन क्या है? इसे केवल सरकारी तरीकों और सरकार तन्त्र से ही किया जा सकता है। दूसरा तरीका है श्रमिकों को संगठित करके और श्रमिकों की शक्ति द्वारा सामूहिक सौदा करके। दुर्भाग्य से इस उद्योग में न्यूनतम मजूरी कितनी है? यह तो एक अखिल भारतीय उद्योग है जो देश भर में फैला हुआ है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन यह राज्य सूची में आता है। मजूरी में क्या अन्तर है? केरल में 1000 बीड़ियों को बनाने के दस रुपए मिलते हैं और अन्य राज्यों में 4 या 5 या 6 रुपए मिलते हैं। मजूरी में केवल यह अन्तर ही नहीं है, अपितु न्यूनतम मजदूरी में इस अन्तर के कारण कुछ बीड़ी इकाइयां दूसरे कुछ राज्यों से ऐसे कुछ राज्यों में चली जाती है जहां मजदूरी बहुत कम है। कुछ फैक्टरी-मालिक केरल से पड़ौसी राज्यों में चले गये है जहां वे केवल 2 या 3 अथवा 4 रुपए ही मजदूरी देते हैं कुछ राज्यों में न्यूनतम मजूरी निर्वाह-व्यय सूचकांक पर निर्भर करती है अतः श्रमिकों की कीमतों में वृद्धि होने से लाभ मिलता है। ऐसा पश्चिम-बंगाल, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होता है। परन्तु कुछ अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है फिर कुछ राज्यों में काम न रहने के दिनों में भी मजदूरी मिलती है अर्थात यदि उसे कार्य नहीं मिलता है तो वह गुजारे के लिए मजदूरी प्राप्त करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

ये सब बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि हम तो कानून पूरे नेक इरादे से बनाते हैं परन्तु वास्तविक रूप में उसे लागू करते समय हमें बहुत सी कमियां दृष्टिगोचर होती हैं। मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूं इस उद्योग का स्वरूप ही ऐसा है। यह असंगठित और इधर-उधर फैला पड़ा है। अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध हमारे महासंघ ने यह सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए। इसके मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं है एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी हो जाने से उद्योग में श्रमिकों का शोषण नहीं हो सकेगा और उद्योग का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी रुक जाएगा। किसी भी अन्य आधुनिक मजदूरी-मान की तरह निर्वाह-व्यय से सम्बन्द्ध इसका उत्तरोतर घटता-बढ़ता वेतन-मान होगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बीड़ी और सिगार अधिनियम की धारा 33-क का कार्यान्वयन क्या है? इसका सम्बन्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक बात से है यह है परिचय-पत्रों का जारी किया जाना। मैं यह जानना चाहता हूं, और मन्त्री महोदय जानते भी होंगे, कि प्रावधान के अनुसार 40 लाख बीड़ी श्रमिकों में से कितनों को परिचय-पत्र दिए गए हैं। कार्ड मजदूरों

[श्री के० ए० राजन]

को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। जब आप मजदूर की पहचान कर लेते हैं तो वह राज्य के विभिन्न विधानों के लाभों का हकदार हो जाता है। उसी मतलब से, इस विशिष्ट धारा को अधिनियम में रखा गया है। परन्तु दुर्भाग्य से इस उद्योग के अनेकों क्षेत्रों में पहचान-पत्र नहीं दिए गए हैं और इस प्रकार श्रमिकों का शोषण किया जाता है और इन कल्याणकारी उपायों के लाभ से वे वंचित है और विशेष रूप से इस असंगठित क्षेत्र मे ऐसा हो रहा है जहां श्रमिकों की एक बडी सख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और जिन्हें दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है।

वास्तव मे ही यह वह वर्ग है जिसें अधिक सरक्षण की आवश्यकता है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते है कि जब जनता सरकार सत्ता में आई तो गत कुछ वर्षों तक उपकर एकत्रित ही नहीं किया गया था। यह विकृत आर्थिक नीति ही थी जिसने सब कुछ बिगाड़कर रख दिया था और कर्मकारों को उनके लाभों से वंचित कर दिया गया था। सरकार को भी लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ा जो कि गत अनेक वर्षों में 'कल्याण' शीर्ष के अधीन एकत्रित हो सकता था।

अतः, महोदय मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, परन्तु फिर भी मैं एक विशिष्ट बात पर बल देना चाहता हूं। वह इस विशिष्ट उपबन्ध के लागू करने के बारे में है जिसके अधीन आप कुछ उपकर लगाने जा रहे हैं अविनिर्मित बीड़ी या ब्रान्ड बीड़ी या बिना ब्राण्ड वाली बीड़ी पर उपकर लगाने की बात को लेकर भी इस उद्योग में पहले से ही कुछ विवाद चल रहा है। बिना ब्राण्ड की बीडी पर कोई उपकर नहीं लगता है जिससे कुछ संगठित क्षेत्र के बिना ब्राण्ड वाली बीड़ी लाते हैं और कुटीर उद्योगों को दे देते हैं जिससे कि बीड़ी बनाने के लिए तम्बाकू पत्तियों का उपयोग करने वाले लोगों को नुकसान होता है। कुटीर उद्योग इनको काम में लाते हैं। यद्यपि मैं, इस विधेयक के पीछे जो नेक इरादे हैं उनका स्वागत करता हूं, परन्तु मैं यह नहीं जानता कि क्या 40 लाख श्रमिकों के कल्याण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त होगी। उन्होंने इस उद्देश्यार्थ एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं परन्तु उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है इसमें कोई सन्देह नहीं है वह इस विधान को पूरे नेक इरादे से लेकर आए हैं परन्तु फिर भी मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह यह देखें कि इन उपबन्धों को सही ढंग से लागू करने के लिए कोई तन्त्र भी होना चाहिए। मैं यह तो नहीं जानता कि क्या आप श्रमिक-संघों से सहायता मांगेंगे जो कि आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति बनाए रखना चाहिए। और साथ ही, इस विधेयक के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए इस कल्याणकारी अधिनियमन को लागू करने के लिए उनके पास केवल 2 अधिकारी हैं जो श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं

कर सकते हैं। आप इन दो व्यक्तियों से इन कल्याणकारी उपायों को लागू करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कल्याणकारी उपाय मजदूरों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

महोदय, आपको भलीभांति ज्ञात है कि अधिकांश बीड़ी श्रमिक वास्तव में श्वसनिक दमा टी० बी० आदि जैसे चिरकालिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। यदि आप किसी बीड़ी श्रमिक को देखें तो आप उसे दयनीय स्थिति में पाएंगे, चाहे वो बिहार में हो या ब्रिटेन में या कहीं और हो। एक तरीका है जिससे आप श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में ला सकते हैं। केरल द्वारा दिया गया एक आदर्श विधेयक है। केरल में असंगठित क्षेत्र के लगभग 25,000 बीड़ी श्रमिकों को सहकारी क्षेत्र के अधीन लाया गया है उन्हें न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त बढ़ता हुआ मंहगाई भत्ता और भविष्य निधि उपदान तथा बोनस जैसे लाभ मिलते हैं। उन्हें ये सभी लाभ मिलते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को सहकारी संगठन के रूप में संगठित कर लिया है। वे श्रमिक वास्तव में इन लाभों के अधिकारी हैं मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि क्या तीन करोड़ रुपए इन 40 लाख श्रमिकों के लिए पर्याप्त होंगे या नहीं, चाहे इस विधेयक के पुरःस्थापन के पीछे सरकार की कितनी भी अच्छी धारणा क्यों न हो। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उपकर या उगाही की जितनी भी प्राप्ति हो, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका श्रमिकों के हितार्थ ही प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर इस बात पर बल दूंगा कि यह असंगठित क्षेत्र के सामने बड़ी समस्या है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला, समाज का एक कमजोर वर्ग होने के नाते इसे सुरक्षा की आवश्यकता है। इन कुछ शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए श्रम मन्त्री महोदय के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दर असल यह विषम परिस्थिति 1979-80 के बजट प्रावधान की वजह से पैदा हो गई, जबकि उन्होंने इस सदन में सेन्ट्रल एक्साइज के कानून में परिवर्तन किया और उसकी वजह से वेलफेअर एण्ड के लिए राशि इकट्ठा करना और बीड़ी वर्कर्स सेस एक्ट के प्रावधान को लागू करना संभव नहीं हो सका।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए कानून में संशोधन करने का फैसला किया है, और मैं आशा करता हूं कि उनको सही रूप दे कर सख्ती के साथ लागू करने के लिए कारगर कदम उठायेंगी।

दरअसल जनता पार्टी के या लोकदल के उस बजट निर्णय की वजह से एक और विसंगति पैदा हो गई है जिसका सीधा संबंध तो वित्त मंत्रालय से है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक विसंगति चलती रहेगी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जब तक आप लोग थोड़े से यहां रहेंगे। कितनी विसंगतियां हैं इसका उनको स्वयं पता नहीं, अंदाज नहीं। कहना पड़ता है कि उनके गलत निर्णय की वजह से क्या परिस्थिति मजदूरों की या समाज के खिलाप पैदा हो गई है, इसका उनको पता नहीं है। उस बजट में अनब्रैन्डेड बीड़ी पर से सेन्ट्रल ऐक्साइज ड्यूटी हटा दी गई और नतीजा यह हुआ कि लोग खुली बीड़ी बनाकर और जाली ट्रेड मार्क तैयार करके करोड़ों रु० का घपला कर रहे हैं। मैं खास तौर से वित्त मन्त्री जी से कहूंगा केवल इस निर्णय से अन्दाज किया जाता है कि 60 से 100 करोड़ रु० का सालाना घाटा केन्द्र सरकार को उसकी आमदनी में हुआ है। और जो इस कानून को लागू करने का यन्त्र है उसमें भी कठिनाइयां पैदा हुई हैं। उसमें भी सुधार लाने की आवयश्यता है।

मैं बीड़ी मजदूरों की समस्याओं से बहुत नजदीक से वाकिफ हूं। मेरे क्षेत्र में लगभग लाख की संख्या में मजदूर काम करते हैं और उनकी अवस्था से उनमें मैं 1949-50 से रुचि ले रहा हूं। उनकी मजूरी की दर में कुछ बढ़ोत्तरी आयी है, कुछ सुधार हुआ है और उनमें जागरण हुआ है। लेकिन हम और आप जो इस सदन में बीड़ी मजदूरों की समस्याओं से वाकिफ हैं वह अच्छी तरह जानते हैं आज उनका संगठन करना इसलिए मुश्किल है कि वह दूर-दूर गांव में फैले हुए हैं और इकट्ठा नहीं किये जा सकते। मजदूरों का संगठन भी मजबूत नहीं है, और आज जो वह काम करते हैं न कोई फैक्ट्री प्रेमिसेज है, न उनके बैठने की जगह है, न पानी की सुविधा है। एक साधारण जो काम करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वह मेरे ख्याल से इस देश के किसी कोने में लेशमात्र भी वह सुविधा मौजूद नहीं है। और नतीजा यह है कि जो बीड़ी मजदूर काम करते हैं वह तरह-तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। खास तौर से टी० बी० से काफी संख्या में पीड़ित हैं जिनकी कल्पना हम यहां नहीं कर सकते। दवा, साधन के बिना गरीब लोग मर जाते हैं। लेकिन जो बीड़ी मालिक उनकी मेहनत से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का जरा ज्ञान भी नहीं होता है। इस समस्या की ओर अभी तक हमारा ध्यान भी नहीं गया है। बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनकी रेसिस्टेंस की ताकत और भी कमजोर होती है। नतीजा यह है कि उनमें बड़े पैमाने पर तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिनका कोई उपाय नहीं किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी एण्ड सिगार एक्ट आफ इंडिया में बीड़ी मजदूरों की सुविधा के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। उनमें यह कहा गया था कि सप्ताह में एक दिन सवेतन छुट्टी दी जाएगी, साल में 9 दिन त्यौहार की छुट्टी दी जाएगी प्रोविडेंट फंड और कुछ अन्य साधारण सुविधाएं दी जाएंगी। बरसों तक इस कानून को चुनौती

दी गई। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून उचित है, वैधानिक है और उसने इस कानून को 1966 से ही प्रभावी बनाने का निर्णय दिया है।

इस अवस्था में सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कानून के अनुसार बीड़ी मजदूरों को जो हक हासिल हैं, हम उन्हें किस तरह दिला सकें। अभी कुछ दिन पहले आई एल. ओ. ने बीड़ी मजदूरों की अवस्था का सरवे किया था। उसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि हमारे देश में लगभग 450 मिलियन डालर्ज की बीड़ी बनती है, लेकिन मजदूरों को उसमें से मात्र 150 मिलियन डालर्ज, केवल एक तिहाई हिस्सा, मिल पाता है। बीड़ी को तैयार करने में अधिकांश योगदान श्रमिकों का होता है। इसलिए उन्हें अधिक राशि मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक तिहाई ही मिल पाती है।

हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार पर दो जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से आती हैं। एक तो उसे बीड़ी एंड सिगार एक्ट आफ इंडिया और न्यूनतम मजदूरी के कानून को लागू करना है और मालिकों से जो मजूरी और सुविधाएं श्रमिकों को मिलनी हैं उन्हें दिलाने के लिए कारगर कदम उठाने हैं। इसके लिए सरकार को एक प्रभावी यंत्र, इन्सट्रूमेंट, तैयार करना चाहिए, जिससे बीड़ी मजदूरों को ये सुविधाएं मिल सकें। दूसरे इस बिल के पारित होने से वैलफेयर फंड में जो राशि इकट्ठी हो, उनकी बीमारी के इलाज के लिए, उनके-स्त्री बच्चों के खाने-पीने और रहने के लिए और उन्हें कुछ सुविधाएं देने के लिए उसका सही इस्तेमाल किया जाय।

मुझे विश्वास है कि सरकार ने यह जो प्रगतिशील कदम उठाया है, उसके साथ ही वह इन कदमों को उठाएगी और बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इस बड़े काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने की चेष्टा करेगा। पचास लाख मजदूर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मजदूरों का सबसे गरीब तबका है, हम उसकी तरफ ध्यान दें और उसकी स्थिति में सुधार लाएं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी बीड़ी वर्क्स काम करते हैं और मैने स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से उनको अच्छी तरह से देखा है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष तम्बाकू उत्पादन की दृष्टि से सारे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सारे विश्व की तम्बाकू का 8 प्रतिशत भारत में पैदा होता है और उस 8 प्रतिशत उत्पादन मे से 35 प्रतिशत तम्बाकू बीड़ी में काम आता है। आप यह भी जानते हैं कि सारे विश्व में बीड़ी पैदा करने वाले मामले में हिन्दुस्तान का सर्वप्रथम स्थान है। नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश और श्री लंका के अलावा अधिकतम

[श्री राम सिंह यादव]

संख्या में बीड़ी उत्पादन का कार्य हिन्दुस्तान में होता है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह ने कहा करीब 50 लाख व्यक्ति इस काम में व्यस्त हैं जो बीड़ी उत्पादन करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन पचास लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या दशा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और इसके साथ-साथ उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए किस तरह की सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं कराई जा रही हैं ?

बीड़ी उत्पादन करने के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं उनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीड़ी उत्पादन कार्य में जितने मजदूर लगे हुए हैं उनमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और बालक हैं और उन महिलाओं और बालकों की क्या दशा है, इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दूंगा खण्डवा जिले में बुरहानपुर नामक एक तहसील टाउन है जिसके बारे में वहां की ही एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिस में यह लिखा है कि वहां पर रहने वाली जो भी आबादी है उसका करीब 15 प्रतिशत व्यक्ति टी बी से, ऐस्थमा से और दूसरी इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है और उस का मुख्य कारण यह है कि वहां पर बीड़ी उत्पादन का कार्य अधिकतम होता है। वहां पर लगे हुए लोग या तो लूम में काम करते हैं या बीड़ी उत्पादन का कार्य करते हैं। तो इंसीडेंस आफ ट्यूबरकुलोसिस और एस्थमा वहां पर अधिक से अधिक है भारतवर्ष के अन्दर जहां पर कि बीड़ी उत्पादन होता है या बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इस दृष्टि से क्या भारत सरकार इस बात को देखेगी कि जहां पर पांच सौ से अधिक बीड़ी वर्कर्स हैं वहां पर जैसे ई.एस.आई. डिस्पेंसरीज हैं, उसी स्केल पर या उसी आधार पर ई. एस. आई. डिस्पेंसरीज कायम करें जिससे कि बीड़ी वर्कर्स को मैडिकल एण्ड और मैडिकल फैसलिटीज मिल सकें।

दूसरी बात यह है जो आपने देखी होगी कि जो बीड़ी के ठेकेदार हैं वे बहुत बड़ा शोषण करते हैं और जो आपका बीड़ी वैलफेयर इंसपेक्टर है वह उस ठेकेदार से मिला हुआ होता है, वह कभी भी आपके कार्यक्रम को लागू नहीं होने देता। आप मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत काम करना चाहते हैं और बीड़ी वैलफेयर इंस्पेक्टर का यही काम है कि बीड़ी उत्पादन करने वाले या इस काम में लगे हुए, जो मजदूर कारीगर अथवा कार्यकर्ता हैं उनको सही ढग से वेज मिले इस बात को वह देखें। लेकिन आप देखें आइ. एल. ओ. की जो रिपोर्ट है उसमें उसने इस बात को माना है कि आपने जो वेज प्रेस्क्राइब किया है उसका पचास प्रतिशत भी मजदूरों को नहीं मिलता है। इसलिए इस शोषण को भी आपको देखना है और इस बात का इंतजाम करना है कि स्टेट्स स्ट्रिक्टली मिनिमम वेजेज की पालिसी को फालो करें, उसको लागू करें और आपका बीड़ी वैलफेयर इंसपेक्टर मौके पर जाकर इस बात को देखे कि ठेकेदार लोग उसका शोषण न करें।

इसके साथ ही जो बीड़ी में काम करने वाले व्यक्ति है उनके लिए क्या आप कोई बीमा योजना लागू करना चाहते हैं क्योंकि जैसा आपने देखा है उसके अन्दर सबसे अधिक टी बी या ऐस्थमा की बीमारी होती है और उनकी हालत बहुत दयनीय होती है, तो क्या आपने कभी इस बात को विचारा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप जीवन बीमा योजना लागू करें या प्राविडेंट फंड की व्यवस्था करें या और किसी तरह से यह जो एक्ट आप लाये हैं इसके अलावा कोई दूसरा एक्ट लायें बीड़ी वर्कर्स के वैलफेयर के लिए जिससे कि उनको इस तरह की सुविधाएं मिल सकें और वह अपना जीवनयापन सही ढग से कर सकें।

यही नहीं, केन्द्रीय बजट में 107.7 करोड़ रुपये कारेन एक्सचेंज तम्बाकू को एक्सपोर्ट करने से आपको मिलता है। जो बीड़ी पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की रिपोर्ट है उसने यह प्रकाशित किया है कि बीड़ी उत्पादन से 340 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय है जिसमें से बीड़ी उत्पादन में लगे हुए मजदूरों को मुश्किल से उसका एक तिहाई मिलता है। 340 करोड़ में केवल 120 करोड़ यानी लेस देन वन थर्ड उनके लिए मिलता है। इस बात को भी आपको गहराई से सोचना है। इसका मतलब यह है कि जहां आई एल ओ की रिपोर्ट यह कह रही है कि शोषण है और वह शोषण जाहिर है, उस शोषण को किस तरह से आप रोकेंगे जिससे कि ठेकेदार उनका शोषण न कर सके ?

मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को जोरदार ढंग से कहा है। लेकिन आपको कारगर कदम उठाने चाहिए जिससें कि इस शोषण को रोका जा सके।

इसके साथ-साथ इस इण्डस्ट्री में जो बच्चे और महिलाएं काम कर रही है जिनमें अधिकांश रूप में मुस्लिम कम्युनिटी महिलाएं हैं, गरीबी की रेखा से नीचे काम करने वाले यह जो मजदूर हैं, खास तौर से महिलायें और बच्चे, उनका शोषण नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अधिक सुविधायें मिलनी चाहिए इस बात पर आपको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ यह जो विधेयक आपने यहां प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं यह एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि इन मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सकेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की समझ में एक अच्छी बात करने की बात आई है जिसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमें इस बात का शक है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सही तरीके से इस पर अमल किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पहला मौका है जब आप किसी विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री के० ए० राजन : यह ठीक है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, परन्तु मुझे बहुत आशंका है कि क्या वे इस अधिनियम को उचित प्रकार से क्रियान्वित करेंगे या नहीं ।

मुझे इस बात का शक है, क्योंकि सरकार ने आज तक जितनी भी कल्याणकारी योजनायें बनाने की कोशिश की है, उन पर सही ढंग से अमल नहीं हुआ है । इसलिए मैं सबसे पहले माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जो यह विधेयक पास कर रहे हैं, इसका सही ढंग से कार्यान्वियन किया जायेगा, इस बात को वे देखेंगे ।

बीड़ी उद्योग में आज लाखों मजदूर काम कर रहे हैं । आज उनकी संख्या 50 लाख से अधिक है । उनकी मजदूरी आज बहुत कम है । जो न्यूनतम मजदूरी आपके द्वारा निर्धारित की गई है वह बहुत सी जगहों पर नहीं दी जाती है । जिस प्रकार कृषि तथा अन्य उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है उसी प्रकार से इस उद्योग में भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है । आई. एल. ओ. की रिपोर्ट में भी आया है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ऐसे कौन से प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है जिनसे कि इनका शोषण रोका जा सके ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है और उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है ? जो वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं वे तो मालिकों के साथ मिले रहते हैं, वे तो शोषण की प्रक्रिया के पहिए हैं,वे स्वयं शोषण कराते हैं और उनका इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता कि मजदूरों का किस प्रकार से हित हो । आज देश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है उसके वे एक अंग हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । यदि उनके माध्यम से ही आप इस काम को करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई सफलता मिल सकेगी, इसमें सन्देह है । मैं समझता हूं आपको ऐसा प्रभावशाली रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि इस शोषण को बन्द किया जा सके ।

आज इस उद्योग में लगे हुए मजदूरों के सामने आवास की एक बहुत बड़ी समस्या है । मालिक लोग उनके आवास की कोई व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं अगर कहीं पर कुछ किया भी गया है तो वह बहुत अपर्याप्त है जिससे कोई वास्तविक लाभ मजदूरों को नहीं मिलता है । इस सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना चाहिए ।

इसी प्रकार से इन मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की समस्या भी बहुत गम्भीर है । सरकार को चाहिए कि जहां कहीं ऐसे उद्योग स्थापित हैं वहां पर मजदूरों के बच्चों की व्यवस्था की जाए। वहां पर छोटे छोटे स्कूल बनाए जायें ताकि उनके बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजूकेशन दी

जा सके और बाद में वे दूसरे विद्यालयों में जा सकें।

जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, उसका भी बहुत बड़ा अभाव है। इस उद्योग में लगे हुए मजदूर क्षय रोग से अधिक संख्या में मरते हैं। यदि इस रोग से वहां पर मरने वालों की संख्या पूछी जाए तो सरकार की ओर से ऐसे बतला दिया जाएगा जैसे मरता ही नहीं है। जैसे कि कालाजार से बिहार में पौने तीन सौ आदमी मरे थे लेकिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यहां पर कह दिया गया था कि केवल दो आदमी मरे हैं।

उसी दिन वहां के स्वाथ्य मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 262 आदमी मरे हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सरकार की बातों पर विश्वास करना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी सही ढंग से करनी चाहिए कि कितने लोग इसमें मरे हैं और इस चीज को रोकने के लिए, इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिए, ताकि इन मजदूरों को ठीक ढंग से चिकित्सा सुविधायें मिल सकें।

यह और भी अधिक संकट की बात है कि जहां पर इतने लोग काम करते हैं और उनके समने आवास की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है और इसके साथ साथ उनके सामने पीने के पानी की समस्या है। क्योंकि उन की कोई ऐसी बस्ती नहीं है कि जहां पर उनको ठीक ढंग से पीने के पानी की सुविधाओं को पहुंचाया जा सकें। इसलिए जब सरकार ने उनके कल्याण के लिए फैसला किया है, तो उस को चाहिए कि जो उनकी मौलिक समस्यायें हैं, मौलिक कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की तरह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बीड़ी इन्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए छुट्टी की व्यवस्था है, वह भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी मशीनरी के द्वारा इन मजदूरों का शोषण न हों और एक हफ्ते में एक दिन की जो छुट्टी मिलनी होती है, वह मिलें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए सरकार दो और बातें करें—एक तो इन मजदूरों को बोनस दिया जाए और मजदूरों के लिए बीमा योजना लागू की जाए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : हम सब करेंगे, लेकिन आप रिपीटीशन क्यों कर रहे हैं, कोई नई बात है, तो कहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : यदि एक ही आदमी कहे तो आप नहीं करेंगी, लेकिन यदि बहुत से लोग कहते रहेंगे, तब जाकर आपके दिमाग में थोड़ी बात बैठेगी। इसलिए मैंने बोनस और बीमा योजना की बात उठाई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप सचमुच ठीक समझती हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए।

[श्री हरिकेश बहादुर]

इसलिए, मान्यवर, अन्त में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कल्याण कोर्स का सही ढंग से उपयोग किया जाए, इसका सदुपयोग किया जाए। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जो समस्यायें बीड़ी मजदूरों के सामने हैं, चाहे वह आवास की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो या पीने के पानी की हो और जो अन्य प्रकार की समस्यायें हैं, उनको दूर करने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में मुझे तो बात निवेदन करनी हैं, वह यह है कि जो वैलफेयर कमिश्नर या जो भी डिपार्टमेंट के कमिश्नर को बनाया है, वहां उनको कई डिपार्टमेंट को शामिल करके बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान में कितने बीड़ी मजदूर है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : वहां पर दस लाख व्यक्ति हैं, सबसे पहला निवेदन यह है कि जो वैलफेयर कमिश्नर मुकर्रिर किया है, वह कई विभागों का एक साथ कर दिया है। माइका माइन वैलफेयर कमिश्नर, डोलीमाइट वैलफेयर कमिश्नर और बीड़ी वैलफेयर कमिश्नर, इस प्रकार से कई विभागों को शामिल करने से जो विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, बीड़ी वैलफेयर के सम्बन्ध में, वह नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि वैलफेयर कमिश्नर अलग-अलग मुकर्रिर होने चाहिए, ताकि इन वर्कर्रों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सके। उनको जो सहूलियतें दी जा सकती है, वे पूरी-पूरी दी जा सकें।

दूसरा सुझाव है—एप्वाइंट वैलफेयर कमिश्नर एटसैक्ट्रा एण्ड देयर पावर—इसमें इन्होंने वैलफेयर कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को पावर्स दी है कि वे क्या क्या काम करेंगे। इसमें मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि आपने वेलफेयर इन्सपैक्टर मुकर्रिर किया, वैलफेयर आफिसर्स मुकर्रिर किया और वैलफेयर कमिश्नर्स मुकर्रिर किया— क्या वे केवल इन्हीं एक्टीवीटीज को ही देखेंगे ?

इसके अलावा उनके पास और भी काम है। इस इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं— जैसे पेमेंन्ट आफ मिनिमम वेजेज इसका प्रश्न है, इसकी देख-रेख कौन करेगा? यह ठीक है कि लेवर डिपार्टमेंन्ट ने इंस्पैक्टर्ज मुकर्रिर किए हुए हैं, लेकिन वे मालिकों से मिले रहते हैं, वर्कर्स को मिनियम वेज मिल रहा है या नहीं मिलरहा है, इसको वे नहीं देखते हैं। इसलिए आप जो वैल-

फेयर इंस्पैक्टर और वैलफेयर कमिश्नर मुकर्रिर करते हैं, उनका काम उनकी वैलफेयर को देखना होता है, इसलिए उनको यह अधिकार भी दिया जाना चाहिए कि वे यह भी देखें कि वर्कर्स को मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं। आप धारा 8 के सब-सैक्शन 4 में ऐसा प्रावधान करें कि उनको यह देखने का भी अधिकार हो कि वर्कर्स को मिनियम वेज मिल रहा है या नहीं, उनको वेज दिलाने का अधिकार होना चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि आप जो 10 पैसे का सेस लगा रहे हैं यह बहुत थोड़ा है। आप कहते हैं कि इसके लगाने से ढाई से तीन करोड़ रुपया वसूल होगा और आप यह भी बतलाते हैं कि इस ट्रेड में 30 लाख मजदूर काम करते हैं, इस तरह से एक मजदूर पर सिर्फ 10 रुपए खर्च किए जा सकेंगे। इतनी कम रकम में आप क्या-क्या वैलफेयर एक्टीविटीज चालू कर सकेंगे, क्या अस्पताल बनायेंगे, क्या एडल्ट एजूकेशन की व्यवस्था करेंगे, छोटे बच्चों के लिए क्या प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करेंगे या उनके लिए होस्टल बना सकेंगे, उनके लिए किताबों और कपड़ों की क्या व्यवस्था कर सकेंगे, रहने के लिए मकानों की कितनी व्यवस्था हो सकेगी? 10 पैसे लगाने से कुछ भी नहीं हो सकेगा। आपको 10 पैसे से 50 पैसे तक सेस लगाने का कानून में अधिकार है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप 50 पैसे सेस लगायें जिससे आपको 1.5 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है और उस हालत में आप वास्तव में इन 30 लाख मजदूरों के लिए कुछ कर सकेंगे। उस रकम से आप उनके लिए अस्पताल बनायें, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलें एडल्ट एजूकेशन की व्यवस्था करें, रेक्रीएशन सेन्टर्स खोलें, उनके लिए इन्डोर और आउट-डोर गेम्ज की व्यवस्था करें, उनकी महिलाओं को कताई, बुनाई के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोलें। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे तब आप वास्तव में उनको कुछ राहत पहुंचा सकेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बीड़ी बनाने वालों में महिलाओं और बच्चे ज्यादा होते हैं, 90 प्रतिशत महिलायें और बच्चे इस काम को करते हैं, इसलिए उनको बहुत जल्दी टी० बी० हो जाती है। इनके लिए आप इस बिल में क्या प्रावधान कर रहे हैं। आप वेलफेयर कमिश्नर एप्वाइन्ट कर रहे हैं—

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय नए मुद्दे चाहते हैं। इनके बारे में पहले कहा जा चुका है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं नया प्वाइन्ट ही बतला रहा हूं। जब उनको टी० बी० हो जाती है तो क्या आपने अब तक किसी मरीज को सरकारी खर्चे पर किसी सैनीटोरियम में भेजा है? यदि आप इस तरह की व्यवस्था इस कानून में करें तो इससे, निश्चित रूप से उनको लाभ पहुच सकता है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

उनके मकानों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब तक उनके लिए मकानों की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप के शहर में भी इस उद्योग में काम करने वाले ज्यादातर लोग स्लम्स में रहते हैं। मैं भी माइका माइन्ज की वैलफेयर फण्ड कमेटी का सदस्य हूं। मैंने देखा है कि आप उनको मकान बनाने के लिए कुल 600 रुपए देते है, मैं पूछता हूं—क्या 600 रुपए में मकान बन जाएगा? इतने पैसों में तो छप्पर भी नहीं पड़ सकता। इस तरह से जो रकम आप उनको देते हैं, वे उसको दूसरी तरह के कामों में खराब कर देते हैं या वैलफेयर अधिकारी या दूसरे अधिकारी उनके साथ मिल कर सारे पैसे का दुरुपयोग कर डालते हैं यदि उनके लिए मकानों की व्यवस्था करनी है तो उनको पूरा पैसा दें। आप के हाउसिंग बोर्ड या दूसरी एजेन्सीज जो मकान बनाती है, एक कमरे के मकान में रसोई और बाथरूम के साथ जो कास्ट आती है उसके हिसाब से उनको लोन या सब्सिडी दें ताकि उनको रहने के लिए मकान उपलब्ध हो सकें। उन स्लम्स से वे निकल जाएं और ठीक प्रकार के मकान उनको उपलब्ध हो जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

न्यूट्रीशन प्रोग्राम भी इनके लिए ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि इस उद्योग में बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे काम करते हैं। किस प्रकार से उनकी सेहत कायम रहे, न्यूट्रीशन प्रोग्राम इसके लिए होना चाहिए। महिलाओं और बच्चों की तन्दरुस्ती कायम रहे इस कल्याणकारी कार्यक्रम के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे बच्चों को कानूनन ऐसे काम में लगाने की रोक होनी चाहिए लेकिन हम यह देखते हैं कि इस उद्योग में ज्यादातर बच्चे काम करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को इस काम पर लगाने की बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पढ़-लिखकर वे होश्यार बनें और बचपन में ही इस उद्योग में न लग जाएं और अपनी सेहत खराब करें इसके लिए आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा और भी मेरे कई सुझाव हैं। जहां पर मिनिमम वेज नहीं मिलता है, वहां पर मिनिमम वेज दिलाने की आप व्यवस्था करें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों पर झूंटे लेबल लगाकर लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से ब्रांडेड और अन-ब्रांडेड बीड़ियां बिक रही हैं। जो ब्रांड वाले हैं, उनसे तो आपको पैसा मिल जाता है लेकिन जो अनब्रांडेड वाले हैं, उनसे सेस नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों को आप अपने अधिकारियों द्वारा पकड़वाने के लिए कदम उठाइए और उनसे भी सेल वसूल करने का आपको काम करना चाहिए। 30 लाख से कम जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन पर तो फाइनेन्स मिनिस्टर

साहब ने टैक्स छोड़ दिया है लेकिन जो अनब्रांडेड बीड़ी पीने वाले लोग हैं, उनसे कैसे सेस वसूल करेंगे, इसकी कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

एक सुझाव और है। आपने कई कल्याणकारी कार्यक्रम चालू किए हैं लेकिन मैं भीलवाड़ा जिले की बात करता हूं। सोप-स्टोन एक ऐसा खनिज पदार्थ है, जो हमारे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपने डोलामाइट, पत्थर और अन्य प्रकार की चीजों के लिए वैलफेयर कार्यक्रम चालू किये हैं लेकिन सोप-स्टोन की तरफ अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए। उसमें भी हजारों लोग काम करते हैं और डेढ़ सौ, दो सौ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज उससे आय को मिलता है। वह सारा फारेन कंट्रीज में जाता है और उससे आपको फारेन एक्सचेंज मिलता है लेकिन उसमें जो मजदूर काम करते हैं, उनके सम्बन्ध में कोई वैलफेयर एक्टीविटीज कायम नहीं हुई हैं। इसलिए उनके लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा इस बिल पर बोलने का इरादा नहीं था लेकिन श्रम मन्त्री जी ने, जो एक भूल पहले 1979-80 के बजट में हुई थी और उस भूल के कारण जो बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए वैलफेयर एक्टीविटीज खत्म हो गई थी, उनको फिर से चालू करने की बात की है और उस भूल को दुरुस्त किया है। यह एक अच्छी बात है, एक अच्छा कदम है।

जैसा कहा गया है और मैं भी इस बात की सलाह दूंगा – हालांकि मैं कभी भी किसी सेस के बढ़ाने का पक्षधर नहीं हूं – और मैं यह मानता हूं कि जब तक देश में अपने साधन इकट्ठा नहीं किए जाएंगे, तब तक देश के गरीब आदमी का भला नहीं हो सकता। देश के अन्दर अगर साधनों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, तो उसका लाभ देश के चन्द अमीरों को ही मिलेगा। आज सारे विकास और सारी प्रगति का लाभ उनको हो रहा है।

यह जो कहा जाता है कि 37 लाख बीड़ी वर्कर हैं...

श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : 30 लाख

श्री जन्द्रजीत यादव : 30 लाख या 35 लाख, जो भी संख्या कही जाती है, मैं समझता हूं कि यह संख्या सही नहीं है और यह 50 लाख के आसपास जरूर होगी क्योंकि हमको अनुभव है कि जहां बीड़ी का काम होता है, वहां बच्चे, औरतें सब काम करती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा जाता है। जो मर्द काम करते हैं, उन्हीं का नाम लिखा जाता है और अगर 20 आदमी

[श्री चन्द्रजीत सिंह]

काम करते हैं, तो 10 का ही नाम लिखा जाता है और 10 का नहीं। यह संख्या काफी बड़ी संख्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि 10 पैसे की बजाय अगर 1 हजार बीड़ी पर एक रुपया आप सेस लगा सकें, तो सही मायनों में आपको एक फंड मिल सकता है जिससे कि इन गरीबों की आप मदद कर सकते हैं। आपको 1 हजार बीड़ी पर कम से कम एक रुपया सेस लगाना चाहिए, 10 पैसे नहीं। अगर वाकई आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उनको दवा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनको शादी-विवाह में और मकान बनाने में मदद मिले तो आपको यह करना चाहिए। एक पोस्ट आफिस में काम करने वाले आदमी के बच्चे को पढ़ने के लिए आप वजीफा दें, उसको ट्रेन में चलने के लिए टिकट दें लेकिन जो बीड़ी का काम करने वाला सबसे गरीब आदमी है, इसको आप चार रुपये या दस रुपये देना चाहें तो उससे कुछ नहीं होगा। यह तो वही होगा जैसा कि हमारी तरफ कहा जाता है कि प्यासे को शबनम देना। ओस या उसकी बूंद से कभी प्यास नहीं बुझा करती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कम से कम एक हजार बीड़ी पर सेस लगाएं।

दूसरे इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि चूंकि आपका सेन्ट्रल सेस डिपार्टमेंट काम करता है, उसको ये बीड़ी बनाने वाले मालिक डिपार्टमेंट से मिलकर गलत फिगर्स न दें। इसलिए आप मेहरबानी करके स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडवायजरी बोर्ड बनाएं जिनसे कि आपको सहयोग मिले और उनमें आपको वर्कर्स के नुमाइन्दे रखने चाहिए। सारे देश में बीड़ी वर्कर्स की युनियन्स हैं। अगर उनके नुमाइन्दे आप ये बोर्ड बनाकर इनमें रखें तो आपको सेस मिल सकेगा वरना जो दो तीन करोड़ रुपया मिलने की आप आशा कर रहे हैं वह भी आपको नहीं मिलेगा। पहले तो तम्बाकू पर था उससे आपको मालूम हो जाता था। बीड़ी बनाने वालों से तो सही फीगर्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप एडवायजरी कमेटी बनाइये और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर बनाइये जिससे कि कोई बीड़ी को छिपाकर के सेस न बचा सके।

बीड़ी बनाने वालों का सबसे गरीब तबका होता है और वे बदकिस्मती से टी० बी० के या इसी तरह के दूसरी बीमारियों के शिकार होते हैं। ये हाथ से काम करते हैं और सब से गन्दी जगहों पर काम करते हैं न वहां हवा पहुंचती है. न वहां पर बिजली होती है, टूटे-फूटे मकानों में वे काम करते हैं। ऐसी जगहों पर ये काम करते हैं और सांस के जरिये से तम्बाकू उनके फेफड़ों तक जाता है और वहां जाकर वह तपेदिक की बीमारी पैदा करता है। आप उनकी रेगुलर तरीके से स्वास्थ्य की परीक्षा करायें और उनको दवा दें। इसकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

लाइफ इंश्योरेंश के बारे में बराबर कहा गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इस पर भी आप ध्यान रखें।

इन तमाम बातों पर आशा है आप ध्यान रखेंगे ताकि जो मदद आप उनकी करना चाहते हैं वह सहीमायनों में उनकी मदद हो सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी काफी छोटी होती है लेकिन बहस लम्बी-चौड़ी होती है। संविधान की जो धारायें हैं और पवित्र धारायें हैं, मैं समझता हूं कि उनको हमारी रामदुलारी जी ने भी और हमारे उपमन्त्री ने भी पढ़ा होगा।

अनुच्छेद 43 के अनुसार : "उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 47 के अनुसार :"राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करते तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 46 के अनुसार : "राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के शिक्षा तथा अर्थसंबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा।"

संविधान की ये धाराएं 1950 में पारित हुई थीं और 1950 में पारित होने के बाद एक अच्छी बात है कि हम उन धाराओं को भूले नहीं। आज हम बीड़ी वालों की हमदर्दी कर रहे हैं। बराबर 32 साल के बाद हमदर्दी करने वाले लोगों से पूछा जाए कि यह केवल जुबानी हमदर्दी है या वस्तविक हमदर्दी है ? मैं सबसे यही बात पूछता हूं। 32 साल के बाद आज आपके सामने यह बहस हो रही है और समय 17.55 हो रहा है।

आज यह जो बीड़ी वर्कर्स के लिए कानून पेश किया गया यह कैसे किया गया— जब हमारे एक मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि बीड़ी वर्कर्स को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। यह भाषण था पी० वेंकट रेड्डी का। मैं सिन्हा जी आपका भाषण भी सुनाऊंगा। सदन में कितनी सुन्दर बातें आप लोग कहते हैं और लोगों को कितनी अच्छी-अच्छी बातों से दिलासा देते हैं :—

'इंडियन वर्कर में यह छपा है मैं उद्धरण देता हूं :

"यदि त्रिपक्षीय समिति, जिसमें नियोजकों श्रमिकों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, की सिफारिशों को ठीक ढंग से लागू किया जाता है तो यह आशा की जा सकती है कि बड़ी श्रमिकों को, जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का एक विशाल भाग है तथा जो सम्भवतः

[श्री मूलचन्द डागा]

देश की श्रम शक्ति का सबसे अधिक शोषित वर्ग है, कुछ राहत मिल सकेगी। त्रिपक्षीय समिति ने 21 जनवरी को यहां पर श्रीवेंकट रेड्डी केन्द्रीय श्रम उप-मंत्री की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की"...आदि।

सभी सिफारिशें यहां पर दी गई हैं।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह मैं 'इंडियन वर्कर, में से पढ़ रहा हूं। मल्लिकार्जुन जी अब आप शिक्षा मंत्री हैं। आपको इसे अच्छी तरह जानना चाहिए। आप क्या कहते हैं ? उन रिकमण्डेशंस को मैं पढ़ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि उनकी तन्ख्वाहें बहुत कम हैं, उनको 5-6 रुपया रोज मजदूरी मिलती है, मैं पूरा विवरण पेश करूंगा। इसी सदन में श्री अंजैया द्वारा जानकारी दी गई है वह मैं बतलाना चाहता हूं। हम सिर्फ बातें करते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। हम यह क्यों कर रहे हैं ? इसलिए कर रहे हैं कि अखबारों में हमारी बातें छपें कि हम बीड़ी वर्कर्स का भला कर रहे हैं। अगर हम सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए पक्के इरादों की जरूरत होगी, मजबूत इरादों की जरूरत है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसके जरिए दो करोड़ 50 लाख रुपया इक्ट्ठा कर सकेंगे और कर्मचारियों की संख्या है 35 लाख, आपके मुताबिक, तो इस प्रकार हम प्रत्येक पर कितना खर्च कर सकेंगे ? आप हमको 1500 रुपए दे दीजिए, उससे एक कमरा भी नहीं बन सकता। कितना रुपया दिया जाएगा ?

जब हम बात करते हैं कि जनता पार्टी ने गल्ती की, तो जनता ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

हम कहते हैं कि 35 लाख आदमी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो गरीब मुस्लिम महिलाएं, 80-90 प्रतिशत ऐसी महिलाएं पर्दे के पीछे, रहकर, घर के बाहर न आकर बीड़ी बनाने के काम में अपनी उम्र कम कर रही हैं, उनके बारे में आपको कभी तकलीफ नहीं होती।

वह क्या जाने प्रीत पराई,
जा के पांव न फटे बिवाई।

आपको मालूम नहीं हो सकता है। आप बीड़ी वर्कर्ज की तनख्वाहों को देखें यहां पर मिनिमम वेजिज एक के नीचे इसके बारे में सवाल पूछा गया था। यह भी पूछा गया था कि कितनी फैक्ट्रीज का आपने इंस्पेक्शन करवाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि सभा का समय इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान में एक हजार बीड़ियां बनाने पर 5-80 रुपए दी जाती है । यह स्पेशल बीड़ी होती है । इसके अलावा एक सादी होती है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : एक बीड़ी मंत्री पीते हैं और दूसरी जनता पीती है ।

श्री मूल चन्द डागा : इन दोनों तरह की बीड़ियों को बनाने में भी तनख्वाह का फर्क किया जाता है । तमिलनाडु में 5-25 दी जाती है । त्रिपुरा में 3-80 दी जाती है और यह तनख्वाह नेगोशिएशंज के बाद तय की गई है उत्तर प्रदेश में छः रुपए दी जाती है इंस्पेक्शन के जवाब में आंकड़े दिए गए लेकिन चालान आज तक किसी फैक्ट्री का या किसी मैनुफैक्चरर का नहीं हुआ । यह बड़ी मेहरबानी आपने की है । मध्य प्रदेश में 1309 का किया गया । उत्तर प्रदेश में 55 हजार हैं और केवल 88 का किया गया है । आन्ध्र में 1 लाख 12 हजार 307 हैं जिनमें से एक लाख 9 हजार 333 का किया गया । कर्नाटक में 1 लाख 76 हजार 09 फैक्ट्रीज हैं और इंस्पेक्शन केवल 93 का किया गया । यह सारा डाटा में सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं । एक मामला मन्त्री जी ऐसा बतायें जिनमें शोषण करने वाले का चालान हुआ और सजा हुई हो यह हालत है देश की हम सेस लगाते हैं कल्याणकारी कामों के लिए । लेकिन इस शोषण से कौन बचायेगा । आप किसी को ले लीजिए, सब जगह निल लिखा है ।

एक माननीय सदस्य : किस बात पर चालान होना चाहिए ?

श्री मूल चन्द डागा : मिनिमम वेजेज न देने पर, उनके वे आफ वर्किंग पर ।

एक माननीय सदस्य : मिनिमम वेजेज कम हैं उनके ?

श्री मूल चन्द डागा : आपको क्या मालूम है । हमें मालूम है यहां उन गरीबों के लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है । आप उनके हमदर्द हैं यह तब मालूम हो जब आप बीड़ी वर्कर के पास जा कर उनकी हालत पूछे । 52,000 करोड़ रुपए की बीड़ी बनती हैं देश में और एक दिन में 173 करोड़ रुपए की बीड़ी बनती हैं और ऐक्सपोर्ट भी होती है । लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें काम करने वाले लोगों के लिये कुछ काम नहीं किया । माननीय अन्जैया ने उत्तर दिया कि इस पर योजना बना रहे हैं । उनका उत्तर पढ़ता हूं, इसमें कौन-कौन से काम किए ।

[श्री मूलचन्द डागा]

सभा में यह उत्तर दिया गया था :

"श्रमिकों तथा बीड़ी उद्योग श्रमिकों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं 'अपना घर बनाएं' योजना दोनों पर समान रूप से लागू होती है। 1300 रुपए की वित्तीय सहायता और 600 रुपए की राज सहायता तथा 900 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है..."

मेरी समझ में नहीं आता कि इतने कम धन में कौन मकान बना सकता है ? आज के जमाने में क्या 1300, 400 रुपए में मकान बन सकता है ? कोई नहीं। हां झोपड़ी खड़ी हो सकती है जो आंधी पानी में उड़ जाए। क्यों आप बेकार रु० खर्च करते हैं। हमने पूछा तो कहा :

"केवल बीड़ी श्रमिकों के लिए एक और योजना है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार तो 1500 रुपए और 1400 रुपए की राज सहायता मकान बनाने लिए दी जाती है। योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों का मालिकाना हक सरकार के पास होगा।"

अब कब बनेंगे मकान कुछ भी नहीं। आप जिस कानून को बनाना चाहते हैं, और हमारे उप मन्त्री जी युवा हैं, बीड़ी वर्कर्स के प्रति उसकी सहानुभूति है तो आप बतायें थोड़ा बहुत सैस इक्ट्ठा करके किस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा ? ब्लाट इज दी वे आउट ? लेकिन इसको कोई नहीं सोच रहा है उसने ऐक्सप्लायटेशन का शब्द भी लिखा है।

"तम्बाकू उद्योग चिरकालिक अनिश्चितता की स्थिति में है क्योंकि यह बड़ी संख्या में गरीब लोगों पर निर्भर है, जिनका बिचौलियों और गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बड़ी आसानी से शोषण किया जाता है।"

सब जगह शोषण है।

लगभग पचास लाख आदमी हिन्दुस्तान में बीड़ी का काम करते हैं। उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है। उनके कल्याण के लिए एक सैस लगाया जा रहा है, 10 पैसे से 50 पैसे तक होगा। मैं समझता हूं कि इसकी जगह कम से कम 50 पैसे रख देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि 10 पैसे से 50 पैसे की बात क्यों रखी गई है। गवर्नमेंट को इस बारे में जल्दी कदम उठाना चाहिए। कानकन में दुनिया में विषमता को कम करने के बारे में सम्मेलन हुआ था। अगर यहां पर गरीबी ज्यादा हो गई और विषमता बढ़ती चली गई, तो हम सब लोग इस दलदल में फंस जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे 50 पैसे तक बढ़ाने के लिए आपने कोई संशोधन नहीं दिया है।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने कोई संशोधन नहीं दिया है। यह सच है, ऐसा गलती से हुआ है। मैं अपनी गलती मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी गलती मानते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : अगर इस सैस को 50 पैस कर दिया जाये, तो बहुत अच्छा होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि वह बीड़ी एंड सिगार एक्ट में संशोधन करेगी। घरों में बीड़ी बनाने का जो काम होता है, उसको फैक्टरी के रूप में मान कर उस पर फैक्टरी एक्ट लागू करना चाहिए। अगर ऐसा किया गया, तो जो लोग घरों में काम करते हैं, वे समझेंगे कि सचमुच हमें शोषण से बचाया जा रहा है और हमारी हालत सुधारी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

6.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरूवार, 26 नवम्बर, 1981/5 अग्रहायण, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरिया गंज, नई दिल्ली-2